सत्यमेव जयते

भारत के

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र

(गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 3

भारत के
नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र
(गैर – सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 3

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / टिप्पणियां
प्राक्कथन		vii
ओवरव्यू		ix
अध्याय – 1		
प्रस्तावना		
बजट प्रोफाइल	1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.2	1
निरंतर बचतें	1.3	2
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.4	2
लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन	1.5	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा लेखापरीक्षा को सरकार के उत्तर	1.6	3
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां	1.7	4
लेखापरीक्षा को सरकार की जवाबदेही में कमी	1.8	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन	1.9	5
राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति	1.10	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा अनुच्छेदों के वर्ष – वार विवरण	1.11	6
अध्याय – 2		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
जन – स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ग्रामीण तथा शहरी जल आपूर्ति स्कीमें	2.1	7
प्राथमिक शिक्षा विभाग स्कूलों में मिड डे मील्ज का राष्ट्रीय कार्यक्रम	2.2	31
उच्चतर शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा तकनीकी शिक्षा विभाग प्राईवेट कालेजों तथा प्राईवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की रूपरेखा	2.3	51
अध्याय – 3		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
पशुपालन तथा डेयरी विभाग पशु – चिकित्सा मूलभूत संरचना तथा इसकी उपयोगिता	3.1	71

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / टिप्पणियां
पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग संग्रहालय एवं कार्यालय भवन के निर्माण में विलंब तथा विभाग के उद्देश्य की अनुपलब्धि	3.2	76
शिक्षा विभाग अयोग्य छात्रों से स्टाइपंड राशि की अवसूली	3.3	78
पर्यावरण विभाग **(हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)** आयकर का परिहार्य भुगतान	3.4	80
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भारतीय खाद्य निगम से बिलों की वसूली में विलंब के कारण ब्याज का परिहार्य भुगतान	3.5	82
कस्टम मिल्ड चावल के लिए मिलिंग अनुबंधों के निबंधनों एवं शर्तों की अनुपालना	3.6	83
वन विभाग भूमि मालिक को अधिक भुगतान तथा आयकर की कटौती न करना	3.7	88
प्लांट टिशू कल्चर यूनिट पर निष्फल व्यय	3.8	89
स्वास्थ्य विभाग **(रैड क्रास सोसाइटी)** रैड क्रास सोसाइटियों द्वारा निधियों का उपयोग	3.9	91
उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विभाग **(गुरू जंभेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार और कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र)** सेवाकर का परिहार्य भुगतान	3.10	95
गृह विभाग अपराध तथा अपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणालियां	3.11	97
बाहरी निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन न करना	3.12	103
जेलों के लिए जैमरज का अ-प्रापण	3.13	105
बागवानी विभाग अपूर्ण हाईटैक सब्जी पौध उत्पादन यूनिट पर निष्फल व्यय	3.14	107
औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग अविवेकपूर्ण स्थल चयन के कारण निधियों का अवरोधन	3.15	109

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / टिप्पणियां
सिंचाई विभाग अपूर्ण नहर पर निष्फल व्यय	3.16	110
सिंचाई विभाग के कार्यचालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्तन लेखापरीक्षा	3.17	112
सिंचाई तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग भूमि के अधिग्रहण पर परिहार्य व्यय	3.18	116
चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग सरकारी लेखे में दुकानों का किराया जमा न करवाना	3.19	118
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अप्रयुक्त पाइपों पर निधियों का अवरोधन	3.20	118
टैरटियरी ट्रीटमैंट वाटर स्कीम पर अविवेकपूर्ण व्यय	3.21	120
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) सड़क के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय	3.22	121
ग्रामीण विकास विभाग पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत निधियों की उपयोगिता	3.23	124
'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी' – ऑडिट ऑफ स्कीम रूल्ज – 2011 के अंतर्गत प्रावधानित सोशल ऑडिट	3.24	129
खेल एवं युवा मामले विभाग खेल आधारभूत संरचना का उपयोग	3.25	135
तकनीकी शिक्षा विभाग कार्य के अविवेकपूर्ण आबंटन के कारण हानि	3.26	140
महिला एवं बाल विकास विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रापण	3.27	142

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं की प्रकृति के विवरण	1.8	147
1.2	31 दिसंबर 2015 को वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लिए लोक लेखा समिति में चर्चा किए जाने वाले बकाया अनुच्छेदों की सूची	1.9	148
1.3	वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों, जिनकी कृत कार्रवाई टिप्पणियां (कृ.का.टि.) 31 मई 2015 को प्रतीक्षित थी, के विवरण	1.9	150
1.4	अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूली इंगित की गई किन्तु प्रशासनिक विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई	1.9	152
1.5	31 मई 2015 को लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण, जिन पर सरकार को अभी अंतिम निर्णय लेना है	1.9	153
1.6	31 अगस्त 2015 को स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	1.10	154
2.1	कम जलापूर्ति वाले गांवों के विवरण	2.1.6.3	157
2.2	संस्वीकृत अनुमानों के आधिक्य में किए गए व्यय के विवरण	2.1.7.1	158
2.3	उन मामलों के विवरण जिनमें स्कीमें संबंधित प्राधिकारियों से पूर्व क्लीयरेंस तथा भूमि का स्पष्ट स्वामित्व लिए बिना शुरू की गई थी	2.1.8.3	159
2.4	विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करने के कारण कार्यों के निष्पादन में विलंब के मामलों के विवरण	2.1.8.5	160
2.5	जल संसाधनों की कायमता के लिए प्रदान की गई निधियों के विपथन के विवरण	2.1.8.8 (क)	162
2.6	सरकारी स्कूलों तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या	2.2.6	163
2.7	राज्य में आबंटित तथा उठाए गए खाद्यान्नों के विवरण	2.2.8.2	164
2.8	चयनित स्कूलों में खाद्यान्नों की आवश्यकता तथा वास्तविक प्राप्ति	2.2.8.2	165
2.9	विभाग द्वारा किए गए निरीक्षणों के विवरण	2.2.10.1	166

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.10	राज्य में प्राईवेट कालेजों के विवरण	2.3.1	167
2.11	नमूना-जांच किए गए प्राईवेट कालेज दर्शाने वाली विवरणी	2.3.4	168
2.12	कमियों की अनुपालना के बिना एफिलिएटिड कालेजों की सूची	2.3.6.2	169
3.1	दिए गए धान, देय सी.एम.आर., सुपुर्द सी.एम.आर. तथा एफ.एस.डी. में मिलर्ज से प्राप्त न किए गए शेष चावल के विवरण	3.6.1	170
3.2	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विवरण जहां महत्वहीन/कोई प्रगति नहीं थी	3.17.3.1	172
3.3	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विवरण जहां महत्वपूर्ण कार्यान्वयन/प्रगति थी	3.17.3.2	173
3.4	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विवरण जहां सभी अभिप्रेत क्षेत्रों में पूर्ण प्रगति थी	3.17.3.3	174
3.5	अधिगृहीत भूमि हेतु मुआवजे के रूप में किए गए परिहार्य भुगतान के विवरण	3.18	175
3.6	नमूना-जांच हेतु चयनित ग्राम पंचायतों की सूची	3.24	176

प्राक्कथन

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) के अंतर्गत हरियाणा सरकार के विभागों/स्वायत्त निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण, जो वर्ष 2014-15 के दौरान नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये थे तथा वे, जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में तो आये थे परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे, उल्लिखित हैं; 2014-15 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक समझे गए, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

ओवरव्यू

ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में (i) ग्रामीण तथा शहरी जल आपूर्ति स्कीमें; (ii) स्कूलों में मिड डे मील्ज का राष्ट्रीय कार्यक्रम; तथा (iii) प्राईवेट कालेजों तथा प्राईवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की रूपरेखा, पर तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा अधिक, अनियमित, निष्फल व्यय, परिहार्य भुगतान, राज्य को हानि, नियमों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमियां इत्यादि से संबंधित ₹ 528.64 करोड़ से आवेष्टित 27 अनुच्छेद शामिल हैं। कुछ मुख्य उपलब्धियां नीचे उल्लिखित हैं:

2010-15 के दौरान राज्य का कुल व्यय ₹ 33,063 करोड़ से 62 प्रतिशत बढ़कर ₹ 53,677 करोड़ हो गया, राज्य सरकार का राजस्व व्यय 2010-11 में ₹ 28,310 करोड़ से 74 प्रतिशत बढ़कर 2014-15 में ₹ 49,118 करोड़ हो गया जबकि 2010-15 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय ₹ 4,031 करोड़ से आठ प्रतिशत घटकर ₹ 3,716 करोड़ रह गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा

"ग्रामीण तथा शहरी जल आपूर्ति स्कीमों" की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। कुछ मुख्य उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

- एक व्यापक पंचवर्षीय जल सुरक्षा योजना तैयार नहीं की गई थी। केवल मांग के आधार पर वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। आगे, 455 बस्तियों में जल की कमी थी और 73 नगरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.1.6.1, 2.1.6.3 और 2.1.6.4)

- 5,003 ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों में से मार्च 2015 तक 1,857 स्कीमों को अपूर्ण छोड़ते हुए केवल 3,145 स्कीमें (63 प्रतिशत) पूर्ण की गई। अपरिष्कृत जल की उपलब्धता, संबंधित प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्ति, भूमि का स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित किए बिना जल कार्यों के लिए अनुपयुक्त स्थलों का चयन, ठेकेदारों के विरूद्ध विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करना, पाईपों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्यों के निष्पादन के परिणामस्वरूप में 25 स्कीमें अपूर्ण रही तथा ₹ 30.46 करोड़ का निष्फल/व्यर्थ व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 2.1.8.1 से 2.1.8.5 और 2.1.8.7)

- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अधीन जल संसाधनों की कायमता का घटक सही ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि इस घटक के लिए अभिप्रेत ₹ 17.39 करोड़ की निधियां जलापूर्ति स्कीमों पर व्यय कर दी गई थी। आगे, जल कायमता के लिए सृजित परिसंपत्तियों के रख-रखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.1.8.8)

- 354 शहरी जल आपूर्ति स्कीमों में से मार्च 2015 तक केवल 213 स्कीमें (60 प्रतिशत) पूर्ण की गई थी। तीन स्कीमें रेलवे से अनुमति की कमी, स्टोरेज तथा सेडीमेंटेशन टैंकस के लिए भूमि की अनुपलब्धता और भू-स्वामियों के साथ भूमि विवाद न सुलझाने के कारण अपूर्ण पड़ी थी, परिणामस्वरूप ₹ 26.82 करोड़ की निधियों का अवरोधन/निष्फल व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 2.1.8.10 से 2.1.8.13)

- चयनित जिलों में पानी के 2,19,000 नमूनों के परीक्षण के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 1,08,593 (50 प्रतिशत) नमूने एकत्र किए गए और परीक्षण किए गए जिनमें से 13 प्रतिशत अयोग्य पाए गए। आगे, स्वास्थ्य विभाग के डाटा के अनुसार, जीवाणु-वैज्ञानिक परीक्षण के लिए जांचे गए 15,481 नमूनों में से 5,818 नमूने (38 प्रतिशत) मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए।

(अनुच्छेद 2.1.8.14)

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं थी क्योंकि सृजित परिसंपत्ति के रिकार्ड समुचित रूप से नहीं रखे गए थे, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं थी और विभिन्न रिपोर्ट उपचारक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधक यंत्र के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा रही थी।

(अनुच्छेद 2.1.9.1 से 2.1.9.3)

''स्कूलों में मिड डे मील्ज का राष्ट्रीय कार्यक्रम'' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। कुछ मुख्य उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

- स्कीम के कार्यान्वयन के लिए योजनाएं, स्कूल स्तर से डाटा प्राप्त करके या समुचित सर्वेक्षण किए बिना तैयार की गई थी।

(अनुच्छेद 2.2.6)

- ₹ 9.83 करोड़ के अव्ययित शेष तथा ₹ 0.65 करोड़ की राशि के अर्जित ब्याज जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों के बैंक खातों में पड़े थे।

(अनुच्छेद 2.2.7.3)

- स्कीम के अंतर्गत छात्रों का कवरेज 2010-15 के दौरान कम होकर 99 से 95 प्रतिशत हो गई थी। स्कूलों द्वारा खाद्यान्नों को लेने में भारी कमी 21 तथा 44 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

(अनुच्छेद 2.2.8.1 तथा 2.2.8.2)

- मिड डे मील्ज की आपूर्ति का कार्य कुरूक्षेत्र जिले में इस्कॉन को सौंपा गया था (सितंबर 2006)। इस्कॉन ने ₹ 1.23 करोड़ मूल्य के 5,761 क्विंटल खाद्यान्न जरूरत से ज्यादा उठा लिए थे तथा समग्र मात्रा को उपभुक्त के रूप में दर्शाते हुए उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए। यह विभाग द्वारा खाने की संख्या के सत्यापन के बिना खाद्यान्नों की निर्मुक्ति के कारण था।

(अनुच्छेद 2.2.8.4)

- विभाग ने बच्चों को दिए गए खाने की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य नमूनों की जांच के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी। आगे, हिसार, कुरूक्षेत्र तथा सिरसा जिलों में उचित औसत गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.2.8.5 तथा 2.2.8.6)

- 2006-10 के दौरान 11,483 किचन-कम-स्टोर के निर्माण की संस्वीकृति के विरूद्ध केवल 8,825 पूर्ण किए गए थे, 903 प्रगति पर थे तथा 1,755 का निर्माण शुरू नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.2.8.10)

''प्राईवेट कालेजों तथा प्राईवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की रूपरेखा'' की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। कुछ मुख्य उपलब्धियां नीचे दी गई है:

- प्राइवेट कालेजों को राज्य सरकार/संबद्ध विश्वविद्यालयों की टिप्पणियां प्राप्त किए बिना मान्यता प्रदान की जा रही थी, विश्वविद्यालय अपर्याप्त मूलभत संरचना, फैकल्टी इत्यादि वाले कालेजों को संबद्धता प्रदान कर रहे थे। विश्वविद्यालयों द्वारा नियमित निरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं था।

(अनुच्छेद 2.3.6.1 से 2.3.6.3)

- उच्चतर शिक्षा विभाग ने सरकारी प्राप्तियों के अभिलेखों का समुचित रख-रखाव नहीं किया। 2008-14 की अवधि हेतु प्राइवेट कालेजों की स्थापना के लिए प्रोसेसिंग फीस प्रभारण हेतु प्रावधान के अभाव के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 97 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.3.7.1)

- चिकित्सा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा, तीन करोड़ की बजाए ₹ एक करोड़ की बैंक गारंटी प्राप्त करने के बाद अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। इसी प्रकार, उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा ₹ तीन करोड़ की बैंक गारंटी प्राप्त किए बिना तीन प्राइवेट कालेजों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.3.7.2)

- समुचित नियंत्रण करने में उच्चतर शिक्षा विभाग की विफलता के कारण एक बी.एड. कालेज ने जाली दस्तावेजों के आधार पर तथा तथ्यों को छिपाकर मान्यता प्राप्त कर ली।

(अनुच्छेद 2.3.8.1 (क))

- वार्षिक रिटर्न यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों द्वारा हरियाणा के छात्रों को आरक्षण एवं फीस रियायत प्रदान की जा रही थी, उच्चतर शिक्षा विभाग को नियमित रूप से नहीं भेजी जा रही थी।

(अनुच्छेद 2.3.8.5)

- प्राइवेट कालेज अपर्याप्त मूलभूत संरचना से संचालित किए जा रहे थे। चार प्राइवेट विश्वविद्यालयों ने पात्रता मानदंड पूर्ण किए बिना 51 फैकल्टी सदस्यों को नियुक्त किया।

(अनुच्छेद 2.3.8.6 तथा 2.3.8.7)

अनुपालन लेखापरीक्षा

पशुपालन तथा डेयरी विभाग निधियों की उपलब्धता के बावजूद पशु-चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मूलभूत संरचना का सृजन करने में विफल रहा। आधुनिकीकरण परियोजना, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किए बिना बंद कर दी गई। ₹ 1.79 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् 19 मोबाइल निदान प्रयोगशाला वैन, निदान उपकरण न खरीदने के कारण अप्रयुक्त रही। पालतू पशु क्लीनिक चलाने में अनियमितताएं देखी गई थी तथा वहां पशु-चिकित्सा मूलभूत संरचना का न्यून उपयोग था।

(अनुच्छेद 3.1)

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत स्वयं को धर्मार्थ संस्था के रूप में पंजीकृत नहीं करवाया और उसके कारण छूट का लाभ प्राप्त करने में विफल रहा परिणामस्वरूप आयकर और उस पर ब्याज के रूप में ₹ 60.35 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 3.4)

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 2010-15 के दौरान ग्यारह जिलों में भा.खा.नि. से बिलों की वसूली में विलंब के कारण ₹ 15.93 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया।

(अनुच्छेद 3.5)

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा नियमित रूप से स्टाक का भौतिक सत्यापन न करने, मिलरों की क्षमता से अधिक धान का आबंटन, समुचित गारंटी का प्राप्त न करना, दोषी मिलरों के विरूद्ध उचित कार्यवाही की कमी से युग्मित कारणों ने मिलरों द्वारा ₹ 115.48 करोड़ मूल्य के चावल की असुपुर्दगी को सुविधाजनक बनाया। मिलरों से चावल की कम आपूर्ति के कारण ₹ 24.46 करोड़ की अवसूली, मूल्य कट और आर्द्रता कट के कारण मिलरों से ₹ 2.40 करोड़ की अवसूली और कई मामलों में दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के मामले भी थे।

(अनुच्छेद 3.6)

जिला रैड क्रास सोसाइटियों (जि.रै.क्रा.सो.) ने वेतन एवं भत्तों पर ₹ 18.38 करोड़ तथा इसके मुख्य उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर मात्र ₹ 6.63 करोड़ व्यय किए थे। ₹ दो करोड़ का व्यय इसके उद्देश्यों के अंतर्गत आवृत न की गई गतिविधियों पर किया गया था। गबन, विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण न देना, आपूर्तिकर्ता पर पेनल्टी न लगाना, संविधान और जि.रै.क्रा.सो. के समरूप सेवा नियमों का अनुमोदन न करने के मामले भी थे।

(अनुच्छेद 3.9)

अपराध तथा अपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणालियां परियोजना तीन वर्षों की समाप्ति के बाद भी पूर्ण नहीं की गई है। गृह विभाग जांच अधिकारियों को हार्डवेयर प्रदान करने में, पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने, लिगैसी डाटा को डिजिटाइज/माइग्रेट करने, रीयल टाइम सूचना शेयरिंग के लिए पुलिस स्टेशनों, उच्चतर कार्यालयों तथा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के बीच एप्लीकेशन साफ्टवेयर तथा नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने में विफल रहा। विभाग कानून और सुव्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के कार्यचालन में सुधार के लिए नागरिक केन्द्रिक सेवाएं प्रदान करने में भी विफल रहा।

(अनुच्छेद 3.11)

गृह विभाग द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध नियंत्रण हेतु एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं बृहद परियोजना, बाहरी सर्विलेंस सिस्टम को कार्यान्वित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 8.24 करोड़ की राशि की निधियां चार वर्षों से अधिक समय से अवरूद्ध रही, ₹ 14.48 लाख का व्यय निष्फल हुआ तथा ₹ 2.04 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.12)

जेल विभाग की अनिर्णयता के कारण जैमर प्राप्त नहीं किए जा सके तथा छः वर्षों से अधिक समय हेतु ₹ पांच करोड़ की निधियां अप्रयुक्त रही। चार जेलों में सुरक्षा आधारभूत संरचना के सुधार का उद्देश्य अप्राप्त रहा इसके अतिरिक्त विभाग ने ₹ 1.20 करोड़ के ब्याज की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 3.13)

'सिंचाई विभाग के कार्यचालन' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में शामिल की गई थी। विभाग द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई की जांच करने के लिए की गई अनुवर्तन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि निष्पादन लेखापरीक्षा में छः अनुशंसाओं में से, एक अनुशंसा पूरी तरह से लागू की गई थी, एक अनुशंसा आंशिक रूप से लागू की गई तथा चार अनुशंसाएं लागू नहीं की गई थी। आगे, अन्य 23 अभ्युक्तियों में से, विभाग ने 8 अभ्युक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए थे; नौ अभ्युक्तियों के संबंध में पर्याप्त प्रगति की गई थी तथा छः अभ्युक्तियों के संबंध में अभीष्ट क्षेत्रों में पूर्ण प्रगति की गई थी।

(अनुच्छेद 3.17)

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा अनुमान के सही न बनाने और सांहितिक प्रावधानों के अनुसार अनुमान का संशोधन न करने के कारण 13.88 से 27.60 किलोमीटर में निजामपुर-नारनौल-दादरी रोड़ (एस.एच.-17) पर ₹ 5.57 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, 15.010 कि.मी. से 18.200 तक के बीच सड़क विनिर्देशनों के अनुसार नहीं थी और रख-रखाव पर ₹ 39.67 लाख का परिहार्य व्यय किया गया।

(अनुच्छेद 3.22)

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग में अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण के कारण भारत सरकार द्वारा कम निधियां जारी की गई, कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करने में विलंब हुआ तथा क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने में कमी रही। अ.जा./अ.ज.जा. विकास योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के लिए निधियां आबंटित नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 3.23)

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सोशल आडिट यूनिट पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं बनाई गई थी क्योंकि 44 संस्वीकृत पदों के विरूद्ध 32 खाली पड़े थे। सोशल आडिट करने के लिए ग्राम पंचायतों में रिसोर्स व्यक्तियों की पहचान, प्रशिक्षण और नियुक्ति नहीं की गई थी। 12,280 अपेक्षित सोशल आडिट करने की अपेक्षा के विरूद्ध केवल 6,771 सोशल आडिट किए गए थे। सोशल आडिट यूनिट द्वारा सोशल आडिट कैलेण्डर तैयार नहीं किया गया था सोशल आडिट प्रतिवेदन कार्यालय की वैबसाइट पर अपलोड नहीं की जा रही थी। सोशल आडिट सत्यापन न करने, सोशल आडिट ग्राम सभा कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी की रिकार्डिंग न करने, सोशल आडिट प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, इत्यादि तैयार न करने के उदाहरण भी देखे गए थे।

(अनुच्छेद 3.24)

स्टेडियमों के निर्माण और सौंपने में विलंब के मामले थे। आगे, स्टेडियम परित्यक्त पड़े थे और सही ढंग से रख-रखाव नहीं किया जा रहा था। प्रशिक्षकों और अन्य स्टाफ की कमी के अतिरिक्त स्टेडियमों में मूल सुविधाएं और खेल की मदें प्रदान नहीं की जा रही थी। खेल एवं युवा मामले विभाग में निधियों के रखने और एक मुख्य प्रशिक्षक को अनियमित भुगतान के मामले देखे गए।

(अनुच्छेद 3.25)

महिला एवं बाल विकास विभाग में प्री स्कूल शिक्षा किटों के प्रापण में देरी, फर्नीचर की अधिक खरीद, बर्तनों की खरीद पर अतिरिक्त व्यय, निधियों का विपथन और अनियमित खरीद के मामले देखे गए थे।

(अनुच्छेद 3.27)

अध्याय 1

प्रस्तावना

अध्याय – 1

प्रस्तावना

1.1 बजट प्रोफाइल

राज्य में 56 विभाग तथा 29 स्वायत्त निकाय हैं। वर्ष 2010-15 के दौरान बजट अनुमानों तथा राज्य सरकार द्वारा उनके विरूद्ध वास्तविकों की स्थिति **तालिका** 1.1 में दी गई है।

तालिका 1.1: 2010 – 15 के दौरान राज्य का बजट तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
सामान्य सेवाएं	8,916	9,328	10,684	10,220	12,331	11,897	14,481	13,597	16,639	16,765
सामाजिक सेवाएं	11,349	10,904	13,969	12,642	15,935	14,516	18,563	15,414	21,498	19,120
आर्थिक सेवाएं	8,142	7,997	9,923	9,054	11,348	11,557	13,000	12,740	14,372	13,088
सहायता अनुदान एवं अंशदान	76	81	103	99	170	102	179	136	194	145
कुल (1)	**28,483**	**28,310**	**34,679**	**32,015**	**39,784**	**38,072**	**46,223**	**41,887**	**52,703**	**49,118**
पूंजीगत परिव्यय	3,516	4,031	4,641	5,372	4,661	5,762	5,766	3,935	5,747	3,716
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,602	722	957	627	874	522	1,084	776	1,001	843
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	5,954	3,971	6,666	4,037	9,221	5,951	13,105	7,968	13,850	8,227
आकस्मिक निधि	-	190	-	168	-	-	-	-	शून्य	-
लोक लेखा संवितरण	66,505	15,324	73,595	17,051	75,894	21,074	94,863	24,560	52,478	25,609
अंतिम नकद शेष	-	377	-	2,162	-	2,697	-	6,007	-	6,508
कुल (2)	**77,577**	**24,615**	**85,859**	**29,417**	**90,650**	**36,006**	**1,14,818**	**43,246**	**73,076**	**44,903**
कुल योग (1+2)	**1,06,060**	**52,925**	**1,20,538**	**61,432**	**1,30,434**	**74,078**	**1,61,041**	**85,132**	**1,25,779**	**94,021**

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरणियां तथा राज्य सरकार के बजट के स्पष्टीकरण ज्ञापन।

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

2014-15 के दौरान ₹ 1,25,779 करोड़ के कुल परिव्यय के विरूद्ध ₹ 94,021 करोड़ का वास्तविक व्यय था। राज्य का कुल व्यय[1] 2010-15 के दौरान ₹ 33,063 करोड़ से 62 प्रतिशत बढ़कर ₹ 53,677 करोड़ हो गया तथा राज्य सरकार का राजस्व व्यय 2010-15 के दौरान ₹ 28,310 करोड़ से 74 प्रतिशत बढ़कर ₹ 49,118 करोड़ हो गया। 2010-15 की अवधि के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय ₹ 22,059 करोड़ से 65 प्रतिशत बढ़कर ₹ 36,358 करोड़ हो गया। 2010-15 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय ने कुल व्यय का 84 से 92 प्रतिशत तथा पूंजीगत व्यय ने 7 से 14 प्रतिशत संघटित किया।

इस अवधि के दौरान कुल व्यय 12 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ा जबकि 2010-15 के दौरान राजस्व प्राप्तियां 14 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ी।

[1] इसमें लोक ऋण के पुनर्भुगतान, आकस्मिक निधि, लोक लेखा संवितरण तथा अंतिम नकद शेष शामिल नहीं हैं।

1.3 निरंतर बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन अनुदानों तथा एक विनियोजन में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें थी जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थी (**तालिका 1.2**)।

तालिका 1.2: निरंतर बचतें दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व (दत्तमत)						
1.	09-शिक्षा	610.53 (10)*	882.37 (13)	1,591.65 (19)	1,818.31 (21)	1,369.49 (14)
2.	13-स्वास्थ्य	249.65 (19)	222.05 (16)	253.27 (14)	279.74 (14)	576.18 (21)
3.	15-स्थानीय शासन	654.40 (69)	587.83 (39)	379.76 (22)	589.57 (27)	584.00 (28)
4.	24-सिंचाई	311.48 (27)	409.81 (30)	375.55 (27)	382.54 (25)	512.00 (31)
पूंजीगत (दत्तमत)						
5.	8-भवन एवं सड़कें	260.48 (19)	351.37 (22)	226.50 (12)	346.60 (14)	449.61 (20)
6.	38-जन-स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति	303.54 (30)	201.05 (20)	324.40 (28)	137.28 (11)	146.74 (13)
7.	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	880.53 (55)	532.72 (46)	366.19 (41)	313.67 (29)	158.54 (16)
पूंजीगत (भारित)						
8.	लोक ऋण	3,226.08 (41)	2,944.26 (37)	4,250.68 (40)	5,027.64 (38)	5,622.44 (41)

* कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचत की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोजन लेखे)

1.4 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त किए गए सहायता अनुदान **तालिका 1.3** में दिए गए हैं।

तालिका 1.3: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
गैर-योजनागत अनुदान	1,765.98	1,246.51	851.62	2,256.17	1,723.20
राज्य प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	749.74	674.54	727.75	856.66	2,815.36
केंद्रीय प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	87.79	50.79	44.32	62.99	24.57
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	447.11	783.09	715.56	951.36	439.75
कुल	**3,050.62**	**2,754.93**	**2,339.25**	**4,127.18**	**5,002.88**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार, विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ही निधियां हस्तांतरित कर रही थी। भारत सरकार ने 2014-15 से आगे इन निधियों को राज्य बजट के माध्यम से हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। तथापि,

2014 - 15 के दौरान भारत सरकार ने राज्य की विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर - सरकारी संगठनों को सीधे ही ₹ 1,285.01 करोड़ हस्तांतरित किए।

1.5 लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन

विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, स्कीमों/परियोजनाओं इत्यादि के जोखिम निर्धारण, गतिविधियों की विवेचनात्मकता/जटिलता, सौंपी गई वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रणों तथा नागरिकों की अपेक्षाओं और पिछले लेखापरीक्षा परिणामों के आकलन के साथ लेखापरीक्षा प्रक्रिया शुरू होती है। जोखिम निर्धारण के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा निश्चित की जाती है और वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा परिणामों से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अध्यक्ष को चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ जारी किया जाता है। जब - जब उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो समाधान कर दिया जाता है अथवा अनुपालना के लिए अगली कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं, में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है।

2014 - 15 के दौरान, राज्य के 995 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा 19 स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएं[2] तथा 'सिंचाई विभाग के कार्यचालन' की निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्तन लेखापरीक्षा भी की गई थी।

1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा लेखापरीक्षा को सरकार के उत्तर

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों, जिनका विभागों के कार्यक्रमों तथा कार्यविधियों की सफलता पर निगेटिव प्रभाव है, पर रिपोर्ट की है। मुख्यत: विशिष्ट कार्यक्रमों/स्कीमों की लेखापरीक्षा तथा नागरिक सेवाओं में सुधार लाने हेतु कार्यकारियों को उपयुक्त सिफारिशें प्रदान करने पर जोर देना था।

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के लेखा एवं लेखापरीक्षा पर विनियम, 2007 के प्रावधान के अनुसार विभागों द्वारा छ: सप्ताह के भीतर भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप अनुच्छेदों पर अपनी प्रतिक्रिया भेजनी अपेक्षित थी। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया था कि भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, जो कि हरियाणा विधान सभा को प्रस्तुत किया जाता है, में शामिल करने से पहले उनकी टिप्पणी वांछित थी। प्रतिवेदन में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित इन ड्राफ्ट रिपोर्टों तथा अनुच्छेदों को संबंधित

[2] (i) ग्रामीण तथा शहरी जलापूर्ति स्कीमें, (ii) स्कूलों में मिड डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा (iii) प्राईवेट कालेजों तथा प्राईवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की रूपरेखा।

अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों को भी उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए अग्रेषित किया गया था। इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 'सिंचाई विभाग के कार्यचालन' की निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्तन लेखापरीक्षा सहित तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा 27 अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं, जो संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किए गए थे। सभी निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 13 अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त किए गए हैं जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिए गए हैं।

1.7 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां

सरकारी विभागों के लेखाओं की नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए वसूलियों से आवेष्टित लेखापरीक्षा परिणाम, पुष्टि तथा लेखापरीक्षा को सूचना के अधीन आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को भेजे गए थे। निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् विभिन्न विभागों द्वारा 2014-15 के दौरान 22 मामलों में ₹ 2.35 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

1.8 लेखापरीक्षा को सरकार की जवाबदेही में कमी

सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षणों के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) अगले उच्चत्तर प्राधिकारियों को प्रतियों के साथ लेखापरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करते हैं। कार्यकारी प्राधिकारियों से इंगित की गई त्रुटियों तथा चूकों को तत्परता से दूर करने और चार सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालना सूचित करने की प्रत्याशा की जाती है। छः माह से अधिक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन की अर्ध-वार्षिक रिपोर्टें, लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की मानीटरिंग तथा अनुपालना को सुगम बनाने के लिए, विभागों के संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भी भेजी जाती हैं।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के विभिन्न कार्यालयों के जून 2015 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 1,297.45 करोड़ के धन मूल्य वाले 81 निरीक्षण प्रतिवेदन के 244 अनुच्छेद दिसंबर 2015 के अंत तक बकाया थे जैसा **तालिका 1.4** में इंगित किया गया है।

तालिका 1.4: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्षवार विघटन

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2004-05 से 2010-11	21	31	16.28
2011-12	8	21	21.65
2012-13	20	59	201.99
2013-14	13	42	60.07
2014-15	14	40	232.27
2015-16 (जून 2015 तक)	5	51	765.19
कुल	**81**	**244**	**1,297.45**

(स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय में अनुरक्षित आई.आर. रजिस्टरों से ली गई सूचना)

इन निरीक्षण प्रतिवेदनों, जिनका 31 दिसंबर 2015 तक समाधान नहीं किया गया था, के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं के श्रेणी–वार विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में इंगित किए गए हैं।

विभाग के प्रशासनिक सचिव, जिन्हें अर्ध–वार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से स्थिति की सूचना दी गई थी, द्वारा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर तुरंत एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्तूबर 1995) तथा मार्च 1997 एवं जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों से नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, इस बात की परवाह किए बगैर कि क्या ये मामले लोक लेखा समिति द्वारा जांच हेतु लिए गए थे या नहीं, स्वत: सकारात्मक एवं निश्चित कार्रवाई आरंभ करनी अपेक्षित थी। प्रशासनिक विभागों से विधानमंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई इंगित करते हुए कृत कार्रवाई टिप्पणियां (कृ.का.टि.) प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी।

31 मार्च 2015 को समाप्त अवधि तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए अनुच्छेदों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों की प्राप्ति के संबंध में स्थिति की समीक्षा ने प्रकट किया कि 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए 31 प्रशासनिक विभागों के 76 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर अभी लोक लेखा समिति में चर्चा की जानी शेष थी ***(परिशिष्ट 1.2)***। 25 प्रशासनिक विभागों के मामले में 55 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर कृत कार्रवाई टिप्पणियां ***परिशिष्ट 1.3*** में दिए गए विवरणों के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई थी। कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत करने वाले विभागों में से 13 प्रशासनिक विभागों ने ***परिशिष्ट 1.4*** में दिए गए विवरणों के अनुसार 28 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं के संबंध में ₹ 1,130.19 करोड़ की राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

आगे, लोक लेखा समिति की सिफारिशों की ओर प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया प्रोत्साहक नहीं थी क्योंकि 1971–72 से 2009–10 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 455 सिफारिशें, ***परिशिष्ट 1.5*** में दिए गए विवरणों के अनुसार, संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अंतिम कार्रवाई अब तक वांछित थी।

1.10 राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि, इत्यादि के क्षेत्र में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 29 निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। 31 अगस्त 2015 को लेखापरीक्षा सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखाओं की सुपुर्दगी, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प्र.) को जारी करने तथा विधानसभा में इनके प्रस्तुतिकरण की स्थिति ***परिशिष्ट 1.6*** में इंगित की गई है।

लेखापरीक्षा को लेखाओं के प्रस्तुतिकरण और विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के रखने में विलंबों के अनुसार स्वायत निकायों के निरंतर वितरण को **तालिका 1.5** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 1.5: लेखाओं के प्रस्तुतिकरण और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के पटल पर रखने में विलंब

लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलंब (महीनों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलंब के कारण	विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण में विलंब (वर्षों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलंब के कारण
1 – 2	3	स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे तैयार नहीं किए गए थे।	1 - 2	3	विभागों द्वारा विलम्ब के कारणों को सूचित नहीं किया गया।
2 – 3	2		2 - 3	4	
3 – 4	1		3 - 4	-	
4 – 5	-		4 - 5	1	
5 एवं अधिक	4		5 एवं अधिक	8	
कुल	**10**			**16**	

आगे यह देखा गया कि एक[3] स्वायत्त निकायों ने अपने वार्षिक लेखे गत 18 वर्षों (1996 – 97 और उसके आगे) से प्रस्तुत नहीं किए थे।

1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा अनुच्छेदों के वर्ष – वार विवरण

गत दो वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा अनुच्छेदों के वर्ष – वार विवरण उनके धन मूल्य के साथ **तालिका 1.6** में दिए गए हैं।

तालिका 1.6: 2012 – 14 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट समीक्षाओं तथा अनुच्छेदों से संबंधित विवरण

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		अनुच्छेद		प्राप्त किए गए उत्तर	
	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादन लेखापरीक्षा	ड्राफ्ट अनुच्छेद
2012-13	5	1,166.63	21	786.57	2	10
2013-14	3	887.81	23	148.81	3	7

2014 – 15 के दौरान ₹ 242.86 करोड़ मूल्य वाली तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा ₹ 285.78 करोड़ मूल्य वाले 27 अनुच्छेद इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं। सभी तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 13 अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त कर लिए गए हैं जो उपयुक्त रूप से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कर लिए गए हैं।

[3] जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर।

अध्याय 2
निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय – 2

निष्पादन लेखापरीक्षा

जन – स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

2.1 ग्रामीण तथा शहरी जल आपूर्ति स्कीमें

जीवित रहने के लिए जल अनिवार्य है और मानव स्वास्थ्य के साथ इसका प्रत्यक्ष संबंध है। सामाजिक-आर्थिक विकास की सफलता शुद्ध पेयजल पर निर्भर करती है। जलापूर्ति स्कीमों का मुख्य लक्ष्य शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना था। ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति स्कीमों की निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियां प्रकट की:

एक व्यापक पंचवर्षीय जल सुरक्षा योजना तैयार नहीं की गई थी। केवल मांग के आधार पर वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। आगे, 455 बस्तियों में जल की कमी थी और 73 नगरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.1.6.1, 2.1.6.3 और 2.1.6.4)

5,003 ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों में से मार्च 2015 तक 1,857 स्कीमों को अपूर्ण छोड़ते हुए केवल 3,145 स्कीमें (63 प्रतिशत) पूर्ण की गई। अपरिष्कृत जल की उपलब्धता, संबंधित प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्ति, भूमि का स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित किए बिना जल कार्यों के लिए अनुपयुक्त स्थलों का चयन, ठेकेदारों के विरूद्ध विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करना, पाईपों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्यों के निष्पादन के परिणामस्वरूप में 25 स्कीमें अपूर्ण रही तथा ₹ 30.46 करोड़ का निष्फल/व्यर्थ व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 2.1.8.1 से 2.1.8.5 और 2.1.8.7)

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अधीन जल संसाधनों की कायमता का घटक सही ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि इस घटक के लिए अभिप्रेत ₹ 17.39 करोड़ की निधियां जलापूर्ति स्कीमों पर व्यय कर दी गई थी। आगे, जल कायमता के लिए सृजित परिसंपत्तियों के रख-रखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.1.8.8)

354 शहरी जल आपूर्ति स्कीमों में से मार्च 2015 तक केवल 213 स्कीमें (60 प्रतिशत) पूर्ण की गई थी। तीन स्कीमें रेलवे से अनुमति की कमी, स्टोरेज तथा सेडीमेंटेशन टैंकस के लिए भूमि की अनुपलब्धता और भू-स्वामियों के साथ भूमि विवाद न सुलझाने के कारण अपूर्ण पड़ी थी, परिणामस्वरूप ₹ 26.82 करोड़ की निधियों का अवरोधन/निष्फल व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 2.1.8.10 से 2.1.8.13)

चयनित जिलों में पानी के 2,19,000 नमूनों के परीक्षण के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 1,08,593 (50 प्रतिशत) नमूने एकत्र किए गए और परीक्षण किए गए जिनमें से 13 प्रतिशत अयोग्य पाए गए। आगे, स्वास्थ्य विभाग के डाटा के अनुसार, जीवाणु-वैज्ञानिक परीक्षण के लिए जांचे गए 15,481 नमूनों में से 5,818 नमूने (38 प्रतिशत) मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए।

(अनुच्छेद 2.1.8.14)

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं थी क्योंकि सृजित परिसंपत्ति के रिकार्ड समुचित रूप से नहीं रखे गए थे, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं थी और विभिन्न रिपोर्ट उपचारक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधक यंत्र के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा रही थी।

(अनुच्छेद 2.1.9.1 से 2.1.9.3)

2.1.1 प्रस्तावना

जीवित रहने के लिए जल अनिवार्य है और मानव स्वास्थ्य के साथ इसका प्रत्यक्ष संबंध है। सामाजिक-आर्थिक विकास की सफलता सुरक्षित शुद्ध पेयजल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जलापूर्ति स्कीमों का मुख्य लक्ष्य सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना था। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में जल की आपूर्ति के मानदंड मरूस्थल रहित जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल स्कीम के अंतर्गत 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (ली.प्र.व्य.प्र.) और नाबार्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) और मरूस्थल विकास कार्यक्रम (म.वि.का.) के अंतर्गत स्कीमों के लिए 70 ली.प्र.व्य.प्र. निश्चित किए। शहरी क्षेत्रों में 20,000 से कम जनसंख्या वाले छोटे नगरों के लिए मानदंड 110 ली.प्र.व्य.प्र. और 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के लिए 135 ली.प्र.व्य.प्र. थे। 31 मार्च 2010 को, राज्य में 149 जल की कमी वाले गांव थे। भारत सरकार का केंद्रबिंदु गांवों की बजाय जनसंख्या के हिसाब से बस्तियों की कवरेज की तरफ परिवर्तित हो गया। मार्च 2011 को राज्य में 7,385 बस्तियों में से 1997 बस्तियां ऐसी थीं जहां कवरेज और जलापूर्ति मानदंडों से कम थी। ये सभी बस्तियां, उन बस्तियों सहित, जिनमें पहले पर्याप्त जल था परंतु बाद में जल की कमी वाली बन गई थी, 2011-15 के दौरान संवर्धित की जानी प्रस्तावित की गई। तथापि, अभी भी मार्च 2015 तक 455 बस्तियां जल की कमी वाली थी।

गांवों में जलापूर्ति स्कीमें केंद्रीय प्रयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम म.वि.का. और अन्य राज्य वित्त पोषित स्कीमों के अधीन कार्यान्वित की जा रही थी। शहरी जलापूर्ति स्कीमें तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) की निधियों, आर्थिक प्रेरक पैकेज (आ.प्रे.पै.) और अन्य राज्य स्कीमों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही थी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के लिए नाबार्ड से और रा.रा.क्षे. नगरों में शहरी जलापूर्ति स्कीमों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड (रा.रा.क्षे.आ.बो.) से ऋण लिए जा रहे थे। अंबाला, कैथल, फतेहाबाद में आ.प्रे.पै. के अधीन जलापूर्ति स्कीमें समय पर पूर्ण और चालू कर ली गई थी और सुचारू रूप से कार्य कर रही थी (मार्च 2015)।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

हरियाणा राज्य जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (बोर्ड), मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के अधीन सीवरेज और जलापूर्ति स्कीमों के लिए अनुमोदन देता है और उनके कार्यान्वयन के लिए निधियां प्रदान करता है। हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव (प्रधान सचिव), जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (ज.स्वा.अ.वि.) सरकारी स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होता है और नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। प्रमुख अभियंता (प्र.अ.) नियंत्रक अधिकारी होता है और चार मुख्य अभियंताओं और एक निदेशक, जल तथा स्वच्छता समर्थन संगठन (डब्ल्यू.एस.एस.ओ.)-सह-मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंताओं (अ.अ.) की अध्यक्षता में 15 परिमंडल कार्यालयों के साथ और कार्यकारी अभियंताओं (का.अ.) की अध्यक्षता में 56 मंडलीय कार्यालयों द्वारा उनकी सहायता की जाती है। कार्यों के निष्पादन के लिए मंडलीय स्तर पर कार्यकारी अभियंता उत्तरदायी होते हैं।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य ये मूल्यांकित करना था कि क्या:

- आयोजना की प्रक्रिया पर्याप्त थी;
- वित्तीय प्रबधन मजबूत था;
- स्कीमों का कार्यान्वयन प्रभावपूर्ण तथा मितव्ययी था; तथा
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी।

2.1.4 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र और पद्धति

बोर्ड, प्रमुख अभियंता के कार्यालय और राज्य में 21[1] जिलों में से सात[2] जिलों के 15 परिमंडलों में से आठ के अधीन 56 मंडलों में से 21 मंडलों में 2010-15 की अवधि को आवृत्त करते हुए जनवरी-मई 2015 के दौरान निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। एंट्री कांफ्रेंस के दौरान प्रमुख अभियंता के सुझाव पर तीन और मंडल अर्थात् कैथल-1, कैथल-2 और फतेहाबाद चयन किए गए। इकाइयों का चयन बिना परिवर्तन संभावित आकार पद्धति अपनाते हुए किया गया था। इसके अतिरिक्त, पायलट स्टडी के अधीन आवृत्त पंचकुला और रेवाड़ी जिलों में परिणामों को भी शामिल किया गया है। 2010-15 के दौरान चयनित मंडलों में 1,554 कार्य निष्पादित किए गए और ₹ 1,574.49 करोड़ का व्यय किया गया, जिसमें से ₹ 1,300.62 करोड़ के व्यय से आवेष्टित 293 कार्य विस्तृत संवीक्षा के लिए चुने गए।

विषय पर पूर्ववर्ती की गई लेखापरीक्षा निष्पादन लेखापरीक्षा 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) हरियाणा सरकार में शामिल की

[1] जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल: 1. अंबाला शहर, 2. अंबाला छावनी, 3. भिवानी I, 4. भिवानी II, 5. भिवानी III, 6. चरखी दादरी, 7. तोशाम, 8. सिवानी, हिसार I, 10. हिसार II, 11. हिसार III, 12. हांसी, 13. झज्जर I, 14. झज्जर II, 15. झज्जर III, 16. कुरूक्षेत्र, 17. महेन्द्रगढ़, 18. नारनौल I, 19. सिरसा I, 20. सिरसा II, 21. सिरसा III.

[2] 1. अंबाला, 2. भिवानी, 3. कुरूक्षेत्र, 4. झज्जर, 5. हिसार, 6. महेन्द्रगढ़ और 7. सिरसा।

गई थी और 2012-13 के दौरान लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा करते समय लोक लेखा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया था।

जनवरी 2015 में प्रधान सचिव, ज.स्वा.अ.वि. के साथ एक एंट्री कांफ्रेंस आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंड तथा लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा परिणामों पर प्रधान सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के साथ सितंबर 2015 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में चर्चा की गई। विभाग के उत्तर और एग्जिट कांफ्रेंस के विचार रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं।

2.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्न स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए मार्गनिर्देश।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्टें और परियोजनाओं की व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्टें।
- हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड।
- जलापूर्ति एवं उपचार पर भारत सरकार का मैनुअल।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.6 आयोजना

2.1.6.1 विस्तृत दीर्घावधि मास्टरप्लान का तैयार न करना

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (रा.ग्रा.पे.ज.का.) के मार्गनिर्देशों के अनुच्छेद-14 में प्रावधान है कि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने का व्यापक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक पंच वर्षीय विस्तृत जल सुरक्षा योजना तैयार की जानी चाहिए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा आपसी सलाह पर आधारित उप लक्ष्य और प्राथमिकताएं निश्चित की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग ने विस्तृत पंचवर्षीय योजना नहीं तैयार की है। वार्षिक योजनाएं विभिन्न क्वार्टरस अर्थात् ग्रामवासियों, ग्राम पंचायतों (जी.पीज) इत्यादि से मांगों के आधार पर तैयार की गई थी। विस्तृत दीर्घावधि आयोजना का तैयार न करना, विभाग की योजना की अपर्याप्तता को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप, अनेक क्षेत्रों में जल पर्याप्त मात्रा में आपूरित नहीं किया जा सका जैसे कि अनुच्छेद 2.1.6.3 में चर्चा की गई है।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने प्रमुख अभियंता को इस उद्देश्य के लिए दृश्य दस्तावेज के अनुरूप दीर्घावधि योजना तैयार करने के लिए मुख्य अभियंताओं की एक समिति गठित करने के निदेश दिए।

2.1.6.2 मैनुअल का तैयार न किया जाना

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 1999 में जल आपूर्ति और उपचार पर एक मैनुअल तैयार किया था परंतु विभाग ने विभिन्न जल आपूर्ति स्कीमों के निष्पादन के लिए न तो भारत सरकार के मैनुअल का अनुसरण किया और न ही अपना मैनुअल तैयार किया था।

यदि विभाग ने जनसाधारण को पेयजल की आपूर्ति के लिए स्कीम के प्रारंभ से ही जलापूर्ति स्कीमों की विभिन्न गतिविधियों पर मार्गनिर्देश के लिए एक प्रमाणित मैनुअल तैयार किया होता, तो स्कीमों का कार्यान्वयन एक अधिक सुगठित ढंग से किया जा सकता था और स्कीमों के पूर्ण न होने, अपरिष्कृत जल की अनुपलब्धता, दूषित जल की आपूर्ति से संबंधित विभिन्न अपर्याप्तताओं अकुशलताओं का परिहार किया जा सकता था जैसा कि अनुवर्ती पैरों में चर्चा की गई है।

प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2015) कि विभाग शहरी विभाग मंत्रालय द्वारा जारी मैनुअल का अनुसरण कर रहा था। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा मैनुअल के न अपनाए जाने के बारे में इंगित किए जाने पर, प्रधान सचिव ने प्रमुख अभियंता को, मैनुअल को औपचारिक रूप से अपनाने के लिए मामला प्रस्तुत करने हेतु निदेश दिए।

2.1.6.3 बस्तियों की कवरेज की प्रगति

भारत सरकार का केंद्र बिंदु अप्रैल 2011 से पेयजल की आपूर्ति के लिए बस्तियों[3] के कवरेज पर था। राज्य में 7,385 बस्तियों में से, 1,997 बस्तियों में पानी की आपूर्ति एवं कवरेज मानदंडों से कम थी। उन बस्तियों को मिला कर जिनमें पहले पर्याप्त पानी था परंतु बाद में पानी की कमी हो गई, ये 1,977 बस्तियां 2011–15 के दौरान संवर्धित किए जाने प्रस्तावित थे। 2010–15 की अवधि के लिए जल की कमी वाले बस्तियों के कवरेज के लिए लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	कवरेज (छोड़ी गई स्कीमों सहित)	शेष	वापसी तथा पहले कवर न की गई बस्तियों के कारण वृद्धि	जल की कमी वाली कुल बस्तियां
2010-11	1,007	752	255	688	943
2011-12	943	859	84	871	955
2012-13	955	895	60	801	861
2013-14	861	702	159	375	534
2014-15	534	578	(-) 44	499	455

स्रोतः प्रमुख अभियंता द्वारा प्रदत्त डाटा।

टिप्पणीः लक्ष्य, विभाग द्वारा, बस्तियों, जो जल की कमी वाली श्रेणी में वापस चली गई थी को परिगणना में लेते हुए।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2011–14 के दौरान जल की कमी वाली बस्तियों को कवर करने के लक्ष्य 2011–14 के दौरान प्राप्त नहीं किए गए थे। आगे, 455 बस्तियां अभी भी जल की कमी वाली थी।

आगे, लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि नमूना–जांच किए गए 15 मंडलों में, 1,827 गांवों में से, 1,084 गांव (59 प्रतिशत) जैसा कि ***परिशिष्ट 2.1*** में विवरण दिया गया है पानी की कमी वाले थे क्योंकि पानी की आपूर्ति 55/70 ली.प्र.व्य.प्र. से कम थी। इस प्रकार, जल आपूर्ति स्कीमों के संवर्धन के लिए प्लानिंग में सही सर्वेक्षण तथा गांवों में जलापूर्ति की स्थिति के बारे में मूल वास्तविकता सुनिश्चित करके सुधार की आवश्यकता है।

[3] बस्तियों का अर्थ है गांव, ढाणियां इत्यादि जहां लोग रहते हैं।

प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2015) कि जल की कमी वाले उन गांवों को ध्यान में रखा गया जहां कवरेज की प्रतिशतता 50 से कम थी या जहां जल की अनुमति की स्थिति 40 ली.प्र.व्य.प्र. से कम थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि जल की कमी वाले गांव वे गांव थे जहां जल आपूर्ति विभिन्न क्षेत्रों में स्कीमों के संदर्भ में निर्धारित मानदंडों अर्थात् 50/70 ली.प्र.व्य.प्र. से कम थी। प्रधान सचिव ने, तथापि, एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान जल आपूर्ति स्कीमों की समयपूर्व पूर्णता को त्वरित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निदेश दिए।

2.1.6.4 नगरों के कवरेज की स्थिति

मार्च 2015 तक राज्य में 154 नगरों (2011 की जनगणना के अनुसार) में से केवल 78 नगर पाईप वाली जल आपूर्ति से आवृत्त थे। पंचकुला की जल आपूर्ति स्कीमों का रख-रखाव हुडा द्वारा तथा फरीदाबाद तथा गुड़गांव की स्कीमों का संबंधित नगर निगमों द्वारा किया जा रहा था। शेष 73 नगर पाईप वाले जलापूर्ति कनैक्शनों से आवृत्त नहीं थे और इन नगरों को जलापूर्ति के लिए कवर करने के लिए कोई दीर्घावधि योजना तैयार नहीं की गई है। अत: इन नगरों में जनसंख्या को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने की उपलब्धि की संभावना अभी सुदूर है।

प्रमुख अभियंता ने बताया (अप्रैल 2015) कि 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत सरकार ने ऐसे निवासस्थान जो 50,000 से अधिक जनसंख्या; जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर से अधिक और 75 प्रतिशत पुरूष जनसंख्या की अकृषि क्रियाओं में संलिप्ति, को नगर घोषित किया है परंतु विभाग उन नगरों में जलापूर्ति सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा था जो शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अधिसूचित थे। तथ्य यह रहता है कि विभाग ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार 73 नगरों को कवर करने के लिए कोई दीर्घावधि योजना नहीं बनाई है। प्रधान सचिव ने भी एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रमुख अभियंता को उपचारात्मक उपाय करने हेतु निदेश दिए।

2.1.7 वित्तीय परिव्यय और व्यय

2010-15 की अवधि के लिए ग्रामीण तथा शहरी जल आपूर्ति स्कीमों पर किए गए व्यय की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार थी:

ग्रामीण एवं शहरी जल आपूर्ति स्कीमें

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान		व्यय		बचत (प्रतिशतता)	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
2010-11	227.00	425.50	163.78	401.74	63.22 (28)	23.76 (6)
2011-12	288.68	281.90	198.97	249.55	89.71 (31)	32.35 (11)
2012-13	293.00	253.86	216.99	214.07	76.01 (26)	39.79 (16)
2013-14	356.00	375.91	292.07	271.31	63.93 (18)	104.60 (28)
2014-15	387.89	591.84	339.00	467.87	48.89 (13)	123.97 (21)
कुल	**1,552.57**	**1,929.01**	**1,210.81**	**1,604.54**	**341.76 (22)**	**324.47 (17)**

स्रोत: ज.स्वा.अ.वि. द्वारा आपूरित आंकड़े।

इस प्रकार, बचतें ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों के अंतर्गत 13 और 31 प्रतिशत के बीच और शहरी जल आपूर्ति स्कीमों के अंतर्गत 6 और 28 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी।

बचतें मुख्यत: ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति स्कीमों के धीमे कार्यान्वयन के कारण थी जैसा कि अनुच्छेद 2.1.8.1 और 2.1.8.10 में चर्चित है। प्रमुख अभियंता ने आगे एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि बचतें मुख्यत: भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में लिए गए समय के कारण थी। उत्तर पूर्णत: युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि बचतें मुख्य रूप से अपरिष्कृत जल की उपलब्धता के बिना, संबंधित प्राधिकारियों से पूर्व अनुमतियां प्राप्त करने, भूमि के स्पष्ट स्वामित्व प्राप्त किए बिना स्कीमें आरंभ करने निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलंब, डी.आई. पाईपों की अनुपलब्धता इत्यदि के कारण स्कीमों के अपूर्ण रहने के कारण भी थी।

2.1.7.1 संस्वीकृत अनुमानों से अधिक व्यय

लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) कोड के अनुच्छेद 10.16 के अनुसार जब भी दरों के अपर्याप्त पाए जाने के या अन्य किसी भी कारणों से संस्वीकृत अनुमान के बढ़ने की संभावना हो तो एक संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

नमूना–जांच किए मंडलों में से 10 में यह देखा गया कि ₹ 80.72 करोड़ के अनुमोदित अनुमानों के विरूद्ध, 2010–15 के दौरान 162 निर्माण कार्यों पर ₹ 100.64 करोड़ का व्यय किया गया जो सक्षम प्राधिकारियों से संस्वीकृति लिए बिना संस्वीकृत अनुमानों से ₹ 19.92 करोड़ अधिक था जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2*** में विवरण दिया गया है। 10 चयनित मंडलों में सक्षम प्राधिकारी से अभी भी संस्वीकृत किया जाने वाला अधिक व्यय ₹ 30.23 लाख और ₹ 954.58 लाख के बीच था। पांच मंडलों में, अधिक व्यय ₹ एक करोड़ से अधिक था। अप्रैल 2015 तक इन निर्माण कार्यों के संशोधित अनुमान तैयार नहीं किए गए थे। प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2015) कि संशोधित अनुमान तैयार किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए जाएंगे। प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभागीय अधिकारियों को मामले की जांच के निदेश दिए।

2.1.7.2 निष्पादन प्रतिभूति का प्राप्त न करना

हरियाणा लो.नि.वि. कोड, की क्लॉज 13.12 के अनुसार टेंडर दस्तावेज में यह प्रावधान हो कि टेंडरकर्ता सयोरिटी के रूप में रखने हेतु कि ठेकेदार कार्य संतोषजनक पूर्ण करेगा, निष्पादन प्रतिभूति (अनुबंध कीमत का 5 प्रतिशत या ऐसी प्रतिशतता जो निर्धारित किया जाए) प्रस्ततु करेगा जो बैंक गारंटी के रूप में हो, प्रारंभ में, निष्पादन गारंटी दोष दायिता अवधि की समाप्ति (जमा 30 दिनों या जैसा अनुबंध डाटा में निर्धारित हो) तक वैध रहेगी। पूर्णता का समय बढ़ाने के मामले में निष्पादन की वैधता तदनुसार बढ़ाई जाएगी।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि नमूना–जांच किए गए 26 मंडलों में से 13 में ₹ 34.52 करोड़ की निष्पादन प्रतिभूति वाले ₹ 690.40 करोड़ के 5,895 अनुबंधों के संबंध में टेंडर दस्तावेजों में निष्पादन प्रतिभूति (अनुबंध राशि के पांच प्रतिशत की दर पर) का प्रावधान शामिल नहीं किया गया था। ठेकेदारों द्वारा कार्य को संतोषजनक ढंग से पूर्ण न करने पर लो.नि.वि. कोड के प्रावधानों का अनुसरण न किया जाना/लागू न किया जाना सरकार के वित्तीय हितों के विरूद्ध है।

यह देखा गया कि ₹ 8.01 करोड़ मूल्य के आठ निर्माण कार्यों के मामले में ठेकेदारों ने निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ दिया। तथापि, डी.एन.आई.टीज में निष्पादन प्रतिभूति के लिए प्रावधान के अभाव के कारण ₹ 0.40 करोड़ की राशि एकत्रित नहीं की जा सकी या प्रतिभूति के लिए नहीं रखी जा सकी। यदि टेंडर दस्तावेजों में प्रावधान शामिल किया गया होता तो विभाग यह राशि वसूल करने में समर्थ होता।

प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान आश्वासन दिया कि चूककर्ता अधिकारियों की उत्तरदायिता निश्चित की जाएगी और निवारक उपाय किए जाएंगे।

2.1.7.3 निर्माण कार्यों का अनियमित विभाजन

समय-समय पर प्रमुख अभियंता द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, कार्यों के आबंटन को अधिकारी के प्राधिकार के भीतर रखने के लिए अनुमान के विभाजन/विक्लॉजन, आपात परिस्थितियों को छोड़कर से बचना चाहिए।

नमूना-जांच किए गए मंडलों में से 18 में यह देखा गया कि 190 अनुमान/निर्माण कार्य संबंधित ई.ईज द्वारा आबंटन को अपने प्राधिकार में रखने के लिए ₹ 30.74 करोड़ अनुमान के 1,028 अनुबंधों में विभक्त कर दिए गए। इन मामलों में से दो मामलों, जहां निर्माण कार्य 33 और 20 बार के लिए बार-बार विखंडित किए गए थे, की चर्चा नीचे की गई है:

जल आपूर्ति स्कीम सिरसा के संर्वधन के अंतर्गत पाईप लाईन बिछाने का निर्माण कार्य 33 अनुबंधों में विखंडित किए गए और जून 2011 और मार्च 2015 के बीच ₹ 1.08 करोड़ का व्यय किया गया। इसी प्रकार, जल आपूर्ति स्कीम ऐलनाबाद के संवर्धन के अंतर्गत पाईप लाईनें बिछाने का निर्माण कार्य जनवरी 2012 तथा मार्च 2015 के बीच किए गए ₹ 0.70 करोड़ के कुल व्यय के साथ 20 अनुबंधों में विभाजित किया गया। निर्देशों की इस स्पष्ट अवज्ञा के औचित्य का कोई अभिलिखित कारण नहीं था जबकि यह स्पष्ट था कि प्रत्येक अनुबंध की राशि ₹ पांच लाख के नीचे रखी गई थी यानि ताकि यह कार्यकारी अभियंता की शक्तियों के अंतर्गत रहे।

प्रमुख अभियंता के निर्देशों की उल्लंघना वित्तीय अनुशासनहीनता थी, इसके अतिरिक्त उच्च मूल्य के निर्माण कार्यों का निष्पादन करने वाली एजेंसियों के हिस्सा न लेने के कारण टेंडरिंग प्रक्रिया में निहित प्रतियोगी बोली के लाभों से विभाग वंचित रहा। प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रमुख अभियंता को चूककर्ता अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने के निदेश दिए। प्रमुख अभियंता ने आगे सूचित किया (अक्तूबर 2015) कि 40 से अधिक चूककर्ता अधिकारियों को चार्जशीट दी गई थी।

2.1.7.4 भूमि अधिग्रहण कलक्टरज को अग्रिम

लेखा कोड क्लॉज-III की धारा 57 के साथ पठित धारा 54 के अनुसार भूमि अधिग्रहण संग्रहकर्ताओं (एल.ए.सीज) को दिए गए अग्रिम भुगतानों को विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिमों (एम.पी.डब्ल्यू.ए.) के अंतर्गत रखना चाहिए।

26 नमूना-जांच किए गए मंडलों में से 12 में एल.ए.सीज को जल आपूर्ति स्कीमों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए ₹ 175.96 करोड़ अग्रिम दिए गए परंतु राशियां एम.पी.डब्ल्यू.ए. के

अंतर्गत लेखांकित नहीं की जा रही थी। जिसने शेष निधियों की वसूली मॉनीटर करना मुश्किल कर दिया। आगे, अन्य अभिलेख जैसे अग्रिम भुगतानों के समायोजन को मॉनीटर करने वाले रजिस्टर एवं विवरणियां भी निर्धारित नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 0.76 करोड़ की राशि की अव्ययित निधियां नीचे तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार दो एल.ए.सीज के पास रही:

मंडल का नाम	कार्य का नाम	एल.ए.सी. का नाम	जमा की गई राशि	संवितरित राशि / संवितरण का मास	अव्ययित राशि (कब से)
			(₹ करोड़ में)		
पी.एच.ई. फतेहाबाद	द्वितीय वाटर वर्क्स फतेहाबाद	डी.आर.ओ. - सह - एल.ए.सी. फतेहाबाद	19.17	18.69/ अक्तूबर 2011	0.48 अक्तूबर 2011
पी.एच.ई. सिवानी	द्वितीय वाटर वर्क्स सिवानी	डी.आर.ओ. - सह - एल.ए.सी. भिवानी	1.91	1.63/ अक्तूबर 2012	0.28 अक्तूबर 2012

स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

इस प्रकार, लेखांकन प्रावधान का अनुपालना न करने और अपर्याप्त मानीटरिंग यंत्रावली के कारण ₹ 0.76 करोड़ की निधियां एल.ए.सीज के पास अवरूद्ध पड़ी रही। प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान एल.ए.सी. द्वारा किए गए कार्य के भुगतान तथा शेष राशि वापस प्राप्त होने तक एम.पी.डब्ल्यू.ए. में ऐसे अग्रिम भुगतानों का रखना सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख अभियंता को निदेश दिए।

2.1.7.5 बिजली घटक का रख - रखाव न करने के कारण अपरिहार्य व्यय

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (द.ह.बि.वि.नि.) और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (उ.ह.बि.वि.नि.) (पहले हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड) ने निदेश जारी किए (जून 1996 और जनवरी 1997) कि प्रत्येक उच्च दाब (उ.दा.) उपभोक्ता को मासिक औसत बिजली घटक (एम.ए.पी.एफ.) 90 प्रतिशत रखना चाहिए। यदि उपभोक्ता निर्धारित बिजली घटक रखने में विफल रहता है तो द.ह.बि.वि.नि./उ.ह.बि.वि.नि. बिजली घटक में 90 प्रतिशत और 80 प्रतिशत के बीच कमी के प्रत्येक प्रतिशत के लिए ऊर्जा प्रभारों के एक प्रतिशत के बराबर; और उसके बाद बिजली घटक में कमी के प्रत्येक प्रतिशत पर दो प्रतिशत जुर्माना उद्गृहीत करते हैं। निर्धारित बिजली घटक को कायम रखने के लिए, पर्याप्त कैपेसिटर्ज के प्रस्थापन अपेक्षित हैं।

छ:[4] नमूना - जांच किए मंडलों में यह देखा गया कि विभाग ने 2010 - 15 के दौरान पर्याप्त कैपेसिटर्ज प्रस्थापित करके निर्धारित बिजली घटक को कायम नहीं रखा। परिणामत: विभाग को 2010 - 15 के दौरान ₹ 11.60 करोड़[5] के जुर्माने का भुगतान करना पड़ा था। समय पर पर्याप्त कैपेसिएटर्ज के प्रस्थापन द्वारा निर्धारित बिजली घटक को कायम रख कर इस अतिरिक्त व्यय का परिहार किया जा सकता था। प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान उत्तरदायिता नियत करने और निवारक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निदेश दिए।

[4] ज.स्वा.अ.वि., (1) रेवाड़ी - I, (2) चरखी दादरी, (3) महेन्द्रगढ़, (4) भिवानी - I, (5) सिरसा - I तथा (6) नारनौल - III.

[5] ज.स्वा.अ.वि., (1) रेवाड़ी - I: ₹ 2.27 करोड़, (2) चरखी दादरी: ₹ 0.19 करोड़, (3) महेन्द्रगढ़: ₹ 4.39 करोड़, (4) भिवानी - I: ₹ 0.73 करोड़, (5) सिरसा - 1: ₹ 1.75 करोड़ तथा (6) नारनौल - III: ₹ 2.27 करोड़।

2.1.8 स्कीमों का कार्यान्वयन

ग्रामीण जल आपूर्ति

2.1.8.1 ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों की पूर्णता में धीमी प्रगति

राज्य में वर्ष 2011-15 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निष्पादन हेतु ली गई और पूर्ण की गई ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

वर्ष	आरंभिक शेष (स्कीमों की संख्या)	वर्ष के दौरान निष्पादन हेतु ली गई नई स्कीमों की संख्या	निष्पादन के अंतर्गत स्कीमों की कुल संख्या	पूर्ण की गई स्कीमों की संख्या	शेष
2010-11	1,462	1,108	2,570	445	2,125
2011-12	2,125	703	2,828	548	2,280
2012-13	2,280	1,012	3,292	558	2,734
2013-14	2,734	413	3,147	643	2,504
2014-15	2,504	305	2,809	951	1,858
कुल		**3,541**		**3,145**	

स्रोत: पी.एच.ई. विभाग द्वारा प्रस्तुत डाटा।

2010-15 के दौरान, 5,003 स्कीमों में (2010-11 के प्रारंभ में चल रही 1,462 स्कीमों सहित), मार्च 2015 तक 1,858 स्कीमें शेष छोड़ते हुए केवल 3,145 स्कीमें (63 प्रतिशत) पूर्ण की गई।

नमूना-जांच किए गए 293 निर्माण कार्यों में से, 14 मंडलों में 26 निर्माण कार्य अपूर्ण रहे। स्कीमें मुख्यत: अपरिष्कृत जल की उपलब्धता सुनिश्चित न करने, वन विभाग से अनुमति न लेने, जल निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त स्थल निश्चित न करने, पाईपों की खरीद से संबंधित मामलों और ठेकेदारों के विरूद्ध अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार विभागीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण अपूर्ण रह गई जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों (2.1.8.2 से 2.1.8.7) में चर्चा की गई है। प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान जल आपूर्ति स्कीमों की समय पर पूर्णता को त्वरित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निदेश दिए।

2.1.8.2 अपरिष्कृत जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना स्कीमों को लिया जाना

हरियाणा लो.नि.वि. कोड के अनुच्छेद 10.12.2 (बी) में प्रावधान है कि जल आपूर्ति निर्माण कार्यों के अनुमान तैयार करते समय विभाग को पानी के स्रोत, उसकी क्षमता और गुणवत्ता, मौसमी भिन्नताएं, पानी के वैकल्पिक स्रोत जो प्रत्येक के संबंधित गुणों और आर्थिकता के साथ-साथ उपयोग या विकसित किया जा सके, को सुनिश्चित करना चाहिए। नहर पर आधारित स्कीम के मामले में, उपलब्ध रहने वाले पानी की आश्वासित मात्रा और वाटर वर्क्स साइट इत्यादि के स्तर के संबंध में नहर के पूर्ण आपूर्ति स्तर इत्यादि को सुनिश्चित करना चाहिए।

अपरिष्कृत जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना स्कीमों को लेने को दर्शाने वाली एक अभ्युक्ति को मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)-हरियाणा सरकार में अनुच्छेद 3.2.7.7 के अंतर्गत शामिल किया गया था और लोक लेखा समिति ने अपनी 68वीं रिपोर्ट (2012-13) में सिफारिश की थी कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति के परिहार के लिए एक नीति बनाई जाए और समिति को तदनुसार

सूचित किया जाए। तथापि, आगे, प्रगतियां प्रतीक्षित थी (जनवरी 2016)। इसके बावजूद, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग ने अपरिष्कृत जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना/नीचे दिए विवरण अनुसार अपरि कृत जल प्राप्त करने के लिए सिंचाई विभाग से स्वीकृति लिए बिना जल आपूर्ति स्कीमों के निष्पादन के कार्यों को प्रारंभ कर दिया।

स्कीम का नाम	अनुमोदन तिथि और अनुमानित लागत	आबंटन की तिथि/पूर्णता की नियत तिथि	व्यय (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
पी.एच.ई. मंडल चरखी दादरी के अंतर्गत कादम के लिए नहर आधारित जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करने का कार्य	जून 2008/ ₹ 1.27 करोड़	10 अगस्त 2009/ 9 मई 2010	1.39	कार्य नवंबर 2011 में पूर्ण किया गया। स्कीम को क्रियाशील नहीं बनाया जा सका क्योंकि वाटरवर्क्स के लिए माधवगढ़ फीडर पर पानी उपलब्ध नहीं था।
पी.एच.ई. मंडल 2 सोनीपत के अंतर्गत जलापूर्ति स्कीम, नासिरपुर, बांगर और भोयापुर का संवर्धन	दिसंबर 2012/ ₹ 1.20 करोड़	8 अप्रैल 2013/ 7 अप्रैल 2013	1.16	निकटवर्ती नहर/माईनर से अपरिष्कृत जल के इनलेट चैनल के निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। आगे, विभाग ने इनलेट चैनल के आउटलेट के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की थी।
पी.एच.ई. मंडल नं. 2 कैथल के अंतर्गत स्वतंत्र आर.डब्ल्यू.एस. स्कीम, कमालपुर	जुलाई 2007/ ₹ 0.80 करोड़	अप्रैल 2008/ मार्च 2009	1.27	कार्य एक एजेंसी को ₹ 76.45 लाख के लिए 12 मास की पूर्णता अवधि के साथ आबंटित किया गया (अप्रैल 2008)। अपरिष्कृत जल कमालपुर माईनर के अंतिम छोर से लिया जाना था। एस.ई. ने स्थल का निरीक्षण किया (अप्रैल 2010) और देखा कि कमालपुर माईनर में अपरिष्कृत जल उपलबध नहीं था और कार्य के आगामी निष्पादन को रोकने और बाडसिकरी माईनर से अपरिष्कृत जल लाने के लिए संप कुआं, पपिंग मशीनरी और राइजिंग मेन के लिए एक डी.एन.आई.टी. तुरंत तैयार करने के आदेश दिए। तदनुसार, इस कार्य के लिए ₹ 52.95 लाख की लागत पर एक अनुमान प्रशासनिक तौर पर अनुमोदित किया गया (मई 2010) परंतु भू-स्वामियों के विरोध के कारण इस अनुमोदन के विरूद्ध कोई व्यय नहीं किया गया। तथापि, पहली एजेंसी का कार्य ₹ 79.93 लाख की लागत पर अंतिम कर दिया गया (मार्च 2011)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कमालपुर माईनर के अंतिम सिरे पर पानी उपलब्ध नहीं था और स्कीम अपरिष्कृत जल की उपलब्धता बारे सही सर्वेक्षण के बिना प्रारंभ कर दी गई।
पी.एच.ई. मंडल नं.2 कैथल के अंतर्गत 3 गांवों के उज्जैना ग्रुप के लिए नहर आधारित स्वतंत्र जलापूर्ति	जुलाई 2007/ ₹ 1.05 करोड़	09 अप्रैल 2008/ 08 अप्रैल 2009	1.06	स्कीम ₹ 1.06 करोड़ की लागत पर पूर्ण की गई (अगस्त 2010) परंतु पानी की व्यवस्था कम गहरे ट्यूबवैलों के माध्यम से की जा रही थी क्योंकि स्रोत अर्थात् कुल तरन माईनर पर पर्याप्त अपरिष्कृत जल उपलब्ध नहीं था। एस.ई. तथा मुख्य अभियंता ने अगस्त 2012 में स्थल विजिट के समय भी पर्याप्त अपरिष्कृत जल की अनुपलब्धता इंगित की थी। इस प्रकार, नहर आधारित स्कीम पर्याप्त अपरिष्कृत जल की उपलब्धता निर्धारित किए बिना तैयार की गई थी।
	कुल		**4.88**	

स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

यह स्पष्ट है कि ऊपर उल्लिखित स्कीमें स्रोत पर अपरिष्कृत जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप स्कीमें अपूर्ण/परित्यक्त रही जिससे ₹ 4.88 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2015) कि विभाग फील्ड अधिकारियों को नहर पर आधारित जल आपूर्ति स्कीमों को केवल नहर नेटवर्क में अपरिष्कृत जल सुनिश्चित करने के बाद ही तैयार करने के लिए निरंतर निर्देश जारी कर रहा है और विभाग सिंचाई विभाग से अपरिष्कृत जल का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही स्कीम ले रहा था। परंतु नहरों के टेल ऐंड पर पानी की कमी के कारण आउट लेट कनैक्शन प्वायंट्स स्थानान्तरित किए जाने अपेक्षित थे। इस प्रकार, जल आपूर्ति स्कीमों के लिए नहरों से अपरिष्कृत जल सुनिश्चित करने की प्रणाली कड़ी नहीं थी।

2.1.8.3 संबंधित प्राधिकारियों से पूर्व क्लीयरेंस तथा भूमि का स्पष्ट स्वामित्व प्राप्त किए बिना स्कीमों को लेना

लो.नि.वि. कोड के अनुच्छेद 15.1.4 में प्रावधान है कि भूमि/स्थल जिस पर निर्माण किया जाना है, संबंधित विभाग के आधिपत्य में होना चाहिए या भूमि के प्रभारी विभाग से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। आगे, अनुच्छेद 15.2.1 में प्रावधान है कि निर्माण कार्यों के निष्पादन में कुछ क्लीयरेंस, उपयोगिताओं का पुनर्स्थापन और परमिट की प्राप्ति अपेक्षित होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि इन कोडल प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था और निष्पादन के लिए निर्माण कार्य संबंधित प्राधिकारियों से अनुमति/क्लीयरेंस प्राप्त किए बिना लिए गए थे जैसा कि ***परिशिष्ट 2.3*** में पांच मामलों में उदाहरण दिए गए हैं।

परिशिष्ट के विश्लेषण ने दर्शाया कि स्कीमें संबंधित प्राधिकारियों अर्थात वन विभाग और सिंचाई विभाग से आवश्यक क्लीयरेंस लिए बिना निष्पादित की गई थी, परिणामत: ₹ 7.50 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, पेयजल उपलब्ध करवाने की स्कीम का उद्देश्य अप्राप्त रहा। प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रकट किया कि संबंधित प्राधिकारियों से क्लीयरेंस लेने में काफी समय अपेक्षित होता है, परंतु विभाग द्वारा इतनी लंबी प्रतीक्षा स्कीमों के कार्यान्वयन को और मुश्किल बना देगी। उन्होंने, तथापि, विभागीय अधिकारियों को संबंधित प्राधिकारियों से अनुमतियां और क्लीयरेंसिज प्राप्त करने के लिए समय पर कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु निदेश दिए।

2.1.8.4 वाटर वर्क्स संरचनाओं के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन न करना

हरियाणा लो.नि.वि. कोड के अनुच्छेद 10.12.2 (एफ) में प्रावधान है कि जल आपूर्ति निर्माण कार्य के अनुमान तैयार करते समय विभाग को स्थल आकृति, भूमि का वर्तमान और भविष्य प्रयोग और सामाजिक-आर्थिक संरचनाएं, संवाहक नहरों के स्थान की सीध, उपचारक प्लांट्स का स्थान इत्यादि के निबंधन में परियोजनाओं का एक सर्वेक्षण करना चाहिए। नमूना-जांच किए मंडलों के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि अनुमान तैयार करते समय और निर्माण कार्य का निष्पादन लेने से पहले परियोजना क्षेत्र की स्थल आकृति का सही ढंग से सर्वेक्षण/जांच नहीं किया गया क्योंकि भूमि, जहां जल उपचारक प्लांट प्रस्थापित किए जाने थे,

इस प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त पाई गई थी जैसाकि नीचे तालिका में तीन मामलों के संबंध में दर्शाया गया है:

कार्य का नाम	अनुमोदित तिथि और संस्वीकृत राशि	आबंटन की तिथि/पूर्णता की नियत तिथि	मार्च 2015 में व्यय (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
संवर्धन जल आपूर्ति स्कीम नीमरी, पी.एच.ई. मंडल – I भिवानी के अंतर्गत आने वाली जलापूर्ति में सुधार के लिए	सितंबर 2012 ₹ 1.89 करोड़ की लागत पर	(1) सितंबर 2013 / 6 मास (2) मई 2013 / 12 मास	1.25	हैडवर्क्स, एस.एस. टैंक, आर.सी.सी. सक्शन वैल इत्यादि पर इनलेट चैनल के निर्माण का कार्य सब-सॉयल पानी में बढ़ोतरी के कारण रोक दिया गया। पानी निकालने का कार्य दूसरी एजेंसी को आबंटित किया गया परंतु समस्या का समाधान नहीं हुआ इस एजेंसी ने काम छोड़ दिया और ₹ 12.85 लाख का भुगतान किया गया (दिसंबर 2012)। ओ. और एम. सहित फिल्टर पानी से सारी दुर्गन्ध, बदबू हटाने के लिए गतिशील कार्बन फिल्टर प्लांट के साथ निरंतर रेत फिल्टर प्लांट की आपूर्ति, प्रस्थापन और चालू करने का दूसरा कार्य ₹ 68.75 लाख की लागत पर पूर्ण किया गया (मई 2014) परंतु पहले कार्य के निष्पादन न होने के कारण जल आपूर्ति स्कीम का परिचालन नहीं किया जा सका।
पी.एच.ई. मंडल – I झज्जर के अंतर्गत नहर आधारित जल आपूर्ति स्कीम भागपुर	सितंबर 2012 ₹ 7.45 करोड़ की लागत पर	20 मई 2013 / 9 मास	1.07	एजेंसी ने कार्य आरंभ किया और स्थल पर निष्पादित कार्य के लिए ₹ 15.36 लाख का भुगतान अगस्त 2013 में किया गया। उसके बाद एजेंसी ने सब-सॉयल जल स्तर में वृद्धि के कारण कार्य छोड़ दिया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि अगस्त 2012 में सब सोयल जलस्तर सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण किया गया था जिसमें यह उल्लिखित था कि स्परिंग स्तर भूमि स्तर से लगभग तीन फुट नीचे था, फिर भी कार्य आबंटित कर दिया गया। कार्य परित्यक्त पड़ा रहा और सब सोयल जल स्तर के मामले के समाधान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, परिणामस्वरूप इस कार्य पर किया गया ₹ 1.07 करोड़ (डी.आई. पाईपों की लागत सहित) का व्यय निष्फल रहा। का.अ.. ने बताया (जनवरी 2015) कि एजेंसी ने सब सोयल जल स्तर में वृद्धि के कारण कार्य बंद कर दिया था।
पी.एच.ई. मंडल चरखी दादरी के अंतर्गत नहर आधारित जल आपूर्ति मानकावास	13 जुलाई 2007 ₹ 1.47 करोड़ संशोधित ₹ 92.58 लाख की लागत पर	अप्रैल 2007 / 9 मास ₹ 0.69 लाख की लागत पर	0.40	एजेंसी ने कार्य आरंभ किया। (5 मई 2007) परंतु कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण नहीं किया। का. अ.. ने ठेका अनुबंध के क्लॉज – II के अंतर्गत ₹ 7.71 लाख की पेनल्टी लगा दी (दिसंबर 2010) परंतु कार्य दुबारा शुरू नहीं किया गया। इसके बाद, विभाग ने कार्य वापस ले लिया और पहली एजेंसी के जोखिम और लागत पर 12 मास की पूर्णता अवधि के साथ अन्य एजेंसी को आबंटित कर दिया (20 जुलाई 2012)। परंतु, इस एजेंसी ने कार्य शुरू नहीं किया और सूचित किया कि कार्य निष्पादित नहीं किया जा सका क्योंकि जल निर्माण कार्य का स्थल निचाई वाले क्षेत्र में स्थित था और स्थल के पास एक ग्रामीण तालाब था। उसके बाद अव्यवहार्य स्थल परिस्थितियों के कारण नहर आधारित स्कीम का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया (मई 2013)। इस प्रकार, स्थल के अनुपयुक्त चयन के परिणामस्वरूप ₹ 39.88 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ।
		कुल	2.72	

स्रोतः विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

इस प्रकार, भूमि की उपयुक्तता बारे सही सर्वेक्षण के बिना कार्य का निष्पादन कोड के प्रावधानों के विरूद्ध था जिसने इन तीन स्कीमों पर किए गए ₹ 2.72 करोड़ के व्यय को निष्फल बना दिया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने विभागीय अधिकारियों को भविष्य में विभिन्न जल आपूर्ति स्कीमों के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन सुनिश्चित करने के निदेश दिए।

2.1.8.5 निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलंब

निर्धारित समय-सारणी के भीतर कार्य निष्पादित करने के विचार से ठेका अनुबंध के अंतर्गत शर्तें यह निर्धारित करती हैं कि यदि कार्य की प्रगति धीमी है, कार्यकारी अभियंता ठेकेदार पर प्रत्येक उस दिन जब कार्य की देय मात्रा अपूर्ण रहती है, के लिए एक प्रतिशत के बराबर क्षतिपूर्ति लगा सकता है लेकिन कुल क्षतिपूर्ति अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी (क्लॉज-II)। यदि कार्य पूरा नहीं होता, कार्यकारी अभियंता ठेके को रद्द करने और इसे पूर्ण करने के लिए अन्य ठेकेदार को देने के लिए सक्षम है जिस मामले में ऐसे कोई खर्चे जो मूल ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक किए जाएं यदि उसने पूरा कार्य निष्पादित किया होता; मूल ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे (क्लॉज-III)।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 10.99 करोड़ मूल्य ***(परिशिष्ट 2.4)*** की आठ[6] स्कीमों के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा ठेका अनुबंधों के क्लॉज-II और III के अंतर्गत समय पर कार्रवाई न करने के कारण कार्य एक वर्ष चार मास से सात वर्ष एक मास तक श्रृंखलित अवधि हेतु अपूर्ण/परिव्यक्त पड़े रहे। आगे, निर्माण कार्य ठेका अनुबंध के क्लॉज-III के अंतर्गत कार्रवाई करने के बाद भी दूसरी एजेंसियों से पूर्ण नहीं करवाए गए। इस प्रकार, आठ स्कीमों के विरूद्ध ₹ 10.99 करोड़ का व्यय निष्फल बन गया। इसके अतिरिक्त, जनसंख्या पेयजल से वंचित रही। प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभागीय अधिकारियों को उत्तरदायिता नियत करने और निर्माण कार्यों की पूर्णता के लिए उपचारक उपाय सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिए।

2.1.8.6 छाहर कलां, छाहर खुर्द और सिरसी गांवों की अपूर्ण स्कीमें

70 ली.प्र.व्य.प्र. पानी उपलब्ध करवाने के लिए, छाहर कलां, छाहर खुर्द और सिरसी में स्वतंत्र वाटर वर्क्स के निर्माण के लिए तीन स्कीमें क्रमशः 23 जुलाई 2012, 2 मार्च 2013 और 18 अप्रैल 2013 को प्रशासनिक रूप से अनुमोदित की गई। निर्माण कार्य दिसंबर 2012 और सितंबर 2013 के बीच 12 मास के भीतर पूर्ण करने हेतु लिए गए थे। इन स्कीमों के कार्यान्वयन पर ₹ 4.39 करोड़ का व्यय किया गया (मार्च 2015)। इन स्कीमों के लिए अपरिष्कृत जल आर.डी. 44800-एल. पर बहल डिस्ट्रीब्यूटरी से प्राप्त किया जाना था। छाहर कलां, खुर्द और सिरसी में स्वतंत्र वाटर वर्क्स निर्माण के कार्य पी.एच.ई. मंडल सिवानी द्वारा निष्पादित किए गए और अन्य कार्य जैसे पंपिंग मशीनरी के निर्माण और चालू करने, डी.आई. पाईपें बिछाने और जोड़ने, राइजिंग मेनज, स्वतंत्र वाटर वर्क्स और अन्य मशीनरी तथा आकस्मिक कार्य पी.एच.ई. मंडल-I, भिवानी द्वारा निष्पादित किए जाने थे।

[6] 1. ढुन्ढेरी गांव की नहर आधारित स्वतंत्र जलापूर्ति स्कीम, 2. गांव झारली के लिए स्वतंत्र वाटर वर्क्स प्रदान करना, 3. नहर आधारित जलापूर्ति स्कीम पोटा, 4. नहर आधारित जलापूर्ति स्कीम गुलावाला, 5. तीन गांवों का जलापूर्ति महरामपुर ग्रुप, 6. नहर आधारित जलापूर्ति स्कीम नयागांव और हजारीवास, 7. जलापूर्ति स्कीम अकोडा का संवर्धन और 8. जलापूर्ति स्कीम गांव का पथेरा ग्रुप।

कार्य पी.एच.ई. मंडल, भिवानी द्वारा एक ठेकेदार को ₹ 0.64 करोड़ की अनुमानित लागत पर आबंटित किया गया (अक्तूबर 2014) परंतु ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादित नहीं किया गया (अप्रैल 2015)। तथापि, ठेकेदार के विरूद्ध मंडल द्वारा ठेका अनुबंध के क्लॉज - II और III के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिणामस्वरूप जलापूर्ति स्कीमें अपूर्ण पड़ी थी (अक्तूबर 2015) और इन गांवों की जनता पेयजल की वर्धित मात्रा से वंचित रही।

उत्तर में, कार्यकारी अभियंता, पी.एच.ई. मंडल सिवानी ने बताया (अप्रैल 2015) कि पी.एच.ई. मंडल - I भिवानी ने आबंटित कार्य का निष्पादन नहीं किया और कार्य अब आगे निष्पादन के लिए उनके मंडल को स्थानान्तरित कर दिया गया था। उसके बाद, कार्य ठेकेदार द्वारा शुरू कर दिया गया जो प्रगति पर था (दिसंबर 2015)। तथ्य रहता है कि पी.एच.ई. मंडल, भिवानी द्वारा कार्य निष्पादित करवाने में कार्रवाई के अभाव में जलापूर्ति स्कीमें अपूर्ण रही।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव ने सी.ई. (ग्रामीण) को मामला देखने और निर्माण कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए तुरंत उपचारक उपाय करने के लिए निदेश दिए।

2.1.8.7 डी.आई. पाईपों की अनुपलब्धता के कारण अपूर्ण स्कीमें

हरियाणा लो.नि.वि. कोड का अनुच्छेद 25.3.3 (ए) अन्य बातों के साथ प्रावधान करता है कि योजना, प्रापण और आपूर्ति आदेश देते समय खरीद की आवश्यकता किसी विशेष निर्माण कार्य या कार्यों की आवश्यकताएं परिकलित की जानी चाहिए और एक व्यापक प्रलेख भी तैयार करना चाहिए। लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि पी.एच.ई. मंडल - I सिरसा द्वारा ₹ 4.66 करोड़ के लिए पांच जलापूर्ति स्कीमों की रूपरेखा बनाई गई और आबंटित की गई (अगस्त 2013 से दिसंबर 2013)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि भंडार में डी.आई.पाईप की अनुपलब्धता के कारण हैड वर्क्स पर वितरण पाईप लाईन और पाईप लाईन बिछाने के अलावा इन निर्माण कार्यों के सभी घटक संबंधित एजेंसियों द्वारा निष्पादित किए गए जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

कार्य का नाम	अनुमोदन तिथि और संस्वीकृत राशि	आबंटन की तिथि/समापन की नियत तिथि	डी.आई. पाइपों की अनुपलब्धता के कारण अक्तूबर 2015 तक विलंब की सीमा (महीनों में)	मार्च 2015 को व्यय (₹ करोड़ में)
ओढान गांव (सिरसा) के दूसरे वाटर वर्क्स का निर्माण	20 अप्रैल 2012 ₹ 1.89 करोड़ की लागत पर मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत	2 अगस्त 2013 / 1 अगस्त 2014	14	1.52
खाड़ियां गांव (सिरसा) की जलापूर्ति स्कीम का नवीकरण और संवर्धन	27 सितंबर 2012 ₹ 1.62 करोड़ की लागत पर म.वि.का. के अंतर्गत	3 सितंबर 2013 / 2 सितंबर 2014	13	0.69
सावंत खेड़ा (सिरसा) स्वतंत्र नहर आधारित वाटर वर्क्स	28 जून 2013 ₹ 1.27 करोड़ की लागत पर ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत	11 दिसंबर 2013 / 10 दिसंबर 2014	10	1.08
नहर आधारित जल आपूर्ति स्कीम का अद्यतन और वाटर वर्क्स कालौना की मरम्मत	18 अप्रैल 2013 ₹ 89.70 लाख, बाद में ₹ 1.32 करोड़ संशोधित किए गए की लागत पर म.वि.का. के अंतर्गत	8 नवंबर 2013 / 7 अगस्त 2014	14	0.72
नहर आधारित संवर्धन जल आपूर्ति स्कीम मनगियाना	28 जून 2013 ₹ 1.33 करोड़ की लागत पर ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत	(i) 27 सितंबर 2013 / 26 जनवरी 2014 (ii) 8 अगस्त 2014 / 7 फरवरी 2015 /	21 20	0.36
		कुल		**4.37**

स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

इस प्रकार, इन अपूर्ण स्कीमों पर 2013 और 2015 के बीच ₹ 4.37 करोड़ का व्यय किया गया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कोडल प्रावधानों के अनुसार मंडलों को जो कार्य प्रगति पर थे/जो कार्य लिए जाने थे, को ध्यान में रखते हुए पाईपों की खरीद के लिए एक समेकित मांग-पत्र भेजना चाहिए था, परंतु इन कार्यों के लिए डी.आई. पाईपों की मांग प्रमुख अभियंता को नहीं भेजी गई। इस प्रकार, निर्माण कार्य 10 से 21 महीने तक विलंबित हो गए और अंतिम सिरे तक पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने का इन स्कीमों का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया।

प्रमुख अभियंता ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि डी.आई. पाईपों के प्रापण का मामला सक्रिय विचाराधीन है।

2.1.8.8 जल स्रोतों की कायमता

ताजा पेयजल आपूर्तियों के लिए प्रयुक्त भूमिजल, अन्य प्रतियोगी प्रयोक्ताओं जैसे सिंचाई, उद्योग इत्यादि द्वारा आसानी से अधिक उपयोग किया जा सकता है। जब यह होता है तो यह खारे पानी, फ्लोराईड या अन्य भूमि संबंधी प्रदूषणों से दूषित हो सकता है, जो इसे प्रयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। भूमिजल की कायम रखने के विचार से, स्रोतों और प्रणालियों की कायमता के माध्यम से पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय हिस्से के आधार पर, रा.ग्रा.पे.ज.का. निधियों का अधिकतम 10 प्रतिशत अलग से रखा जाना था। राज्यों द्वारा जिलावार पेयजल सुरक्षा योजना तैयार किया जाना अपेक्षित था। ऐसी मूलभूत संरचना की संकेतिक सूची में शामिल भूमि, तल और छत के पानी को जमा करने की प्रणाली/संरचना में बाढ़ को परिष्कृत करने की पद्धति, गल्ली प्लगज़, रिचार्ज पिट, रूपरेखा खाई/बांध, रोक बांध/नाला बांध, रिसने वाला तालाब/टंकी, इंजैक्शन कुआं/झरना इत्यादि शामिल थे। आगे, पानी स्रोतों के समग्र प्रबंधन के लिए अभिप्रेत कोई रिचार्जिंग संरचना और जिसने पेयजल स्रोतों को सीधे रिचार्ज नहीं किया, इस घटक के अंतर्गत योग्य नहीं थे। यह अवलोकित किया गया कि विभाग ने इस घटक के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी और इस घटक के अंतर्गत नार्मल पेयजल स्कीमों के लिए प्रदान की गई निधियों का प्रयोग कर रहा था। आगे, पानी की कायमता के लिए सृजित परिसंपत्तियां लाभ प्राप्त करने के लिए अनुरक्षित नहीं की जा रही थी। ब्यौरे की नीचे चर्चा की गई है:

(क) 16 ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों के लिए जल निर्माण कार्यों के निर्माण, पाईपों के प्रापण, इनलेट चैनलों के लिए राइजिंग मेन, अपरिष्कृत जल व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाने, पंपिंग स्टेशनों के निर्माण और अतिरिक्त एस.एस. टैंकों के लिए इक्कीस अनुमान 'कायमता घटक' के अंतर्गत ₹ 35.85 करोड़ के लिए संस्वीकृत किए गए थे। पानी स्रोतों के रिचार्ज पर इन निर्माण कार्यों का कोई सीधा संबंध नहीं था क्योंकि ये संरचनाएं जल आपूर्ति स्कीम का एक हिस्सा थे। ***परिशिष्ट 2.5*** के विवरणानुसार मार्च 2015 तक ₹ 17.47 करोड़ का व्यय किया गया था। परिशिष्ट के विश्लेषण ने दर्शाया कि 21 स्कीमों पर किया गया ₹ 17.47 करोड़ का व्यय इस घटक पर वैध प्रभार नहीं था और निधियों के विपथन के समान है।

इसी प्रकार, वन विभाग {मंडल वन अधिकारी (क्षेत्रीय); मोरनी, पिंजौर} ने इसके पहले से निर्मित पुराने बांधों के पुनरूद्धार के लिए 2011-13 के दौरान ₹ 2.90 करोड़ का व्यय किया जिसके लिए दायिता वन विभाग की थी। विभाग द्वारा पुरानी संरचनाओं के पुनरूद्धार की बजाय भूमि जल की कायमता के लिए निधियां प्रयुक्त करने के लिए सही योजना बनाई जानी चाहिए थी।

संबंधित कार्यकारी अभियंता ने बताया (जनवरी-मई 2015) कि यद्यपि निर्माण कार्य रा.ग्रा.पे.ज.का. 'कायमता घटक' के अंतर्गत निष्पादित किए गए थे, फिर भी ये निर्माण कार्य जलापूर्ति स्कीमों के हिस्से थे। तथ्य यह रहता है कि स्कीम का घटक कार्यान्वित नहीं किया गया और जल स्रोतों की कायमता के घटक का उद्देश्य अप्राप्त रह गया। प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान राज्य के दीर्घावधि हित में जल स्रोतों की कायमता के संबंध में मार्गनिर्देशों की अनुपालना के लिए विभागीय अधिकारियों को निदेश दिए।

(ख) 2010-11 के दौरान रा.ग्रा.पे.ज.का., के कायमता घटक के अंतर्गत, एक परियोजना ''वर्षा जल परिष्कृत करने तथा शिवालिक फुट हिल्ज में कृत्रिम रिचार्ज उपायों के माध्यम से भूमि जल का सुधार'' ₹ 61.81 करोड़ के लिए संस्वीकृत की गई। इस परियोजना के निष्पादन के लिए पी.एच.ई.डी. द्वारा वन विभाग को ₹ 59.61 करोड़ की निधियां जारी की गई थी (2011-13)। जल एकत्र करने वाले बांधों के निर्माण, पुराने बांधों का पुनरूद्धार, रिसने वाले टैंक्स, रोक बांधों, करेट वायर संरचनाओं, सीमेंट संरचनाओं इत्यादि पर ₹ 59.60 करोड़ की राशि व्यय की गई। निर्माण कार्य मार्च 2014 में पूरे किए गए। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि उनके रख-रखाव के लिए स्कीम के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं था। परिणामतः, परियोजना के अधीन निर्मित जल कायमता की संरचनाओं का रख-रखाव न तो विभाग और न ही वन विभाग द्वारा किया गया। आगे, यह अवलोकित किया गया कि संरचनाएं क्षतिग्रस्त स्थिति में पड़ी थी जैसा निम्न चित्रों में दर्शाया गया है:

	
रामनगर खोली (पिंजौर) में क्षतिग्रस्त पड़ी जल एकत्र करने वाली संरचना (23 जून 2015)	**झोलूवाल (पिंजौर) में क्षतिग्रस्त पड़ी जल एकत्र करने वाली संरचना (23 जून 2015)**

प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2015) चूंकि निर्माण कार्य वन विभाग द्वारा निष्पादित किए गए थे, रख-रखाव वन विभाग द्वारा किया जाना चाहिए था।

2.1.8.9 जलमनी स्कीम के अंतर्गत प्रस्थापित शुद्धिकरण प्रणालियां

भारत सरकार ने सितंबर 2008 में ग्रामीण स्कूलों में पेयजल के संभावित प्रदूषण को रोकने के लिए एक स्टैंड एलोन जल शुद्धिकरण प्रणाली (एस.पी.एस.) 100 प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित जलमनी स्कीम प्रारंभ की। सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा, यह सुनिश्चित करने के लिए

ध्यानपूर्वक समन्वय किया जाना अपेक्षित था, कि ग्रामीण समाज के सबसे कमजोर वर्ग अर्थात् स्कूली बच्चों को उपभोग बिंदु पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने का मूल उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। प्रत्येक एस.पी.एस. की पूंजीगत लागत ₹ 40,000 से बढ़नी नहीं चाहिए। पांच वर्षों के लिए परिचालन और रख-रखाव (एक प्रारंभिक वर्ष जमा रख-रखाव प्रभारों के साथ चार वर्ष) भी पूंजीगत लागत में किया जाना था। इन प्लांट्स को प्रस्थापन और चालू करने के बाद निगरानी के लिए स्कूल के परिसर के मालिक होने के नाते शिक्षा विभाग को सौंपा जाना था। कार्यक्रम परियोजना मोड में कार्यान्वित किया जाना था और आबंटित निधियों का 50 प्रतिशत तक पहली किश्त के रूप में निर्मुक्त किया जाना था। आगे, दूसरी किश्त भारत सरकार द्वारा पहली किश्त के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद निर्मुक्त की जानी थी।

प्रमुख अभियंता कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच ने दर्शाया कि ₹ 1.75 करोड़ की पहली किश्त भारत सरकार द्वारा 873 स्कूलों को शामिल करने के लिए 2008-09 में निर्मुक्त की गई थी। परंतु ₹ 1.75 करोड़ की दूसरी किश्त निर्मुक्त नहीं की गई क्योंकि 2008-09 में निर्मुक्त राशि के लिए विभाग द्वारा यू.सी. प्रस्तुत नहीं किया गया था, यद्यपि विभाग ने 788 एस.पी.एसज के प्रस्थापन पर 2014-15 तक ₹ 2.63 करोड़[7] की राशि खर्च कर दी थी। इस प्रकार, यू.सीज की अप्रस्तुति के कारण राज्य सरकार ₹ 1.75 करोड़ की दूसरी किश्त से वंचित रह गई।

ये सभी आर.ओज संबंधित स्कूलों के मुख्याध्यापकों/प्रिंसीपलों को सौंप दिए गए थे। इन एस.पी.एस. के ओ. एंड एम. की जिम्मेदारी पांच वर्षों के लिए विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं की थी। जैसा कि जून 2015 में प्रमुख अभियंता द्वारा सूचित किया गया, 788 एस.पी.एसज में से 614 क्रियाशील थे, 125 मरम्मत के अभाव में अक्रियाशील थे और 49 की स्थिति विभाग को ज्ञात नहीं थी। आगे, यह अवलोकित किया गया कि न तो कार्यकारी अभियंता न ही मुख्याध्यापक/प्रिंसीपल इस क्लॉज के बारे में अवगत थे कि रख-रखाव पांच वर्षों के लिए विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा मुफ्त किया जाना था। इस प्रकार, विभाग तथा स्कूल प्राधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव था। इसके परिणामस्वरूप, स्कूलों में सुरक्षित पेयजल उपलबध करवाने का मूल प्रयोजन पूरी तरह प्राप्त नहीं किया गया। प्रधान सचिव ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान विभागीय अधिकारियों को निदेश दिया कि मामले की जांच की जाए तथा शुद्धिकरण प्रणालियां क्रियाशील बनाई जाएं।

शहरी जल आपूर्ति

शहरी जल आपूर्ति स्कीमें, तेहरवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) आर्थिक प्रेरक पैकेज (आ.प्रे.पै.) तथा अन्य राज्य स्कीमों की निधियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही थी। इसके अलावा, रा.रा.क्षे. नगरों में शहरी जल आपूर्ति स्कीमों के लिए रा.रा.क्षे.आ.बो. से ऋण प्राप्त किए गए थे।

[7] 2010-11: ₹ 0.24 करोड़, 2011-12: ₹ 1.24 करोड़, 2012-13: ₹ 1.08 करोड़, 2013-14: ₹ 0.04 करोड़ और 2014-15: ₹ 0.03 करोड़।

2.1.8.10 शहरी जलापूर्ति स्कीमों की पूर्णता में धीमी प्रगति

राज्य में 2010 – 11 से 2014 – 15 वर्षों के दौरान, भिन्न – भिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निष्पादन के लिए ली गई और पूर्ण की गई शहरी जल आपूर्ति स्कीमों की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

क्र. सं	वर्ष	आरंभिक शेष	निष्पादन के लिए ली गई स्कीमें	निष्पादन अधीन स्कीमें	पूर्ण की गई स्कीमें	शेष
1.	2010-11	6	90	96	80	16
2.	2011-12	16	107	123	67	56
3.	2012-13	56	75	131	46	85
4.	2013-14	85	12	97	6	91
5.	2014-15	91	64	155	14	141
	कुल		**348**		**213**	

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत डाटा।

वर्ष 2010 – 15 के दौरान, 354 स्कीमों (2010 – 11 के प्रारंभ में चल रही छः स्कीमों सहित) में से केवल 213 स्कीमें पूर्ण की गई (60 प्रतिशत) मार्च 2015 को 141 स्कीमें अपूर्ण रह गई। प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2015) कि अधीक्षक अभियंताओं की मासिक बैठकों में मानीटरिंग के माध्यम से इन निर्माण कार्यों को शीघ्रतम पूर्ण करने के प्रयास किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने निम्न कमियां दर्शाई:

2.1.8.11 रेलवे लाईन पर अपूर्ण जलापूर्ति स्कीमें

आ.प्रे.पै. फेज – II के अंतर्गत अंबाला शहर की रेलवे लाईन के पार रहने वाली जनता को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए दो भिन्न एजेंसियों को क्रमशः 8 और 6 मास की समयावधि के साथ ₹ 78.12 लाख और ₹ 1.61 करोड़ के लिए दो निर्माण कार्य आबंटित किए गए (18 अप्रैल 2013 और 15 मई 2013)।

पी.एच.ई. डिवीजन, अंबाला शहर के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि दोनों निर्माण कार्य क्रमशः ₹ 78.12 लाख और ₹ 1.61 करोड़ की लागत पर पूर्ण कर दिए गए थे (मार्च 2015)। परंतु ये जलापूर्ति स्कीमें, अपरिष्कृत जल आपूर्ति चैनल के साथ इन संरचनाओं के जुड़े न होने के कारण चालू नहीं की जा सकी क्योंकि अंबाला – कालका सैक्शन पर रेलवे मार्ग के नीचे से पाईप लाईनों के क्रासिंग की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। विभाग ने रेलवे लाईन क्रासिंग के लिए अनुमति के लिए अगस्त 2013 में आवेदन किया था। विभाग ने रेलवे को इस हेतु सितंबर 2014 में ₹ 50.04 लाख और मार्च 2015 में ₹ 43.58 लाख जमा करवाए थे। रेलवे प्राधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्र में कार्य निष्पादन के लिए टेंडरिंग की प्रक्रिया जारी थी (सितंबर 2015)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग ने कार्य रेलवे की पूर्व अनुमति के बिना निष्पादित किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.39 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। प्रमुख अभियंता ने सूचना दी (अक्तूबर 2015) कि कार्य मार्च 2016 तक पूर्ण किए जाने की संभावना है।

2.1.8.12 अपूर्ण शहरी जलापूर्ति स्कीम, बरवाला

बरवाला नगर की जनता को 155 ली.प्र.व्य.प्र. जलापूर्ति प्रदान करने के लिए ₹ 7.82 करोड़ की अनुमानित लागत पर भारत सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता अधीन एक संवर्धन जल

आपूर्ति स्कीम संस्वीकृत की गई (11 मई 2004) विस्तृत अनुमान के अनुसार, एक अतिरिक्त चैनल, एक एस.एस. टैंक और फिल्टर बैड, हैड वर्क्स पर पाईप लाईन बिछाना इत्यादि का निर्माण किया जाना था। आगे, स्टोरेज एवं सेडीमेंटेशन (एस.एस.) टैंक इत्यादि के निर्माण के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.) द्वारा हैड वर्क्स पर 9 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई जानी थी। निर्माण कार्य नवंबर 2008 और अक्तूबर 2012 के बीच पी.एच.ई. मंडल-II हिसार द्वारा 15 भिन्न-भिन्न एजेंसियों को आबंटित किए गए और मार्च 2015 तक ₹ 6.34 करोड़ का व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि एस.एस. टैंक को छोड़कर अनुमान के सभी घटक अर्थात् जल उपचार प्लांट (डब्ल्यू.टी.पी.), फिल्टर बैड और हैड वर्क्स पर पाईप लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण किए गए थे क्योंकि 9 एकड़ भूमि एच.एस.ए.एम.बी. द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। आगे, यह अवलोकित किया गया कि एस.एस. टैंक के निर्माण के लिए अभिप्रेत भूमि पर सरकार द्वारा एक पार्क विकसित किया गया था। इस प्रकार, एस.एस. टैंक के निर्माण के लिए भूमि का आधिपत्य लेने के लिए एच.एस.ए.एम.बी. के साथ विभाग के समन्वय का अभाव था। विभाग को निर्माण कार्यों का निष्पादन शुरू करने से पहले भूमि का आधिपत्य लेना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप स्कीम परित्यक्त पड़ी थी और स्कीम पर किया गया ₹ 6.34 करोड़ का समग्र व्यय निष्फल रहा।

कार्यकारी अभियंता ने सूचना दी (फरवरी 2015) कि जब कभी अपेक्षित भूमि ज.स्वा.अ.वि. को उपलब्ध करवाई जाएगी, स्कीम को क्रियाशील बनाने के लिए एस.एस. टैंक का निर्माण किया जाएगा। अक्तूबर 2015 तक अपेक्षित भूमि उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

2.1.8.13 धारूहेड़ा जल आपूर्ति स्कीम में निधियों का अवरोधन

धारूहेड़ा नगर के लिए एक मास्टर जलापूर्ति स्कीम ते.वि.आ. के अंतर्गत ₹ 55.14 करोड़ की अनुमानित लागत पर संस्वीकृत की गई (दिसंबर 2011)। परियोजना 31 मार्च 2014 तक पूर्ण की जानी थी। भूमि अधिग्रहण कलक्टर (एल.ए.सी.) ने ₹ 8.64 करोड़ के लिए 23 एकड़ 7 कनाल 19 मरला की भूमि के अधिग्रहण के लिए अवार्ड घोषित किया (29 मई 2013), जिसके लिए निधियां एल.ए.सी. के पास जनवरी 2013 में जमा करवा दी गई थी। भूमि पर निर्मित घरों के भू-स्वामियों को भूमि की निर्मुक्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में मामले के लंबित होने के कारण भूमि का आधिपत्य नहीं लिया जा सका। न्यायिक मामला अगस्त 2013 में भू-स्वामियों के पक्ष में निर्णीत किया गया और यह आदेश दिया गया कि या तो उनकी भूमि को अधिग्रहण से निर्मुक्त किया जाए या धारूहेड़ा के आवासीय सैक्टर में उन्हें वैकल्पिक प्लाट आबंटित किए जाएं। भूमि विवाद के मामले का समाधान नहीं हुआ था (मई 2015)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कार्यकारी अभियंता ने ₹ 30.40 करोड़ के लिए कार्य 18 मास की कम्पलीशन समयावधि के साथ एक एजेंसी को कार्य आबंटित किया (14 अगस्त 2014) परंतु भूमि विवाद के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। ₹ 18.09[8] करोड़ का व्यय डी.आई. पाईपों की खरीद पर किया गया। आगे, यह अवलोकित किया कि ₹ 14.34 करोड़ मूल्य की पाईपें अगस्त 2014 में कार्य के आबंटन से बहुत पहले दिसंबर 2011 में खरीदी गई थी। आगे, भूमि विवाद के निपटारे के बिना कार्य का आबंटन

[8] दिसंबर 2011: ₹ 14.34 करोड़, अगस्त 2014: ₹ 0.97 करोड़ तथा दिसंबर 2014: 2.78 करोड़।

एक विवेकपूर्ण निर्णय नहीं था। भूमि विवाद के समाधान के बिना पाईपों की खरीद के परिणामस्वरूप ₹ 18.09 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रमुख अभियंता को पाईपों की खरीद और भूमि विवाद के समाधान के बिना कार्य के आबंटन के लिए कारणों की जांच करने के लिए कहा।

अन्य बिंदु – ग्रामीण तथा शहरी जलापूर्ति स्कीमें

2.1.8.14 जल गुणवत्ता एवं परीक्षण

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के मार्गनिर्देशों के अनुसार पेयजल गुणवत्ता को व्यवहारिक रूप से जितना हो सके सुरक्षित बनाने के सब प्रयास किए जाने चाहिए। जलापूर्तियों की प्रदूषण से बचाव सुरक्षा की पहली लाईन है। पर्याप्त सुरक्षा तथा प्रभावी उपचार प्रदान करने में विफलता आंत और अन्य संक्रामक रोगों के फैलने के जोखिम का समुदाय को सामना करना पड़ेगा।

सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए विभाग ने, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से 42 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की थी। रा.ग्रा.पे.ज.का. के मार्गनिर्देशों के अनुसार, स्रोतों पर पानी के परीक्षण के लिए 3,500 जल सैंपल के लक्ष्य निर्धारित किए थे, जो 2014 – 15 से 3,000 सैंपल तक संशोधित किए गए। भारत सरकार के दिनांक अप्रैल 2010 के निर्देशों के अनुसार, यह वांछनीय था कि पीने के पानी की पेयता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्रोत का साल में कम से कम एक बार रसायनिक प्रदूषण के लिए और 2 – 4 बार जीवाणु प्रदूषण के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए। इन मानदंडों के अनुसार, 2010 – 14 के दौरान न्यूनतम 14,000 नमूने, 2014 – 15 के दौरान 3,000 अर्थात् 2010 – 15 के दौरान 17,000 नमूनों का प्रत्येक प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण किया जाना अपेक्षित था। 2,19,000 नमूनों के परीक्षण के लक्ष्य के विरूद्ध, केवल 1,08,493 नमूनों (50 प्रतिशत) की 2010 – 15 के दौरान जांच की गई। नमूनों के परीक्षण में कमी 50 प्रतिशत थी। आगे, जांच किए गए नमूनों में से 13,944 नमूनों (13 प्रतिशत) में पानी मानवीय उपभोग के लिए अयोग्य पाया गया।

स्वास्थ्य विभाग समय – समय पर जीवाणु परीक्षा के लिए करनाल स्थित प्रयोगशाला में जल के नमूनों का परीक्षण करता है। 2010 से 2014 तक प्रयोगशाला ने 15,481 नमूनों का परीक्षण किया। इनमें से, 9,663 नमूने मानवीय उपभोग के लिए योग्य जबकि 5,818 नमूने (38 प्रतिशत) अयोग्य पाए गए।

जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी समय – समय पर जल के नमूनों का परीक्षण करते हैं। नमूना – जांच किए गए आठ[9] जिलों में, जांच किए गए 57,900 नमूनों में से 6,251 नमूने (11 प्रतिशत) मानवीय उपभोग के लिए अयोग्य पाए गए। चार[10] जिलों में 2010 – 15 के दौरान प्रदूषित जल के उपभोग के कारण 1,210 मामले डायरिया, 176 मामले पीलिया के और आंत्र ज्वर के 53 मामले पाए गए।

लेखापरीक्षा को नमूनों के क्रमबद्ध चयन का प्रमाण नहीं मिला जो रोटेशन द्वारा रसायनिक और जीवाणु परीक्षा के लिए सभी स्रोतों की आवृत्ति करना सुनिश्चित कर सके। अभिलेखों से भी

[9] (1) अंबाला, (2) हिसार, (3) कैथल, (4) कुरूक्षेत्र, (5) पंचकुला, (6) नारनौल, (7) झज्जर तथा (8) सिरसा।

[10] (1) अंबाला, (2) कैथल, (3) कुरूक्षेत्र तथा (4) सिरसा।

विफल जल नमूनों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक संस्थागत और उपयुक्त यंत्रावली का कोई प्रमाण उपलब्ध हुआ। इसप्रकार पेयजल प्रदान करने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक की घटिया मानीटरिंग इंगित करता है।

अयोग्य नमूनों की उच्च प्रतिशतता ने घटिया गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति का संकेत दिया जिसके परिणामस्वरूप जल जनित रोगों का उच्च प्रभाव हुआ। इस प्रकार, मानवीय उपभोग के लिए जल आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने की अत्यंत आवश्यकता थी। आगे, जल नमूने एकत्र करने के लिए एक अधिक मजबूत प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता थी ताकि पूरे राज्य में सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सभी स्रोतों से नमूने एकत्रित, परीक्षित तथा अनुवर्तित किए जा सके। विभाग ने जल नमूनों में कमी के लिए पानी के नमूने एकत्र करने के लिए स्टाफ तथा प्रयोगशालाओं में कैमिस्टों की कमी को जिम्मेदार ठहराया। प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान मामले पर बात करते हुए प्रमुख अभियंता को नमूनों में कमी तथा परीक्षित किए नमूनों की विफलता के मामले की जांच तथा इस संबंध में प्रक्रियाओं में सुधार के निदेश दिए।

2.1.8.15 सामाजिक लेखापरीक्षा

रा.ग्रा.पे.ज.का. मार्गनिर्देशों के अनुच्छेद 19.3 के अनुसार, प्रत्येक छः मास बाद एक नियत तिथि को समुदाय पर आधारित संगठनों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एक सामाजिक लेखापरीक्षा होनी चाहिए कि विभाग द्वारा लिए गए निर्माण कार्य विर्निदेशनों के अनुसार हैं और प्रयुक्त निधियां लिए गए कार्यों के अनुकूल हैं ताकि कायमता आधार पर उन्हें उपलब्ध पेयजल सेवाएं प्रदान करने के प्रावधान का उपभोक्ताओं की संतुष्टि का अंदाजा लगाने के लिए संकेतकों तथा मानीटरिंग के लिए स्थानीय स्तर पर विकसित मापदंडों के अनुसार फीडबैक उपलब्ध करवाया जाए। अभिलेखों ने, तथापि, दर्शाया कि कार्यक्रम के अंतर्गत निष्पादन तथा व्यय में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा की कोई यंत्रावली स्थापित नहीं की गई थी।

प्रमुख अभियंता ने बताया (जून 2015) कि विभाग ने सूचना शिक्षा प्रसारण, मानवीय संसाधन विकास, जल गुणवत्ता मानीटरिंग और निगरानी इत्यादि की गतिविधियां पूर्ण करने के लिए एक जल और स्वच्छता समर्थन संगठन (डब्ल्यू.एस.एस.ओ.) स्थापित किया था और जमीनी स्तर पर जल आपूर्ति प्रणाली में समुदाय को शामिल करने को सुनिश्चित करने के लिए 6,072 गांवों में ग्राम जल और स्वच्छता समितियां (वी.डब्ल्यू.एस.सीज) भी गठित की थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि डब्ल्यू.एस.एस.ओज और वी.डब्ल्यू.एस.सीज के कार्यचालन को सामाजिक लेखापरीक्षा कार्य का भाग के रूप में इंगित करने के लिए अभिलेख में कुछ नहीं पाया गया और कायमता आधार पर पेयजल सेवाओं के प्रावधानों का उपभोक्ता संतुष्टि का अनुमान लगाने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य अप्राप्त रहा। प्रधान सचिव ने, तथापि, एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रमुख अभियंता को सुधारक उपाय प्रारंभ करने हेतु निदेश दिए।

2.1.9 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण, लागू नियमों और विनियमों की अनुपालना बारे प्रबंधन के लिए उचित आश्वासन प्रदान करता है। विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी क्योंकि वहां अनुमानों से अधिक व्यय, निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त न करने, कार्यों का अनियमित विभाजन, भूमि अधिग्रहण कलैक्टर्स को दिए गए अग्रिमों पर नियंत्रण का अभाव, बिजली उपभोग पर

जुर्माने के परिहार के लिए केपेसिटर्ज का अप्रस्थापन इत्यादि के मामले थे। स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर थी क्योंकि अपरिष्कृत जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना और भूमि के अधिग्रहण बिना स्कीमें प्रारंभ करने, संबंधित प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति न लेने, स्थलों के गलत चयन इत्यादि के मामले थे। आगे, पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और विफल जल नमूनों पर की गई कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी।

2.1.9.1 सृजित परिसंपत्तियों के अभिलेखों का अनुरक्षण न किया जाना

लो.नि.वि. कोड के अनुच्छेद 27.2 में प्रावधान है कि परिसंपत्तियों की प्रभावी प्रबंध के लिए, विभाग के पास सृजित परिसंपत्तियों के पूर्ण और अद्यतित अभिलेख होने चाहिए। जलापूर्ति स्कीमों से संबंधित अभिलेख जैसे उपलब्ध भूमि अभिलेख के सही संदर्भ के साथ भूमि और अन्य संरचनाओं की, माल सूची, इनलेट स्टेशनों, चैम्बर्ज, एस.एस. टैंक्स इत्यादि अनुरक्षित नहीं किए गए थे।

आगे, विभाग, जिले से संबंधित सभी अभिलेखों के अभिरक्षक के रूप में प्रत्येक जिले में एक कार्यालय को अधिसूचित करेगा। पुराने अभिलेखों की पुनर्व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे जिला–वार उपलब्ध हों। तथापि, यदि एक विशेष कार्य दो या अधिक जिलों से संबंध रखता है तो प्रमुख अभियंता अभिलेखों को एक विशेष जिले में रखने के आदेश दे सकते हैं। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि नमूना–जांच किए गए मंडलों में ऐसे अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे। इसके अभाव में, सृजित/अधिगृहीत परिसंपत्तियों की वास्तविक स्थिति और उनका रख–रखाव लेखापरीक्षा में मूल्यांकित नहीं किया जा सका।

2.1.9.2 आंतरिक लेखापरीक्षा की अनुपस्थिति

कार्य की समग्र गुणवत्ता सुधारने तथा गलतियां/अनियमितताएं कम करने के लिए सभी सरकारी विभागों में एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं थी। आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए मुख्य लेखा अधिकारी का एक पद संस्वीकृत था परंतु अधिकारी लेखाओं और स्थापना से संबंधित कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर रहा था। प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रमुख अभियंता को इन मामलों पर सुधारक उपाय प्रारंभ करने हेतु निदेश दिए।

2.1.9.3 स्कीमों की मानीटरिंग

प्रमुख अभियंता, विभाग के अध्यक्ष के रूप में विभाग के कार्यक्रमों, स्कीमों और अन्य गतिविधियों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी था। प्रत्येक स्कीम/कार्यक्रम की मासिक प्रगति कार्यकारी अभियंता द्वारा अधीक्षक अभियंताओं के माध्यम से प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत की जाती थी परंतु ये रिपोर्ट प्रबंधक यंत्र के रूप में प्रयुक्त नहीं गई थी और इन रिपोर्टों पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2015) कि मुख्यालय पर और प्रधान सचिव और प्रमुख अभियंता की अध्यक्षता में अवधिक रूप से समय–समय पर आयोजित की जाने वाली बैठकों में भी विभिन्न रिपोर्टों की समीक्षा की जाती थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि स्कीमों की मानीटरिंग प्रभावी नहीं थी क्योंकि कार्यों के निष्पादन, पानी की गुणवत्ता और परीक्षण, सामाजिक लेखापरीक्षा इत्यादि में कमियां थी जैसा कि पिछले अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.1.10 निष्कर्ष

जल आपूर्ति स्कीमों का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित एवं पेयजल उपलब्ध करवाना था जो आयोजना, वित्तीय प्रबंध, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न कमियों और कमजोर मानीटरिंग यंत्रावली के कारण मुख्यत: अप्राप्त रही। एक पंचवर्षीय व्यापक जल सुरक्षा योजना तैयार नहीं की गई थी और केवल मांग के आधार पर वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। आगे, मार्च 2015 तक 455 बस्तियां अभी भी पानी की कमी वाली हैं। 73 नगरों जो भारत सरकार द्वारा परिभाषित नगर का मानदंड पूरा करते थे, में जलापूर्ति प्रदान करने के लिए कोई योजना नहीं थी। केवल 63 प्रतिशत ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमें पूर्ण की गई थी और 37 प्रतिशत अपूर्ण छोड़ दी गई। अपरिष्कृत जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना, संबंधित प्राधिकारियों से पूर्व क्लीयरेंस प्राप्त किए बिना और भूमि का स्पष्ट स्वामित्व लिए बिना स्कीमों को लेने, वाटर वर्क्स के लिए अनुपयुक्त स्थल का चयन, ठेकेदारों के विरूद्ध विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करने, पाईपों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्यों के निष्पादन के परिणामस्वरूप स्कीमें अपूर्ण रही और निष्फल/निरर्थक व्यर्थ व्यय हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत जल संसाधनों की कायमता का घटक सही ढंग से कार्यान्वियत नहीं किया गया था क्योंकि इस घटक के लिए अभिप्रेत निधियां साधारण जल आपूर्ति स्कीमों पर खर्च कर दी गई। आगे, जल कायमता के लिए सृजित परिसंपत्तियों के रख-रखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। तीन शहरी जलापूर्ति स्कीमें रेलवे से अनुमति, एस.एस. टैंक्स के लिए भूमि की अनुपलब्धता तथा भू-स्वामियों के साथ भूमि विवाद का निपटान न होने के कारण अपूर्ण पड़ी थी। चयनित जिलों में जल परीक्षण के लिए लक्ष्यित नमूनों में से केवल 50 प्रतिशत नमूने एकत्रित किए गए, जिसमें से 13 प्रतिशत नमूने अयोग्य पाए गए। जीवाणु परीक्षा के लिए परीक्षित पानी के नमूनों में से, 38 प्रतिशत नमूने मानवीय उपभोग के लिए अयोग्य पाए गए। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली भी पर्याप्त नहीं थी।

2.1.11 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

(i) पानी की कमी वाली बस्तियों और नगरों को आवृत्त करने के लिए जल सुरक्षा के लिए प्रति वित्तीय वर्ष भली-भांति से परिभाषित उप लक्ष्यों ओर वरीयताओं के साथ व्यापक पंचवर्षीय योजना तैयार करना;

(ii) विशाल निधियां खर्च करने के बाद निर्माण कार्यों को अपूर्ण छोड़ने से बचने के लिए स्कीमों को लेने से पहले लो.नि.वि. कोड के प्रावधानों की अनुपालना करना;

(iii) निरंतर आधार पर स्कीम के लाभ प्राप्त करने के लिए जल कायमता घटक के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के रख-रखाव के लिए प्रावधान करना;

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए जल के नमूनों के परीक्षण के लिए प्रणाली विकसित करना कि सभी जल स्रोतों का पानी इकट्ठा परीक्षण और पूरे राज्य में सुरक्षित और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित उपचारक उपायों के साथ अनुवर्तित किया जाता है; तथा

(v) आंतरिक लेखापरीक्षा, अभिलेखों के अनुरक्षण और मानीटरिंग की एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करना।

प्राथमिक शिक्षा विभाग

2.2 स्कूलों में मिड डे मील्ज का राष्ट्रीय कार्यक्रम

स्कूलों में मिड डे मील्ज का राष्ट्रीय कार्यक्रम I से VIII तक की कक्षाओं के लिए बच्चों के नामांकन, उपस्थिति तथा रिटैन्शन पर विशेष केन्द्र बिंदु के साथ लागू किया जा रहा है। स्कीम की निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियां प्रकट की:

स्कीम के कार्यान्वयन के लिए योजनाएं, स्कूल स्तर से डाटा प्राप्त करके या समुचित सर्वेक्षण किए बिना तैयार की गई थी।

(अनुच्छेद 2.2.6)

₹ 9.83 करोड़ के अव्ययित शेष तथा ₹ 0.65 करोड़ की राशि के अर्जित ब्याज जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों के बैंक खातों में पड़े थे।

(अनुच्छेद 2.2.7.3)

स्कीम के अंतर्गत छात्रों का कवरेज 2010 – 15 के दौरान कम होकर 99 से 95 प्रतिशत हो गई थी। स्कूलों द्वारा खाद्यान्नों को लेने में भारी कमी 21 तथा 44 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

(अनुच्छेद 2.2.8.1 तथा 2.2.8.2)

इस्कॉन ने ₹ 1.23 करोड़ मूल्य के 5,761 क्विंटल खाद्यान्न जरूरत से ज्यादा उठा लिए थे तथा समग्र मात्रा को उपभुक्त के रूप में दर्शाते हुए उपयोग प्रमाण – पत्र प्रस्तुत किए। यह विभाग द्वारा खाने की संख्या के सत्यापन के बिना खाद्यान्नों की निर्मुक्ति के कारण था।

(अनुच्छेद 2.2.8.4)

विभाग ने बच्चों को दिए गए खाने की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य नमूनों की जांच के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी। आगे, हिसार, कुरूक्षेत्र तथा सिरसा जिलों में उचित औसत गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.2.8.5 तथा 2.2.8.6)

2006 – 10 के दौरान 11,483 किचन – कम – स्टोर के निर्माण की संस्वीकृति के विरूद्ध केवल 8,825 पूर्ण किए गए थे, 903 प्रगति पर थे तथा 1,755 का निर्माण शुरू नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.2.8.10)

2.2.1 प्रस्तावना

बच्चों के नामांकन, उपस्थिति तथा रिटैंन्शन पर विशेष जोर देते हुए 15 अगस्त 1995 को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में प्राथमिक शिक्षा को पुष्टिकर सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। सितंबर 2004 में, प्रोटीन की मात्रा 8-12 ग्राम तथा न्यूनतम 300 कैलोरी वाले पकाए हुए खाने के साथ-साथ आवश्यक सूक्ष्मपोषक तथा कृमिनाशक दवाईयों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

कुक्ड मिड डे मील की पोषणीय मात्रा 2006 में 300 से 450 कैलोरी तथा प्रोटीन की मात्रा 8-12 ग्राम से 12 ग्राम बढ़ा दी गई थी। स्कीम को 2007-08 से शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में तथा 2008-09 से पूरे देश में उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तृत कर दिया था। उच्च प्राथमिक के लिए पोषणीय मात्रा 700 कैलोरी पर तथा 20 ग्राम प्रोटीन प्रति बालक प्रति स्कूल प्रतिदिन निर्धारित की गई थी। 2007-08 में स्कीम को स्कूलों में मिड डे मील्ज का राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में पुन: नया नाम दिया गया था।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, सरकारी स्तर पर प्रशासकीय प्रमुख हैं। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग (प्रा.शि.वि.) स्कीम के प्रशासन, समन्वय, कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग के समग्र प्रभारी हैं तथा एक अपर निदेशक (मिड डे मील्ज), एक महाप्रबंधक (मिड डे मील्ज) तथा निदेशालय स्तर पर एक प्रबंधक (मिड डे मील्ज) उनकी सहायता करते हैं। 21 जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (जि.प्रा.शि.अ.) तथा 119 ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (ब्लॉ.शि.अ.) जो स्कूल स्तर पर स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

स्कीम की निष्पादन लेखापरीक्षा यह जांचने के लिए की गई थी कि:

- सभी योग्य प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूली बच्चों को शामिल करने के लिए स्कीम सही ढंग से प्लान की गई थी;
- वित्तीय प्रबंधन कुशल था तथा दी गई निधियों को मितव्ययी तथा प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था;
- स्कीम का कार्यान्वयन प्रभावी था तथा बच्चों के पोषणीय स्तर को सुधारने तथा नामांकन, रिटैंन्शन, उपस्थिति को बढ़ाने का इसका उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया था; तथा
- स्कीम के कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से मॉनीटर किया जा रहा था।

2.2.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा पद्धति

21 जिलों में से छ:[11] जिले बिना परिवर्तन संभावित समानुपातिक आकार (पी.पी.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) विधि प्रयोग करते हुए लेखापरीक्षा करने के लिए चयन किए गए थे। राज्य में 119 ब्लॉकों में से 24 ब्लॉकों (चयन किए गए प्रत्येक जिले के अंतर्गत चार ब्लॉक) का बिना परिवर्तन साधारण रेंडम नमूना (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) विधि प्रयोग करते हुए चयन किया गया था। भौतिक सत्यापन के लिए 180 स्कूल, (राज्य में 14,714[12] स्कूलों में से) प्रत्येक जिले से 30 स्कूलों को भी एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर. विधि का प्रयोग करके चुना गया था। अपनाई गई पद्धति लेखापरीक्षा उद्देश्यों के संदर्भ में अभिलेखों की नमूना – जांच करना था। 2010 – 15 की अवधि को आवृत करते हुए फील्ड लेखापरीक्षा सितंबर 2014 तथा मई 2015 के मध्य की गई थी। निदेशालय, प्राथमिक शिक्षा विभाग (प्रा.शि.वि.), छ: जि.प्रा.शि.अ., 24 ब्लॉ.शि.अ. तथा 180 स्कूलों के अभिलेखों की नमूना – जांच की गई थी।

स्कीम की गई पूर्ववर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा, 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) हरियाणा सरकार में शामिल की गई थी तथा 2012 – 13 के दौरान लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा चर्चा की गई थी। लोक लेखा समिति की सिफारिशें लेखापरीक्षा करते समय ध्यान में रखी गई थी।

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग के साथ फरवरी 2015 में एक एंट्री कांफ्रेंस की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा के मानदण्ड एवं लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र पर चर्चा की गई थी। निदेशक व विशेष सचिव, हरियाणा सरकार, प्राथमिक शिक्षा विभाग के साथ सितंबर 2015 में हुई एग्जिट कांफ्रेंस में लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई थी। विभाग के उत्तर तथा एग्जिट कांफ्रेंस में हुए विचार विमर्श प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किए गए हैं।

2.2.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- 2006 के स्कीम मार्गनिर्देश।
- जिला स्तर पर भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) को खाद्यान्नों की लागत के भुगतान के विकेन्द्रीकरण के लिए मार्गनिर्देश (फरवरी 2010)।
- मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र, निर्देश।

2.2.6 आयोजना

मिड डे मील्ज स्कीम ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर पर संकलित तथा स्कूल स्तर पर अनुरक्षित जानकारी पर आधारित राज्य द्वारा वार्षिक कार्य – योजना तथा बजट (वा.का.यो.ब.) की तैयारी

[11] (i) भिवानी, (ii) हिसार, (iii) करनाल, (ii) कुरूक्षेत्र, (v) रेवाड़ी तथा (vi) सिरसा।

[12] सरकारी स्कूल: 14,380, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल: 272, स्थानीय निकाय स्कूल: 5 तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूल: 57।

को महत्व देती है। यह योजना की बाटमअप अप्रोच पर विचार करती है क्योंकि यह जमीनी स्तर पर वास्तविकता को प्रतिबिंबित करती है तथा राज्य की विस्तृत स्थिति प्रस्तुत करती है।

तथापि, यह अवलोकित किया गया कि योजनाएं, स्कूल स्तर से डाटा प्राप्त करके या सही सर्वेक्षण करने के बाद सही ढंग से तैयार नहीं की जा रही थी। आगे, यह देखा गया कि ब्लॉक तथा जिला स्तरों पर मूल डाटा नहीं रखा गया था क्योंकि अवधि 2010-14 के लिए सिरसा तथा 2010-13 अवधि के लिए कुरूक्षेत्र में जि.प्रा.शि.अ. द्वारा वार्षिक कार्य-योजना तथा बजट तैयार नहीं किए गए थे। चयनित जिलों तथा ब्लॉकों में ड्रापआऊट बच्चों तथा उपस्थिति से संबंधित डाटा न तो जिला स्तर पर और न ही ब्लॉक स्तर पर मेंनटेन किया गया था।

आगे, विद्यार्थियों की संख्या तथा स्कूलों की संख्या से संबंधित डाटा, जिसके आधार पर वार्षिक कार्य-योजना तथा बजट तैयार किए गए थे, संदेहास्पद था क्योंकि प्रा.शि.वि. द्वारा अनुरक्षित डाटा, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् (ह.स्कू.शि.प.प.) एस.एस.ए. के लिए कार्यान्वयन एजेंसी ***(परिशिष्ट 2.6)*** द्वारा तैयार यह डाटा के साथ मैच नहीं कर रहा था। जब तक, एक प्रमाणित डाटा सेट के लिए दो डाटा सेट का मिलान नहीं किया जाता है, यह अनिश्चित है कि संसाधनों (खाद्यान्नों तथा कुकिंग की लागत) का आबंटन उचित लाभग्राहियों को लाभ प्रदान करने के लिए सही ढंग से किया जा रहा था।

प्रत्येक स्कूल में किचन-कम-स्टोर (के.सी.एस.) के निर्माण का प्रावधान था। यह अवलोकित किया गया कि स्कूलों में के.सी.एस. के निर्माण की आवश्यकता से संबंधित सही सर्वेक्षण नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ की निधियां 64 स्कूलों को जारी कर दी गई थी जिनके पास पहले से ही के.सी.एस. थे जैसाकि अनुच्छेद 2.2.8.13 में चर्चित है। यदि सही सर्वेक्षण किया गया होता तो निधियां केवल उन्हीं स्कूलों को आबंटित की जाती जहां पर आवश्यकता थी। 3,822 स्कूल ऐसे थे जहां के.सी.एस. के निर्माण के लिए निधियां अपेक्षित थी लेकिन निधियां जारी नहीं की गई थी जैसाकि अनुच्छेद 2.2.8.11 में चर्चित है।

निदेशक ने बताया (फरवरी/अक्तूबर 2015) कि आदर्शत: योजना बोटम-अप अप्रोच पर आधारित होनी चाहिए लेकिन क्योंकि 2013-14 से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.) द्वारा जिलावार डब्ल्यू.पी.बीज अपेक्षित नहीं थे, ये तैयार नहीं किए गए थे। जहां तक प्रा.शि.वि. तथा ह.स्कू.शि.प.प. के मध्य डाटा की भिन्नता संबंधित है यह सूचित किया गया कि अंतर प्रासंगिक डाटा प्राप्त करने की विभिन्न प्रणालियों के कारण था। विभाग भौतिक रूप से जिलों तथा ब्लॉकों से डाटा एकत्र करता है जबकि ह.स्कू.शि.प.प. सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू.डी.आई.एस.ई.) द्वारा अनुरक्षित डाटा पर निर्भर करता है। यह भी बताया गया कि विभाग ने सभी मुख्य गतिविधियों का डाटा कैप्चर करने के लिए एम.आई.एस. पोर्टल विकसित किया था। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान निदेशक ने आश्वासन दिया कि डाटा का मिलान तथा सुधार किया जाएगा।

2.2.7 वित्तीय प्रबंधन

2.2.7.1 निधिकरण पैटर्न

घटकों जैसा कि खाद्यान्न, परिवहन, प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन, किचन डिवाइसिस की 100 प्रतिशत लागत भारत सरकार (भा.स.) द्वारा वहन की गई थी तथा कुकिंग लागत,

कुकों-सह-हैल्परों को मानदेय, किचन-कम-स्टोरज के निर्माण जैसे घटकों के संबंध में लागत भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में शेयर की गई थी।

2.2.7.2 बजट प्रावधान तथा व्यय

2010-15 के दौरान बजट अनुमान तथा मिड डे मील्ज पर किए गए व्यय के विवरण तालिका-1 में दिए हैं।

तालिका 1: 2010-15 के दौरान किए गए व्यय तथा बजट प्रावधानों के विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-) के संबंध में बजट अनुमान (प्रतिशतता)
2010-11	194.46	194.46	209.65	(+) 15.19 (8)
2011-12	222.88	272.14	267.32	(+) 44.44 (20)
2012-13	309.65	305.97	231.98	(-) 77.67 (25)
2013-14	352.80	352.80	199.04	(-) 153.76 (44)
2014-15	249.50	315.10	228.29	(-) 21.21 (9)

स्रोतः बजट तथा विस्तृत विनियोजन लेखा के अनुसार।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, निधियां राज्य द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग नहीं की जा सकी थी तथा 2012-15 के दौरान बचतें 9 तथा 44 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी जो इस तथ्य का सूचक है कि बजट सही सर्वेक्षण करके तथा फील्ड कार्यालयों से फीडबैक के बाद वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

निदेशक ने बताया (अक्तूबर 2015) कि बजट पिछले वर्षों के नामांकन के आधार पर तैयार किया गया था। यह भी बताया गया कि भविष्य में बजट के अधिकतम प्रयोग के लिए विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा नामांकन के उपयुक्त डाटा पर आधारित बजट तैयार किया जाएगा।

2.2.7.3 भारत सरकार को सूचित न किए गए जि.प्रा.शि.अ. के पास अव्ययित शेष

प्रा.शि.वि. भारत सरकार को स्कीम के सभी घटकों के अव्ययित शेषों की जानकारी देता है। अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि विभाग, जि.प्रा.शि.अ. के पास पड़े शेषों को ध्यान में रखे बिना भारत सरकार को अव्ययित शेषों की सूचना दे रहा था। परिणामस्वरूप, जि.प्रा.शि.अ. के पास भारी निधियां जमा हो गई। अक्तूबर 2012 के आदेशानुसार नौ जि.प्रा.शि.अ. ने निदेशालय के पास सितंबर 2012 तथा दिसंबर 2012 के मध्य ₹ 21.49[13] करोड़ जमा करवाए। मई 2015 तक भी राशि अव्ययित रही। आगे, आठ जि.प्रा.शि.अ. के पास ₹ 9.83[14] करोड़ की राशि अव्ययित पड़ी थी (मई 2015)।

[13] (i) अंबाला: ₹ 1.68 करोड़, (ii) फरीदाबाद: ₹ 7.43 करोड़, (iii) फतेहाबाद: ₹ 0.10 करोड़, (iv) गुड़गांव: ₹ 2.09 करोड़, (v) हिसार: ₹ 1.72 करोड़, (vi) झज्जर: ₹ 1.87 करोड़, (vii) कुरूक्षेत्र: ₹ 1.63 करोड़, (viii) मेवात: ₹ 3.64 करोड़ तथा (ix) सोनीपत: ₹ 1.33 करोड़।

[14] (i) भिवानी: ₹ 0.53 करोड़, (ii) हिसार: ₹ 1.74 करोड़, (iii) जींद: ₹ 5.24 करोड़ (iv) कैथल: ₹ 0.73 करोड़, (v) करनाल: ₹ 0.01 करोड़, (vi) नारनौल: ₹ 0.15 करोड़, (vii) रेवाड़ी: ₹ 0.36 करोड़ तथा (viii) सिरसा: ₹ 1.07 करोड़।

उपर्युक्त के अलावा, निदेशालय के आदेश अनुसार राज्य प्राप्ति शीर्ष के अंतर्गत ट्रेजरी में 13 जि.प्रा.शि.अ. द्वारा बचत बैंक खातों पर अर्जित ब्याज की ₹ 5.29[15] करोड़ की राशि जमा करवाई गई थी जबकि ₹ 0.65 करोड़ का ब्याज चार[16] जि.प्रा.शि.अ. के बैंक खातों में पड़ा था। स्कीम की निधियों पर अर्जित ब्याज को भारत सरकार द्वारा भावी निर्मुक्तियों के समायोजन के लिए अव्ययित शेषों के रूप में सूचित किया जाना अपेक्षित था लेकिन तात्कालिक मामलों में अर्जित ब्याज भारत सरकार को सूचित नहीं किया गया था।

इसी प्रकार की अभ्युक्ति पैरा 3.4.6.2 के अंतर्गत मार्च 2007 को समाप्ति वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) हरियाणा सरकार में भी की गई थी तथा लोक लेखा समिति ने अपनी 68वीं रिपोर्ट (2012-13) में अनुशंसा की कि विभाग को चूककर्त्ता अधिकारियों, जिन्होंने सारी निधियों को व्यय किया हुआ दिखाया था, के विरूद्ध कार्रवाई करनी चाहिए तथा समिति को सूचना के अंतर्गत जिम्मेदारी निर्धारित करनी चाहिए।

विभाग ने बताया (फरवरी 2015) कि फील्ड कार्यालयों को जारी की गई निधिया मिड डे मील्ज ब्रांच में प्रशिक्षित लेखा स्टाफ की कमी के कारण उपयोग की गई मानी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप निधियां संचित हो गई तथा इन अव्ययित शेषों पर जिले में ब्याज अर्जित हुआ। आगे, यह बताया गया (अक्तूबर 2015) कि विभाग इस तरह की अनियमितताओं से बचने के लिए निदेशालय, ह.स्कू.शि.प.प. तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लेखा स्टाफ के अधिकतम प्रयोग के लिए उनके विलय की योजना बना रहा था। तथापि, तथ्य यह रहता है कि फील्ड कार्यालयों के पास अव्ययित निधियां भावी निर्मुक्तियों में समायोजन के लिए भारत सरकार को सूचित नहीं की गई थी परिणामत: बैंक खातों में भारी निधियों का संचय हुआ।

2.2.7.4 कैश बुक तथा लैजर का अनुरक्षण न करना

पंजाब वित्तीय नियम (नियम 2.2) जैसा कि हरियाणा पर लागू है, आहरण तथा संवितरण अधिकारी से इसे स्वयं को संतुष्ट करने के लिए अपेक्षा करता है सभी धन संबंधी लेन-देन, जैसे ही होते हैं, कैश बुक में दर्ज किए जाते हैं तथा वे उसके द्वारा सत्यापित किए जाते हैं। आगे, भारत सरकार द्वारा जारी संस्वीकृतियों के अनुसार, स्कीम के प्रत्येक घटक के संबंध में अलग लेखे अनुरक्षित किए जाने थे तथा केन्द्रीय सहायता की राशि स्कीम के घटकों के मध्य विपथित या पुनर्विनियोजित नहीं किए जाने थे।

निदेशालय ने मिड डे मील्ज की निधियों के लिए अप्रैल 2010 से जून 2010 तथा 15 अगस्त 2012 से मार्च 2015 की अवधि के लिए कोई कैश बुक अनुरक्षित नहीं की थी। आगे, घटक-वार व्यय विवरणियां अनुरक्षित नहीं की गई थी। इसीलिए घटक-वार व्यय सत्यापित नहीं किए जा सके। कैश बुक 3 जून 2010 से 14 अगस्त 2012 तक की अवधि के लिए लिखी गई थी लेकिन आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं की गई थी।

[15] (i) भिवानी: ₹ 14.48 लाख, (ii) फतेहाबाद: ₹ 98.12 लाख, (iii) गुड़गांव: ₹ 39.35 लाख (iv) हिसार: ₹ 90.98 लाख, (v) करनाल: ₹ 53.29 लाख, (vi) कुरूक्षेत्र: ₹ 6.87 लाख, (vii) नारनौल: ₹ 35.21 लाख (viii) पंचकूला: ₹ 32.78 लाख, (ix) रेवाड़ी: ₹ 9.94 लाख, (x) रोहतक: ₹ 10.73 लाख, (xi) सिरसा: ₹ 37.56 लाख, (xii) सोनीपत: ₹ 37.52 लाख तथा (xiii) यमुनानगर: ₹ 62.56 लाख।

[16] (i) अंबाला: ₹ 21.57 लाख, (ii) कुरूक्षेत्र: ₹ 16.09 लाख, (iii) रेवाड़ी: ₹ 25.59 लाख तथा (iv) सिरसा: ₹ 2.21 लाख।

आगे, 14 अगस्त 2012 को बैंक पास बुक के अनुसार अंतिम शेष ₹ 175.42 करोड़ था जबकि कैश बुक के अनुसार यह ₹ 105.90 करोड़ था। चूंकि कैश बुक तथा बैंक पास बुक में अंतर का मिलान नहीं किया गया था (अक्तूबर 2015) निधियों का दुरूपयोग, यदि कोई है, का पता लगाने के अवसर सुदूर थे जिससे निधियों के दुरूपयोग के लिए प्रणाली प्रेरक बन गई।

शिक्षा का अधिकार तथा मिड डे मील्ज स्कीम के लेन-देन एक सिंगल बैंक अकाउंट (एक्सिस बैंक) द्वारा किए गए थे, जिसमें से मिड डे मील्ज से संबंधित लेन-देन, अकाउंटिंग रिकार्डस यानि कैश बुक तथा लैजर की अनुपस्थिति में, पहचाने नहीं जा सके।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि निदेशालय की शिक्षा का अधिकार शाखा ने वित्त विभाग के अनुमोदन से बैंक खाता शेयर किया था। आगे यह बताया गया कि मिड डे मील्ज शाखा में लेखाओं में योग्यता प्राप्त कार्मिकों की अनुपलब्धता के कारण पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं किए जा सके तथा संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे, एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान निदेशक द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि अकाउंटिंग रिकार्ड को पूर्ण कर लिया जाएगा तथा बैंक खातों के साथ मिलान किया जाएगा।

2.2.7.5 ब्याज की हानि

विभाग ने निविदाएं आमंत्रित किए बिना तथा यह मानते हुए कि बोर्ड एक अनुमोदित सोर्स था ₹ 775 प्रति मशीन की दर पर 9,268 तोलन मशीन के लिए हरियाणा खादी तथा ग्रामीण उद्योग बोर्ड (बोर्ड) को आपूर्ति आदेश दिए (मार्च 2007) विभाग ने बोर्ड के पक्ष में ₹ 71.83 लाख का डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया (मार्च 2007)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि तोलन मशीनों की खरीद के लिए बोर्ड अनुमोदित सोर्स नहीं था। खरीद नहीं की जा सकी तथा यह मामला कि बोर्ड एक अनुमोदित स्रोत था, बोर्ड तथा विभाग के बीच पत्र व्यवहार के अंतर्गत रहा।

तद्नुसार, स्कीम मार्ग निर्देश संशोधित किए गए (जून 2010) जिनके अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.) के अंतर्गत समान प्रावधान की उपलब्धता के कारण तोलन मशीनों पर व्यय करना वर्जित किया गया था। तद्नुसार, विभाग ने तोलन मशीनों की खरीद का विचार छोड़ दिया (सितंबर 2010)। आदेश देने के साढ़े छः वर्ष की अवधि के बाद ड्राफ्ट रद्द कर दिया गया तथा राशि मिड डे मील्ज बैंक अकाउंट में केवल सितंबर 2013 में जमा करवाई गई। इस प्रकार, बैंक ड्राफ्ट के रद्द करने में देरी के साथ-साथ मशीनों की खरीद में विभाग की विफलता के कारण ₹ 71.83 लाख साढ़े छः बर्षों के लिए सरकारी खातों के बाहर रहे। ₹ 32.68 लाख[17] के ब्याज की हानि के अतिरिक्त स्कीम का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग ने बताया (फरवरी 2015) कि आपूर्ति आदेश रद्द कर दिया गया था क्योंकि बोर्ड एक अनुमोदित स्रोत नहीं था। ड्राफ्ट के रद्द करने में देरी की चूक के लिए जिम्मेदार अधीक्षक को चार्जशीट कर दिया गया था पदोन्नति छः महीनों के लिए रोक दी गई थी तथा भविष्य में सचेत रहने की भी चेतावनी दी थी।

इस प्रकार, तथ्य यह रहता है कि विभाग ने खरीद आदेश देने से पहले सुनिश्चित नहीं किया था कि बोर्ड एक अनुमोदित स्रोत था तथा ₹ 71.83 लाख की निधियां साढ़े छः वर्षों के लिए

[17] सरकारी उधारों में लागू 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर परिकलित।

सरकारी खाते से बाहर रही। आगे, प्रशासनिक प्रक्रियाओं की संवीक्षा ने यह भी दर्शाया कि जब, संबंधित अधीक्षक को चेतावनी दी गई थी उसकी पदोन्नति रोकी नहीं गई थी। निदेशक ने बताया (अक्तूबर 2015) कि मामले की नए सिरे से जांच की जाएगी तथा उचित कार्रवाई की जाएगी।

2.2.7.6 परिवहन लागत

स्कीम मार्गनिर्देशों के पैरा 2.3 (ii) (बी) के अनुसार, भारत सरकार द्वारा ₹ 75 प्रति क्विंटल की अधिकतम दर के अनुसार, स्कूलों के निकटतम भा.खा.नि. गोदाम से स्कूलों तक खाद्यान्नों के परिवहन की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति की जानी थी।

खाद्यान्न भा.खा.नि. गोदाम से स्कूलों तक, हरियाणा राज्य उपभोक्ता कॉपरेटिव संघ थोक स्टोर लिमिटेड (कॉनफेड) तथा हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति तथा मार्केटिंग संघ (हैफेड) द्वारा पहुंचाए गए थे। क्यू.पी.आरज तथा निदेशालय द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत उपयोग प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 2,00,459.70 मीट्रिक टन खाद्यान्न 2010-15 के दौरान कॉनफेड/हैफेड द्वारा भा.खा.नि. के गोदाम से उठाया गया था तथा कवर की गई दूरी पर आधारित वास्तविक परिवहन लागत की बजाय ₹ 75 प्रति क्विंटल की अधिकतम दर पर ₹ 15.03 करोड़ के भुगतान किए गए।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि भविष्य में दर तर्कसंगत की जाएगी। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, निदेशक ने बताया की तय की गई दूरी के विभिन्न स्लैब बनाए जाएंगे यानि 0-10 किलोमीटर, 11-20 किलोमीटर, 21-30 किलोमीटर तथा इस तरह जारी दरें इन स्लैबों के अनुसार निश्चित की जाएगी।

2.2.8 कार्यक्रम कार्यान्वयन

2.2.8.1 मिड डे मील्ज के अंतर्गत विद्यार्थियों का कवरेज

मिड डे मील्ज के अंतर्गत आवृत विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में विद्यार्थियों के नामांकन की स्थिति तालिका 2 में दी गई है।

तालिका 2: स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन तथा संख्या के विवरण

वर्ष	सरकारी स्कूल	सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल	ए.आई.ई. केंद्र	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	स्थानीय निकाय स्कूल	कुल नामांकन	आवृत्त बच्चों की संख्या	कवरेज की प्रतिशतता
2010-11	*	*	00	6,405	00	22,30,970	22,14,790	99
2011-12	21,17,808	55,868	7,909	4,920	916	21,87,421	21,43,672	98
2012-13	20,81,760	46,911	3,337	8,191	840	21,41,039	20,88,995	98
2013-14	19,78,128	47,133	17	7,629	871	20,33,778	19,72,536	97
2014-15	20,08,285	48,976	00	5,407	752	20,63,420	19,60,264	95

स्रोत: निदेशालय द्वारा प्रस्तुत डाटा।

* **अभिलेख में अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं। तथापि विभाग ने 2010-11 के लिए कुल नामांकन के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।**

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, स्कीम के अंतर्गत विद्यार्थियों का कवरेज 2010-15 के दौरान घटकर 99 से 95 प्रतिशत हो गया था। सिरसा ने 2010-15 के दौरान जिले में स्कूलों के शत-प्रतिशत कवरेज दर्शाए थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय (रा.क.प्रा.वि.) छत्रगढ़पति (सिरसा) 16 महीनों (अगस्त 2009 से

जनवरी 2011 तक) से स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार, जि.प्रा.शि.अ., सिरसा ने तथ्यों की गलत सूचना दी।

निदेशक ने बताया (अक्तूबर 2015) कि अनुमानित जनसंख्या घट रही थी तथा प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही थी। रा.क.प्रा.वि., छत्रगढ़पति को 16 महीनों से शामिल न किए जाने के संबंध में, एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान यह बताया गया कि इस स्कूल के शामिल न किए जाने के लिए एक जांच की जाएगी।

2.2.8.2 आबंटन की तुलना में खाद्यान्नों का कम उठाना

स्कीम मार्गनिर्देशों {पैरा 5.1 (9)} के अनुसार राज्य नोडल विभाग द्वारा, पिछले वर्षों के ई.जी.एस./ए.आई.ई. केन्द्रों तथा योग्य प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों के नामांकन डाटा पर आधारित खाद्यान्नों के आबंटन के लिए आवेदन प्रत्येक वर्ष जनवरी/फरवरी तक मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना था। स्कीम में, उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए प्रति स्कूल दिन प्रति बालक 150 ग्राम तथा प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए प्रति स्कूल, प्रति बालक 100 ग्राम भारत सरकार द्वारा, मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति का प्रावधान है। आवेदन के आधार पर, मंत्रालय ने राज्य को खाद्यान्न आबंटित किया।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि विभाग ने 2,83,396.76 मीट्रिक टन ***(परिशिष्ट 2.7)*** के आबंटन के विरूद्ध 2,00,459.71 मीट्रिक टन खाद्यान्न उठाया। 2010 – 15 के दौरान, खाद्यान्नों के उठाने में भारी कमी 21 तथा 44 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी। नमूना – जांच किए गए जिलों में आबंटन के विरूद्ध खाद्यान्नों को उठाने की प्रतिशतता 67 तथा 80 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी। खाद्यान्नों का कम उठाना इंगित करता है कि विद्यार्थियों की बड़ी संख्या या तो खाना नहीं ले रहे थे या मानकों के अनुसार पूरी मात्रा में खाना नहीं खा रहे थे। आगे, नमूना – जांच किए गए स्कूलों में खाद्यान्नों के उठाने या वितरण के अभिलेखों ने दर्शाया कि 180 चयनित स्कूलों में से कुरूक्षेत्र जिले के 24 स्कूलों में एक गैर – सरकारी संगठन द्वारा पका हुआ खाना दिया जा रहा था। शेष 156 स्कूलों में से 149[18] स्कूलों में मानकों के अनुसार खाद्यान्न प्रदान नहीं किए गए थे। इन 149 स्कूलों में से 88[19] स्कूलों में 25 प्रतिशत से ज्यादा खाद्यान्नों की कमी थी। नमूना – जांच किए गए स्कूलों में खाद्यान्न मांग तथा वास्तव में प्रदान किए गए के विवरण ***परिशिष्ट 2.8*** में दिए गए हैं, जिसमें कम प्रावधान 21 तथा 38 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित दिखाया गया। खाद्यान्न की कमी के कारण, 156[20] चयनित स्कूलों में से 95 स्कूलों में मिड डे मील्ज की कुकिंग विघटित थी। विघटन 10 स्कूलों में 200 दिनों से ज्यादा था जबकि एक स्कूल (यानि रा.क.मि.वि. बावल) में यह 392 दिनों की सीमा तक था।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि खाद्यान्नों का आबंटन भारत सरकार द्वारा पिछले वर्ष के नामांकन के आधार पर किया गया था। नामांकन के विरूद्ध कम उपस्थिति के अतिरिक्त पिछले पांच वर्षों में घटते नामांकन ने उच्चतर आबंटन में योगदान दिया। मिड डे मील्ज के विघटन के संबंध में, यह बताया गया था कि एक जांच करवाई जाएगी। उत्तर केवल घटते नामांकन तथा

[18] भिवानी: 27, हिसार: 30, करनाल: 30, कुरूक्षेत्र: 6, रेवाड़ी: 27 तथा सिरसा: 29

[19] भिवानी: 16, हिसार: 22, करनाल: 20, कुरूक्षेत्र: 2, रेवाड़ी: 12 तथा सिरसा: 16

[20] 180 चयनित स्कूलों में से, 24 स्कूलों में इस्कान द्वारा मिड डे मील्ज दिया गया था।

कम उपस्थिति की समस्या को दर्शाता है। तथापि, विभाग द्वारा आबंटन के लिए आदेश देते समय ये घटक ध्यान में रखे जाने चाहिए थे।

2.2.8.3 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों को मिड डे मील्ज प्रदान न करना

2006 के मार्गनिर्देशों का पैरा 2.2.2, स्कीम के अंतर्गत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को भी शामिल करने पर विचार करता है। नमूना-जांच किए गए जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 2010-15 के दौरान चार जिलों[21] में 56 स्कूलों में से 29 से 32 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को मिड डे मील्ज नहीं दिया गया था। जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 5,000 से अधिक विद्यार्थी स्कीम के लाभों से वंचित रहे। तथापि, हिसार तथा सिरसा जिलों के जि.प्रा.शि.अ. ने मिड डे मील्ज स्कीम के अंतर्गत विद्यार्थियों के कवरेज की गलत रिर्पोटिंग सूचित करत हुए योग्य स्कूलों तथा विद्यार्थियों के शत-प्रतिशत कवरेज दिखाया है।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान निदेशक ने बताया कि संबंधित जि.प्रा.शि.अ. ने व्यक्त किया था कि इन स्कूलों के विद्यार्थियों तथा माता-पिता ने मिड डे मील्ज लेने से मना कर दिया था। निदेशक ने आगे उत्तर दिया (अक्तूबर 2015) कि तथापि, संबंधित जि.प्रा.शि.अ. को भारत सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार मिड डे मील्ज प्रदान करने के निदेश दिए गए थे, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

2.2.8.4 कुरूक्षेत्र जिले में इस्कॉन द्वारा कुक्ड खाने का प्रावधान

स्कीम मार्गनिर्देशों 2006 के अनुच्छेद 3.6 में प्रावधान है कि कुक्ड मिड डे मील की कुकिंग/आपूर्ति की जिम्मेदारी किसी स्वयंसेवी संगठन को सौंपी जाए। मिड डे मील्ज स्कूल परिसरों में स्थानीय तौर पर बनाया जाना था। संशोधित (सितंबर 2010) मार्गनिर्देशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में जहां स्पेस अवरोध हो, वहां स्कूलों के समूह के लिए एक केंद्रीयकृत रसोई बनाई जाए तथा पकाया हुआ गर्म खाना विभिन्न स्कूलों को एक विश्वसनीय परिवहन प्रणाली द्वारा स्वास्थ्यकर स्थितियों के अंतर्गत भेजा जाए।

मिड डे मील्ज की आपूर्ति का कार्य फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़ के ब्लॉकों में पायलट आधार पर इस्कॉन फूड रिलीफ फाऊंडेशन को सौंपा गया था (सितंबर 2006)। इसका कार्य क्षेत्र कुरूक्षेत्र जिले के थानेसर ब्लॉक तक बढ़ा दिया गया था तथा आगे कुरूक्षेत्र जिले के पेहोवा तथा लाडवा ब्लॉक तक बढ़ा दिया गया था (जुलाई 2010)। अनुबंध समय-समय पर, अंततम अप्रैल 2013 से मार्च 2016 तक, इस्कॉन के साथ किया गया था। जि.प्रा.शि.अ., कुरूक्षेत्र के अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्नलिखित दर्शाया:

- **खाद्यान्नों का अधिक उठाना तथा पूर्ण रूप से प्रयुक्त दिखाना**

खाद्यान्नों को जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों (जि.प्रा.शि.अ.) के अनुरोध के आधार पर भा.खा.नि. के डीवीजनल कार्यालय द्वारा जारी निर्मुक्ति आदेशों के आधार पर भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) से इस्कॉन द्वारा उठाए जाते हैं। इस्कॉन द्वारा विद्यार्थियों को दिए गए खाने की संख्या के संदर्भ के साथ खाद्यान्नों की खपत ध्यान में रखने के बाद जि.प्रा.शि.अ. द्वारा अनुरोध

[21] (i) भिवानी, (ii) हिसार, (iii) करनाल तथा (iv) सिरसा।

किया जाना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि जि.प्रा.शि.अ., कुरूक्षेत्र ने उठाए गए खाद्यान्नों के उपभोग को विद्यार्थियों को दिए जाने वाले खाने के संख्या के संदर्भ के साथ कभी तुलना नहीं की थी। इस्कॉन ने, भा.खा.नि. से 2012-15 के दौरान 43,293 क्विंटल खाद्यान्न उठाए थे जबकि इसके द्वारा दिए गए खाने की संख्या के संदर्भ में केवल 37,532 क्विंटल खाद्यान्न अपेक्षित था।

जि.प्रा.शि.अ., कुरूक्षेत्र द्वारा खाने की संख्या के संदर्भ के साथ सत्यापित किए बिना भा.खा.नि. के डिविजनल कार्यालय से खाद्यान्नों की निर्मुक्ति आदेश के लिए अनुरोध करने के कारण, इस्कॉन ने आधिक्य में ₹ 1.23[22] करोड़ मूल्य के 5,761 क्विंटल खाद्यान्न उठाए थे तथा सारी मात्रा को उपभोग किया हुआ दिखाते हुए उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए थे। इस प्रकार, खाद्यान्नों की निर्मुक्ति पर विभाग के अपर्याप्त नियंत्रण के परिणामस्वरूप खाद्यान्न अधिक उठाए गए।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान निदेशक ने आश्वासन दिया कि संबंधित जि.प्रा.शि.अ. को खाद्यान्नों के लिए निर्मुक्ति आदेश जारी करने से पहले खाद्यान्नों की वास्तविक खपत सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दे दिए जाएंगे।

- **स्कीम के कार्यान्वयन में अन्य कमियां**

(i) अनुबंध (मई 2010) के अनुसार, इस्कॉन द्वारा मध्यावकाश समय के दौरान, पका हुआ गर्म खाना आपूरित किया जाना था। इसने 22 फूड-वैनों की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों सहित 567 स्कूल शामिल किए। एक फूड वैन ने रास्ते में 25 से ज्यादा स्कूल शामिल किए तथा कुछ वैनों ने अंतिम स्कूल को खाना देने से पहले 50 कि.मी. से ज्यादा की यात्रा की। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 8 स्कूलों में मध्यावकाश से 3 घंटे से भी ज्यादा समय पहले मिड डे मील्ज डिलीवर किया था जबकि 11 स्कूलों में यह मध्यावकाश से पहले 1.5 तथा 3 घंटे के बीच डिलीवर किया गया था। इन स्कूलों में खाने को गर्म करने का कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार, इन विद्यार्थियों को गर्म खाना नहीं परोसा गया था। आगे, केंद्रीयकृत रसोई द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्ड खाना प्रदान करना स्कीम के मार्गनिर्देशों के विरूद्ध था क्योंकि संशोधित मार्गनिर्देशों 2010 के अनुसार खाने को स्कूल परिसर में ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया जाना अपेक्षित था।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि गैर-सरकारी संगठन को फूड वैनों की संख्या बढ़ाने तथा स्कूलों में ईंधन का प्रावधान करने के निर्देश दे दिए जाएंगे।

(ii) लेखापरीक्षा ने चयनित स्कूलों में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों से फीड-बैक लिया। 24 चयनित स्कूलों में से केवल 6 (25 प्रतिशत) स्कूलों में खाने की गुणवत्ता पर अध्यापकों का फीड बैंक सकारात्मक था। आठ उच्च प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों का फीड बैक लिया गया था, यह केवल दो स्कूलों में सकारात्मक था तथा छः स्कूलों में 78 विद्यार्थियों द्वारा नकारात्मक टिपपणियां दी गई। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि फीड बैक को ध्यान में रखा जाएगा तथा जहां भी आवश्यकता होगी सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

[22] भा.खा.नि. की विभिन्न वर्षों की आर्थिक लागत के आधार पर मूल्य परिकलित किया गया है।

(iii) 328 विद्यार्थियों की वर्तमान संख्या वाले पेहोवा (3) तथा थानेसर (1) में चार स्कूलों में जुलाई 2011 से मिड डे मील्ज लेने से मना कर दिया था। विभाग ने इन स्कूलों के विद्यार्थियों को मिड डे मील्ज प्रदान करने के लिए कोई वैकल्पिक प्रबंध नहीं किया था। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान निदेशक ने आश्वासन दिया कि मिड डे मील्ज जल्द ही परोसना शुरू कर दिया जाएगा।

(iv) एग्रीमेंट के अनुसार, भोजन की गुणवत्ता तथा पोषणीय गुण सुनिश्चित करने के लिए मनोनीत डाक्टरों/आहार-विशेषज्ञों/राज्य सरकार के अधिकारियों/स्कूल के प्रधान द्वारा कुक्ड भोजन के नमूने लिए जाने थे। केन्द्रीय रसोई कुरूक्षेत्र से परोसे गए भोजन की गुणवत्ता तथा पोषणीय गुण सुनिश्चित करने के लिए कोई नमूने नहीं लिए गए थे। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि प्रमाणित प्रयोगशालाओं से खाने के नमूनों की जांच के लिए संबंधित जि.प्रा.शि.अ. को निदेश जारी कर दिए गए थे।

(v) मिड डे मील्ज प्रदान करने में लगे हुए गैर-सरकारी संगठनों का निष्पादन, मूल्यांकन की एक विश्वसनीय प्रणाली द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकित किया जाना आवश्यक था तथा अनुबंध का नवीकरण उनके निष्पादन पर निर्भर होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि निष्पादन मूल्यांकन की कोई विश्वसनीय प्रणाली मौजूद में नहीं थी तथा निष्पादन के मूल्यांकन के बिना अनुबंधों का नवीकरण कर दिया गया था। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि गैर-सरकारी संगठनों के साथ अनुबंध का विस्तृत अध्ययन करके उनके निष्पादन का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करने के बाद नवीकरण किया जाएगा।

2.2.8.5 खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच

भारत सरकार ने जुलाई 2013 में सभी राज्य सरकारों को बच्चों को गुणवत्ता भोजन सुनिश्चित करने के लिए मिड डे मील्ज के नमूने जांच करने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान परिषद/राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रमाणन बोर्ड, मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को लगाने के मार्गनिर्देश जारी किए।

यह अवलोकित किया गया कि राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को दिए गए खाने की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रयोगशालाओं को लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। इस प्रकार, भोजन की गुणवत्ता के इस महत्वपूर्ण पहलू पर सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए विचार नहीं किया गया था। निदेशक ने बताया (अक्तूबर 2015) कि सभी जि.प्रा.शि.अ. को, विद्यार्थियों को गुणवत्ता भोजन सुनिश्चित करने के लिए कुक्ड मिड डे मील्ज के सैंपल जांच करने के लिए, सितंबर 2013 तथा जुलाई 2015 में निर्देश जारी कर दिए गए थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि जि.प्रा.शि.अ. द्वारा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की गई थी।

2.2.8.6 उचित औसत गुणवत्ता सुनिश्चित किए बिना खाद्यान्नों की आपूर्ति

स्कीम मार्गनिर्देशों के पैरा 3.7 के अनुसार, भा.खा.नि. द्वारा उत्तम उपलब्ध गुणवत्ता के खाद्यान्न जारी किए जाने थे, जो किसी भी मामले में कम से कम उचित औसत गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) का हो। जिला कलैक्टर द्वारा एक टीम, जिसमें भा.खा.नि. प्रतिनिधि तथा जिलाधीश के एक प्रतिनिधि मनोनीत हो, द्वारा संयुक्त निरीक्षण द्वारा सुनिश्चित करना था कि भा.खा.नि. द्वारा कम से कम एफ.ए.क्यू. का खाद्यान्न जारी किया गया था। यह भी निर्णय लिया गया (फरवरी 2010) कि उठाए गए खाद्यान्नों का नमूना (तीन प्रतियों में) राज्य सरकार (जि.प्रा.शि.अ. कार्यालय) तथा भा.खा.नि. के प्रतिनिधि की उपस्थिति में संयुक्त रूप से लिया जाएगा तथा तीन नमूना पर्ची (एक जि.प्रा.शि.अ. कार्यालय के लिए, दूसरी भा.खा.नि. जिला कार्यालय के लिए तथा तीसरी डिपो

के लिए) संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित की जाएगी तथा नमूना बंद कर दिए जाएंगे। इन नमूनों को भा.खा.नि. से प्राप्त खाद्यान्नों की गुणवत्ता के प्रमाण के रूप में तीन महीने के लिए रखे जाने थे तथा इस अवधि के दौरान शिकायत, यदि कोई है, की सत्यता को सुनिश्चित करने में प्रयोग किए जाने थे।

यह अवलोकित किया गया कि करनाल, भिवानी तथा रेवाड़ी जिलों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था लेकिन हिसार, कुरूक्षेत्र तथा सिरसा जिलों में भा.खा.नि. द्वारा एफ.ए.क्यू. की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पालन नहीं किया गया था।

निदेशक ने बताया (अक्तूबर 2015) कि संबंधित जि.प्रा.शि.अ. को एफ.ए.क्यू. सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए दोबारा निदेश दे दिए गए थे।

2.2.8.7 स्वास्थ्य कार्यक्रमों का अनुचित कार्यान्वयन

(i) स्कीम का उद्देश्य प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को पोषण प्रदान करना था। स्थानीय क्षेत्र में पाई गई कॉमन कमियों पर निर्भर करते हुए विद्यार्थियों को छ:माही कृमिनाशक खुराक तथा विटामिन-ए स्पलीमेंट, साप्ताहिक आयरन तथा फोलिक एसिड स्पलीमेंट, जिंक तथा अन्य यथोचित स्पलीमेंट प्रदान किए जाने थे।

2010-15 की अवधि के लिए निदेशालय द्वारा भारत सरकार को भेजे गए क्यू.पी.आरज की संवीक्षा ने दर्शाया कि विभाग ने 2010-14 के दौरान विद्यार्थियों को निर्धारित माइक्रोन्यूटरन्ट तथा कृमिनाशक दवाईयां प्रदान नहीं की थी, सिवाय 2011-12 की अंतिम तिमाही में, जिसके दौरान 15,596 स्कूलों में से, 7,795 स्कूलों ने विद्यार्थियों को माइक्रोन्यूटरन्ट दिए थे। आगे, 14,714 स्कूलों में से, 2014-15 के दौरान विद्यार्थियों को माइक्रोन्यूटरन्ट प्रदान करने के लिए प्रति तिमाही औसतन 2,583 स्कूल आवृत किए गए थे।

(ii) स्कीम मार्गनिर्देशों का पैरा 5.1 (8) (i) स्कूलों में आवधिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान करता है। तथापि, यह अवलोकित किया गया था कि बच्चों में पोषणीय स्तर जांचने के लिए नियमित तौर पर चयनित स्कूलों में स्वास्थ्य चैकअप कैम्प आयोजित नहीं किए गए थे। विवरण तालिका 3 में दिए गए हैं।

तालिका 3: स्कूलों में आयोजित स्वास्थ्य जांच कैम्प के विवरण

जिले का नाम	कभी आयोजित नहीं किए गए	प्रतिवर्ष आयोजित किए गए	बीच-बीच में आयोजित किए गए
भिवानी	7	3	20
हिसार	9	6	15
करनाल	3	9	18
कुरूक्षेत्र	1	13	16
रेवाड़ी	3	14	13
सिरसा	1	7	22
कुल	**24**	**52**	**104**

स्रोत: संबंधित स्कूलों द्वारा प्रदत्त डाटा।

आगे, डाटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि स्वास्थ्य जांच कैम्पों में जांच किए गए 31,549 विद्यार्थियों में से 1,468 विद्यार्थियों में खून की कमी पाई गई थी या पर्याप्त पोषण की

कमी के कारण अन्य कमियों से पीड़ित थे तथा 382 विद्यार्थी कम वजन के थे। अनीमिक तथा अंडरवेट विद्यार्थियों के अनुवर्तन के लिए मार्गनिर्देशों में कोई प्रावधान नहीं था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान निदेशक ने बताया कि गतिविधि स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। उसने यह भी सूचित किया कि एक नई गतिविधि 'खाद्य सुदृढ़ीकरण' पायलट आधार पर अंबाला जिले में कार्यान्वित की जा रही है।

2.2.8.8 खाद्य, कुकिंग लागत आदि के संशोधित मानदण्डों का विलंबित कार्यान्वयन

भारत सरकार ने तेल तथा वसा की मात्रा कम करके तथा दालों, सब्जियों की मात्रा बढ़ाकर उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए खाद्य मानदण्ड संशोधित (दिसंबर 2009 से प्रभावी) किए। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक वर्गों के लिए कुकिंग लागत (श्रम तथा प्रशासनिक प्रभारों को निकालकर) भी बढ़ा दी गई थी। कुकिंग लागत के लिए अभिप्रेत राशि में से निकाली गई ₹ 0.40 प्रति भोजन की बजाए ₹ 1000 प्रति मास की दर पर कुक-कम-हैल्पर को मानदेय के भुगतान के लिए अलग प्रावधान भी किए गए थे। तद्नुसार, भारत सरकार ने ₹ 3.41 करोड़ राशि का केन्द्रीय हिस्सा कुकों के मानदेय के लिए निर्मुक्त किया।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि निदेशालय ने केवल मार्च 2010 में सभी जि.प्रा.शि.अ. को संशोधित मानदण्ड व्यक्त किए थे। चयनित स्कूलों में यह अवलोकित किया गया था कि विभिन्न स्कूलों ने अप्रैल 2010 तथा दिसंबर 2011 की अवधि के बीच संशोधित मानदण्डों लागू कर दिए थे। इस प्रकार, केन्द्रीय हिस्से की उपलब्धता के बावजूद संशोधित मानदण्ड मानीटरिंग की ढिलाई तथा कमी के कारण लागू नहीं किए गए थे। आगे, कुकों के मानदेय के लिए वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 3.41 करोड़ का केन्द्रीय हिस्सा भी आहरित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, विद्यार्थियों को संशोधित मानदण्डों में प्रदान किए गए अतिरिक्त लाभों से वंचित रखा गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान निदेशक ने बताया कि यह राज्य राजकोष को हानि थी तथा विलंब विभिन्न स्तरों पर संशोधित मानदण्डों के निर्देशों की विलंबित सूचना को आरोपित किया।

2.2.8.9 स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण

शिक्षा तथा ग्रामीण विकास विभागों के मध्य हुई (फरवरी 2010) बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बने स्वयं सहायता समूह (स्व.स.स.) स्कीम के कार्यान्वयन में शामिल किए जाने थे। स्कीम के संशोधित मानदण्डों को बताते हुए (मार्च 2010) निदेशालय ने बताया कि मिड डे मील्ज की तैयारी तथा वितरण का कार्य अप्रैल 2010 से स्वयं सहायता समूह (महिला) द्वारा ले लिया जाएगा। जिम्मेदारी सुपुर्द करने से पहले स्व.स.स. को खाद्य पोषण, स्वास्थ्य विज्ञान तथा अभिलेखों के रखरखाव के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि स्व.स.स. को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ₹ 93[23] लाख की एक राशि मई 2010 तथा मई 2013 के मध्य जिलों को निर्मुक्त की गई थी।

[23] मई 2010 ₹ 9 लाख, मार्च 2011: ₹ 42 लाख तथा मई 2013: ₹ 42 लाख।

इसमें से केवल ₹ 35.06 लाख मई 2015 तक व्यय की गई थी। आगे, यह अवलोकित किया गया कि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई थी तथा यहां तक कि प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किए गए थे। प्रशिक्षित स्व.स.स. की संख्या के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी। आगे, निदेशालय के पास यह सूचना उपलब्ध नहीं थी कि राज्य में कितने स्कूलों में मिड डे मील्ज की तैयारी तथा वितरण का कार्य स्व.स.स. को सुपुर्द कर दिया गया है। इस प्रकार, सही योजना की अनुपस्थिति में, स्व.स.स. को सही ढंग से प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका था।

निदेशक ने सूचित किया (अक्तूबर 2015) कि प्रशिक्षण के लिए निर्मुक्त किए गए ₹ 93 लाख में से, ₹ 64.63 लाख प्रयोग किए जा चुके थे तथा विभाग ने स्व.स.स. के प्रशिक्षण के लिए जिलावार कार्यशालाओं का आयोजन शुरू कर दिया था।

रसोई – सह – स्टोरों का निर्माण

2.2.8.10 रसोई – सह – स्टोरों की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति

स्कीम मार्गनिर्देशों {2006 का पैरा संख्या 2.3 (v)} के अनुसार, स्कूलों में कुकिंग की सुविधा के लिए प्रत्येक स्कूल में रसोई - सह - स्टोर (के.सी.एस.) निर्मित किए जाने थे ताकि ताजा एवं गर्म पका हुआ खाना बच्चों को परोसा जा सके।

के.सी.एस. का निर्माण कार्य संशोधित मिड डे मील्ज स्कीम 2006 के कार्यान्वयन से हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (ह.स्कू.शि.प.प.) द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। के.सी.एस. की वर्षवार संस्वीकृति की स्थिति, ह.स्कू.शि.प.प. को जारी की गई राशि तथा सितंबर 2015 तक निर्माण की स्थिति तालिका 4 में दिए अनुसार थी।

तालिका 4: रसोई – सह – स्टोर की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संस्वीकृत के.सी.एस. की संख्या	ह.स्कू.शि.प.प. को जारी की गई राशि	ह.स्कू.शि.प.प. को राशि जारी करने की तिथि	के.सी.एस. की संख्या			खर्च की गई राशि	शेष राशि
				पूर्ण किए गए	प्रगति में	आरंभ नहीं किए गए		
2006-07	1,849	11.10	22 मार्च 2007	1,509	193	147	15.91	(-) 4.81
2006-07	1,336	8.02	31 मार्च 2007	497	00	839	8.62	(-) 0.60
2007-08	873	5.24	14 मार्च 2009	821	20	32	10.69	(-) 0.22
		5.23	22 मार्च 2010					
2009-10	4,383	72.08	07 अप्रैल 2010	3,958	286	139	55.48	16.60
2009-10	3,042	51.59	27 अगस्त 2012	2,040	404	598	41.99	9.60
कुल	**11,483**	**153.26**		**8,825**	**903**	**1,755**	**132.69**	**20.57**

स्रोतः प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, हरियाणा द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, जारी किए गए कुल ₹ 153.25 करोड़ के विरूद्ध, केवल ₹ 132.69 करोड़ व्यय किए थे तथा ₹ 20.57 करोड़ अव्ययित पड़े थे तथा पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद कार्य अपूर्ण रहे। यह अवलोकित किया गया कि विभाग तथा निष्पादन एजेंसी (ह.स्कू.शि.प.प.) के मध्य समन्वय की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप के.सी.एस. के निर्माण में विलंब हुआ। आगे, ₹ 5.63 करोड़ का व्यय 2006 - 07 तथा 2007 - 08 में

संस्वीकृत निर्माण कार्यों को पूरा करने हेतु मानदण्डों के आधिक्य में हुआ था। मानदण्डों से अधिक व्यय करने के लिए ह.स्कू.शि.प.प. द्वारा विभाग से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

चयनित जिलों में 4,298 के.सी.एस. में से, केवल 2,836 पूर्ण किए गए थे, 506 प्रगति में थे तथा 956 के संबंध में निर्माण शुरू नहीं किया गया था।

विभाग ने मानदण्डों से अधिक व्यय का कारण निर्माण में देरी के कारण लागत वृद्धि को बताया। इस प्रकार, नियत समय के अंदर कार्य पूरा करके अधिक व्यय को बचाया जा सकता था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान निदेशक ने आश्वासन दिया कि ह.स्कू.शि.प.प. को शेष रसोइयों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के लिए राजी कर लिया जाएगा।

2.2.8.11 के.सी.एस. के पूर्ण न होने के कारण केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं की गई

भारत सरकार ने पूर्ववर्ती वर्षों में संस्वीकृत के.सी.एस. के पूर्ण करने हेतु बल दिया (अगस्त 2012) तथा शेष स्कूलों के लिए के.सी.एस. के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया। राज्य में 15,305 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में से, 2006-10 के दौरान 11,483 स्कूलों के लिए के.सी.एस. संस्वीकृत किए गए थे तथा 3,822 स्कूलों में के.सी.एस. नहीं थे।

राज्य सरकार ने 3,822 के.सी.एस. के निर्माण के लिए ₹ 55.32 करोड़ की केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा (सितंबर 2012)। भारत सरकार ने 2006-10 के दौरान संस्वीकृत के.सी.एस. के निर्माण की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति भेजने के लिए राज्य सरकार को अनुमोदन (नवंबर 2012) किया। बाद में, कमजोर प्रगति के कारण, भारत सरकार ने राज्य सरकार को यदि विभाग के.सी.एस. के शुरू/पूरा करने की स्थिति में नहीं था, अप्रयुक्त निधियां रिफंड करने के लिए कहा। राज्य सरकार ने फरवरी, मई तथा जुलाई 2013 में भारत सरकार को दोबारा से प्रस्ताव भेजा लेकिन वह स्वीकार नहीं किया गया (दिसंबर 2015)।

इस प्रकार, विभाग ने के.सी.एस. के धीमे निर्माण के कारण ₹ 55.32 करोड़ की केन्द्रीय सहायता छोड़ दी थी। इसके अतिरिक्त, 3,822 स्कूल के.सी.एस. की सुविधा से वंचित रहे। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि निदेशालय द्वारा निष्पादन एजेंसी यानि ह.स्कू.शि.प.प. पर मानीटरिंग की कमी थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान निदेशक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से सहमत हुआ तथा आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी।

2.2.8.12 केन्द्रीय हिस्से के आहरण में देरी तथा राज्य हिस्से का अग्रिम आहरण

₹ 38.70 करोड़ की एक राशि 3,042 के.सी.एस. के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत (मार्च 2010) की गई थी। यह राशि भारत सरकार से संस्वीकृति की विलंब से प्राप्ति के कारण आहरित नहीं की जा सकी। तथापि, भारत सरकार ने 2010-11 में राशि उपयोग करने के लिए विभाग को अनुमति दे दी (सितंबर 2010)। राज्य बजट में प्रावधान न करने के

कारण राशि फिर से आहरित नहीं की जा सकी। 2011-12 के दौरान राशि उपयोग करने के लिए राज्य सरकार को अनुमति देने हेतु भारत सरकार को मई 2011 में अनुमोदन किया गया था। इसके बाद, राशि 31 मार्च 2012 को यानि भारत सरकार की स्वीकृति के दो वर्षों के अंतराल के बाद आहरित कर ली गई थी।

दूसरी ओर, विभाग ने मार्च 2011 में ₹ 12.90 करोड़ का राज्य हिस्सा आहरित किया तथा बचत बैंक खाते में राशि रखी। चूंकि मार्च 2012 में केन्द्रीय हिस्सा आहरित किया गया था, ₹ 38.70 करोड़ के केन्द्रीय हिस्से सहित राशि केवल अगस्त 2012 में ह.स्कू.शि.प.प. को अन्तरित की गई थी। राज्य हिस्सा आवश्यकता के अग्रिम में अहरित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, राशि एक वर्ष तथा पांच महीनों के लिए बचत बैंक खाते में रही।

विभाग ने बताया (फरवरी 2015) कि राज्य बजट में प्रावधान न करने के कारण केन्द्रीय सहायता आहरित नहीं की जा सकी। आवश्यकता के अग्रिम में राज्य हिस्से के आहरण के संबंध में, यह बताया गया था कि बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियां आहरित की गई थी। तथ्य यह रहता है कि मार्च 2010 में भारत सरकार द्वारा निधियों की संस्वीकृति के बावजूद वर्ष 2010-11 के लिए भी राज्य बजट में प्रावधान करने में विभाग विफल रहा। आगे, बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण भी अनियमित था।

2.2.8.13 आवश्यकता का निर्धारण किए बिना निधियां जारी करना

के.सी.एस. के निर्माण के लिए भिवानी जिले में स्कूल प्रबंधन समितियों (एस.एस.सीज) को ह.स्कू.शि.प.प. द्वारा प्रत्येक ₹ 1.70 लाख के कुल 588 बैंक ड्राफ्टस भेजे (मार्च 2012) गए थे। इनमें से ₹ 1.09 करोड़ के 64 बैंक ड्राफ्ट संबंधित संचालन-सह-मॉनीटरिंग समिति (सं.स.मॉ.स.) द्वारा स्वीकार नहीं किए गए थे क्योंकि इन स्कूलों में पहले से ही के.सी.एस. विद्यमान थे। सितंबर 2012 में बैंक ड्राफ्ट ह.स्कू.शि.प.प. को वापस कर दिए गए तथा रद्द कर दिए गए थे तथा राशि बैंक खाते में जमा करवा दी गई थी (नवंबर 2012)। इस प्रकार, इन स्कूलों में के.सी.एस. की आवश्यकता के निर्धारण किए बिना ₹ 1.09 करोड़ की राशि सं.स.मॉ.स. को भेज दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप, राशि आठ महीनों के लिए सरकारी खाते के बाहर रही।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकार करते हुए निदेशक ने बताया कि उपयुक्त डाटा की अनुपलब्धता के कारण आयोजना की कमी थी।

2.2.9 नामांकन, रिटैंन्शन तथा उपस्थिति पर प्रभाव

स्कीम का एक मुख्य उद्देश्य सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकाय स्कूलों में नामांकन, रिटैंन्शन तथा उपस्थिति को बढ़ाना था। विभाग ने राज्य में सभी योग्य बच्चों के नामांकन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे तथा ड्रापआउट रेट को भी शून्य तक लाना था। तथापि, एक अकादमिक वर्ष में स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। अवधि 2010-15 के लिए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन के विवरण अनुच्छेद 2.2.8.1 में संदर्भित तालिका 2 में दी गई है।

स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन 2010-11 में 22.31 लाख तक घट गया था जबकि 2013-14 के संदर्भ में 2014-15 में नामांकन (20.63 लाख) में वृद्धि थी। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों के ड्रापआउट तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति के संबंध में वेसिक डाटा न तो निदेशालय स्तर पर और न ही जिला स्तर पर अनुरक्षित किया गया था। इस प्रकार, इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर मिड डे मील्ज का प्रभाव लेखापरीक्षा में निर्धारित नहीं किया जा सका। आगे, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नमूना-जांच किए गए स्कूलों में उपस्थिति 2010-15 के दौरान 62 तथा 96 प्रतिशत[24] के मध्य श्रृंखलित थी।

विभाग ने बताया (फरवरी 2015) कि सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन के पीछे पहला कारण तो खण्ड (कक्षा I से V) में जनसंख्या वृद्धि की दर हरियाणा में घट रही थी तथा दूसरा, सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूल माता-पिता की प्राथमिकता था। आगे, यह बताया गया (अक्तूबर 2015) कि शिक्षा का अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत परीक्षा न लेने तथा विद्यार्थियों को फेल न करने का कोई प्रावधान नहीं था परिणामत: सरकारी स्कूलों का कम नामांकन हुआ। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि राज्य के जनगणना डाटा के अनुसार 2001-11 के दौरान बाल जनसंख्या 1.35 प्रतिशत (2001 में 33.36 लाख तथा 2011 में 33.81 लाख) की दर पर बढ़ गई थी। इस प्रकार, विद्यार्थियों के नामांकन की वृद्धि का उद्देश्य काफी हद तक अप्राप्त रहा।

2.2.10 मानीटरिंग तथा मूल्यांकन

2.2.10.1 निरीक्षणों का न किया जाना

स्कीम मार्गनिर्देशों के अनुच्छेद 6.2 के अनुसार, सभी बच्चे नियमित रूप से संतोषजनक गुणवत्ता का भोजन प्राप्त कर रहे थे, बच्चों की पोषणीय स्थिति को सुधारने, उपस्थिति में नियमितता, रिटैंन्शन तथा शिक्षा की पूर्णता पर प्रभाव निर्धारित करने के लिए कि स्कीम को नियमित रूप से मॉनीटर किया जाना अपेक्षित था।

राज्य सरकार द्वारा स्कूलों/ई.जी.एस.-ए.आई.एस. केन्द्रों में परोसे गए मिड डे मील्ज की जांच के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित किए जाने अपेक्षित थे ताकि सभी स्कूल तथा ई.जी.एस./ए.आई.एस. केन्द्रों को वर्ष में कम से कम एक बार कवर किया जा सके।

वार्षिक कार्य योजना तथा बजट 2010-11 के अनुच्छेद 2.18 के अनुसार, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (प.अ.बो.) ने राज्य/मुख्यालय अधिकारियों, जि.प्रा.शि.अ. तथा ब्लॉ.शि.अ. द्वारा नियमित रूप से कार्यक्रम को मॉनीटर करने का निर्णय लिया तथा सूचित भी किया कि महीने में कम से कम 25 स्कूलों के निरीक्षण करने हेतु उन्हें निदेश भी दिए जा सकते हैं।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि प.अ.बो. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार विभाग द्वारा स्कूलों/केन्द्रों का निरीक्षण नहीं किया गया था। 2010-11 के दौरान लक्ष्यों के विरूद्ध किए गए निरीक्षणों की प्रतिशतता नगण्य (तीन प्रतिशत) थी जबकि यह 2011-15 ***(परिशिष्ट 2.9)*** के दौरान 9 तथा 16 के मध्य श्रृंखलित थी। फील्ड निरीक्षणों के लिए नियुक्त अधिकारियों द्वारा

[24] भिवानी: 66 से 96 प्रतिशत, हिसार: 71 से 96 प्रतिशत, करनाल: 74 से 93 प्रतिशत, कुरूक्षेत्र: 74 से 95 प्रतिशत, रेवाड़ी: 67 से 95 प्रतिशत, सिरसा: 62 से 96 प्रतिशत।

कोई निरीक्षण रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी इसकी अनुपस्थिति में, सं.स.मॉ.स. सुधारात्मक उपाय, यदि कोई है, नहीं कर सकी।

चयनित जिलों में अभिलेखों की संवीक्षा ने यह भी दिखाया कि जि.प्रा.शि.अ. द्वारा निरीक्षण 19 तथा 52 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित रहा तथा ब्लॉ.शि.अ. के संबंध में, यह 6 तथा 19 प्रतिशत ***(परिशिष्ट 2.9)*** के मध्य श्रृंखलित रहा।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि स्कूलों का निरीक्षण नियमित आधार पर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पुनः निर्देश जारी कर दिए गए थे।

2.2.10.2 संचालन – सह – मॉनीटरिंग समिति बैठकें

स्कीम मार्गनिर्देश 2006 के अनुच्छेद 3.2 के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर संचालन-सह-मॉनीटरिंग समिति (सं.स.मॉ.स.) स्थापित की जानी अपेक्षित थी। प्रावधानों के अनुसार, पहले सप्ताह में ब्लॉक स्तर पर मासिक बैठक, साधारण मॉनीटरिंग कार्यों के अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर बैठकों की समीक्षा के लिए जिला स्तर पर मासिक बैठक तथा साधारण मॉनीटरिंग कार्यों के अतिरिक्त जिला स्तर पर बैठकों की समीक्षा के लिए राज्य स्तर पर अर्धवार्षिक बैठक की जानी अपेक्षित थी।

यह अवलोकित किया गया कि राज्य स्तर पर 10 बैठकों की अपेक्षा के विरूद्ध केवल पांच बैठकें आयोजित की गई थी, जिला स्तर पर 360 बैठकों की अपेक्षा के विरूद्ध केवल 14 बैठकें आयोजित की गई थी तथा ब्लॉक स्तर पर 1,440 बैठकों की अपेक्षा के विरूद्ध केवल 28 बैठकें आयोजित की गई थी।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि संबंधित अधिकारियों को एस.एम.सीज बनाने तथा नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने के निर्देश पुनः जारी कर दिए गए थे।

2.2.11 निष्कर्ष

प्लानिंग में कमियां थी क्योंकि योजना स्कूलों से डाटा प्राप्त या सही सर्वेक्षण किए बिना, तैयार की गई थी। जि.प्रा.शि.अ. के अव्ययित शेष भारत सरकार को सूचित नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त भारी निधियां सरकारी खाते के बाहर रही। खाद्यान्न कम उठाए गए थे (21 से 44 प्रतिशत)। उचित औसत गुणवत्ता सुनिश्चित किए बिना खाद्यान्नों की आपूर्ति, माइक्रोन्यूटरियन्ट तथा कृमिनाशक दवाइयों का प्रबंध न करना, खाद्य, कुकिंग लागत के संशोधित मानदण्डों के विलंबित कार्यान्वयन के मामले लेखापरीक्षा में अवलोकित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, कुरूक्षेत्र जिले में एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा आपूरित कुक्ड फूड की गुणवत्ता को मापने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। रसोई-कम-स्टोरों का निर्माण बहुत धीमा था क्योंकि कुल संस्वीकृत के.सी.एस. के केवल 77 प्रतिशत पूर्ण किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 55.32 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं की जा सकी थी। स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन में कमी 2010-11 में 22.31 लाख से 2013-14 में 20.34 लाख हो गई थी जबकि 2014-15 में नामांकन में (20.63 लाख) वृद्धि थी। संतोषजनक गुणवत्ता के खाने की नियमित उपलब्धता आदि सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों का निरीक्षण नगण्य था। संचालन-सह-मॉनीटरिंग समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित नहीं की गई थी।

2.2.12 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

- सही सर्वेक्षण करके तथा स्कूलों से, प्राथमिक तौर पर ऑनलाइन तथा वास्तविक समय आधार पर डाटा प्राप्त करने के बाद योजना बनाना;
- खाद्यान्न उठाने वाली एजेंसी को अधिकतम दर की बजाए वास्तविक आधार पर परिवहन लागत के भुगतान करने की सही प्रणाली विकसित करना।
- सभी को एक समान दीर्घ सिद्धांत लागू करने की बजाए मूल वास्तविकताओं की प्रसंसा द्वारा भोजन प्रावधान प्रणाली की समीक्षा करना;
- समयबद्ध तरीके से रसोई-सह-स्टोर के निर्माण को पूरा करना; तथा
- गैर-सरकारी संगठन द्वारा आवृत्त स्कूलों सहित विद्यार्थियों को गुणवत्ता भोजन की बाधारहित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकारी प्रणाली द्वारा निरीक्षणों की मशीनरी को मजबूत करना।

उच्चतर शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

2.3 प्राईवेट कालेजों तथा प्राईवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की रूपरेखा

उच्चतर शिक्षा विभाग ने राज्य में स्वयं वित्त पोषण स्कीम के अंतर्गत प्राइवेट कालेजों की स्थापना के लिए जुलाई 2004 में दिशानिर्देश तैयार किए। इसी प्रकार, स्वास्थ्य {अब चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान (एम.ई.आर.)} विभाग ने नर्सिंग स्कूल तथा कालेज खोलने के लिए जुलाई 2007 में दिशानिर्देश जारी किए। राज्य ने प्राइवेट विश्वविद्यालयों (पी.यूज) की स्थापना के लिए नवंबर 2006 में ''हरियाणा प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम-2006'' भी बनाया। प्राइवेट कालेजों तथा प्राईवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की रूपरेखा की निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियां प्रकट की:

प्राइवेट कालेजों को राज्य सरकार/संबद्ध विश्वविद्यालयों की टिप्पणियां प्राप्त किए बिना मान्यता प्रदान की जा रही थी, विश्वविद्यालय अपर्याप्त मूलभत संरचना, फैकल्टी इत्यादि वाले कालेजों को संबद्धता प्रदान कर रहे थे। विश्वविद्यालयों द्वारा नियमित निरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं था।

(अनुच्छेद 2.3.6.1 से 2.3.6.3)

उच्चतर शिक्षा विभाग ने सरकारी प्राप्तियों के अभिलेखों का समुचित रख-रखाव नहीं किया। 2008-14 की अवधि हेतु प्राइवेट कालेजों की स्थापना के लिए प्रोसेसिंग फीस प्रभारण हेतु प्रावधान के अभाव के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 97 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.3.7.1)

चिकित्सा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा ₹ तीन करोड़ की बजाए ₹ एक करोड़ की बैंक गारंटी प्राप्त करने के बाद अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। इसी प्रकार, उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा ₹ तीन करोड़ की बैंक गारंटी प्राप्त किए बिना तीन प्राइवेट कालेजों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.3.7.2)

समुचित नियंत्रण करने में उच्चतर शिक्षा विभाग की विफलता के कारण एक बी.एड. कालेज ने जाली दस्तावेजों के आधार पर तथा तथ्यों को छिपाकर मान्यता प्राप्त कर ली।

(अनुच्छेद 2.3.8.1 (क))

वार्षिक रिटर्न यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों द्वारा हरियाणा के छात्रों को आरक्षण एवं फीस रियायत प्रदान की जा रही थी, उच्चतर शिक्षा विभाग को नियमित रूप से नहीं भेजी जा रही थी।

(अनुच्छेद 2.3.8.5)

प्राइवेट कालेज अपर्याप्त मूलभूत संरचना से संचालित किए जा रहे थे। चार प्राइवेट विश्वविद्यालयों ने पात्रता मानदंड पूर्ण किए बिना 51 फैकल्टी सदस्यों को नियुक्त किया।

(अनुच्छेद 2.3.8.6 तथा 2.3.8.7)

2.3.1 प्रस्तावना

व्यक्ति, समाज या राज्य के चौतरफा विकास के लिए शिक्षा एक आवश्यक और अनिवार्य तत्व है। राज्य, शिक्षा में सक्रिय भूमिका अदा करता है तथा हरियाणा सरकार का विचार है कि प्राइवेट सैक्टर, राज्य में शिक्षा वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तद्नुसार, उच्चतर शिक्षा (एच.ई.) विभाग ने राज्य में प्राइवेट कालेजों (पी.सीज) की स्थापना के लिए जुलाई 2004 में दिशानिर्देश तैयार किए। इसी प्रकार, स्वास्थ्य {अब चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान (एम.ई.आर.)} विभाग ने नर्सिंग स्कूल तथा कालेज खोलने के लिए जुलाई 2007 में दिशानिर्देश जारी किए। राज्य ने प्राइवेट विश्वविद्यालयों (पी.यूज) की स्थापना के लिए नवंबर 2006 में ''हरियाणा प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम-2006'' भी बनाया। मार्च 2015 तक राज्य में कुल 1,213 पी.सीज तथा 18 पी.यूज खोले गए थे (***परिशिष्ट 2.10***)। पी.सीज 10 राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों से संबद्ध थे।

पंजीकृत सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी जो कि एक पी.सी. की स्थापना का इरादा करती है तथा अपेक्षित भूमि, वित्तीय क्षमता तथा फील्ड में सुविज्ञता रखने, लौटाई न जाने वाली निर्धारित प्रोसेसिंग फीस सहित भूमि धारण का प्रमाण (अपनी/लीज होल्ड/गिफ्ट डीड), अपने भवन/मूलभूत संरचना प्लान, विकास प्लान, अन्य सुविधाओं/सुख साधनों को दर्शाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) के साथ संबंधित सरकारी विभाग या केन्द्रीय विनिमायक निकाय को आवेदन दे सकती है। विभाग/केन्द्रीय एजेंसी में प्राथमिक जांच, विशेषज्ञ समितियों द्वारा समीक्षा तथा उपलब्ध/उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत संरचना के भौतिक सत्यापन के बाद प्रायोजक निकाय द्वारा औपचारिक उद्देश्य-पत्र (एल.ओ.आई.)/अनुमोदन-पत्र (एल.ओ.ए.) जारी किया जाता है। एल.ओ.आई./एल.ओ.ए. के निबंधनों एवं शर्तों की अनुपालना तथा सरकारी विभागों के साथ वचनबद्ध समुचित स्थाई निधि/एफ.डी.आरज/बैंक गारंटी के सृजन के बाद पी.सी. की स्थापना के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत मान्यता/एन.ओ.सी. जारी की जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) अधिनियम, 1956 तथा यू.जी.सी. (प्राइवेट विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना एवं अनुरक्षण) विनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार प्रायोजक निकाय द्वारा एक पी.यू. की स्थापना की जा सकती है। प्रायोजक निकाय, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) के साथ उच्चतर शिक्षा (एच.ई.) विभाग को आवेदन दे सकता है। सभी औपचारिकताओं की पूर्णता तथा निर्धारित स्थाई निधि के सृजन के बाद सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से पी.यू. स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पी.यू. की स्थापना होने के बाद इसे उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत सूचीबद्ध होने के लिए यू.जी.सी. को आवेदन देना अपेक्षित है।

2.3.2 संगठनात्मक ढांचा

उच्चतर शिक्षा विभाग, पी.सी. तथा पी.यू. की स्थापना के मामले देखता है। एम.ई.आर. विभाग, प्राइवेट नर्सिंग स्कूलों तथा कालेजों की स्थापना के मामले देखता है तथा चिकित्सा, आयुर्वेद, डेंटल, होम्योपैथी कालेजों इत्यादि की स्थापना हेतु अनिवार्य प्रमाण-पत्र (ई.सीज)/पूर्व सहमति भी जारी करता है। तकनीकी शिक्षा विभाग (टी.ई.), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार प्राइवेट तकनीकी कालेजों पर नियंत्रण रखता है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.), बी. एड कालेजों को खोलने की मान्यता देती है, पी.सीज को संबंधित विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त करने अपेक्षित है। सरकारी स्तर पर संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव प्रशासनिक मुखिया हैं। विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर प्रधान कार्यकारी एवं अकादमिक अधिकारी है तथा संबंधित विश्वविद्यालयों के मामलों पर नियंत्रण रखते हैं।

2.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि क्या:

- उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिनियमों, नियमों, विनियमों, मानदण्डों एवं मानकों तथा दिशानिर्देशों के प्रावधान पर्याप्त थे;
- पी.सीज तथा पी.यू. से प्राप्तियां वर्तमान आदेशों के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध की जा रही थी;
- अधिनियमों, नियमों, विनियमों इत्यादि के प्रावधानों की अनुपालना की गई थी तथा भूमि/भवन/मूलभूत संरचना और फैकल्टी तथा सहायक स्टाफ की अर्हता एवं उपलब्धता विविध प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार थी; तथा मानीटरिंग हेतु प्रभावी यंत्रावली मौजूद थी।

2.3.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा पद्धति

पी.सीज/पी.यूज की स्थापना से संबंधित एच.ई., एम.ई.आर. तथा टी.ई. विभागों के निदेशालयों के 2010-15 की अवधि के अभिलेखों का विद्यमान आदेशों के अनुसार उनमें प्राप्तियों की गणना की दिसंबर 2014-जून 2015 के दौरान नमूना-जांच की गई। इस अवधि से पहले के मामले, जो निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा अनियमितताएं, जो पूर्ववर्ती अवधि से निरंतर हैं, भी प्रतिवेदन में शामिल की गई हैं। 1,213 प्राइवेट कालेजों में से 77 के संबद्धता, फीस संरचना तथा कालेजों की समुचित कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए अन्य नियंत्रणों से संबंधित अभिलेखों ***(परिशिष्ट 2.11)*** की भी पांच[25] संबद्ध सरकारी विश्वविद्यालयों में नमूना-जांच की गई थी। 18 पी.यू. में से पांच के अभिलेखों की एच.ई. विभाग तथा यू.जी.सी. के कार्यालयों में जांच की गई थी।

[25] (i) चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय (सी.डी.एल.यू.), सिरसा; (ii) गुरू जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जी.जे.यू.), हिसार; (iii) कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र (के.यू.के.); (iv) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय (एम.डी.यू.), रोहतक तथा (v) पंडित बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (पं. बी.डी. शर्मा यू.एच.एस.), रोहतक।

अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.)/प्रधान सचिव (पी.एस.), हरियाणा सरकार, एच.ई. तथा टी.ई. विभाग और एम.ई.आर. विभाग के प्रतिनिधियों के साथ जनवरी 2015 में एक एंट्री कांफ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा के मापदंड तथा लेखापरीक्षा पद्धति पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा के परिणामों पर एच.ई. तथा टी.ई. विभागों के ए.सी.एस. और एम.ई.आर. विभाग के प्रतिनिधियों के साथ दिसंबर 2015 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में चर्चा की गई थी। विभागों के उत्तरों तथा एग्जिट कांफ्रेंस में हुए विचार-विमर्श को उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

2.3.5 लेखापरीक्षा के मापदंड

लेखापरीक्षा के मापदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:

- प्राइवेट कालेजों की स्थापना हेतु उच्चतर शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभागों द्वारा बनाए गए दिशानिर्देश;
- विनिमायक निकायों अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद इत्यादि के अधिनियम, नियम, विनियम, मानदंड तथा मानक;
- हरियाणा प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006; तथा
- संबद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए गए अध्यादेश, निबंधन एवं शर्तें।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.3.6 अधिनियमों, नियमों, विनियमों इत्यादि के प्रावधानों की पर्याप्ति

2.3.6.1 संस्थानों के खोलने पर नियंत्रण की कमी

तकनीकी संस्थान तथा बी.एड कालेज खोलने के लिए अनुमति मांगने वाले आवेदनकर्त्ताओं से ए.आई.सी.टी.ई. या एन.सी.टी.ई. को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार तथा संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय को प्रति सहित निर्धारित प्रोसेसिंग फीस के साथ ए.आई.सी.टी.ई.[26] या एन.सी.टी.ई.[27] के क्षेत्रीय कार्यालयों को सीधे आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित था। राज्य सरकार/संबद्ध विश्वविद्यालयों से अपने विचार, आवेदनों की प्राप्ति की तारीख से ए.आई.सी.टी.ई. को 15 दिनों तथा एन.सी.टी.ई. को 75 दिनों की अवधि के भीतर अग्रेषित करने अपेक्षित थे। राज्य सरकार/संबद्ध विश्वविद्यालयों से विचारों के अभाव में परिषद अनुमोदन प्रक्रिया की पूर्णता हेतु आगे बढ़ेगी। जब एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है तो एन.सी.टी.ई. के विनियमों के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबंध का प्रावधान है। यह देखा गया था कि किसी भी मामले में यथा अपेक्षित वैयक्तिक रूप से प्राप्त प्रस्तावों को राज्य सरकार/विश्वविद्यालयों द्वारा विचार प्रस्तुत नहीं किए गए थे। आवेदनों पर राज्य सरकार/विश्वविद्यालयों द्वारा टिप्पणियों के अप्रस्तुतिकरण तथा आवेदनों/निरीक्षण रिपोर्टों की अनुचित जांच सहित

[26] ए.आई.सी.टी.ई. अनुमोदन प्रक्रिया हैंडबुक के अध्याय-1 की धारा 3.1

[27] एन.सी.टी.ई. (मान्यता, मानक एवं कार्यविधि) विनियम 2007 के संशोधन बारे दिनांक 31 अगस्त 2009 की अधिसूचना का अनुच्छेद 5

ए.आई.सी.टी.ई. तथा एन.सी.टी.ई. के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप अपर्याप्त मूलभूत संरचना तथा अन्य अनिवार्य अपेक्षाओं के साथ पी.सीज खोले गए जैसा कि अनुच्छेद 2.3.8.1 से 2.3.8.2 में चर्चा की गई है। गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों में पर्याप्त मूलभूत संरचना तथा अन्य मौलिक सुविधाएं अनिवार्य हैं। इसके अभाव में शिक्षा की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई थी।

ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि एन.सी.टी.ई. ने विचार प्राप्त करने के लिए सरकार को प्रस्ताव/आवेदन अग्रेषित नहीं किए तथा संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालयों की सहमति से एन.सी.टी.ई. द्वारा एन.ओ.सी. जारी किए जा रहे थे। आगे यह बताया गया था कि और बी.एड कालेज न खोलने के लिए एन.सी.टी.ई. को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए माननीय मंत्री, मानक संशाधन विकास मंत्रालय (एम.ओ.एच.आर.डी.), भारत सरकार के साथ राज्य स्तर पर तीन बार (2009, 2011 तथा 2014 – 15) मामला उठाया गया था। आगे, ए.सी.एस., तकनीकी शिक्षा ने बताया कि जिन जिलों में संतृप्ति हो चुकी थी उनमें और तकनीकी कालेज न खोलने के लिए ए.आई.सी.टी.ई. के साथ सरकार ने मामला उठाया था (2011)। राज्य सरकार द्वारा विचार प्रस्तुत करने के लिए समय भी कम पाया गया था जो केवल 15 दिन ही था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि मामला ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.टी.ई. के साथ उठाया जाना चाहिए था यदि विभागों को लगा कि पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं था या विचार मांगने के लिए विभाग में आवेदन प्राप्त नहीं किए जा रहे थे। विभाग को प्रारंभ से अपेक्षित नियंत्रण करने के लिए अधिक पूर्व – सक्रिय होने की आवश्यकता है।

2.3.6.2 एफिलिएशन

विनियामक निकायों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/एन.ओ.सी. जारी करने के पश्चात् पी.सी. द्वारा विश्वविद्यालय के साथ स्वयं को एफिलिएट[28] करवाया जाना अपेक्षित है। विश्वविद्यालयों ने एफिलिएशन के निबंधनों एवं शर्तों से समाविष्ट अध्यादेश जारी किए तथा अपेक्षित दस्तावेजों के साथ उपलब्ध मानव संसाधनों एवं मूलभूत संरचना के विवरणों वाला आवेदन/निरीक्षण प्रोफार्मा तैयार किया।

सी.डी.एल.यू., जी.जे.यू. तथा के.यू.के. ने प्रत्येक 250 अंकों के दो भागों (भाग – क: मानव संसाधन तथा भाग – ख: भौतिक मूलभूत संरचना एवं अन्य सुविधाओं/सुख – साधन) में बांटे गए 500 अंक आबंटित किए। एक कालेज के लिए कमियों की अनुपालना/दूर करने की शर्त पर एफिलिएशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक भाग में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक था।

एम.डी.यू. द्वारा तीन भागों (क) शिक्षण तथा गैर – शिक्षण स्टाफ (50 अंक); (ख) मूलभत संरचना तथा सुख – साधन (25 अंक) तथा (ग) पुस्तकालय तथा प्रयोगशला (25 अंक) में बांटा गया 100 अंकों का प्रपत्र बनाया गया। यह अनुबद्ध था कि प्रत्येक श्रेणी में 70 प्रतिशत तथा अधिक अंक प्राप्त करने वाल कालेजों को 'ए', 50 से 70 प्रतिशत – 'बी' तथा

[28] के.यू.के: कैलेण्डर खण्ड – I के अध्यादेश के अध्याय – 1 की धारा 2, जी.जे.यू. ने के.यू.के. के उन्हीं अध्यादेशों का अनुसरण किया, एम.डी.यू.: अध्यादेश – 37 की अनुसूची, पंडित बी.डी. शर्मा विश्वविद्यालय: विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों एवं ऐसे विशेषाधिकारों को निकालने के लिए कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के एफिलिएशन की शर्तों के बारे में अध्यादेश की धारा – 2 तथा सी.डी.एल.यू.: कैलेण्डर 2011 खण्ड – I के अध्यादेश (परीक्षा अध्यादेशों से अन्य) का अध्याय – XVII

50 प्रतिशत से कम-'सी' ग्रेड किया जाएगा। 'बी' ग्रेड वाले कालेज इस शर्त पर संबद्ध किए गए थे कि इंगित की गई कमियां अगले अकादमिक सत्र से पहले दूर कर दी जाएंगी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 'बी' श्रोणी कालेजों को एफिलिएशन प्रदान करने से टीचिंग फैकल्टी, क्लास रूमों, प्रयोगशालाओं तथा लाईब्रेरी, जो नमूना-जांच किए गए 77 कालेजों में से 12 कालेज ***(परिशिष्ट 2.12)*** में गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य थे, के संबंध में अपर्याप्त सुविधाओं वाले कालेजों का सृजन हुआ। आगे, कमियां कई वर्षों तक निरंतर जारी रही तथा पूरी तरह दूर नहीं की गई हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा एफिलिएशन देने के बाद कमियों की अनुपालना को मानीटर करने के लिए कोई यंत्रावली स्थापित नहीं की गई थी। विश्वविद्यालयों के पास यह सिद्ध करने के लिए रिकार्ड नहीं था कि कमियों को दूर करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इस प्रकार, विश्वविद्यालयों द्वारा कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप लंबे समय से अपर्याप्त सुविधाओं के साथ ऐसे संस्थानों के चलने से प्रदान की गई शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि विभाग, मामले पर चर्चा के लिए राज्य में सभी संबद्ध विश्वविद्यालयों की सभा बुलाएगा तथा सभी जरूरी अपेक्षाओं को शामिल करते हुए एक मानक चैकलिस्ट बनाई जाएगी और पी.सीज के एफिलिएशन के लिए मानक विशिष्टिताओं को संबद्ध विश्वविद्यालयों के बीच परिचालित किया जाएगा।

2.3.6.3 निरीक्षण

संबंधन के लिए आवेदक से आवेदन की प्राप्ति पर दो या अधिक सक्षम व्यक्तियों वाली निरीक्षण समिति[29] संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (ई.सी.)/वाइस चांसलर (वी.सी.) द्वारा गठित की जा रही है। निरीक्षण के आधार पर निरीक्षण समिति अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करती है तथा उसके बाद रिपोर्ट कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तथापि, यह अवलोकित किया गया था कि संस्थानों की वित्तीय क्षमता का निर्धारण करने के लिए समिति में कोई विशेषज्ञ सदस्य नहीं था। आगे यह अवलोकित किया गया था कि निरीक्षण समिति के सदस्यों की विशिष्ट अर्हता जैसे भवन विशेषज्ञ, वित्तीय विशेषज्ञ तथा विशिष्ट क्षेत्र में अकादमिक विशेषज्ञ, जिसके लिए संस्थान खोला जाना है, अध्यादेशों में निर्धारित नहीं किए गए हैं। आगे, निरीक्षणों की विडियोग्राफी करने के लिए अध्यादेशों में कोई प्रावधान नहीं था और न ही उनके अभिलेखों को प्रामाणिक बनाने के लिए यह की जा रही थी।

दिशानिर्देशों के अनुसार यह जांच करना भी अपेक्षित था कि क्या भवन संबंधित सक्षम निकाय/नगरपालिका निकाय/हुडा के उप-नियमों के अनुरूप है तथा सक्षम प्राधिकारियों से पर्यावरण क्लीयरेंस एवं अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त किए गए थे। लेखापरीक्षा ने संबद्ध विश्वविद्यालयों में नमूना-जांच किए गए पी.सीज के अभिलेखों की जांच के दौरान अवलोकित किया कि सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए न तो कोई प्रणाली स्थापित की

[29] के.यू.के: कैलेण्डर खण्ड-I के अध्यादेश-XVI के अध्याय-1 की धारा 3, जी.जे.यू. ने के.यू.के. के उन्हीं अध्यादेशों का अनुसरण किया, एम.डी.यू.: अध्यादेश-37 की अनुसूची तथा पंडित बी.डी. शर्मा विश्वविद्यालय: विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों एवं ऐसे विशेषाधिकारों को निकालने के लिए कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के एफिलिएशन की शर्तों के बारे में अध्यादेश की धारा-5 एवं 6 तथा सी.डी.एल.यू.: कैलेण्डर 2011 खण्ड-I के अध्यादेश (परीक्षा अध्यादेशों से अन्य) का अध्याय-XIX

गई थी और न ही निरीक्षण समिति ने जांच करते समय, ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनज, (हिसार) को छोड़कर, जिसके पास राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, हरियाणा से सशर्त पर्यावरण क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र (11 जुलाई 2012) था, मार्च 2015 को इन पहलुओं पर अनुपालन सुनिश्चित किया।

इसके अतिरिक्त, पी.सीज द्वारा गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कक्षाओं को चलाने और विद्यार्थियों एवं फैकल्टी की उपस्थिति की औचक जांच करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा कोई प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी। तथापि, निर्देश में अग्रता लेते हुए एम.डी.यू. रोहतक ने 47 बी.एड. कालेजों का औचित निरीक्षण किया (दिसंबर 2014 तथा जनवरी/फरवरी 2015) तथा इन कालेजों में से 24 में स्पष्ट कमियां जैसे फैक्ल्टी, विद्यार्थियों, मूलभूत संरचना एवं अन्य सहायक प्रणाली की अनुपलब्धता देखी गई। यह सिफारिश की जाती है कि पी.सीज की कार्यप्रणाली की मानीटरिंग की प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए औचक जांच की जानी चाहिए।

ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि इन मामलों पर संबद्ध विश्वविद्यालयों की सभा में चर्चा की जाएगी तथा पी.सीज की वित्तीय क्षमता तथा निरीक्षण समितियों में केन्द्रीय भवन उप-नियमों के अनुसार भवन मानकों की अनुपालना, निरीक्षण एवं औचक जांच के समय विडियोग्राफी का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा प्रावधान बनाए जाएंगे। यह भी बताया गया था कि संबद्ध विश्वविद्यालयों पर दवाब कम करने तथा अधिक अर्थपूर्ण निरीक्षण संचालित करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु राज्य विश्वविद्यालयों के साथ संबद्ध कालेजों की संख्या को स्ट्रीमलाइन करने के प्रयास किए जा रहे थे।

2.3.6.4 वित्तीय तथा प्रशासकीय नियंत्रण की कमी

संबद्ध विश्वविद्यालय, अकादमिक दृष्टिकोण से एफिलिएशन की प्रदानगी से पहले निरीक्षण[30] तथा अनुवर्ती वर्षों के लिए उसकी निरंतरता हेतु वार्षिक निरीक्षण[31] संचालित करने के लिए उत्तरदायी थे किंतु प्रशासकीय या वित्तीय लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। आगे, ए.आई.सी.टी.ई. की अनुमोदन प्रक्रिया हैंडबुक के अनुसार आवेदक ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदन-पत्र (एल.ओ.ए.) की प्राप्ति के पश्चात् ही भूमि को गिरवी रखने, उस भूमि पर स्थित संस्थान के विकास के उद्देश्य के लिए संसाधनों की वृद्धि के लिए ही मुक्त होगा।

के.यू.के. के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि एस.बी. इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलोजी, फतेहपुर पुंडरी (कैथल) ने संपत्ति (भवन तथा उपकरण) के गिरवी रखने के बाद पंजाब नेशनल बैंक से 31 मार्च 2013 की बैलेंस शीट में इंगित किए गए अनुसार ₹ 13.79 करोड़ का ऋण लिया। कालेज, ऋण का पुनर्भुगतान करने में विफल रहा तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित 256 विद्यार्थियों के भविष्य को दांव पर रखते हुए अकादमिक सत्र की मध्य अवधि के दौरान न्यायालय के माध्यम से बैंक ने संपत्ति जब्त कर ली (अप्रैल 2015)। विश्वविद्यालय ने तथापि, केवल 20 विद्यार्थियों को अन्य संस्थानों में शिफ्ट करने की व्यवस्था की। तीन अन्य विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया जबकि एक ने पढ़ाई छोड़ दी। शेष 232 विद्यार्थियों के भाग्य के संबंध में कोई अभिलेख नहीं था। यदि

[30] के.यू.के.: कैलेण्डर खण्ड - I के अध्यादेश XVI के अध्याय 1 की धारा 3

[31] के.यू.के.: कैलेण्डर खण्ड - I के अध्यादेश XVI के अध्याय 1 की धारा 14

संस्थानों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण के लिए संबद्ध विश्वविद्यालयों के अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों तथा अध्यादेशों में पर्याप्त प्रावधान होते तो इस स्थिति से बचा जा सकता था।

ए.सी.एस., टी.ई. विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया तथा एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि मामले की जांच की जाएगी और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

2.3.7 पी.सीज तथा पी.यू. से प्राप्तियां और उनका लेखांकन

2.3.7.1 प्रोसेसिंग फीस के लेखांकन हेतु अभिलेख का रख-रखाव न करना/प्रोसेसिंग फीस प्रभारण हेतु प्रावधान का अभाव

(क) पी.सीज की स्थापना के लिए तैयार किए गए एच.ई. विभाग के दिशानिर्देश (जुलाई 2004) में नया कालेज खोलने के लिए ₹ 25,000 की दर पर प्रोसेसिंग फीस और नया कोर्स आरंभ करने के लिए ₹ 10,000 की दर पर कोर्स फीस का प्रावधान किया गया है। बुकलेट का मूल्य भी ₹ 100 प्रति कापी नियत किया गया था। इसके दृष्टिगत एच.ई. विभाग से प्राप्तियों एवं भुगतानों के अभिलेखों के रख-रखाव हेतु कैश-बुक/लेजर खोलना अपेक्षित था। विभाग ने जुलाई 2015 तक 206 (बी. एड-116, डिग्री-76, लॉ-14) प्राइवेट कालेजों की स्थापना के लिए एन.ओ.सी. जारी किए। विभाग ने प्रोसेसिंग फीस के संबंध में अभिलेखों जैसे लेजर, कैश-बुक, बैंक ड्राफ्टों की प्राप्ति और उनके नकदीकरण को दर्ज करने का रजिस्टर इत्यादि का रख-रखाव नहीं किया। तथापि, कुछ रजिस्टर/रफ पेपर रखे गए थे जिनके अवलोकन ने दर्शाया कि नए कालेज खोलने के लिए 301 आवेदनों तथा नए कोर्स शुरू करने के लिए 215 आवेदनों के संबंध में प्रोसेसिंग फीस 2004-10 के दौरान प्राप्त की गई के रूप में दर्ज पाई गई थी। इसके अतिरिक्त, 2004-08 के दौरान प्राप्त की गई लंबित सूची में से नए कालेज खोलने के लिए 42 आवेदन तथा नए कोर्स शुरू करने के लिए 14 आवेदन दर्ज किए गए नहीं पाए गए थे। इस पर वसूलनीय कुल राशि ₹ 108.65 लाख तक परिकलित की गई है। इस अवधि की बैंक विवरणी की जांच ने दर्शाया कि अक्तूबर 2008 तक प्रोसेसिंग फीस के कारण केवल ₹ 88.10[32] लाख की कुल प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार, बैंक में ₹ 20.55 लाख की कम प्राप्ति हुई।

ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान मामले को गंभीरता से लिया और मामले में उत्तरदायित्व नियत करने तथा सभी प्राप्तियों का लेखांकन करने हेतु सभी व्यवस्थाएं करने के लिए निदेशक, एच.ई. विभाग को आदेश दिया।

(ख) डिग्री कालेजों के लिए 2008-09 में दिशानिर्देश संशोधित किए गए थे जिनमें प्रोसेसिंग फीस तथा कोर्स फीस के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था और प्रोसेसिंग फीस प्रभारित न करने के लिए कारण/तर्क रिकार्ड में दर्ज नहीं किए गए थे। इस प्रकार, दिशानिर्देश तैयार करने की प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी। ये दिशानिर्देश 9 जनवरी 2014 तक लागू रहे। तत्पश्चात्, दिशानिर्देश 10 जनवरी 2014 को पुन: संशोधित किए गए थे जिनमें नए कालेज खोलने के लिए प्रोसेसिंग फीस की दर ₹ दो लाख नियत की गई थी। विभाग को 2008-09 में तैयार किए गए डिग्री कालेजों को खोलने के लिए प्रोसेसिंग फीस का प्रावधान न होने की चूक का पता

[32] ₹ 88,10,000 = {(272 X ₹ 25,000) + (201 X ₹ 10,000)}

नहीं चला यद्यपि लॉ कालेज खोलने के लिए अगस्त 2010 में नए दिशानिर्देश तैयार किए गए थे जिनमें ₹ दो लाख की प्रोसेसिंग फीस नियत की गई थी। विभाग ने 2008 – 15 के दौरान 53 प्रस्तावों को प्रोसेस किया तथा 2009 – 16 के दौरान (अगस्त 2015 तक) डिग्री कालेजों को खोलने के लिए एन.ओ.सी. जारी किए। सरकार को प्रोसेसिंग फीस के कारण 2008 – 09 से 2013 – 14 की अवधि के दौरान (8 जनवरी 2014 तक) ₹ 97[33] लाख का राजस्व छोड़ना पड़ा। इसके अतिरिक्त, कोर्स फीस नियत न करने के कारण राजस्व की हानि थी।

एच.ई. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि प्रोसेसिंग फीस की वसूली के लिए कोई उपाय नहीं था क्योंकि इसे पूर्व – प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। तथ्य यह रहता है कि सरकार को दिशानिर्देश तैयार करने में त्रुटिपूर्ण प्रणाली के कारण ₹ 97 लाख के राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

(ग) उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों के अनुसार, एम.ई.आर. विभाग (नर्सिंग शाखा) ने 2007 – 11 के दौरान 97 एन.ओ.सीज जारी किए और निजी नर्सिंग महाविद्यालयों/विद्यालयों की स्थापना के लिए 544 प्रस्ताव प्रोसेस किए। ब्रोचर के विक्रय से प्राप्त राशि सहित प्राप्य कुल प्रोसेसिंग फीस ₹ 1.86 करोड़ परिकलित की गई। यद्यपि ₹ 0.58[34] करोड़ की प्राप्ति के अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध थे, ₹ 1.28 करोड़ की शेष राशि बिना मिलान के रह गई (दिसंबर 2015)। ₹ 9.10 लाख की आहरित राशि में से, ₹ 6.22 लाख टी.ए./डी.ए., टी सेट, पर्दे, सोफा कवर इत्यादि की खरीद पर खर्च कर दिए गए। ₹ 2.88 लाख की शेष राशि का कोई लेखा विभाग के पास उपलब्ध नहीं था।

निदेशक, एम.ई.आर. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि उनका निदेशालय 2009 में अस्तित्व में आया और नर्सिंग शाखा से संबंधित कार्य जनवरी 2011 में शिफ्ट किया गया। इससे पहले, लेखे डी.जी.एच.एस. द्वारा रखे गए थे। आगे यह बताया गया कि मामला मिलान के लिए डी.जी.एच.एस. के साथ उठाया जाएगा।

(घ) 43 मामालों में आवेदको से 31 दिसंबर 2008 और 14 जुलाई 2014 के बीच प्रोसेसिंग फीस के रूप में प्राप्त ₹ 10.70 लाख मूल्य के बैंक ड्राफ्ट क्लीयरेंस के लिए बैंक को प्रस्तुत नहीं किए गए थे और विभाग के पास पड़े थे (दिसंबर 2015)। अन्य 39 मामलों में 7 जनवरी 2009 और 18 अगस्त 2009 के बीच प्राप्त ₹ 1.95 लाख मूल्य के बैंक ड्राफ्ट पुनर्वैधता (रिवैलिडेशन) के लिए स्पोंसरिंग निकायों/प्रबंधन को वापस कर दिए गए (अप्रैल 2010)। तथापि, यह प्रमाणित करने के लिए कि यह बैंक ड्राफ्ट वापस प्रापत किए गए थे, एम.ई.आर. विभाग के पास कोई अभिलेख नहीं था (मार्च 2015)।

निदेशक, एम.ई.आर. विभाग ने एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि 10 मामलों में एन.ओ.सी. जारी किए गए थे और 33 मामले लंबित थे। रिवैलिडेशन के लिए आवेदको को वापस किए गए जहां तक संबंध है यह बताया गया कि ₹ 1.95 लाख के बैंक ड्राफ्टस का डी.जी.एच.एस. से स्थिति इकट्ठी की जा रही है।

[33] 2009 – 10: 4 X ₹ 25,000 + 2011 – 16: 48 X ₹ 2,00,000 = ₹ 97 लाख। एक मामले में फीस प्राप्त की गई (2015)।

[34] आहरित: ₹ 9.10 लाख; ड्राफ्ट अस्वीकृत: ₹ एक लाख और पास बुक्स में शेष: ₹ 47.73 लाख।

(ड.) एम.ई.आर. के मार्ग निर्देशों में मैडिकल, आयुर्वेदिक, दंत, होम्योपैथिक विश्वविद्यालय इत्यादि खेलने के लिए, अनिवार्यता प्रमाण-पत्र (ई.सी.) जारी करने के लिए प्रोसेसिंग फीस के लिए कोई प्रावधान नहीं था। सरकार ने मार्च 2015 तक 42[35] ई.सीज जारी कर दिए थे। किसी प्रावधान की अनुपस्थिति में विभाग ई.सीज को जारी करने के लिए प्रोसेसिंग फीस वसूल नहीं कर सका। विभाग राजस्व सृजित करने हेतु ई.सी. जारी करने के लिए प्रोसेसिंग फीस नियत करने पर विचार कर सकता है।

निदेशक, एम.ई.आर. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि अनिवार्यता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रोसेसिंग फीस के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।

ऊपर के उदाहरण विभागों का वित्तीय लेन-देनों पर अपर्याप्त नियंत्रण इंगित करते है जो निधियों के दुर्विनियोजन के जोखिम से पूर्ण है।

2.3.7.2 बैंक गारंटियों के संबंध में देखी गई अनियमितताएं

(i) स्वयं वित्तपोषित आधार पर नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय खोलने के लिए परिचालन मार्गनिर्देशों (2007) के अनुच्छेद 2(3) के अनुसार, आवेदक द्वारा एम.ई.आर. विभाग को प्रतिभूति के रूप में समय-समय पर नवीकृत बैंक गारंटी या एफ.डी.आर. मूलरूप में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी। राज्य सरकार ने आगे जी.एन.एम./ए.एन.एम. के लिए ₹ 50 लाख तथा बी.एस.सी. नर्सिंग (बेसिक और पोस्ट बेसिक) एम.एस.सी नर्सिंग के लिए ₹ एक करोड़ की दर पर बैंक गारंटी की राशि निर्धारित की (अगस्त 2008)। यदि संस्थान अपने आप को चलाने/कायम रखने में असमर्थ होता है तो नामांकित छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए/स्टाफ के वेतन और संस्थाओं को चलाने की अन्य लागतों का भुगतान करने के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत बी.जीज/एफ.डी.आरज जब्त कर ली जाएगी।

यह देखा गया कि 290 छात्रों[36] की संस्वीकृत भरती के साथ गांव बुडेरा, जिला गुड़गांव में दशमेश कालेज आफ नर्सिंग स्थापित करने के लिए दशमेश ऐजुकेशनल चेरिटेबल ट्रस्ट को दिसंबर 2012 और जून 2013 के बीच अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सीज) जारी किए गए। मार्गनिदेर्शो के अनुसार ₹ तीन[37] करोड़ की कुल बैंक गारंटी अपेक्षित थी। तथापि, जनवरी 2012 में केवल बेसिक बी.एस.सी./बी.एस.सी. के संबंध में ₹ एक करोड़ की बैंक गारंटी लेने के बाद एन.ओ.सीज जारी किए गए और अंतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए कोई बी.जी. प्राप्त नहीं की गई थी। इस प्रकार ₹ दो करोड़ मूल्य की बी.जी. कम प्राप्त की गई थी (दिसंबर 2015)। आगे, जून 2012 में जी.एन.एम./ए.एन.एम. के संबंध में 40 छात्रों की मूल ईकाई और बी.एस.सी. नर्सिंग (बेसिक और पोस्ट बेसिक)/एम.एम.सी. 50 छात्रों के संबंध में बी.जी. की राशि नियत की गई (अगस्त 2011)। यह अवलोकित किया गया कि विभिन्न कोर्सो के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि के साथ बी.जी. की राशि बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

35 मेडिकल कालेज: 7, डेंटल कालेज: 13, फिजियोथेरेपी कालेज: 12, होम्योपैथी कालेज: 1 तथा आयुर्वेदिक कालेज: 9

36 जी.एन.एम.: 100, ए.एन.एम.: 40, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी./बी.एस.सी: 100, एम.एस.सी.: 50

37 जी.एन.एम.: ₹ 50 लाख, ए.एन.एम.: ₹ 50 लाख, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी./बी.एस.सी.: ₹ एक करोड़ और एम.एस.सी.: ₹ एक करोड़।

इस प्रकार, बी.जीज की अपर्याप्त राशि के कारण संस्थान चलाने में प्रबंधन की विफलता के समय विभाग वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु समर्थ नहीं होगा।

निदेशक, एम.ई.आर. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि छात्रों की भर्ती की क्षमता में वृद्धि के लिए बीजीज/एफ.डी.आरज की अतिरिक्त राशियां प्राप्त नहीं की जा रही थी और राशि नीति के अनुसार ली गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि विभिन्न कोर्सों के लिए अतिरिक्त बी.जीज अपेक्षित थी। आगे, चूकि बी.जीज का उद्देश्य संस्थान चलाने के लिए प्रबंधन की विफलता और विभाग पर पड़ने वाली जिम्मेदारी की घटना में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था, छात्रों के हितों के बचाव के लिए बी.जीज प्राप्त करना आवश्यक था।

(ii) एम.ई.आर. विभाग ने भिन्न-भिन्न कोर्सों/नर्सिंग विद्यालयों/महाविद्यालयों और मेडिकल महाविद्यालयों के संबंध में भर्ती के लिए समान राशि की बी.जीज/एफ.डी.आरज प्राप्त की थी। यह अवलोकित किया गया कि संस्थान चलाने हेतु प्रबंधन की विफलता है और सरकार पर संस्थान चलाने के लिए सरकार पर पड़ने वाली जिम्मेदारी की घटना में विभन्न प्रकार के संस्थानों/कोर्सों/भर्तियों को चलाने के लिए खर्चे पूरे करने के लिए निधियों की आवश्यकता को मूल्यांकित करने के लिए कोई यंत्रावली नहीं थी। 150 सीटों की क्षमता वाली दो एम.बी.बी.एस. संस्थाओं से ₹ पांच करोड़ की बी.जीज प्राप्त की गई थी, जबकि 150 और 100 सीटों की क्षमता वाली दो अन्य एम.बी.बी.एस. संस्थाओं के संबंध में ₹ 10 करोड़ की बी.जीज प्राप्त की गई थी। आगे, तीन संस्थों से छात्रों की भर्ती की क्षमता 50 से 60, 60 से 100 और 50 से 100 तक बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बी.जी./एफ.डी.आर. प्राप्त नहीं की गई। यह प्रतिबिंबित करता है कि बी.जी./एफ.डी.आर. की राशि नियत करने में कोई निश्चित मानदंड लागू नहीं किए गए और छात्रों की भरती की क्षमता में वृद्धि के लिए अतिरिक्त बी.जीज/एफ.डी.आरज प्राप्त करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए।

निदेशक, एम.ई.आर. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान यह स्वीकारते हुए कि बी.जी./एफ.डी.आर. की राशि का नियतन वास्तविक आवश्यकता या मूल्यांकन आधार पर नहीं था कहा कि इस संबंध में एक समुचित नीति बनाई जाएगी।

(iii) एच.ई. विभाग के 2008 में जारी मार्ग निर्देशों के क्लॉज-I के अनुसार, एक नया डिग्री कालेज (स्वयं वित्त पोषित) खोलने के लिए कालेज के स्पोंसरिंग निकाय से ₹ एक करोड़ की राशि की बैंक गारंटी प्राप्त की जानी अपेक्षित है। विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि तीन[38] कालेजों को बैंक गारंटियां प्राप्त किए बिना डिग्री कालेज शुरू करने के लिए एन.ओ.सीज दिए गए (नवंबर 2014)। इस प्रकार, विभाग द्वारा एन.ओ.सीज मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में जारी किए गए थे।

विभागीय अधिकारियों ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान बताया कि दो[39] मामलों के संबंध में बी.जीज प्राप्त कर लिए गए हैं और शेष एक मामले में भी बी.जीज प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ए.सी.एस. ने मामले को गंभीरता से लिया और निदेशक, एच.ई. को ऐसे सभी मामलों की जांच

[38] (i) सी.आर., डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, ऐलनाबाद (सिरसा), (ii) गौरव डिग्री कालेज, आजम नगर (नारनौल) तथा (iii) करनाल डिग्री कालेज, कुंजपुरा (करनाल)।

[39] (i) सी.आर. डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, ऐलनाबाद (सिरसा), तथा (ii) करनाल डिग्री कालेज, कुंजपुरा (करनाल)।

करने और ऐसी गंभीर चूक के लिए उत्तरदायित्व नियत करने के लिए कहा। दो मामलों, जहां बी.जी. प्राप्त की गई है बताई गई थी, का आगे सत्यापन करने (जनवरी 2016) पर यह अवलोकित किया गया कि करनाल डिग्री कॉलेज, कुंजपुरा (करनाल) के संबंध में बी.जी. विभाग की अभिरक्षा में नहीं थी। निदेशक, एच.ई. विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2016) कि नौ और मामलों में बी.जीज प्राप्त नहीं की गई थी जबकि दो मामलों के संबंध में बी.जी. उनके अभिलेखों में ट्रेसेबल नहीं थी। आगे, ₹ 26.50 करोड़ की राशि के 27 मामलों में बी.जीज दिसंबर 2015 तक नवीकृत नहीं करवाए गए जबकि ये मार्च 2010 और नवंबर 2015 के बीच नवीकरण किया जाना वांछित था।

2.3.7.3 अनुचित लाभ

हरियाणा प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम-2006 और उसके अधीन नियमों की धारा 4(i) के प्रावधानों के अनुसार, एक आवेदन पत्र जिसमें प्रस्ताव तथा परियोजना रिपोर्ट के साथ प्राइवेट सैक्टर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भूमि का सबूत हो, स्पोंसरिंग निकाय द्वारा ₹ 10 लाख की वापस न लौटाई जाने वाली फीस के साथ सरकार को दिया जाएगा।

पलवल (फरीदाबाद) में एक पी.यू. (स्वयं वित्त पोषित) स्थापित करने के लिए एक आवेदन पत्र एन.आई.आई.एल.एम. एजुकेशन ट्रस्ट, फरीदाबाद से ₹ 10 लाख की प्रोसेसिंग फीस के साथ प्राप्त हुआ (16 जून 2009)। स्पोंसरिंग निकाय ने कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र के उप कुलपति की अध्यक्षता के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित शैक्षिक विशेषज्ञ समिति के सामने 4 जनवरी 2010 को मामले की प्रस्तुति के दौरान स्थान पलवल से कैथल परिवर्तित कर दिया। समिति ने प्रस्ताव नियमानुसार नहीं पाया (8 जनवरी 2010) क्योंकि ट्रस्ट कैथल में उपलब्ध भूमि के विवरण प्रस्तुत करने तथा पंचवर्षीय विकास योजना भी प्रस्तुत करने में विफल रहा। आगे, यह अवलोकित किया गया कि निरीक्षण की तिथि (8 जनवरी 2010) को कैथल जिले में स्पोंसरिंग निकाय के पास कोई भूमि उपलब्ध नहीं थी क्योंकि भूमि केवल 19 जनवरी 2010 को खरीदी गई थी। इस प्रकार, मामला प्रोसेसिंग फीस जब्त करने के साथ अस्वीकृत करने योग्य था। स्पोंसरिंग निकाय ने (23 जनवरी 2010) गांव मौजा (जिला कैथल) में 21 एकड 1 कनाल और 8 मरला भूमि की खरीद बारे सूचना प्रस्तुत की। तत्पश्चात, प्रधान सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता में एक समिति ने 12 जुलाई 2010 को मामले पर विचार किया और कुछ शर्तों के तहत विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए लेटर आफ इनटेंट (एल.ओ.आई.) जारी करने की सिफारिश की और तदनुसार एल.ओ.आई. जारी कर दिया गया (सितंबर 2010)। उसके पश्चात्, एल.ओ.ई. की शर्तों की अनुपालना के लिए मामला पत्राचार अधीन रहा और अंत में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया (अगस्त 2011)। चूंकि प्रस्ताव सही नहीं था, पहले प्रस्ताव पर विचार करने की बजाय स्पोंसरिंग निकाय को ₹ 10 लाख की प्रोसेसिंग फीस के साथ एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को ₹ 10 लाख की हानि हुई।

ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने बताया (दिसंबर 2015) कि अधिनियम की धारा 4(2) (ई) निर्धारित करती है कि 'भूमि की उपलब्धता और भवन और मूलभूत संरचना सुविधाओं के ब्यौरे, यदि पहले ही विद्यमान हैं, जिसका अर्थ है कि प्रस्ताव पर दोनो परिस्थितियों में विचार किया जा सकता है अर्थात् स्पोंसरिंग निकाय के पास भूमि, इत्यादि है या नहीं। उत्तर तर्क पर पूरा नहीं उतरता क्योंकि प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए स्पोंसरिंग निकाय के पास भूमि की

उपलब्धता का प्रमाण प्रदान करना प्राथमिक शर्त थी। यहां संदर्भित शब्द 'यदि पहले ही विद्यमान' भवन तथा मूलभूत संरचना से संबंध रखते हैं भूमि से नहीं। चूंकि निरीक्षण के समय (8 जरवरी 2010) आवेदक के पास भूमि उपलब्ध नहीं थी, आवेदन पत्र अस्वीकृत करने योग्य था। मामले को अस्वीकृत न करके विभाग ने आवेदक को अनुचित लाभ दिया।

2.3.8 नियमों, विनियमों इत्यादि का कार्यान्वयन और मूलभूत संरचना और फैकल्टी की उपलब्धता

2.3.8.1 जाली दस्तावेजों पर मान्यता

एन.सी.टी.ई. (मान्यता, मानदंड एवं प्रक्रिया) विनियम 2007 के लिए संशोधन के संबंध में 31 अगस्त 2009 की अधिसूचना के अनुच्छेद 5 में प्रावधान है कि स्पोंसरिंग निकाय द्वारा भूमि, भवन योजना, मूलभूल संरचना, क्लासरूमज, प्रयोगशलाएं, पुस्तकालय, इत्यादि के पूर्ण ब्यौरे के साथ एन.सी.टी.ई. के क्षेत्रीय कार्यालय को ऑनलाईन प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित है। तत्पश्चात, एन.सी.टी.ई. की क्षेत्रीय समिति द्वारा नए बी.एड कालेज खेलने के लिए स्थल निरीक्षण किया जाता है। किए गए निरीक्षण की वीडियोग्राफी की जानी अपेक्षित है। राज्य सरकार और संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा भी एन.सी.टी.ई. को एक निर्धारित अवधि के भीतर अपनी सिफारिशें/टिप्पणियां प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैं। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि पी.सीज ने नियमों और विनियमों के उल्लंघन में मान्यता प्राप्त की जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(क) एन.सी.टी.ई. की उत्तरी क्षेत्रीय समिति ने गांव अलीकन (सिरसा) में 100 सीटों की भर्ती वाले नेहरू कालेज ऑफ एजुकेशन (एक बी.एड कालेज) खोलने की मान्यता दे दी (फरवरी 2014)। अस्थाई एफिलिएशन चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी (सी.डी.एल.यू.) द्वारा निरीक्षण (16 सितंबर 2014) करने के बाद को प्रदान किया गया (17 सितंबर 2014)। भवन योजना के अभिलेखों, संस्थान के वेबसाईट के अवलोकन तथा विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों के साथ स्थल निरीक्षण (21 अप्रैल 2015) ने दर्शाया कि सोसाईटी पहले ही परिसर, (भवन) में एक आई.टी.आई. और एक प्राथमिक स्कूल चला रही थी जिस पर संस्था ने तथ्यों को छिपाकर बी.एड. कालेज की मान्यता/संबंधन प्राप्त कर लिया था।

इस प्रकार, विनिमायक निकाय तथा एफिलिएशन विश्वविद्यालय के निरीक्षण समिति सदस्यों ने स्थल का निरीक्षण सही ढंग से नहीं किया था। यदि इन समितियों ने सही निरीक्षण किया होता, गलत सूचना पर आधारित बी.एड कालेज की मान्यता/संबंधन की स्वीकृति का परिहार किया जा सकता था।

यह इंगित किए जाने पर सी.डी.एल.यू. ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की (मई 2015)।

(ख) एन.सी.टी.ई. (मान्यता, मानदंड और प्रक्रिया) विनियम 2009 के अनुसार बी.ए.डी. कोर्स चलाने के लिए 1,500 वर्गमीटर (16,146 वर्ग मीटर) का निर्मित क्षेत्र और एच.ई. मार्गनिदेशों के अनुसार 10 जनवरी 2014 से नया डिग्री कालेज खोलने के लिए 25,000 वर्ग फीट का कुल निर्मित क्षेत्र अनिवार्य है।

एन.सी.टी.ई. ने सी.आर.डी.ए.वी गर्ल्ज कालेज ऑफ ऐजुकेशन (एक बी.ए.डी. कालेज), ऐलनाबाद, सिरसा को 100 सीटों की भर्ती के साथ मान्यता प्रदान की (दिसंबर 2010)। कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय ने भी 2010-11 के शैक्षिक सत्र से अस्थाई एफिलिएशन प्रदान कर दिया (दिसंबर 2010) कालेज के एफिलिएशन का अधिकार क्षेत्र 2011-12 सत्र से सी.डी.एल.यू. को ट्रांसफर कर दिया गया।

तदनन्तर, सोसाइटी ने विद्यमान बी.एड कालेज की भवन योजना इस तरह से प्रस्तुत करके डी.जी.एच.ई. से (नवंबर 2014) एक डिग्री कालेज के लिए अस्थाई एन.ओ.सी. प्राप्त कर लिया कि भवन का एक हिस्सा बी.ए.डी. कालेज के लिए और शेष डिग्री कालेज के लिए दर्शाया गया। अपेक्षित मूलभूत संरचना और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए डिग्री कालेज के लिए अस्थाई एन.ओ.सी. दो वर्षों के लिए वैध था। सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत योजना की संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि बी.ए.डी. कालेज के लिए आवृत क्षेत्र 16,146 वर्ग फुट की अपेक्षा के विरूद्ध 10,882.50 वर्ग फुट था और डिग्री कालेज के लिए 25,000 वर्ग फुट की अपेक्षा के विरूद्ध 12,223 वर्ग फुट था। सी.डी.एल.यू. ने, तथापि, जुलाई 2015 में 2015-16 सत्र से डिग्री कालेज के संबंध में अस्थाई एफिलिएशन प्रदान कर दिया (16 जुलाई 2015) जबकि 2015-16 सत्र के लिए बी.एड. कालेज के संबंध में अस्थाई संबध का एक्सटेंसन सितंबर 2015 को प्रक्रिया अधीन था।

इस प्रकार, अपर्याप्त भवन/मूलभूत संरचना के लिए सी.डी.एल.यू. द्वारा दोनों कालेजों को एफिलिएशन का एक्सटेंशन/स्वीकृति, गुणवत्ता शिक्षा के मूल प्रयोजन को समाप्त करते हुए मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में था।

(ग) स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुदेशों (20 अगस्त 2009) के अनुसार, एक ही परिसर के भीतर एक से अधिक नर्सिंग स्कूल/कालेज खोलने के लिए 4 एकड़ भूमि अपेक्षित थी। इसी प्रकार, दिनांक 31 अगस्त 2009 (एन.सी.टी.ई. विनियम) की अधिसूचना के परिशिष्ट 2 के अनुसार एक बी.एड. कालेज खोलने के लिए 2,500 वर्ग मीटर (5 कनाल) भूमि अपेक्षित थी।

अप्रैल 2015 में ऐलनाबाद (सिरसा) में एक संस्थान के सी.डी.एल.यू. के प्रतिनिधियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण ने प्रकट किया कि नर्सिंग स्कूल और कालेज के साथ बी.एड. कालेज 4 एकड़ 0.60 कनाल की भूमि की कुल उपलब्धता के साथ एक ही भवन में चलाया जा रहा था जो केवल नर्सिंग स्कूल और कालेज चलाने के लिए पर्याप्त था। इन संस्थाओं के लिए कुल अपेक्षित भूमि 4 एकड़ 5 कनाल (नर्सिंग स्कूल: 4 एकड़ और बी.एड कालेज: 5 कनाल) थी। इस प्रकार, ये संस्थाएं भूमि अपेक्षा के मानदंडों को पूरा नहीं कर रही थी।

यह इंगित किए जाने पर, सी.डी.एल.यू. ने संस्थान को स्पष्टीकरण देने और कमियों को दूर करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया (मई 2015)। आगे, प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2015)।

ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान उपयुक्त चैक लिस्टें बनाकर और राज्य एफिलिएशन विश्वविद्यालयों के बीच कालेजों के तर्कसंगत पुनर्गठन तथा बराबर वितरण द्वारा निरीक्षणों की प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए सहमत हुए।

2.3.8.2 भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई कमियां

गांव जेवड़ा (हिसार) में मानव इंस्टीटयूट ऑफ फार्मेसी, मानव इंस्टीटयूट ऑफ टैक्नोलोजी एंड मैनेजमैंट और मानव इंस्टीटयूट ऑफ ऐजुकेशन (बी.एड. कालेज) (अगस्त 2007 और सितंबर 2008 के बीच मान्यता और एफिलिएशन प्राप्त) की 1 मई 2015 को एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा भौतिक सत्यापन ने इन संस्थाओं में फर्निशड क्लासरूमज, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और पेयजल सुविधाएं, स्वच्छता का अभाव दर्शाया। दौरे के दिन संस्थान में बी.एड. छात्रों के लिए कोई कक्षाएं और प्राध्यापक वर्ग नहीं थे। प्रबंधन ने बताया (मई 2015) कि वे शिक्षण अभ्यास के लिए गए हुए थे जिसके लिए कोई प्रमाण जैसे शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम लेखापरीक्षा को नहीं दिखाया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि कमियों के बावजूद 2010 – 15 के दौरान इन संस्थाओं का अस्थाई एफिलिएशन जारी रखा गया, फार्मेसी के संस्थान को छोड़कर जहां यू.एच.एस. ने 2014 – 15 सत्र के लिए अस्थाई एफिलिएशन बंद कर दिया। इस प्रकार, कमियों के साथ संस्थानों का एफिलिएशन सात से आठ वर्षों के लिए एफिलिएशन जारी रखा गया जिससे शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किया गया। कमियों के बावजूद, ए.आई.सी.टी.ई. ने न केवल फार्मेसी और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के स्नाकोत्तर कोर्सों के लिए मान्यता बढ़ा दी बल्कि क्रमश: मार्च 2013 और अप्रैल 2013 में अंडर – ग्रेज्यूएट कोर्सों के लिए भर्ती की संख्या भी बढ़ा दी।

यू.एच.एस. ने बताया (मई 2015) कि संस्थान द्वारा कमियां सुधारने के लिए आश्वासन और अंडरटेकिंग के प्रस्तुतिकरण पर, 2009 – 10, 2010 – 11, 2012 – 13 और 2013 – 14 सत्रों के लिए संस्थान का अस्थाई एफिलिएशन बढ़ाने की स्वीकृति दे दी गई और निरीक्षण कमेटी ने 2011 – 12 में कमियां इंगित नहीं की। तथ्य यह रहता है कि विश्वविद्यालय ने कमियों के बावजूद इतनी लंबी अवधि के लिए अस्थाई एफिलिएशन की अनुमति दी।

ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान उपयुक्त चैक लिस्टें बनाकर और राज्य एफिलिएटिंग विश्वविद्यालयों के बीच कालेजों के तर्कसंगत एवं बराबर वितरण द्वारा प्रणाली को सुचारू बनाने की सहमति दी।

2.3.8.3 भूमि प्रयोग के परिवर्तन के लिए अनुमति प्राप्त किए बिना एन.ओ.सी. जारी किया गया

एच.ई. विभाग के मार्गनिर्देशों के अनुसार, एक पी.सी. खोलने के लिए आवेदक को लैटर आफ इनटेंट (एल.ओ.आई.) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं और शर्तों को पूरा करना अपेक्षित है। एल.ओ.आई. आगे निर्धारित करता है कि भूमि प्रयोग के परिवर्तन के लिए अनुमति (निदेशक ग्राम तथा नगर आयोजना विभाग) से प्राप्त की जानी चाहिए यदि भूमि का भाग ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं और किसी शहरी/नियंत्रित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।

एच.ई. विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 2014 – 15 सत्र से के.डी. डिग्री कालेज, महेंद्रगढ़ को खोलने के लिए उपयुक्त सी.एल.यू. प्राप्त किए बिना एन.ओ.सी. जारी कर दिया गया (नवंबर 2014)। सी.एल.यू. प्राप्त करने की बजाय, भूमि की स्थिति के संबंध में कुछ सूचना और आवेदक द्वारा पूर्ण की जाने वाली शर्तों जैसे विभिन्न विभागों के नियंत्रित क्षेत्र और शहरी क्षेत्र नियमों के प्रावधानों की अनुपालना, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) से

पहुच प्राप्त करने की जिला नगर आयोजक, नारनौल से अनुमति इत्यादि से युक्त पत्र को सी.एल.यू. माना गया।

ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि मामले की जांच की जाएगी तथा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

2.3.8.4 वेब पोर्टल

सी.डी.एल.यू (दिसंबर 2012) के अनुदेशों के अनुसार, प्रत्येक कालेज के लिए इसकी वेबसाइट पर शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ की, उनकी फोटो सहित और सभी मूलभूत संरचनाओं के ब्यौरों से संबंधित सभी सूचना यूनिवर्सिटी/काऊंसिल में वेबसाइट पर लिंक के साथ प्रदर्शित करना अनिवार्य था जिसका प्रत्येक मास की 10 तारीख को अद्यतन अवश्य किया चाना चाहिए। आगे, पी.यूज के मामले में, हरियाणा प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 34 सी (i) (के.) प्रावधान करती है कि दाखिला आरंभ होने की तिथि से पहले 60 दिन खत्म होने से पहले यूनवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर फीस, सीटों की संख्या, विद्यार्थियों की योग्यता की शर्तें, दाखिले की प्रक्रिया और छात्रों का चयन/टीचिंग फैक्ल्टी के विवरण, मूलभूत संरचना, पाठ्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा आदि के संबंध में सूचना प्रकाशित करेगी। तथापि, यह देखा गया था कि भौतिक रूप से सत्यापित किए गए (अप्रैल 2015) 11 संस्थानों में से नेहरू कालेज ऑफ एजुकेशन, अलिका (सिरसा) ने अपनी वेबसाइट विकसित नहीं की थी। आगे, पी.सीज तथा पी.यूज भी अपनी वेबसाइट नियमित रूप से अद्यतन नहीं कर रहे थे।

ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि पी.यूज द्वारा सांविधिक प्रावधानों की अनुपालना को मानीटर करने के लिए निदेशालय स्तर पर एक अलग शाखा अर्थात् प्राईवेट यूनिवर्सिटी विनियामक शाखा की स्थापना की जाएगी। यह भी बताया गया था कि पी.सीज में इन प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

2.3.8.5 आरक्षण/फीस रियायत नीति का कार्यान्वयन

हरियाणा प्राइवेट विश्वविद्यालयों अधिनियम 2006 तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियम पी.यूज में सरकारी नीति के अनुसार हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण तथा फीस रियायत का प्रावधान करते हैं।

यह देखा गया कि एच.ई. विभाग ने पी.यूज द्वारा इन प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक रिटर्नें निर्धारित की थी लेकिन ये रिटर्नें पी.यूज द्वारा नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे। पांच चयनित पी.यूज द्वारा 16 वार्षिक रिटर्नों की प्रस्तुति की आवश्यकता के विरूद्ध, मार्च 2015 तक केवल पांच रिटर्नें प्रस्तुत की गई थी। आगे, रिटर्नें सही तरीके से नहीं भरी गई थी क्योंकि एन.आई.आई.एल.एम. विश्वविद्यालय द्वारा 2011-12 तथा 2012-13 की अपनी रिटर्नों में विद्यार्थियों को दी गई फीस रियायत के ब्यौरे नहीं भरे गए थे। पी.यूज ने यह जानकारी उनकी वेबसाइट पर भी अपलोड नहीं की थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा द्वारा इन प्रावधानों की अनुपालना को सत्यापित नहीं किया जा सका।

ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि पी.यूज द्वारा सांविधिक प्रावधानों की अनुपालना को मानीटर करने के लिए निदेशालय स्तर पर एक अलग शाखा यानि प्राईवेट विश्वविद्यालय नियामक शाखा स्थापित की जाएगी।

2.3.8.6 आधारभूत संरचना

लेखापरीक्षा द्वारा एच.ई., एम.ई.आर. तथा टी.ई. विभागों तथा एफिलिएटिंग विश्वविद्यालयों के अभिलेखों के अवलोकन के साथ-साथ 11 पी.सीज में एफिलिएटिंग विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (अप्रैल 2015) ने निम्नलिखित कमियां दर्शाई:

- किसी भी पी.सीज में विकलांग तथा वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए बाधा रहित पर्यावरण सहित महिलाएं तथा पुरूषों के लिए अलग से विशेष रूप से डिजाईन किए गए शौचालयों की उपलब्धता नहीं थी। रैम्प का प्रावधान केवल दो[40] संस्थानों में था।
- लॉर्ड शिवा ग्रुप ऑफ इंस्टीटयूशन, सिरसा में छात्रावास में सही आधारभूत संरचना, स्वच्छता सुविधाएं, मैस सुविधाएं तथा अन्य सुविधाएं नहीं थी। ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीटयूशनज, हिसार में लड़कियों के छात्रावास का ग्राउंड फ्लोर स्टाफ के आवास के रूप में प्रयुक्त किया था तथा छात्रावास के लिए कोई चार दीवारी नहीं थी।
- पांच[41] पी.सीज में सही स्वच्छता नहीं थी; तथा
- चार[42] संस्थानों में प्रयोगशालाएं पूरी तरह से साज-समान सहित नहीं थी जबकि पांच[43] संस्थानों में पुस्तकालय पूरी तरह से साज-समान सहित नहीं थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने आश्वासन दिया कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए पी.सीज/पी.यूज के भौतिक सत्यापन करने की प्रणाली स्थापित की जाएगी।

2.3.8.7 कम योग्यता प्राप्त प्राध्यापक वर्ग की नियुक्ति

यू.जी.सी. विनियमों (अनुच्छेद 4.4.5) ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर/लैक्चरर की निम्नलिखित योग्यता निर्धारित की थी:

- प्रोफेसर/डीन/एसोसिएट प्रोफेसर: उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री तथा अध्यापन, अनुसंधान तथा उद्योग में 10 या अधिक वर्षों

40 (i) ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीच्यूशनज हिसार तथा (ii) मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीच्यूशनज, जेवरा (हिसार)।

41 (i) आर.आर. कालेज ऑफ एजुकेशन, ऐलनाबाद (सिरसा) (ii) एपेक्स कालेज ऑफ एजुकेशन, ऐलनाबाद (सिरसा) (iii) ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीच्यूशनज, हिसार, (iv) लार्ड शिवा ग्रुप ऑफ इंस्टीच्यूशनज, सिरसा तथा (v) मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीच्यूशनज, जेवरा (हिसार)।

42 (i) नेहरू कालेज ऑफ एजुकेशन, अलिका (हिसार), (ii) चौधरी छोटू राम जाट कालेज ऑफ एजुकेशन, ऐलनाबाद (सिरसा) तथा (iii) सी.आर. डी.ए.वी. गर्ल्ज कालेज ऑफ एजुकेशन, ऐलनाबाद (सिरसा) तथा (iv) मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीच्यूशनज, जेवरा (हिसार)।

43 (i) नेहरू कालेज ऑफ एजुकेशन, अलिका (हिसार), (ii) चौधरी छोटू राम जाट कालेज ऑफ एजुकेशन, ऐलनाबाद (सिरसा) (iii) सी.आर.डी.ए.वी. गर्ल्ज कालेज ऑफ एजुकेशन, ऐलनाबाद (सिरसा), मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीच्यूशनज, जेवरा (हिसार) तथा (iv) सी.एस.एल. इंस्टीच्यूट ऑफ एडवांसड स्टडीज, सिरसा।

(प्रोफेसर/डीन)/आठ या अधिक वर्ष (एसोसिएट प्रोफेसर) का अनुभव जिसमें से कम से कम 5 वर्षों का सहायक प्रोफेसर स्तर या समकक्ष ग्रेड का अनुभव हो, या यदि उम्मीदवार उद्योग या व्यवसाय से है, तो उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में मास्टरज डिग्री तथा महत्वपूर्ण व्यवसायिक कार्य जिसे उपयुक्त शाखा में पीएच.डी. के समकक्ष माना जा सके, का होना अनिवार्य था।

- सहायक प्रोफेसर/लैक्चरर: उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।

यू.जी.सी. अभिलेखों तथा एच.ई. विभाग को प्रस्तुत वार्षिक रिर्पोटों से संगृहीत (जुलाई 2015) पांच चयनित पी.यूज में से चार[44] से संबंधित सूचना के अवलोकन ने दर्शाया कि चार पी.यूज ने स्नातक स्तर तक या इससे भी कम की योग्यता तथा वह भी अपेक्षित अनुभव के बिना, शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हुए 51 प्राध्यापक (प्रोफेसर: 8, एसोसिएट प्रोफेसर: 10 तथा सहायक प्रोफेसर: 33) नियुक्त किए थे। आगे, तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक विभाग में कम से कम एक प्रोफेसर तथा दो एसोसिएट प्रोफेसर प्राध्यापक आवश्यकता तथा ए.आई.सी.टी.ई. के संवर्ग अनुपात मानदण्डों के विरूद्ध कैथल में स्थित एक पी.यू. में कोई प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त नहीं किया गया था। प्राध्यापक की योग्यता के बारे में अद्यतित जानकारी न तो यू.जी.सी. द्वारा और न ही एच.ई. विभाग द्वारा रखी गई थी (दिसंबर 2015)। आगे, सूचना को दिखाते हुए संबंधित विश्वविद्यालयों की रिपोर्टें एच.ई. विभाग को प्रस्तुत नहीं की गई थी, जिनकी अनुपस्थिति में पी.यूज में तैनात प्राध्यापक की योग्यता की वर्तमान स्थिति को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने बताया कि इस संबंध में पी.यूज का डाटा एकत्रित किया जाएगा, निरीक्षित किया जाएगा तथा चूककर्त्ता पी.यूज के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी तथा पी.सीज के संबंध में, मामले को देखने तथा सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एफिलिएटिंग विश्वविद्यालयों को निदेश जारी कर दिए जाएंगे।

2.3.9 आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली

आंतरिक नियंत्रण लागू नियमों तथा विनियमों की अनुपालना के बारे में प्रबंधन को उचित आश्वासन प्रदान करता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी क्योंकि मान्यता, संबंधन, निरीक्षण, वित्तीय तथा प्रशासनिक नियंत्रण, बैंक गारंटी को प्राप्त करना आदि जैसा कि पिछले पैरों में चर्चा की गई है के संबंध में प्राइवेट संस्थाओं के खोलने पर नियंत्रण का अभाव था। इनके अतिरिक्त शिकायतों के निवारण निम्न प्रणाली विफलता, प्राइवेट कालेजों तथा प्राइवेट विश्वविद्यालयों पर अल्प नियंत्रण अवलोकित की गई थी:

2.3.9.1 शिकायतों का निवारण

प्रशासनिक विभागों/संगठनों द्वारा शिकायतों पर अनुक्रिया तथा उनका सही निपटान न केवल जमीनी स्तर तक कार्य प्रणाली पर बेहतर नियंत्रण करने में मदद करता है बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रभावकारिता भी लाता है। शिकायतों से संबंधित कोई भी रिकार्ड किसी

[44] (i) अंसल यूनिवर्सिटी, गुड़गांव (2012-13 की रिपोर्ट), (ii) एन.आई.आई.एल.एम. यूनिवर्सिटी, कैथल (2011-12 तथा 2012-13 की रिपोर्ट), (iii) एम.वी.एन. यूनिवर्सिटी, पलवल (2012-13 की रिपोर्ट) तथा (iv) आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी, गुड़गांव (2009-10 की रिपोर्ट)।

विभाग/विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया था। तथापि, 44 शिकायतों के विवरण प्रदान किए गए थे {यू.एच.एस. 6, एच.ई. (विश्वविद्यालय शाखा) 6: तथा टी.ई. 32}।

प्राप्त सूचना के अवलोकन ने दर्शाया कि विभाग में शिकायत निवारण प्रक्रिया बहुत घटिया थी क्योंकि मार्च 2015 तक केवल पांच मामलों में (एच.ई.-1 तथा टी.ई.-4) एक तर्कपूर्ण ढंग से शिकायतों का निपटान किया गया था। तथापि, यू.एच.एस. ने सभी शिकायतों का एक तर्कपूर्ण सिरे से निपटान कर दिया था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान ए.सी.एसज ने आश्वासन दिया कि शिकायतों के निवारण की प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए उपयुक्त प्रणाली विकसित की जाएगी।

2.3.9.2 अन्य मामले

(i) हरियाणा प्राइवेट विश्वविद्याल अधिनियम 2006 तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियम पी.यूज के ऊपर एक प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रावधान करते हैं। पी.यूज को एच.ई. विभाग को निम्नलिखित दस्तावेज/रिटर्नें प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैं:

(क) वार्षिक लेखाओं, बैलेंस शीटों तथा आडिट रिपोर्टस के साथ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों से समायुक्त वार्षिक रिपोर्टें।

(ख) विद्यार्थियों द्वारा देय फीस तथा प्रभारों के विवरण, प्रत्येक कोर्स/कार्यक्रम के संबंध में संस्वीकृत सीटों की संख्या, विद्यार्थियों के दाखिले की प्रक्रिया, शिक्षण वर्ग के, उनकी शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव सहित विवरण, भौतिक तथा अकादमिक मूलभूत संरचना तथा विद्यार्थियों को प्राप्त अन्य सुविधाएं तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा प्रोस्पैक्टस में प्रकाशित सभी अन्य प्रासंगिक जानकारी से संबंधित सूचना सरकार को एक कापी के साथ अनिवार्य रूप से बताना।

(ग) एच.ई. या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य निकाय या व्यक्तियों द्वारा वार्षिक अकादमिक तथा प्रशासनिक लेखापरीक्षा।

तथापि यह अवलोकित किया गया था कि पी.यूज द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इस प्रकार, एच.ई. विभाग, विद्यमान यंत्रावली के बावजूद इन मामलों पर सही नियंत्रण नहीं कर रहा था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने बताया कि प्रस्तावित प्राइवेट विश्वविद्यालय विनियामक शाखा द्वारा अनुपालना मानीटर की जाएगी तथा पी.यूज की अकादमिक तथा प्रशासनिक लेखापरीक्षा के लिए यह बताया गया था कि सही एजेंसी चयन करने के बाद यह कार्य आऊटसोर्स से करवाया जाएगा।

(ii) मार्गनिर्देशों में विभाग द्वारा पी.सीज की लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। यह इंगित किए जाने पर, ए.सी.एस., एम.ई.आर. विभाग ने बताया (दिसंबर 2015) कि विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थानों के निरीक्षण करने के लिए विभाग प्रस्ताव रख रहा है।

2.3.10 निष्कर्ष

प्राइवेट कालेजों की स्थापना के लिए नियम तथा विनियम ठोस नहीं थे। राज्य सरकार/एफिलिएटिंग विश्वविद्यालयों की टिप्पणियां प्राप्त किए बिना मान्यता दी गई थी। अपर्याप्त आधारभूत संरचना, प्राध्यापक वर्ग आदि रखने वाले कालेजों को विश्वविद्यालय एफिलिएशन प्रदान कर रहे थे। विश्वविद्यालयों द्वारा नियमित निरीक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं था। 2008-14 के दौरान प्राइवेट कालेजों की स्थापना के लिए प्रोसेसिंग फीस वसूल करने का कोई प्रावधान नहीं था जिसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की हानि हुई। एच.ई. तथा एम.ई.आर. विभागों ने सरकारी प्राप्तियों का सही रिकार्ड अनुरक्षित नहीं किया था। अपेक्षित राशि की बैंक गारंटी प्राप्त किए बिना एम.ई.आर. विभाग द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। इसी प्रकार, एच.ई. विभाग द्वारा बैंक गारंटियां प्राप्त किए बिना ही कुछ मामलों में अनापति प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। प्राइवेट कालेज अपर्याप्त आधारभूत संरचना के साथ चल रहे थे। नमूना-जांच की गई पांच प्राइवेट विश्वविद्यालयों में से चार में कम योग्यता प्राप्त प्राध्यापक नियुक्त किए गए थे। आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां कमजोर थी।

2.3.11 सिफारिशें

सरकारी/एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय विचार कर सकते हैं:

- निर्धारित अवधि के भीतर ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.टी.ई. को टिप्पणियों का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करना ताकि केवल पर्याप्त आधारभूत संरचना तथा फैकल्टी वाले संस्थान मान्यता प्राप्त करें;
- पर्याप्त शिक्षण वर्ग, कक्षाएं, प्रयोगशालाएं आदि सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा संस्थानों के एफिलिएशन की प्रणाली की पुन: समीक्षा करना;
- विश्वविद्यालयों/संबंधित विभागों द्वारा पी.सीज के नियमित निरीक्षण के लिए प्रावधान करना;
- एच.ई. तथा एम.ई.आर. विभागों द्वारा प्राप्तियों के सही अभिलेखों का रख-रखाव;
- एन.ओ.सी ज जारी करने से पहले उपयुक्त राशि की बैंक गारंटियों की प्राप्ति सुनिश्चित करना; तथा
- शिकायत निवारण, रिटर्नों की प्रस्तुति तथा पी.यूज/पी.सीज द्वारा अनिवार्य प्रकटीकरण के लिए सही प्रणाली विकसित करना।

अध्याय 3
अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय – 3

अनुपालन लेखापरीक्षा

पशुपालन तथा डेयरी विभाग

3.1 पशु–चिकित्सा मूलभूत संरचना तथा इसकी उपयोगिता

पशुपालन तथा डेयरी विभाग निधियों की उपलब्धता के बावजूद पशु–चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मूलभूत संरचना का सृजन करने में विफल रहा। आधुनिकीकरण परियोजना उद्देश्यों को प्राप्त किए बिना बंद कर दी गई। ₹ 1.79 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् 19 मोबाइल निदान प्रयोगशाला वैन, निदान उपकरण न खरीदने के कारण अप्रयुक्त रही। पालतू पशु क्लीनिक चलाने में अनियमितताएं देखी गई थी तथा वहां पशु–चिकित्सा मूलभूत संरचना का न्यून उपयोग था।

राज्य में मार्च 2015 तक 2,798 पशु–चिकित्सा संस्थाएं, 942 सरकारी पशु–चिकित्सा अस्पताल (स.प.चि.अ.), 1,813 सरकारी पशु–चिकित्सा डिस्पेंसरियां (स.प.चि.डि.), चार पोली क्लीनिक तथा 39 अन्य संस्थाएं थी।

2011–15 के दौरान विभाग ने ग्रामीण मूलभूत संरचना विकास निधि (ग्रा.मू.सं.वि.नि.) के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.) के अंतर्गत अनुदान लेकर स.प.चि.अ., स.प.चि.डि., पोली क्लीनिकों तथा मोबाइल वैनों सहित पशु–चिकित्सा मूलभूत संरचना के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया था। 2011–15 के दौरान ₹ 93.86 करोड़ की कुल परियोजना लागत के विरूद्ध चार स्कीमों[1] के अंतर्गत ₹ 50.75 करोड़ का व्यय किया गया था।

पशु–चिकित्सा मूलभूत संरचना के सृजन में दक्षता तथा इसके प्रभावी उपयोग का निर्धारण करने के उद्देश्य से जनवरी 2015 से अप्रैल 2015 के दौरान महा–निदेशक (म.नि.), पशुपालन तथा डेयरी विभाग (प.डे.वि.), पंचकूला तथा जिला स्तर पर व्यय के आधार पर बिना परिवर्तन संभावित समानुपातिक आकार (सं.स.अ.) विधि–प्रयोग करके चयनित आठ उप–निदेशकों (उ.नि.)[2] के कार्यालयों में 2011–15 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की नमूना–जांच की गई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई प्रमुख कमियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

(i) उद्देश्यों को प्राप्त किए बिना ग्रा.मू.सं.वि.नि. XVI के अंतर्गत आधुनिकीकरण परियोजना को बंद करना

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना (सितंबर 2010) के अनुसार 250 स.प.चि.अ. तथा

[1] (i) ग्रा.मू.सं.वि.नि.–XVI (₹ 7.81 करोड़); (ii) ग्रा.मू.सं.वि.नि.–XVI (2) (₹ 19.05 करोड़); (iii) ग्रा.मू.सं.वि.नि.–XVII (₹ 12.69 करोड़ एवं ₹ 9.41 करोड़); तथा (iv) रा.कृ.वि.यो. (₹ 1.79 करोड़)।

[2] (i) भिवानी, (ii) हिसार, (iii) झज्जर, (iv) कैथल, (v) नारनौल, (vi) रेवाड़ी, (vii) रोहतक तथा (viii) सोनीपत।

300 स.प.चि.डि. को ₹ 20.00 करोड़[3] का फर्नीचर तथा चिकित्सा उपकरण प्रदान करके आधुनिकीकृत किया जाना था जो मार्च 2013 तक पूरा किया जाना था।

महानिदेशक, प.डे.वि. के कार्यालय में अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि विभाग ने मार्च 2011 से मार्च 2012 के दौरान ₹ 4.09 करोड़ का फर्नीचर तथा ₹ 3.72 करोड़ के चिकित्सा उपकरण खरीदे। दिसंबर 2014 में जारी पूर्णता रिपोर्ट के अनुसार परियोजना पूरी तरह से पूर्ण की जा चुकी थी तथा चिकित्सकीय एवं निदान उपकरण के संबंध में कोई शेष कार्य लंबित नहीं था। तथापि, अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने दर्शाया कि आवश्यक उपकरण तथा निदान उपकरण अर्थात् रेफ्रिजरेटर, कैस्ट्रेटर्ज तथा आटो एनालाइजर्स इत्यादि नहीं खरीदे गए थे। इस प्रकार, आवश्यक उपकरण की खरीद न करने से नमूनों का परीक्षण तथा विश्लेषण प्रभावित हुआ और स.प.चि.अ./स.प.चि.डि. के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन का मूल उद्देश्य विफल हो गया।

अपर मुख्य सचिव (अ.मु.स.) ने बताया (दिसंबर 2015) कि उच्चतर लागत के कारण अपेक्षित 250 आटो एनालाइजर्स की बजाए केवल 17 आटो एनालाइजर्स खरीदे गए थे तथा इन उपकरणों की हाई-थ्रूपुट प्रकृति के कारण संपूर्ण जिले में उपयोग हेतु एक उपकरण पर्याप्त था। यह आगे बताया गया था कि स.प.चि.अ./स.प.चि.डि. के हार्डनिंग हेतु अपेक्षित अधिकतर उपकरण/उपस्कर इन संस्थानों को आपूरित कर दिए गए थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि उप-निदेशक, जिला रोग निदान प्रयोगशाला कैथल, हिसार तथा रोहतक के अभिलेखों की जांच (दिसंबर 2015) ने दर्शाया कि तीनों आटो एनालाइजर्स सहायक उपकरणों जैसे आवश्यक किटें, लैपटाप इत्यादि की आपूर्ति न करने के कारण प्रयोगशाला में अप्रयुक्त पड़े थे। परिणामस्वरूप रक्त[4] के प्रमुख चिकित्सकीय परीक्षण नहीं किए जा सके (दिसंबर 2015)। सोनीपत जिले में आटो एनालाइजर के माध्यम से 2014-15 के दौरान केवल 35 नमूनों की जांच की गई, तत्पश्चात् परीक्षण किटों की अनुपलब्धता के कारण कोई परीक्षण नहीं किया जा रहा था। इन जिलों के नौ स.प.चि.अ. तथा स.प.चि.डि. की नमूना-जांच ने दर्शाया कि उन्हें आवश्यक उपकरण/उपस्कर/फर्नीचर मदें[5] आपूरित नहीं की गई थी। इस प्रकार, उपकरण/उपस्करों की खरीद न करने से स.प.चि.अ./स.प.चि.डि. के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन का मूल उद्देश्य विफल हुआ जबकि ग्रा.मू.सं.वि.नि. से सहायता उपलब्ध थी।

(ii) ग्रामीण मूलभूत संरचना विकास निधि XVI-2 तथा ग्रामीण मूलभूत संरचना विकास निधि XVII के अंतर्गत अपूर्ण परियोजनाएं

राज्य सरकार ने 79 स.प.चि.अ., 103 स.प.चि.डि. के पुनर्निर्माण तथा दो पोली क्लीनिकों के निर्माण के लिए ₹ 35.61 करोड़[6] तथा ₹ 33 करोड़[7] की परियोजनाओं को क्रमश: मार्च 2011

3 चिकित्सा उपकरण ₹ 5.60 लाख x 250 + ₹ 0.50 लाख x 300 = ₹ 15.50 करोड़; फर्नीचर: ₹ 1.20 लाख x 250 + ₹ 0.50 लाख x 300 = ₹ 4.50 करोड़।

4 कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियेम, जिंक तथा मिनरल एस्टिमेट इत्यादि।

5 प्रयोगशाला उपकरण सैट, डिस्टीलेशन सैट, ई.एस.आर. आपरेटस, हीमोसाइटोमीटर, हीमोग्लोबिनोमीटर, आपरेशन टेबल, हॉट एअर ओवन, किडनी ट्रे, इनेमीलेड ट्रे, कैस्ट्रेटडर्ज एंड बी.पी. ब्लेडस तथा माउथ गेजिज इत्यादि।

6 ₹ 35.61 करोड़ = ₹ 10.89 करोड़ (33 स.प.चि.अ. x ₹ 33 लाख प्रत्येक) + ₹ 24.72 करोड़ (103 स.प.चि.डि. x ₹ 24 लाख प्रत्येक)।

7 ₹ 33.00 करोड़ = ₹ 15.18 करोड़ (46 स.प.चि.अ. X ₹ 33 लाख प्रत्येक) + ₹ 17.82 करोड़ (जींद तथा रेवाड़ी में पोली क्लीनिक प्रत्येक के लिए ₹ 8.91 करोड़)।

तथा मार्च 2012 में अनुमोदन दिया। दोनों परियोजनाएं नाबार्ड से ₹ 54.25 करोड़ का ऋण, भारत सरकार से ₹ 11.50 करोड़ का अनुदान तथा राज्य निधियों से ₹ 2.86 करोड़ लेकर क्रमश: मार्च 2014 तथा मार्च 2015 तक पूर्ण की जानी थी। पुनर्निर्माण/निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) (लो.नि.वि. (भ. व स.) तथा हरियाणा पुलिस आवास निगम (ह.पु.आ.नि.) के माध्यम से निष्पादित किया गया था तथा निधियां मार्च 2011 तथा जुलाई 2014 के मध्य आबंटित की गई थी। स.प.चि.अ., स.प.चि.डि. तथा पोली क्लीनिकों के लक्ष्य एवं उपलब्धियां नीचे तालिका में दी गई हैं:

	ग्रा.मू.सं.वि.नि. - XVI-2								ग्रा.मू.सं.वि.नि. - XVII							
कार्यान्वयन एजेंसी	आबंटित निधियां (₹ करोड़ में)	2011-15 के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	लक्ष्य		उपलब्धि		शेष		आबंटित निधियां (₹ करोड़ में)	2011-15 के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	लक्ष्य		उपलब्धि		शेष	
			स.प.चि.अ.	स.प.चि.डि.	स.प.चि.अ.	स.प.चि.डि.	स.प.चि.अ.	स.प.चि.डि.			स.प.चि.अ.	पो.क्ली.	स.प.चि.अ.	पो.क्ली.	स.प.चि.अ.	पो.क्ली.
लो.नि.वि. (भ. व स.)	13.31	12.95	33	10	27	08	6	2	6.00	9.41	-	2	-	2	-	-
ह.पु.आ.नि.	5.76	8.09	-	25	-	24	-	1	12.69	11.30	44	-	33	-	11	-
कुल	**19.07**	**21.04**	**33**	**35**	**27**	**32**	**6**	**3**	**18.69**	**20.71**	**44**[8]	**2**	**33**	**2**	**11**	**-**

स्रोत: पशुपालन तथा डेयरी विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

(क) ग्रा.मू.सं.वि.नि. XVI-2 के अंतर्गत कार्यों से संबंधित अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि भारत सरकार से ₹ 5.72 करोड़ की प्राप्ति न होने के कारण 68 स.प.चि.डि. में पुनर्निर्माण का कार्य रोक दिया गया था। लो.नि.वि. (भ. व स.) को आबंटित 43 निर्माण कार्यों (33 स.प.चि.अ. तथा 10 स.प.चि.डि.) में से 35 निर्माण कार्य (27 स.प.चि.अ. तथा 8 स.प.चि.डि.) उपलब्ध ₹ 13.31 करोड़ में से ₹ 12.95 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् पूर्ण किए गए थे। एक स.प.चि.अ. (सयाना-नारनौल) का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन था। यद्यपि शेष सात निर्माण कार्यों (पांच स.प.चि.अ.[9] तथा दो स.प.चि.डि.[10]) के लिए निविदा प्रक्रिया आरंभ की गई थी किंतु इन शेष कार्यों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के पास पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं थी। ह.पु.आ.नि. ने भी एक स.प.चि.डि.[11] का कार्य शुरू नहीं किया था। अत:, 33 स.प.चि.अ. तथा 103 स.प.चि.डि. (35 स.प.चि.डि. + 68 स.प.चि.डि.) के पुनर्निर्माण के विरूद्ध दिसंबर 2015 तक केवल 27 स.प.चि.अ. (81 प्रतिशत) तथा 32 स.प.चि.डि. (31 प्रतिशत) का पुनर्निर्माण किया गया है। परिणामस्वरूप लाभार्थी, योजना के वांछित लाभों से वंचित रहे।

अ.मु.स. ने बताया (दिसंबर 2015) कि ₹ 5.72 करोड़ की राशि के केन्द्रीय हिस्से को जारी न करने के कारण कार्यों के निष्पादन विलंबित/छोड़े गए थे। तथापि, लाभार्थियों को पशु-चिकित्सा स्वास्थ्य तथा प्रजनन सेवाएं नजदीकी वैकल्पिक स्थानों में बनाए गए पशु-चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जा रही थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि भारत सरकार ने अपूर्ण उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) के प्रस्तुतिकरण के कारण निधियां जारी नहीं की। आगे, पशु-चिकित्सा सेवाएं जीर्ण-शीर्ण मूलभूत संरचना से कार्यान्वित नहीं की जा सकती (दिसंबर 2015)।

[8] 46 स.प.चि.अ. में से दो स.प.चि.अ. के निर्माण कार्य विभाग द्वारा आबंटित नहीं किए गए थे।

[9] रेवाड़ी-स.प.चि.अ. खिजुरी, मनेठी, तुमाणा, उस्मापुर तथा झोलरी।

[10] जिला रेवाड़ी का स.प.चि.डि. कोसनीवास तथा हुसैनपुर।

[11] स.प.चि.डि. कुमासपुर (सोनीपत)।

(ख) ग्रा.मू.सं.वि.नि. XVII के अंतर्गत कार्यों से संबंधित अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि परियोजना के अंतर्गत चिन्हिकृत कुल 46 स.प.चि.अ. में से दो स.प.चि.अ.[12] के निर्माण कार्य अब तक (दिसंबर 2015) किसी भी निष्पादन एजेंसी को आबंटित नहीं किए गए थे। शेष 44 स.प.चि.अ. के कार्य ह.पु.आ.नि. को आबंटित किए गए हैं जिनमें से 33 स.प.चि.अ. दिसंबर 2015 तक पूर्ण कर लिए गए थे। शेष 11 स.प.चि.अ. में से चार स.प.चि.अ.[13] का कार्य शुरू नहीं किया गया था, दो स.प.चि.अ.[14] में निविदा मंगाने की प्रक्रिया आरंभ की गई थी, जबकि पांच स.प.चि.अ.[15] में दिसंबर 2015 को कार्य प्रक्रियाधीन था।

महानिदेशक, प.डे.वि. ने बताया (जुलाई तथा सितंबर 2015) कि एजेंसी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र के देरी से प्रस्तुतिकरण (फरवरी 2015) के कारण अगली किस्त जारी नहीं की जा सकी। अ.मु.स. ने बताया (दिसंबर 2015) कि सात स.प.चि.अ. में से चार स.प.चि.अ. का कार्य विभिन्न कारणों जैसे भूमि विवाद तथा नए स्थानों के लिए नाबार्ड से सहमति इत्यादि के कारण शुरू नहीं किया जा सका। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि मामला निष्पादन एजेंसी के साथ केवल फरवरी 2015 के दौरान उठाया गया था। इस प्रकार, निधियों की कमी ने कार्य में बाधा पहुंचाई क्योंकि एजेंसी को संपूर्ण निधियां जारी नहीं की गई थी परिणामत: अधिक समय लगा जो कि विभाग की अपर्याप्त मानीटरिंग प्रतिबिंबित करता है, परिणामस्वरूप लाभार्थी योजना के वांछित लाभों से वंचित रहे।

(iii) रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत मशीनरी तथा उपकरण पर निष्फल व्यय

(क) रा.कृ.वि.यो. स्कीम पर राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति (रा.स्त.सं.स.) ने पशु मालिकों को घर पर प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले के लिए ₹ 5.25 करोड़ (₹ 25 लाख प्रत्येक) की 21 मोबाइल पशु-चिकित्सा निदान प्रयोगशाला वैन (मो.प.चि.नि.प्र.वै.) खरीदने के लिए एक प्रस्ताव अनुमोदित किया जो ₹ 4.20 करोड़ (मई 2012) तक संशोधित किया गया था तथा आगे ₹ 2.10 करोड़ (जून 2013) तक संशोधित किया गया था। ये मो.प.चि.नि.प्र.वै. आटो एनालाइजर्स, अल्ट्रासाउंड मशीनों इत्यादि सहित नवीनतम निदान उपकरण से सुसज्जित की जानी थी।

महानिदेशक, प.डे.वि. के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया था कि विभाग को ₹ 2.10 करोड़ की राशि जारी की गई थी (जून 2012)। विभाग ने मार्च 2013 में ₹ 1.14 करोड़ (₹ छ: लाख प्रत्येक) की 19 मो.प.चि.नि.प्र.वै. खरीदी तथा वैनों का फैब्रीकेशन ₹ 0.45 करोड़ से नवंबर 2013 में करवाया गया था और चिकित्सा उपकरण ₹ 0.20 करोड़ में खरीदे गए थे। 19 उप-निदेशकों को वैन जारी की गई थी (मई 2014) किंतु ये वैन सीमित ढंग से और वह भी केवल रक्त, मूत्र, दुग्ध तथा मल इत्यादि के नमूनों के संग्रहण के प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही थी।

अ.मु.स. ने बताया (दिसंबर 2015) कि रा.स्त.सं.स. द्वारा ₹ 5.25 करोड़ से ₹ 2.10 करोड़ तक संशोधित प्रस्ताव के कारण छोटे आकार की मो.प.चि.नि.प्र.वै. ₹ 1.79 करोड़ की निधियां खर्च करने के बाद खरीदी गई थी तथा निधियों के लिए आगे कोई मांग रा.कृ.वि.यो. के पास नहीं

[12] स.प.चि.अ. बकनोर (अंबाला) तथा धमतान साहिब (जींद)।

[13] स.प.चि.अ. माजरा (फतेहाबाद), शेखपुरा (हिसार), जवाहर नगर (महेन्द्रगढ़) तथा गोकलगढ़ (रेवाड़ी)।

[14] स.प.चि.अ. नयागांव (झज्जर) तथा संघोई (करनाल)।

[15] स.प.चि.अ. रूड़ियावास, नीलाखेड़ी (झज्जर), जन्त सायरवास, काठुवास, पाल्हावास (रेवाड़ी)।

भेजी गई थी क्योंकि सभी आवश्यक उपकरण खरीद लिए गए थे। आगे यह बताया गया था कि सभी मो.प.चि.नि.प्र.वै. को सभी उपकरणों से सुसज्जित कर दिया गया है तथा अनुबंधित स्टाफ की सहायता से चलाई जा रही थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि छोटे आकार की 19 मो.प.चि.नि.प्र.वै. की खरीद, रा.स्त.सं.स. द्वारा संशोधित प्रस्ताव (जून 2013) से पहले फरवरी 2013 के दौरान उच्च शक्ति प्राप्त क्रय समिति द्वारा फाइनल की गई थी। इसके अतिरिक्त, ये वैन दिसंबर 2015 तक पूर्णतया परिचालनात्मक नहीं थी क्योंकि उनके छोटे आकार के कारण अधिकतर महत्वपूर्ण उपकरण[16] वैन में नहीं लगाए गए थे। इसके अतिरिक्त, आटो एनालाइजर्स जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में पड़े थे। उप-निदेशक, जिला रोग निदान प्रयोगशाला कैथल, हिसार, सोनीपत तथा रोहतक ने सूचित किया (दिसंबर 2015) कि इन वैनों के सुचारू परिचालन के लिए कोई नियमित ड्राईवर तथा तकनीकी स्टाफ तैनात नहीं किया गया था। इस प्रकार, वैनों में आवश्यक निदान उपकरण न लगाने, नियमित ड्राईवरों और तकनीकी स्टाफ की तैनाती न करने के कारण ₹ 1.79 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ था तथा पशु मालिकों को घर पर बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए।

(ख) पशुधन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ₹ 0.54 करोड़ की लागत पर भिवानी, सोनीपत तथा रोहतक पोली क्लीनिकों/जिला स्तर निदान प्रयोगशालाओं में अक्तूबर 2009 से फरवरी 2013 के मध्य तीन एक्स-रे मशीनें तथा दो[17] अल्ट्रासाउंड मशीनें प्रदान की गई थी। नमूना-जांच के दौरान यह पाया गया कि रेडियोग्राफर/बिजली कनैक्शन के अभाव में ये मशीनें बेकार पड़ी थी। इन मशीनों की वारंटी अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। इस प्रकार, इन बेकार पड़ी मशीनों पर ₹ 0.54 करोड़ का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ था।

अ.मु.स. ने बताया (दिसंबर 2015) कि ये मशीनें स्थापित कर दी गई थी तथा रोहतक में एक्स-रे मशीन का उपयोग किया जा रहा था तथा रेडियोग्राफर के नव-सृजित पद विचाराधीन थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि विभागीय अधिकारियों के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान (दिसंबर 2015) यह देखा गया था कि रोहतक में एक्स-रे मशीन व्यर्थ पड़ी थी।

(iv) पेट् (पालतू पशु) क्लीनिक चलाने में अनियमितताएं

विभाग ने ₹ 7.92 करोड़ की लागत पर पंचकूला में मल्टी स्पेशियलटी पेट् क्लीनिक का निर्माण किया (अगस्त 2009) तथा पेट् क्लीनिक चलाने के लिए सरकारी पेट् सोसाइटी को भवन सुपुर्द किया। प्रस्ताव के समय यह निर्णय लिया गया था कि एक बार मूलभूत संरचना का सृजन हो जाने पर विभाग में उपलब्ध विद्यमान स्टाफ द्वारा निदान/उपचार प्रदान किया जाएगा। पेट् क्लीनिक को स्वयंधारणीय आधार पर चलाया जाना था तथा विशेषीकृत सेवाएं, जैसे स्नीफर डॉग ब्रीडिंग सेंटर, टीचिंग ऑफ वैट्स, पेट् होलीडे होम इत्यादि, विशेषतया पेट् सोसाइटी के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा प्रदान की जानी थी।

अभिलेख की जांच ने दर्शाया कि यद्यपि विभागीय स्टाफ को पेट् क्लीनिक में तैनात किया गया था, यह हानि में चल रहा था जिससे विभाग को 2011-12 में ₹ 32.50 लाख अनुदान प्रदान करने की आवश्यकता पड़ी। यह आगे देखा गया था कि सोसाइटी ने 2011 से 2015 तक की अवधि के दौरान कैमिस्ट शाप/डॉग पार्लर से लगभग ₹ 17 लाख का किराया प्राप्त किया जो कि आबंटन शर्तों के अनुसार नहीं था। इसके अतिरिक्त, डॉग ट्रेनर की कमी के कारण

[16] आटो एनालाइजर, अल्ट्रासाउंड मशीन, लैपटाप तथा प्रिंटर।

[17] सोनीपत तथा भिवानी।

पेट् क्लीनिक में स्नीफर डॉग्स का प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा था तथा ब्रीडिंग सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, स्वयंधारणीय आधार पर मल्टी स्पैशियलिटी पेट् सुविधाएं प्रदान करके स्नीफर डॉग्स की ब्रीडिंग एवं प्रशिक्षण का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था।

अ.मु.स. ने बताया (दिसंबर 2015) कि सोसाइटी अपनी गतिविधियां अपने उद्देश्यों एवं नियमों के अनुसार चला रही है। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि पेट् क्लीनिक स्वयंधारणीय आधार पर नहीं चलाया जा रहा था तथा विशेष सेवाएं, जैसे स्नीफर डॉग्स ब्रीडिंग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदान नहीं की जा रही थी जैसा कि सोसाइटी के उद्देश्यों में विचार किया गया था।

(v) पशु-चिकित्सा मूलभूत संरचना का न्यून उपयोग

राज्य में विभाग के पास 1,023 पशु-चिकित्सा सर्जन (प.चि.स.) तथा 3,050 पशु-चिकित्सा पशुधन विकास सहायक (प.चि.प.वि.स.) के संस्वीकृत पदों के विरूद्ध केवल 825 प.चि.स. तथा 2,315 प.चि.प.वि.स. थे। इस प्रकार, क्रमश: 19 प्रतिशत तथा 24 प्रतिशत की कमी थी। नमूना-जांच किए गए जिलों में झज्जर (40 प्रतिशत), कैथल (27 प्रतिशत) तथा सोनीपत (25 प्रतिशत) प.चि.स. की भारी कमी झेल रहे थे। इसी प्रकार, रेवाड़ी (41 प्रतिशत) तथा झज्जर (27 प्रतिशत) में प.चि.प.वि.स. की कमी थी।

अ.मु.स. ने बताया (दिसंबर 2015) कि वहां 23 प्रतिशत (प.चि.स.) तथा 27 प्रतिशत (प.चि.प.वि.स.) की कमी थी तथा यह मुख्यत: इन संस्थानों में तैनात कर्मचारियों की सेवानिवृति/पदोन्नति के कारण थी तथा कि इन पदों को भरने का मामला प्रक्रियाधीन था।

इस प्रकार, विभाग निधियों की उपलब्धता के वाबजूद पशु-चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मूलभूत संरचना का सृजन करने में विफल रहा। आधुनिकीकरण परियोजना निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किए बिना बंद कर दी गई थी। ₹ 1.79 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् 19 मोबाइल निदान प्रयोगशाला वैन निदान उपकरण न खरीदने के कारण अप्रयुक्त रही। पेट् क्लीनिक चलाने में अनियमितताएं देखी गई थी तथा पशु-चिकित्सा मूलभूत संरचना का न्यून उपयोग किया गया था।

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग

3.2 संग्रहालय एवं कार्यालय भवन के निर्माण में विलंब तथा विभाग के उद्देश्य की अनुपलब्धि

भूमि एवं निधियों की उपलब्धता के बावजूद संग्रहालय एवं कार्यालय भवन के निर्माण में विभाग की विफलता से पुरावस्तुओं के संरक्षण एवं सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए संग्रहालय कायम रखने का मूल उद्देश्य व्यर्थ हुआ। इसके अतिरिक्त, विभाग ने ₹ 85.65 लाख के ब्याज की हानि उठाई और ₹ 56.26 लाख के परिहार्य किराए का भुगतान किया।

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का मुख्य उद्देश्य पुरातत्व खुदाई, प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों का बचाव एवं संरक्षण, पुरावस्तुओं एवं कला सामग्री के संकलन, रसायनिक संरक्षण एवं प्रलेखन और प्राचीन धरोहर के प्रति जागरूकता सृजित करने के लिए कला विषयों तथा प्राचीन वस्तुओं के प्रदर्शन हेतु संग्रहालय की स्थापना करना है।

कार्यालयों सहित एक राज्य स्तरीय संग्रहालय के निर्माण द्वारा पुरातत्व वैभव के बचाव, संरक्षण एवं प्रदर्शन के उद्देश्य से, निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, हरियाणा ने हरियाणा शहरी विकास

प्राधिकरण से सैक्टर-5, पंचकुला में ₹ 24.23 लाख की लागत से एक दो एकड़ का प्लाट क्रय किया (अगस्त 1996)। राज्य सरकार ने हरियाणा पर्यटन निगम (ह.प.नि.) द्वारा राज्य पुरातात्विक संग्रहालय के निर्माण हेतु ₹ 92.40 लाख का प्रशासनिक अनुमोदन किया (मार्च 2001)। निर्माण कार्यों के लिए ह.प.नि. के पास ₹ 92.40 लाख की राशि जमा की गई थी (मार्च 2001)। तदन्तर, अप्रैल 2003 में, राज्य के दूरस्थ कोने में इसके स्थान, को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने पंचकूला में संग्रहालय के निर्माण के निर्णय पर पुनर्विचार किया और इसके स्थान पर एक ऐतिहासिक स्थान होने तथा पर्यटक आवागमन के आकर्षण होने के कारण कुरूक्षेत्र में पुरातात्विक संग्रहालय को स्थापित कराने का निर्णय लिया। तथापि, कुरूक्षेत्र में पर्यटन विभाग द्वारा प्रदान की गई भूमि को संग्रहालय स्थापित करने हेतु सही नहीं बताया गया। तत्पश्चात्, मुख्य सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता में हुई एक बैठक (दिसंबर 2007) में पुन: यह निर्णय लिया गया कि संग्रहालय के निर्माण हेतु सैक्टर-5, पंचकुला में पहले से क्रय किए गए भू-खंड का उपयोग किया जाए। विभाग द्वारा जुलाई 2008 में भवन के वास्तुकला डिजाइन के लिए निविदाएं मांगी गई और मुख्य सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता में हुई बैठक (जुलाई 2009) में यह निर्णय लिया गया कि कुछ संशोधनों के साथ फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई डिजाइन के साथ आगे बढ़ा जाए। फर्म ने विभाग को मार्च 2010 में बजटीय प्राक्कलन एवं संशोधित ड्राईंग प्रस्तुत की। तथापि, नवंबर 2011 तक कोई कार्यवाही नहीं गई जब प्रधान सचिव, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने संशोधित ड्राईंग आदि सहित प्राक्कलित लागत के अनुमोदन हेतु तिथि निश्चित करने हेतु मुख्य सचिव को प्रस्ताव प्रस्तुत किया, मुख्य सचिव ने इंगित किया कि मामला प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्णीत किया जाए। तथापि, मामला दिसंबर 2015 तक अनिर्णीत रहा।

निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2015) ने दर्शाया कि मार्च 2001 में ह.प.नि. को दी गई ₹ 92.40 लाख की राशि, 11 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात्, जून 2012 में वापस प्राप्त हुई थी। सरकारी निर्देशों (मार्च 2011) के अनुसार विभाग ने अगस्त 2012 में ह.प.नि. को उनके पास जमा की गई राशि पर ब्याज का भुगतान करने हेतु कहा, लेकिन ह.प.नि. द्वारा अभी तक (अगस्त 2015) ₹ 85.65 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

विभाग ने अप्रैल 2001 से दिसंबर 2015 तक विभिन्न सरकारी एवं प्राइवेट भवनों से कार्य जारी रखा और प्राइवेट भवनों के किराए के रूप में ₹ 56.26[18] लाख का व्यय किया।

पंजाब वित्तीय नियम (पं.वि.नि.) (खंड-I) का नियम 15.16 प्रावधान करता है कि वर्ष में कम से कम एक बार समस्त भंडार का भौतिक सत्यापन होना चाहिए। विभाग के पास लगभग 620 पत्थर की मूर्तियां, 17,778 चांदी, सोना चांदी और तांबे के सिक्के तथा 571 सोना, चांदी और तांबे के गहने एवं अर्ध मूल्यवान पत्थर थे और इन पुरानी पुरातात्विक एवं अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं को इन भवनों के स्टोर कक्ष में, बिना किसी नियमित/आवधिक भौतिक सत्यापन के, जैसा कि पं.वि.नि. (खंड-I) के नियम 15-16 में प्रावधान है, रखा गया है। यद्यपि अप्रैल 2001 और दिसंबर 2015 के बीच भवनों की छ: बदली हो चुकी थी फिर भी मूल्यवान पुरातात्विक और ऐतिहासिक वस्तुओं का नियमित वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा था और बहुत सी वस्तुएं भंडार कक्ष में चोरी के लिए ग्रहणीय टूट-फूट ह्रास के जोखिम में पड़ी थी।

[18] एस.सी.ओ. 9, सैक्टर-5 पंचकुला, 1 अप्रैल 2001 से 10 जून 2002 और 10 सितंबर 2005 से 31 मार्च 2014 = ₹ 42,29,774 + 5,73,333 = ₹ 48,03,107
एस.सी.ओ. 3, सैक्टर-3, पंचकुला 11 जून 2002 से 30 जून 2003 = ₹ 8,23,333

आगे, पुरावस्तुएं एवं कला भंडार अधिनियम 1972 की धारा 14, भारत की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए भारत में ऐसी वस्तुओं के संरक्षण के लिए पुरावस्तुओं के पंजीकरण का प्रावधान करती है। प्रत्येक व्यक्ति, जिसका ऐसी पुरावस्तु पर नियंत्रण है या उसके कब्जे में हैं, पंजीकरण अधिकारी के सामने ऐसी पुरावस्तु को पंजीकृत करवाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी पुरावस्तु के स्वामित्व, नियंत्रण या अधिकार का हस्तांतरण (धारा 17) करता है तब वह व्यक्ति पंजीकरण अधिकारी को ऐसे हस्तांतरण के तथ्य सूचित करेगा। यह देखा गया कि विभाग ने जून 2015 तक कला एवं पुरावस्तुओं के लिए 5,359 पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए थे। लेकिन विभाग में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या पंजीकृत पुरावस्तुएं उस तिथि को स्वामी के पास विद्यमान थी, कोई प्रणाली नहीं थी।

इस प्रकार, भूमि एवं निधियों की उपलब्धता के बावजूद संग्रहालय एवं कार्यालय भवन के निर्माण में विभाग की विफलता से पुरावस्तुओं के संरक्षण एवं सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु एक संग्रहालय होने का मूल उद्देश्य व्यर्थ रहा। इसके अतिरिक्त विभाग ने ₹ 92.40 लाख की निधियों, जो 11 वर्षों तक अवरूद्ध रही, पर ₹ 85.65 के ब्याज की हानि वहन की और ₹ 56.26 लाख के किराए का परिहार्य भुगतान भी किया। आगे, भंडार में वस्तुओं और पुरावस्तु मदों के पंजीकरण का आवधिक एवं नियमित भौतिक सत्यापन न करने से इन पुरावस्तुओं एवं ऐतिहासिक वस्तुओं को हानि से दोषपूर्ण बनाने की पूर्ण एवं सुरक्षित अभिरक्षा का कोई आश्वासन नहीं था।

अपर मुख्य सचिव (अ.मु.स.) पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि संग्रहालय एवं संयुक्त कार्यालय भवन के निर्माण में विलंब संग्रहालय स्थल के कुरूक्षेत्र तथा 2007 में पुनः पंचकुला में स्थानान्तरण और भवन के ड्राईंग एवं डिजाइन, जो सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया अधीन रही, के अनुमोदित न होने के कारण थी और भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। अपर मुख्य सचिव ने आगे उत्तर दिया कि इन वस्तुओं का सही भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था क्योंकि पुरातत्वविज्ञ का पद खाली रहा। भौतिक सत्यापन, पद के भरने पर करवा लिया जाएगा। तथापि, वस्तुएं संबंधित कर्मचारी की सेवा निवृति पर प्रभार के देने एवं लेने के समय पर सत्यापित की जाती थी। तथ्य यह रहे कि भूमि एवं निधियों की उपलब्धता के बावजूद संग्रहालय एवं कार्यालय भवन का निर्माण नहीं हुआ था, इसके अतिरिक्त पुरावस्तुओं एवं ऐतिहासिक वस्तुओं का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया था। आगे, प्रभार के देने एवं लेने के समय भौतिक सत्यापन करवाने संबंधी उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इसे पुरावस्तुओं एवं ऐतिहासिक वस्तुओं का भौतिक सत्यापन नहीं माना जा सकता।

शिक्षा विभाग

3.3 अयोग्य छात्रों से स्टाइपंड राशि की अवसूली

शिक्षा विभाग ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद अयोग्य छात्रों से ₹ 2.51 करोड़ की स्टाइपेंड राशि वसूल नहीं की थी।

राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) एवं पिछड़ा वर्ग परिवारों से संबंधित स्कूली बच्चों के कल्याण हेतु एक स्कीम प्रारंभ की (मार्च 2009)। स्कीम के अंतर्गत इन श्रेणियों के

कक्षा-1 से 12 तक के छात्रों को विभिन्न दरों[19] से मासिक स्टाइपेंड दिया जाना था। तथापि, अयोग्य व्यक्तियों को बी.पी.एल. कार्डों को जारी करने से विशाल समस्या सृजित हो गई थी और मामला मुकद्दमेबाजी में चला गया।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (2010 की सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 1581) द्वारा निर्देशों के जारी करने पर, संयुक्त निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) ने 23 नवंबर 2011 को उच्च न्यायालय के सामने एक शपथ-पत्र दिया जिसमें यह विश्वास दिलाया गया था कि उन सभी, जिन्होंने गलत सूचना दी थी, के बी.पी.एल. कार्ड निरस्त करने तथा उन द्वारा ली गई छूट/सुविधाओं में आवेष्टित राशि की वसूली करने के निर्देश सभी उपायुक्तों को जारी किए जाएंगे; व्यक्तियों के विद्यमान न होने पर, संबंधित कर्मचारियों या व्यक्तिगत लाभों के लिए बी.पी.एल. कार्ड प्रयोग करने वाले व्यक्तियों से वसूली की जाएगी और ऐसे मामलों में आपराधिक कार्यवाही भी प्रारंभ की जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 25 नवंबर 2011 को मामले का निर्णय किया और राज्य सरकार को, आदेशों की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, अनुपालना के निर्देश दिए और अनुपालना रिपोर्ट 31 मार्च 2012 को या पहले, मामले के अभिलेख में रखी जानी थी।

निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा (नि.मा.शि.) ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को उन बी.पी.एल. श्रेणी के मुखियाओं, जो ग्रामीण विकास विभाग के सर्वेक्षण के दौरान अयोग्य पाए गए थे, से संबंधित छात्रों को दिए गए वजीफों से संबंधित सूचनाएं देने के निर्देश दिए (अक्तूबर 2013)। उन पर अक्तूबर 2013-मार्च 2014 के दौरान समय-समय पर अनुवर्ती रिमाइंडर जारी किए गए थे। नि.मा.शि. तथा नमूना-जांच किए गए पांच जिलों[20] के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 2009-13 के दौरान वजीफे के रूप में 7,745 अयोग्य बी.पी.एल. छात्रों को ₹ 2.51 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। तथापि, विभाग लगभग चार वर्षों के व्यतीत होने के बावजूद भी अयोग्य छात्रों से ₹ 2.51 करोड़ की राशि की वसूली करने में विफल रहा।

इस प्रकार, विभाग द्वारा कार्यवाही की कमी और उच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करने में विफलता से नमूना-जांच किए गए पांच जिलों में लगभग चार वर्षों के व्यतीत होने के पश्चात् भी अयोग्य छात्रों से ₹ 2.51 करोड़ की वजीफा राशि की वसूली नहीं हुई। यद्यपि, वसूलियों को प्रभावित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी विनिर्देशों में नित्यचर्या प्रक्रिया की अनुपालना थी यह तथ्य कि अभी तक कोई वसूली नहीं हुई, विभाग की सख्त आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की कमी को संकेत करता है जिसके परिणामस्वरूप चार वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर भी और उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद भी वसूली नहीं हो सकी।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने बताया (सितंबर 2015) कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को

19

कक्षा का नाम	छात्राओं के लिए प्रतिमाह वजीफे की दर	छात्रों के लिए प्रतिमाह वजीफे की दर
कक्षा 1 से 5	150	75
कक्षा 6 से 8	200	100
कक्षा 9 से 12	300	150
कक्षा 11-12 (केवल विज्ञान छात्रों के लिए)	400	200

20 जींद, कैथल, पंचकला, भिवानी और रेवाड़ी।

अयोग्य छात्रों से वजीफे की वसूली करने के लिए समय-समय पर निर्देश दिए गए थे। अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही करने के संबंध में विभाग ने सूचित किया कि क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्होंने उपेक्षा दर्शाई थी, के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग को जुलाई 2015 में संदर्भित किया गया था और आगे सितंबर 2015 में स्मरण-पत्र जारी किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

पर्यावरण विभाग (हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3.4 आयकर का परिहार्य भुगतान

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत स्वयं को धर्मार्थ संस्था के रूप में पंजीकृत नहीं करवाया और उसके कारण छूट का लाभ प्राप्त करने में विफल रहा परिणामस्वरूप आयकर और उस पर ब्याज के रूप में ₹ 60.35 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

आयकर अधिनियम (आई.टी.), 1961 की धारा 2 (15) धर्मार्थ उद्देश्य के रूप में पर्यावरण का परिरक्षण स्पष्ट करती है और धारा 12 ए (तब वर्तमान प्रावधान) के साथ पठित धारा 10 (23 सी) (iv) प्रावधान करती है कि किसी निधि या धर्मार्थ उद्देश्य हेतु स्थापित संस्था द्वारा प्राप्त आय निधि या संस्था के उद्देश्यों एवं इसके महत्व का आदर करते हुए और किसी राज्य में पूर्णतया आयकर से छूट है बशर्ते कि संस्था ने धर्मार्थ संस्था के रूप में पंजीकरण हेतु आयकर विभाग को अभ्यावेदन किया हो।

राज्य सरकार ने पानी, वायु, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण के संरक्षण और कूड़ा आदि के प्रबंधन के उद्देश्य से हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ह.रा.प्र.नि.बो.) का गठन किया (सितंबर 1974)। लेकिन ह.रा.प्र.नि.बो. ने धर्मार्थ संस्था के रूप में अपने आप को पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन नहीं किया यद्यपि, अन्य राज्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड[21] पहले ही धर्मार्थ संस्था के रूप में पंजीकृत थे।

ह.रा.प्र.नि.बो., आयकर विभाग को लेखापरीक्षा रिपोर्टों के साथ आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं कर रहा था जैसा कि तत्रैव धारा 44 ए.बी. में निर्धारित है। बोर्ड की उपरोक्त विफलता ध्यान में आने पर उपायुक्त, आयकर पंचकुला ने, 2006-07 से 2011-12 की अवधि हेतु लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने तथा आयकर विवरणी न भरने के लिए नोटिस जारी किया (जनवरी 2013) और ब्याज सहित ₹ 53.02 करोड़ के लिए मांग नोटिस जारी किया। निर्धारित राशि का तीस दिन के भीतर भुगतान करना निश्चित था जिसकी विफलता पर धारा 2.20 (ए) के अंतर्गत 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज प्रभार्य था।

ह.रा.प्र.नि.बो. ने आयकर अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं[22] के अंतर्गत संबंधित प्राधिकारियों

[21] पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2003 से, हिमाचल प्रदेश पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 से; मध्य प्रदेश जल प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण बोर्ड 1977 से और गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2006 से।

[22] 12 क, 10(23 सी) (iv), 10(46) और विलंब को निरस्त करने हेतु धारा 119 के अंतर्गत।

अर्थात् आयकर के आयुक्त एवं मुख्य आयुक्त, आयकर अपीलीय पंचाट और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कें.प्र.क.बो.) को जनवरी 2013 से दिसंबर 2014 तक छूट हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया लेकिन अभी तक तत्रैव अधिनियम के किसी भी प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकरण/छूट प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। एच.एस.पी.सी.बी. ने दो सिविल रिट पिटीशनों[23] के माध्यम से माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को भी आग्रह किया जिन दोनों को समाप्त कर दिया गया क्योंकि आयकर अपीलेट अथार्टी पंचाट (आई.टी.ए.टी.) के पास अपील लंबित थी। तदनुसार, आई.टी.ए.टी. ने भी अपील इस आधार पर नामंजूर कर दी कि धारा 12 ए के अंतर्गत छूट, तुरंत आने वाले वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसा अभ्यावेदन किया जाता है, मात्र निर्धारण वर्ष में ही उपलब्ध है।

ह.रा.प्र.नि.बो. ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों पर, 2013 की सी.डब्ल्यू.पी. सं. 5694 के अनिर्णय के दौरान फरवरी 2014 में ₹ 8.50 करोड़ जमा करवा दिए। आगे, आयकर विभाग ने शेष राशि यानि ₹ 7.33 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 44.52 करोड़ {धारा 220(2) के अधीन} ह.रा.प्र.नि.बो. के बैंक खातों को कुर्क करके, फरवरी 2014 और अप्रैल 2014 के बीच वसूल कर लिए।

इसके इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2014) ह.रा.प्र.नि.बो. ने बताया (जनवरी 2015) कि विवरणियों के भरने और छूट में विलंब सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की लेखापरीक्षा न होना को आरोपित थी। ह.रा.प्र.नि.बो. के अध्यक्ष ने आगे बताया (जनवरी 2015) कि बोर्ड की ओर से कोई विलंब नहीं था क्योंकि आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त होने और पैन नंबर प्राप्त करने (अक्तूबर 2012) के पश्चात्, बोर्ड ने निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2011-12 के आयकर विवरणियां भरी (दिसंबर 2012) और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23 सी) (iv) के अंतर्गत छूट लेने तथा धारा 12 ए के अंतर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन दिया (जनवरी 2013)। ह.रा.प्र.नि.बो. ने सूचित किया (जनवरी 2016) कि आई.टी.ए.टी. के आदेशों के विरूद्ध माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की हुई है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ह.रा.प्र.नि.बो. ने इस तथ्य के बावजूद कि पड़ोसी राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसी छूट के लाभों का आनंद पहले ही ले रहे थे, धारा 12 ए (तब वर्तमान प्रावधान) के अंतर्गत धर्मार्थ संस्था के रूप में पंजीकरण हेतु समय पर आवेदन नहीं किया था।

सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की लेखापरीक्षा न होना उनकी अपनी चूक को छिपाने का एक बहाना था क्योंकि उन वर्षों के लेखे जिनके लिए विवरणियां भरी हुई हैं, भी विवरणियां भरने के समय सांविधिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित नहीं किए गए थे। बोर्ड किसी भी धारा के अंतर्गत अभी तक (जनवरी 2016) छूट प्राप्त करने में विफल था।

इस प्रकार, तत्रैव अधिनियम की धारा 12 ए के अंतर्गत स्वयं को पंजीकरण करवाने या धारा 10 (23)(iv) के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए बोर्ड की अकार्यवाही के कारण बोर्ड को परिहार्य आयकर और उस पर ब्याज के ₹ 60.35 करोड़ की राशि का भुगतान करना पड़ा।

मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग को अगस्त 2015 में संदर्भित किया गया था और आगे सितंबर 2015 में स्मरण-पत्र जारी किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

[23] पंजीकरण के संबंध में धारा 12 ए के अधीन 6 मार्च 2014 को निर्णीत 2013 का सी.डब्ल्यू.पी. 5694 और पंजीकरण के संबंध में धारा 10 (23ग) (iv) के अधीन 18 नवंबर 2014 को निर्णीत 2014 की सी.डब्ल्यू.पी. सं. 6753.

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

3.5 भारतीय खाद्य निगम से बिलों की वसूली में विलंब के कारण ब्याज का परिहार्य भुगतान

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 2010–15 के दौरान ग्यारह जिलों में भा.खा.नि. से बिलों की वसूली में विलंब के कारण ₹ 15.93 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की प्रादेशिक आरक्षित लेखा नियमावली और विभागीय विनिर्देश (अप्रैल 1999) प्रावधान करते हैं कि भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) को भेजी गई गेहूं के लिए प्रेषण प्रलेख परिमंडल कार्यालय में प्रेषण के दिन पहुंचने चाहिए और परिमंडल कार्यालय द्वारा तैयार किए गए बिल भा.खा.नि. को अगले दिन भेजे जाने चाहिए ताकि भा.खा.नि. से बिल उसी दिन के बैकिंग समय के भीतर वसूल किए जा सकें। भा.खा.नि. से बिल गेहूं के प्रेषण के तीन दिन के भीतर वसूल किए जाने चाहिए। भा.खा.नि. से वसूली में किसी भी विलंब के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक से नगद क्रेडिट खातों से निधियों के प्राप्त करने और ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ। भा.खा.नि. से भुगतान की शीघ्र वसूली के संबंध में अनुदेश वर्ष-दर-वर्ष बार-बार जारी किए जा चुके थे। भा.खा.नि. से वसूली में विलंब का मामला लेखापरीक्षा द्वारा 2005-06[24] में भी उठाया गया था और लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) ने विभाग को, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति से बचने के लिए एक विधि विकसित करने और तीन माह की अवधि के भीतर उसे पी.ए.सी. को सूचित करने के निर्देश दिए थे (मई 2009)। विभाग ने, गेहूं के प्रेषण के तीन दिन के भीतर भा.खा.नि. से राशि की वसूली के लिए निर्देशों की पुनरावृति की लेकिन ऐसे उदाहरणों की पुनरावृति दर्शाती है कि इनकी जांच/मानीटर करने के लिए कोई विधि विकसित नहीं की थी।

2010-15 की अवधि के लिए विभाग के ग्यारह[25] जिलों में भा.खा.नि. को वसूली हेतु प्रस्तुत किए गए गेहूं के बिलों की नमूना-जांच के दौरान देखा गया कि भा.खा.नि. को बिल प्रस्तुत करने में 2,804 मामलों में एक से 300 दिन[26] के बीच विलंब था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.63 करोड़ के ब्याज की परिहार्य हानि हुई।

इसी तरह भा.खा.नि. से बिलों की वसूली में 1,395 मामलों में एक से 165 दिनों का विलंब था जिसके फलस्वरूप ₹ 6.30 करोड़ के ब्याज की परिहार्य हानि हुई। इस प्रकार, भा.खा.नि. से बिलों की वसूली में विलंब के कारण विभाग को ब्याज के भुगतान पर ₹ 15.93 करोड़[27] की हानि उठानी पड़ी थी।

विभाग ने बताया (जुलाई 2015) कि तीन जिलों (सिरसा सोनीपत और कैथल) में दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जा चुकी थी और अंबाला, करनाल, कुरूक्षेत्र, फतेहाबाद, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, और यमुनानगर के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को दोषी कर्मचारियों को चार्जशीट करने के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजने के

[24] वर्ष 2005-06 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल)-हरियाणा सरकार का अनुच्छेद संख्या 3.4.5.2

[25] (i) फतेहाबाद, (ii) सिरसा, (iii) सोनीपत, (iv) कैथल, (v) झज्जर, (vi) यमुनानगर (vii) फरीदाबाद, (viii) रोहतक, (ix) करनाल, (x) कुरूक्षेत्र तथा (xi) अंबाला।

[26] दो दिन की मार्जिन अवधि देने के बाद।

[27] बिलों को प्रस्तुत करने में विलंब: ₹ 9.63 करोड़, बिलों की वसूली में विलंब: ₹ 6.30 करोड़।

निदेश दिए जा चुके हैं। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि बिलों के प्रस्तुतिकरण को समय पर मानीटर करने के लिए सशक्त यंत्रावली की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप बिलों के प्रस्तुत करने में विलंब हुआ और ₹ 15.93 करोड़ की राशि की परिणामी हानि हुई। इस प्रकार, मानीटरिंग प्रणाली को सुधारने की परम आवश्यकता है।

मामला अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को जुलाई 2015 में संदर्भित किया गया था। आगे, अगस्त 2015 में स्मरण-पत्र जारी किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

3.6 कस्टम मिल्ड चावल के लिए मिलिंग अनुबंधों के निबंधनों एवं शर्तों की अनुपालना

नियमित रूप से स्टाक का भौतिक सत्यापन न करने, मिलरों की क्षमता से अधिक धान का आबंटन, समुचित गारंटी का प्राप्त न करना, दोषी मिलरों के विरूद्ध उचित कार्यवाही की कमी से युग्मित कारणों ने मिलरों द्वारा ₹ 115.48 करोड़ मूल्य के चावल की असुपुर्दगी को सुविधाजनक बनाया। मिलरों से चावल की कम आपूर्ति के कारण ₹ 24.46 करोड़ की अवसूली, मूल्य कट और आर्द्रता कट के कारण मिलरों से ₹ 2.40 करोड़ की अवसूली और कई मामलों में दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के मामले भी थे।

राज्य सरकार अपनी पांच प्रापण एजेंसियों[28] (पी.एज) के माध्यम से केंद्रीय पूल हेतु धान का प्रापण करती है। धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर प्राप्त किया जाता है और प्राईवेट चावल मिलरों को मिलिंग हेतु आबंटित किया जाता है। धान मंडियों से मिलरों के परिसरों में मिलिंग हेतु सीधा पहुंचता है और परिणामी चावल (धान का 67 प्रतिशत) कस्टम मिल्ड राईस (क.मि.रा.) भारतीय खाद्य निगम को (भा.खा.नि.) को सीधा सुपुर्द किया जाता है। हरियाणा एग्रो कृषि उद्योग निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम में चावल की कस्टम मिलिंग की गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा को, 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, हरियाणा सरकार के पैरा 2.2 में प्रस्तुत किया गया है।

2010-15 के दौरान मिलरों के साथ प्रतिवर्ष खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (खा.आ.वि.) द्वारा निष्पादित मिलिंग अनुबंधों के निबंधन एवं शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान किया गया था कि:

- अनुबंधों में दी गई सारणी के अनुसार चावल अगले वर्ष के 31 मार्च तक सुपुर्द किया जाएगा।
- धान के निर्मुक्ति आदेश जारी करते समय पोस्ट डेटिड चैक (पो.डे.चै.) के रूप में ₹ 25 लाख, प्रति एम.टी. मिलिंग क्षमता (खरीफ विपणन सत्र (के.एम.एस.) 2012-13 के लिए ₹ 30 लाख तक बढ़ा दी गई तथा के.एम.एस. 2013-14 से ₹ 50 लाख तक बढ़ा दी गई) की गारंटी मिलरों से प्राप्त की जाएगी।

[28] (i) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, (ii) हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड), (iii) हरियाणा राज्य भण्डारण निगम (ह.रा.भ.नि.), (iv) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (ह.कृ.उ.नि.लि.) तथा (v) हरियाणा राज्य उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार संघ लिमिटेड (कॉनफेड)।

- एक टन क्षमता के लिए ₹ दो लाख (के.एम.एस. 2012-13 से ₹ पांच लाख तक बढ़ा दी गई) और अतिरिक्त एक टन क्षमता के लिए ₹ एक लाख (के.एम.एस. 2014-15 से ₹ दो लाख तक बढ़ा दी गई) की प्रतिभूति राशि संबंधित प्रापण एजेंसी के नाम में प्रतिभूति एफ.डी.आर. के रूप में प्राप्त की जाएगी।
- प्रत्येक मिलर, भारत सरकार द्वारा निर्धारित कस्टम मिल्ड राईस की दरों पर चावल की ऐसी कम मात्रा की लागत और नगद क्रेडिट लिमिट (सी.सी.एल.) पैटर्न पर ब्याज सहित ऐसे चावल की लागत की 50 प्रतिशत पेनल्टी देने के लिए दायी होगा।

2010-15 के दौरान केंद्रीय पूल के लिए राज्य में 158.66 लाख एम.टी. धान का प्रापण किया गया। इसमें से, 61.93 लाख एम.टी. धान खा.आ.वि. द्वारा प्राप्त किया गया था। यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या कस्टम मिल्ड राईस का कार्य, चावल मिलरों के साथ अनुबंधों के निबंधन एवं शर्तों के संदर्भ में कुशलतापूर्वक किया गया था, 2010-15 की अवधि को आवृत करते हुए खा.आ.वि. और कस्टम मिल्ड राईस संचालनों में आवेष्टित 11 जिलों में से पांच[29] जिलों के अभिलेखों की नमूना-जांच अप्रैल 2014 से दिसंबर 2014 और जून 2015 से अगस्त 2015 की अवधि के दौरान की गई।

लेखापरीक्षा परिणामों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

3.6.1 मिलरों द्वारा चावल की असुपुर्दगी

नमूना-जांच किए गए पांच जिलों में से चार के तेईस मिलरों (कैथल को छोड़कर), जिन्हें के.एम.एस. 2011-12 से 2013-14 के दौरान 1.24 लाख एम.टी. धान आबंटित किया गया था, ने मानकों (धान का 67 प्रतिशत) के अनुसार चावल सुपुर्द नहीं किया। मिलरों द्वारा 0.83 लाख एम.टी. चावल भा.खा.नि. को सुपुर्द किया जाना अपेक्षित था। तथापि, यह देखा गया कि मात्र 0.44 लाख एम.टी. चावल सुपुर्द किया गया तथा 0.39[30] लाख एम.टी. चावल सुपुर्द नहीं किया गया था। के.एम.एस. 2011-12 और 2012-13 के लिए कमियां जून और सितंबर 2013 में किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान ध्यान में आई जब मिलरों ने भा.खा.नि. को चावल सुपुर्द नहीं किए थे। के.एम.एस. 2013-14 के संबंध में चावल मिलरों के परिसरों में नवंबर 2014 में किए गए चावल के भौतिक सत्यापन ने दर्शाया कि 0.39 लाख एम.टी. चावल की आवश्यकता के विरूद्ध चावल मिलरों के पास केवल 0.08 लाख एम.टी. चावल उपलब्ध था।

चावल मिलरों के एसोशिएसन के अनुरोध (जून 2015) पर राज्य सरकार ने के.एम.एस. 2013-14 के लिए 50 प्रतिशत के बजाय चावल लागत के 10 प्रतिशत की दर से पेनल्टी लगाने का निर्णय लिया (सितंबर 2015)। 30 सितंबर 2015 को ₹ 115.48[31] करोड़ की राशि वसूलनीय थी ***(परिशिष्ट 3.1)***। विभाग ने कुल 23 मिलरों में से 17 मिलरों द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा करवाए गए ₹ 11.60 करोड़ के पोस्ट डेटिड चैक बैकों में प्रस्तुत किए परंतु अप्रैल और दिसंबर 2015 के बीच चैक बाऊंसड हो गए। पोस्ट डेटिड चैकों को न भुनाने के कारण अभिलेख में दर्ज नहीं थे। तथापि, अप्रैल 2015 तक केवल 10 मिलरों के विरूद्ध

29 (i) फतेहाबाद, (ii) कैथल, (iii) करनाल, (iv) कुरूक्षेत्र तथा (v) यमुनानगर।

30 2011-12: 948 एम.टी., 2012-13: 1,610 एम.टी. और 2013-14: 36,416 एम.टी.।

31 सुपुर्दगी न करने के कारण चावल की लागत जमा चावल की लागत का पचास प्रतिशत (2011-13 के लिए) तथा 10 प्रतिशत (2013-14 के लिए) जमा मार्च 2013 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान विद्यमान न्यूनतम सी.सी.एल. दर होने के कारण 11.75 प्रतिशत की दर पर ब्याज शामिल है।

पुलिस विभाग में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करवाई गई थी। शेष सात मिलरों के विरूद्ध एफ.आई.आर. क्यों नहीं दर्ज करवाई गई, के कारण अभिलेख में दर्ज नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि खा.आ.वि. की ओर से निम्न कमियों के कारण चावल की असुपुर्दगी आसान हो गई:

- 2010 - 15 के दौरान प्रत्येक के.एम.एस. के लिए जारी सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार धान के स्टाक का संयुक्त भौतिक सत्यापन पाक्षिक आधार पर किया जाना अपेक्षित था। भौतिक सत्यापन के समय धान स्टाक की प्रमात्रा एवं गुणवत्ता के संबंध में प्रापण एजेंसियों के जिला अध्यक्ष और मिलर उत्तरदायी थे। भौतिक सत्यापन की रिपोर्टें एजेंसियों के जिला अध्यक्षों द्वारा उनके मुख्यालयों को नियमित रूप से भेजी जानी थी। तथापि, यह देखा गया कि चयन किए गए पांच जिलों में से कुरूक्षेत्र और करनाल जिले में भौतिक सत्यापन नियमित रूप से नहीं किया गया था, जैसा कि अपेक्षित था। 2011 - 12 के दौरान अपेक्षित 9 से 25 भौतिक सत्यापनों के विरूद्ध कुरूक्षेत्र में मिलरों का भौतिक सत्यापन केवल एक या दो बार किया गया था जबकि करनाल में यह 2013 - 14 के दौरान अपेक्षित 19 सत्यापनों के विरूद्ध केवल दो बार किया गया था। आगे, भौतिक सत्यापन की रिपोर्टें न तो निदेशालय को भेजी जा रही थी और न ही निदेशालय भौतिक सत्यापन की मानीटारिंग कर रहा था।

- प्रत्येक के.एम.एस. के लिए सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, मिलर के निर्धारित समय सूची के अनुसार कस्टम मिल्ड राईस सुपुर्द करने में विफल होने के मामले में विभाग द्वारा संबंधित मिलर के जोखिम एवं लागत पर धान के स्टाक को, इस उद्देश्य हेतु उसे सात दिन का नोटिस देने के पश्चात्, स्थानांतरित करना अपेक्षित था। यह देखा गया कि विभाग ने सभी 23 दोषी मिलरों के परिसरों से, धान मिल्ड करवाने हेतु दूसरे मिलरों को धान का स्टाक स्थानांतरित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी। यहां तक कि दूसरे मिलरों को धान स्थानांतरित करने के लिए मिलरों को नोटिस तक जारी नहीं किए गए थे।

- दिशानिर्देशों के अनुसार, एक एम.टी. प्रति घंटा मिलिंग क्षमता वाले मिलों को 3,000 एम.टी. (2011 - 12 तक 2,000 एम.टी.) धान आबंटित किया जाता है। प्रत्येक अतिरिक्त एक एम.टी. प्रति घंटा क्षमता के लिए 1,000 एम.टी. अतिरिक्त धान, अधिकतम 6,000 एम.टी. धान की क्षमता (5,000 एम.टी. धान 2011 - 12 तक) की शर्त के साथ, आबंटित किया जाता है। आगे, पट्टे वाले मिलों को 3,000 एम.टी. से अधिक धान नहीं दिया जाता है। उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला मिलिंग समितियों (डी.एम.सीज) ने मिलरों को उनकी क्षमता के अनुसार धान आबंटित किया। आगे, ड्रायरज एवं सोरटैक्स सुविधाओं और चावल की सामयिक सुपुर्दगी की शर्तों में परोवन ट्रैक रिकार्ड गुणवत्ता मानक अपनाने और अच्छी मूलभूत सुविधाओं वाले मिलरों को संबंधित प्रापण एजेंसी के अध्यक्ष यानी महानिदेशक, खा.आ.वि. के पूर्व अनुमोदन से, डी.एम. सीज द्वारा अधिक धान आबंटित किया जा सकता है। 23 मिलरों में से 12 मिलरों को सरकार द्वारा निर्धारित मानकों से 33,690 एम.टी. धान अधिक आबंटित किया गया था जैसा कि ***परिशिष्ट 3.1*** में विवरणित है। इस अधिक आबंटन में से 23,444 एम.टी. धान का आबंटन संबंधित डी.एम.सीज के अनुमोदन से किया गया था परंतु महानिदेशक, खा.आ.वि. का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। शेष 10,246 एम.टी. के लिए अनुमोदन न तो डी.एम.सीज से और न ही महानिदेशक, खा.आ.वि. से प्राप्त किया गया था। इस प्रकार, 33,690 एम.टी. धान का आबंटन अनियमित था।

- लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकित किया कि पी.डी.सीज के रूप में ली गई गारंटी ने उद्देश्य पूरा नहीं किया क्योंकि चावल की सुपुर्दगी में विफल रहे मिलरों के 23 मामलों में से 17 मामलों में पी.डी.सीज बाउंसड हो गए थे। आगे, विभाग दोषी मिलरों के विरूद्ध कार्यवाही करने में तत्पर नहीं था और एफ.आई.आर. केवल 10 दोषी मिलरों के विरूद्ध दर्ज करवाई गई थी; जबकि नवंबर 2015 तक शेष 13 दोषी मिलरों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जानी शेष थी।

महानिदेशक, खा.आ.वि. ने बताया (नवंबर 2015) कि सरकार, दोषी चावल मिलरों से शेष कस्टम मिल्ड राईस की राशि वसूल करने और चूककर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों को चार्जशीट करने का निर्णय ले चुकी थी। आगे, यह बताया गया कि जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों (डी.एफ.एस.सीज) को भौतिक सत्यापन करने, उन मामलों में, जहां चावल मिलर, चावल सुपुर्द करने में समर्थ न हो, अन्य मिलों को धान/चावल स्थानांतरित करने, दोषी चावल मिलरों के विरूद्ध अपराधिक कार्यवाही करने आदि के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए गए थे। तथ्य यह रहता है कि निदेशालय की नियंत्रण यंत्रावली पर्याप्त नहीं थी और इसकी त्रुटिपूर्ण विद्यमान प्रणाली ने सरकारी हितों की सुरक्षा नहीं की।

3.6.2 मिलरों से वसूली न करना

चयनित पांच जिलों में से तीन[32] में पांच चावल मिलरों को 2013-14 के दौरान 27,151 एम.टी. धान आबंटित किया गया था जिसके विरूद्ध 30 सितंबर 2014 तक की विस्तारित अवधि तक भा.खा.नि. को 18,191 एम.टी. कस्टम मिल्ड राईस सुपुर्द करना देय था तथापि, केवल 9,787 एम.टी. कस्टम मिल्ड राईस सुपुर्द किया गया था और ₹ 19.90 करोड़ मूल्य का 8,403 एम.टी. कस्टम मिल्ड राईस मिलरों से प्राप्य था (जुलाई 2015)। भौतिक सत्यापन रिपोर्टों ने दर्शाया कि धान/चावल[33] मिलरों के परिसरों में पड़ा था। विभाग ने मिलरों के परिसरों से धान/चावल को शिफ्ट करने हेतु, कोई कार्यवाही नहीं की थी। आगे, यह देखा गया था कि इन पांच दोषी मिलरों में से चार[34] मिलरों को उनके हक से अधिक 410 एम.टी. से 2,977 एम.टी. के बीच धान आबंटित किया गया था। पेनल्टी एवं ब्याज सहित कुल वसूली ₹ 24.46 करोड़ परिकलित की गई है। तथापि, न तो यह राशि मिलरों से वसूल की गई थी और न ही पोस्ट डेटिड चैकों (डी.पी.सीज) को भुनाने या दोषी मिलरों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी सिवाय दो मामलों[35] जिनमें पी.डी.सीज बाउंसड हो गए थे और एक[36] मिलर के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई थी (नवंबर 2015)।

महानिदेशक, खा.आ.वि. ने बताया (नवंबर 2015) कि संबंधित डी.एफ.एस.सीज को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए निर्देश दिए जा रहे थे।

32 (i) कुरूक्षेत्र, (ii) करनाल तथा (iii) कैथल।

33 1,492 एम.टी. धान तथा 7,266 एम.टी. चावल।

34 (i) मैसर्ज दिव्या फूड, करनाल, (ii) मैसर्ज मोती राम सुनील कुमार, असंध, (iii) मैसर्ज जहारवीर राणा चावल मिल, झांसा तथा (iv) मैसर्ज श्री गणेश चावल एवं जनरल मिल्ज, चीका।

35 (i) मैसर्ज दिव्या फूड करनाल तथा (ii) मैसर्ज मोतीराम सुनील कुमार, असंध।

36 मैसर्ज जहारवीर राणा चावल मिल झांसा।

3.6.3 मिलरों से मूल्य कट और आर्द्रता कट की वसूली न करना

भारत सरकार ने राज्य सरकार को वर्ष 2013 - 14 के लिए कस्टम मिल्ड राईस की अस्थाई दरें सूचित करते समय (अप्रैल 2014) भा.खा.नि. को सुपुर्द चावल की लागत का एक प्रतिशत की दर पर मूल्य कट[37] लगा दिया। इसी प्रकार, भा.खा.नि. द्वारा विभाग के बिलों से किया गया कोई आर्द्रता कट[38] भी मिलरों से वसूलनीय था। तथापि, यह देखा गया था कि दो जिलों (करनाल एवं कुरूक्षेत्र) में मूल्य कट और आर्द्रता कट के कारण 47 मिलरों से ₹ 2.40 करोड़ की राशि वसूलनीय थी। लेकिन सितंबर 2014 तक 2013 - 14 के के.एम.एस. के समाप्त होने के बावजूद राशि वसूल नहीं की गई थी (नवंबर 2015)। इसके अतिरिक्त, के.एम.एस. 2013 - 14 के पूर्ण होने के 12 मास व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी विभाग ने इन मिलरों का मिलिंग लेखा तैयार नहीं किया था।

महानिदेशक, खा.आ.वि. ने बताया (नवंबर 2015) कि इस संबंध में संबंधित डी.एफ.एस.सी. को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए जा रहे थे।

3.6.4 दिशानिर्देशों का पालन न करना

(i) खा.आ.वि. द्वारा प्रत्येक वर्ष धान के क्रय के लिए जारी दिशानिर्देश प्रावधान करते हैं कि कस्टम मिलिंग धान करने वाले मिलर निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित राज्य सरकार एजेंसियों (एस.जी.एज) के साथ एक अनुबंध निष्पादित करेंगे। लेखपरीक्षा ने अवलोकित किया कि करनाल जिले में 2014 - 15 के दौरान मिलरों के साथ अनुबंध निष्पादित किए बिना 6 मिलरों को धान आबंटित किया गया था।

(ii) खा.आ.वि. द्वारा प्रत्येक वर्ष धान के क्रय के लिए जारी दिशानिर्देश प्रावधान करते हैं कि एक टन क्षमता के लिए ₹ पांच लाख और अतिरिक्त प्रति टन क्षमता के लिए ₹ दो लाख की प्रतिभूति राशि मिलरों से प्राप्त की जाएगी। प्रतिभूति संबंधित प्रापण एजेंसी के नाम में प्रतिभूत फिक्सड डिपोजिट रिसीटस (एफ.डी.आर.) के रूप में होनी चाहिए और अनुबंध के अंतिम निष्पादन तक वैध होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 2014 - 15 के दौरान 16[39] मिलरों से ₹ 1.50 करोड़ की प्रतिभूति राशि प्राप्त नहीं की गई थी।

(iii) दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक मिलर द्वारा स्टैकस की स्थिति, प्रत्येक स्टैक में बैगों की संख्या सहित स्टैक नं. को प्रदर्शित करते हुए तीन प्रतियों में एक चित्रात्मक चार्ट/स्कैच तैयार करना अपेक्षित था। चार्ट की एक प्रति मिल परिसर में रखी जानी थी जबकि दूसरी प्रति प्रभारी निरीक्षक द्वारा रखी जानी थी तथा तीसरी प्रति जिला कार्यालय में रखी जानी थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नमूना - जांच किए गए जिलों में से किसी भी मिलर द्वारा चित्रात्मक चार्ट/प्रस्तुत नहीं किया गया था। आगे, दिशानिर्देशों में निर्धारित भौतिक सत्यापन प्रोफार्मा में धान/कस्टम मिल्ड राईस की किस्म एवं स्वास्थ्य के संबंध में कोई कॉलम नहीं था। इसके परिणामस्वरूप निम्नतर गुणवत्ता वाले धान के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले धान को बदलने के अवसरों का पता नहीं लगाया जा सकता।

[37] यदि भारत सरकार केन्द्रीय पूल के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले चावल के विनिर्देशनों में कुछ कारणों से ढील देती है तो यह ढील दिए गए विनिर्देशनों के अनुरूप कस्टम मिल्ड राईस के मूल्य में मूल्यकट लगा सकती है, जो मिलरों से वसूल किया जाना था।

[38] यदि सी.एम.आर. में आर्द्रता घटक 14 प्रतिशत से अधिक है तो आर्द्रता कट लगाया जाता है।

[39] कुरूक्षेत्र का एक मामला तथा करनाल के 15 मामले।

महानिदेशक, खा.आ.वि. ने बताया (नवंबर 2015) कि संबंधित डी.एफ.एस.सीज को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए निदेश दिए जा रहे थे।

इस प्रकार, स्टाक का नियमित रूप से भौतिक सत्यापन न करने, मिलरों की क्षमता से अधिक धान का आबंटन, धान की मिलिंग के लिए एफ.डी.आर./बैंक गारंटी के रूप में सही गारंटी प्राप्त न करने, दोषी मिलरों के विरूद्ध उचित कार्यवाही न करने की कमी से युग्मित कारणों ने ₹ 115.48 करोड़ मूल्य के धान की असुपुर्दगी को सुविधाजनक बनाया। मिलरों से चावल की कम आपूर्ति के कारण ₹ 24.46 करोड़ की अवसूली, मूल्यकट और आर्द्रता कट के कारण मिलरों से ₹ 2.40 करोड़ की अवसूली और कई मामलों में दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के मामले भी थे।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को सितंबर 2015 में संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2016)।

वन विभाग

3.7 भूमि मालिक को अधिक भुगतान तथा आयकर की कटौती न करना

मंडलीय वन अधिकारी, मोरनी-पिंजौर ने पेड़ों के लिए ₹ 1.36 करोड़ की अधिक क्षतिपूर्ति का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त ब्याज भुगतान पर ₹ 0.90 करोड़ का आयकर भी नहीं काटा गया था।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (भू.अ. अधिनियम) की धारा 23(1) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि भूमि की बाजार कीमत के अतिरिक्त, खड़ी फसलों तथा पेड़ों की हानि के कारण भूमि मालिकों द्वारा उठाई गई क्षतियां भी मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य हैं। आगे, धारा 23(1-ए) तथा धारा 23(2) के अनुसार भूमि की बाजार कीमत पर 30 प्रतिशत मुआवजे के साथ-साथ अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से अवार्ड की तिथि तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की अतिरिक्त राशि देय थी। आगे आयकर (आई.टी.) अधिनियम 1961 की धारा 194ए निर्धारित करता है कि ब्याज का भुगतान करते समय भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/प्राधिकारी को, निर्धारित दरों पर स्रोतों पर कर की कटौती करनी चाहिए।

वन विभाग ने वन पौधारोपण तथा मृदा संरक्षण उपायों के उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत पंचकुला जिले के असरेवली तथा नदलान गांवों में क्रमश: 1,675.43 एकड़ तथा 1,526.10 एकड़ भूमि अधिगृहीत की (अगस्त 1984)। भूमि अधिग्रहण कलक्टरज (एल.एस.सी.) ने ₹ 640 प्रति एकड़ पर भूमि की कीमत निर्धारित करते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान की (अगस्त 1984) लेकिन पेड़ों के संबंध में दावे इस आधार पर नामंजूर कर दिए गए कि भूमि मालिक ने जिसकी भूमि अधिगृहीत की गई थी, स्वामित्व सौंपने से पहले सभी पेड़ों को काट लिया था तथा हटा दिया था। उक्त अवार्ड से असंतुष्ट, भूमि मालिक ने हर्जाने की राशि बढ़ाने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत एक अपील दायर की। अपर जिला न्यायधीश, अंबाला ने भूमि की कीमत ₹ 640 प्रति एकड़ से ₹ 730 प्रति एकड़ बढ़ा दी (दिसंबर 1991), लेकिन पेड़ों के कारण हुई क्षति को अनुमत नहीं किया। भूमि मालिक ने दोनों गांवों के संबंध में पेड़ों के कारण हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति के साथ-साथ भूमि की कीमत के लिए हर्जाने की वृद्धि के लिए माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने भूमि के मूल्य निर्धारण के संबंध में कानून में प्रावधान के अनुसार भूमि की कीमत ब्याज, मुआवजे तथा अतिरिक्त राशि सहित

बढ़ाकर ₹ 1,520 प्रति एकड़ कर दी (अक्तूबर 2012)। दोनों गांवों के लिए अपील में पेड़ों के कारण हुई हानि के लिए प्रत्येक गांव हेतु ₹ 16.50 लाख ब्याज सहित निर्धारित किए गए जैसा कि भू.अ. अधिनियम की धारा 28 में प्रावधान किया गया था।

मंडलीय वन अधिकारी (म.व.अ.), मोरनी-पिंजौर के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया (मई 2015) कि भू.अ. अधिनियम, के प्रावधानों तथा माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए पेड़ों की कीमत पर विभाग द्वारा 30 प्रतिशत की दर पर मुआवजा तथा 12 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि का भी भुगतान किया गया था (मई 2014)। परिणामस्वरूप, मुआवजा तथा पेड़ों के लिए क्षतिपूर्ति पर अतिरिक्त राशि तथा उस पर ब्याज के कारण भूमि मालिक को ₹ 1.36 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

आगे यह अवलोकित किया गया कि आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विभाग ने ₹ 4.51 करोड़ के ब्याज भुगतान पर ₹ 90.28 लाख की राशि टी.डी.एस. के रूप में काटे बिना भूमि मालिक को ₹ 5.52 करोड़ की कुल राशि इस तर्क पर जारी (मई 2014) की थी कि आयकर स्वयं जमा करवाने के संबंध में भूमि मालिक ने अंडरटेकिंग दी थी, जो आयकर अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध था तथा भूमि मालिक को अनुचित लाभ दिया गया था।

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वन विभाग ने बताया (दिसंबर 2015) कि भुगतान माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार किया गया था। आगे, टी.डी.एस. नहीं काटा गया था क्योंकि भूमि मालिक ने एक अंडरटेकिंग दी थी कि वह देय आयकर स्वयं जमा करवाएगा तथा ₹ 71.50 लाख[40] की एक राशि उसके द्वारा जमा करवा दी गई थी, जिसकी पुष्टि आयकर विभाग से प्रतीक्षित थी। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने, जैसा कि कानून में प्रावधान है, भू.अ. अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत केवल वृक्षों की कीमत पर ब्याज, केवल भूमि के मूल्य पर मुआवजा, अतिरिक्त राशि और ब्याज को अनुमत किया था। आगे, भूमि मालिक द्वारा इस प्रकार जमा करवाई गई दिखाई गई राशि न केवल देय टी.डी.एस. से कम थी, अपितु आयकर प्राधिकारी के पास देरी से भी जमा करवाई गई थी। इसके अतिक्ति, भूमि मालिक द्वारा कर जमा करवाने का सत्यापन अभी भी आयकर प्राधिकारी से प्रतीक्षित था (दिसंबर 2015)।

इस प्रकार, भू.अ. अधिनियम के प्रावधानों तथा मानीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन में पेड़ों के लिए क्षतिपूर्ति पर मुआवजा तथा अतिरिक्त राशि के भुगतान के कारण भूमि मालिकों को ₹ 1.36 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त, ब्याज भुगतानों पर टी.डी.एस. की कटौती न करना भूमि मालिक को अनुचित लाभ देने के बराबर था।

3.8 प्लांट टिशू कल्चर यूनिट पर निष्फल व्यय

हार्डनिंग चैम्बर की अनुपलब्धता तथा सक्षम स्टॉफ की नियुक्ति न करने के कारण कुरूक्षेत्र में प्लांट टिशू कल्चर यूनिट पर किया गया ₹ 87.65 लाख का व्यय निष्फल रहा था।

टिशू कल्चर, कम ज्ञात पेड़ प्रजाती या दुर्लभ, संकटग्रस्त तथा आशंकित प्रजातिया जो प्राकृतिक

[40] ₹ 71.50 लाख = ₹ 36.47 लाख (सितंबर 2014) + ₹ 35.03 लाख (दिसंबर 2014)।

रूप से नहीं उपजते या जिनकी प्राकृतिक उपज अपर्याप्त है, को उपजाने का एक तरीका है। विभाग में एक प्लांट टिशू कल्चर यूनिट (टि.क.यू.) की स्थापना के लिए प्रस्ताव 'एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा गरीबी उन्मूलन' परियोजना के एक प्रावधान के रूप में किया गया था।

वन विभाग, हरियाणा ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.) के साथ, हिमालयन बायो संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.एच.बी.टी.), पालमपुर, हिमाचल प्रदेश नामक अपने संघटक संस्थान के माध्यम से एक आधुनिक टि.क.यू. की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किया (मार्च 2008) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान किया गया कि पेड़ प्रजातियों जैसे बांस, युकलिप्टस, एलोवेरा तथा अन्य औषधीय पौधों आदि के लिए टिशू कल्चर प्रोटोकोल की आपूर्ति/विकसित करने तथा उपकरणों के संयुक्त प्रापण सहित भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद 24 महीनों के भीतर लैबोरेट्री शुरू कर दी जानी चाहिए। एम.ओयू. के अनुसार, आई.एच.बी.टी. द्वारा कुरूक्षेत्र में लैबोरेट्री की स्थापना के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति को भेजा गया था तथा टि.क.यू. को सफलता से चलाने के लिए अपेक्षित पर्याप्त मानव शक्ति को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ इसे क्रियाशील बनाना था।

डिविजनल वन अधिकारी, अनुसंधान मण्डल, पिंजौर के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि प्लांट टिशू कल्चर लैबोरेट्री की स्थापना का सिविल कार्य नवंबर 2009 में पूर्ण कर लिया गया था तथा टि.क.यू. को दिसंबर 2011 तक क्रियाशील कर दिया गया था। आई.एच.बी.टी. द्वारा नवंबर 2010 में पांच कार्मिकों (फोरेस्ट गाडर्ज) को टिशू कल्चर प्रक्रिया में प्रशिक्षण दिया गया था लेकिन वन विभाग ने आई.एच.बी.टी. से प्रोफेशनल एक्सपर्ट को, उनके द्वारा प्रस्तावित बहुत उच्च सैलरी की दलील के कारण नियुक्त नहीं किया। बल्कि, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय से टिशू कल्चर में डॉक्टरेट ऑफ फिलोसिफी कर रहे एक रिसर्च स्कॉलर को अगस्त 2012 से जून 2013 की अवधि के लिए यूनिट की देखभाल करने के लिए अनुबंध आधार पर (₹ 18,000 प्रति माह की दर पर) लगाया गया था तथा उसके बाद अभी तक (दिसंबर 2015) टि.क.यू. में किसी अन्य योग्य अधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया था। इस समय, केवल एक फोरेस्ट गार्ड जिसने टिशू कल्चर में आई.एच.बी.टी. से प्रशिक्षण लिया था, को यूनिट में नियुक्त किया गया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि टि.क.यू. के पास एक हार्डनिंग चैम्बर की उपलब्धता नहीं थी, जो प्लांटलेट्स को कल्चर वैसल से एक ग्रीन हाऊस या फील्ड में ट्रांसफर करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक था, जिसका प्रावधान एम.ओ.यू में नहीं किया गया था क्योंकि यह सोचा गया था कि प्रोटोकोलज को विकसित करने में टि.क.यू. आत्म निर्भर होगा। यह त्रुटि रिसर्च विंग द्वारा उच्चतर प्राधिकारियों को बताई गई थी (जून 2013)। तथापि विभाग जनवरी 2016 तक सुदृढ़ीकरण चैंबर[41] स्थापित/प्रदान करने में विफल हो गया था।

विभाग ने टिशू कल्चर के लिए 10 प्रजातियो[42] को लेने का निर्णय लिया (मई 2012) लेकिन कोरिम्बिया के सिवाय, कोई टिशू कल्चर प्रोटोकोल विकसित करने में समर्थ नहीं था (सितंबर 2015)। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वन विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2015) कि किसी प्रजाति का टिशू कल्चर प्रोटोकोल का विकास एक अनुसंधान गतिविधि है तथा

41 विभागीय डाटा के अनुसार, हार्डनिंग चैम्बर की अनुमानित लागत: ₹ 7.50 लाख।

42 यूकलिप्टस, डालबर्गिया सिसू, बैम्बूज, सालवदोरा ओलीडस, सालवदोरा पर्सिका, एनोजिसस लेटीफोलिया, एनोजिसस पेंडुला, टेकोमिला अनडुलेट, बोसवेलिया सेराटा, तथा अदीना कोरडिफोलिया।

किसी प्रजाति के प्रोटोकोल विकसित करने में वर्षों लग सकते हैं। आगे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने सूचित किया (जनवरी 2016) कि हार्डनिंग चैम्बर के निमार्ण का प्रावधान चालू वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित किया गया था तथा जल्द ही निर्मित कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षित फोरेस्ट गार्ड, मंडलीय वन अधिकारी/वन सरंक्षक (अनुसंधान) की निगरानी में गुणक प्लांट कल्चर द्वारा टि.क.यू. को अनुरक्षित कर रहा है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि विभाग हार्डनिंग चैम्बर तथा प्रशिक्षित टिशू कल्चर एक्सपर्ट, दो वर्षों से ज्यादा बीत जाने पर भी, प्रदान करने में विफल रहा। आगे, विभाग की दलील कि फोरेस्ट गार्ड टि.क.यू. को मेनटेन कर रहा था, स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि आई.एच.बी.टी. से एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित था।

इस प्रकार हार्डनिंग चैम्बर की अनुपलब्धता तथा सक्षम स्टॉफ की नियुक्ति न होने के कारण मार्च 2015 तक किया गया ₹ 87.65 लाख[43] का व्यय न केवल निष्फल रहा था मूल उद्देश्य अपितु जिसके लिए यूनिट स्थापित की गई थी वह भी विफल रहा।

स्वास्थ्य विभाग (रैड क्रास सोसाइटी)

3.9 रैड क्रास सोसाइटियों द्वारा निधियों का उपयोग

जिला रैड क्रास सोसाइटियों (जि.रै.क्रा.सो.) ने वेतन एवं भत्तों पर ₹ 18.38 करोड़ तथा इसके मुख्य उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर मात्र ₹ 6.63 करोड़ व्यय किए थे। ₹ दो करोड़ का व्यय इसके उद्देश्यों के अंतर्गत आवृत न की गई गतिविधियों पर किया गया था। गबन, विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण न देना, आपूर्तिकर्ता पर पेनल्टी न लगाना, संविधान और जि.रै.क्रा.सो. के समरूप सेवा नियमों का अनुमोदन न करने के मामले भी थे।

भारतीय रैड क्रास सोसाइटी (भा.रै.क्रा.सो.) भारतीय रैड क्रास सोसाइटी अधिनियम, 1920 के अंतर्गत सशस्त्र सेनाओं के बीमार एवं घायल सदस्यों की सहायता और युद्ध के दौरान इस तरह के अन्य उद्देश्यों तथा शान्ति काल में भी जारी रखना, मातृत्व एवं बाल कल्याण, नर्सिंग एवं एम्बुलैंस कार्य; महामारी भूकंप, अकाल, बाढ़ एवं अन्य आपदाओं इत्यादि के कारण पीड़ितों की पीड़ा को कम करने के लिए राहत के उद्देश्य से, गठित की गई थी। भा.रै.क्रा.सो. की हरियाणा राज्य शाखा जून 1971 में अस्तित्व में आई। राज्य में 21 जिला रैड क्रास सोसाइटियां (जि.रै.क्रा.सो.) हैं।

यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि क्या सोसाइटियों की निधियों का उपयोग लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुसार किया गया था, सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम, 1971 की धारा 20(i) के अंतर्गत रैड क्रास सोसाइटी हरियाणा (रै.क्रा.सो.ह.) तथा 21 जि.रै.क्रा.सो. में से पांच[44] के कार्यालयों में 2010-15 की अवधि के लिए अभिलेखों की नमूना-जांच की गई। 2010-15 के दौरान नमूना-जांच की गई इकाइयों में ₹ 54.79 करोड़ की आय के विरूद्ध ₹ 49.82 करोड़ का व्यय किया गया था।

[43] (i) आई.एच.बी.टी. को कंसलटेंसी प्रभार: ₹ 7.85 लाख, (ii) उपकरणों, कैमीकलज़, एयरकंडीशनर आदि की खरीद: ₹ 26.47 लाख (iii) भवन निर्माण: ₹ 26.50 लाख, (iv) विद्युत कनैक्शन: ₹ छ: लाख तथा (v) परिचालनात्मक लागत: ₹ 20.83 लाख।

[44] सिरसा, कुरूक्षेत्र, भिवानी, फतेहाबाद तथा गुड़गांव।

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:

(i) बजट अनुमानों का तैयार न करना

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि भिवानी और फतेहाबाद दो जि.रै.क्रा.सो. ने लेखापरीक्षा अवधि 2010-15 के दौरान, सिरसा ने वर्ष 2011-15 के लिए जि.रै.क्रा.सो., गुड़गांव और कुरूक्षेत्र ने क्रमश: वर्ष 2012-13 और 2014-15 के लिए बजट अनुमान (बी.ई.) तैयार नहीं किए थे। जिसके कारण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थे। बी.ई. को तैयार न करना जि.रै.क्रा.सो. द्वारा व्यय पर वित्तीय नियंत्रण के अभाव का संकेत करता है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, जि.रै.क्रा.सो. फतेहाबाद तथा कुरूक्षेत्र ने बताया (सितंबर 2015) कि जि.रै.क्रा.सो. की कार्यकारी समिति (ई.सी.) की बैठक में इन वर्षों के बजटों को अब अनुमोदित किया गया था। सिरसा और गुड़गांव की जि.रै.क्रा.सो. से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2015)।

(ii) अनियमित व्यय

(क) जि.रै.क्रा.सो. के संविधान की धारा 20(i) प्रावधान करती है कि जिला शाखा में समस्त नियुक्तियां अध्यक्ष द्वारा की जाएंगी और स्थाईकरण के लिए मामले ई.सी. के सामने रखे जाएंगे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नमूना-जांच किए गए पांच जिलों में 90 कर्मचारियों[45] की नियुक्तियां, प्रक्रिया जैसा कि जि.रै.क्रा.सो. के संविधान में निर्धारित है, को अपनाए बिना की गई थी। सोसाइटियों ने प्रक्रिया अपनाए बिना 2010-15 के दौरान कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर ₹ 12.29 करोड़ व्यय किया। जि.रै.क्रा.सो., फतेहाबाद ने बताया (सितंबर 2015) कि अब समस्त नियुक्तियों का ई.सी. से अनुमोदन करवा लिया गया है। शेष चार जि.रै.क्रा.सो. ने आश्वासन दिलाया कि ई.सी. से का मामला अगली बैठक में अनुमोदित करवा लिया जाएगा। तथापि, ई.सी. द्वारा अभी तक (दिसंबर 2015) कोई अनुमोदन नहीं दिया गया था।

(ख) जि.रै.क्रा.सो. को मुख्य व्यय, भारतीय रैड क्रास सोसाइटी अधिनियम, 1920 के अंतर्गत प्रथम सूची सैक्शन-7 में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करना था। पांच जि.रै.क्रा.सो. के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि इन जि.रै.क्रा.सो. द्वारा 2010-15 के दौरान ₹ 29.52 करोड़ व्यय किए गए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि इन जि.रै.क्रा.सो. ने ₹ 18.38 करोड़ (62 प्रतिशत) का व्यय वेतन एवं भत्तों पर किया और मात्र ₹ 6.63 करोड़ (22 प्रतिशत) का व्यय इन जि.रै.क्रा.सो. द्वारा उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर किया गया। ₹ 18.38 करोड़ में से, ₹ 1.50[46] करोड़ का अनियमित व्यय जि.रै.क्रा.सो. ने अन्य विभागों[47] में काम करने वाले स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर किया। इसके अतिरिक्त सिरसा जिले में दूसरे विभागों के लिए नियोजित वाहन एवं मशीनरी पर ₹ 0.24 करोड़ का व्यय भी किया गया था। इंगित किए जाने पर, सचिव जि.रै.क्रा.सो., फतेहाबाद ने बताया (सितंबर 2015) कि ₹ 18.40 लाख में से ₹ 14.14 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति की जा चुकी थी। अन्य जि.रै.क्रा.सो. द्वारा दिसंबर 2015 तक कोई वसूली नहीं की गई थी।

[45] कार्यालय स्टाफ और विभिन्न परियोजनाओं जैसे परिवार काउन्सिलिंग केंद्र, जिला पुनर्वास केंद्र आदि के लिए कर्मचारी।

[46] सिरसा: ₹ 0.16 करोड़, कुरूक्षेत्र: ₹ 0.48 करोड़, गुड़गांव: ₹ 0.68 करोड़ तथा फतेहाबाद: ₹ 0.18 करोड़ = ₹ 1.50 करोड़।

[47] तहसील कार्यालय, नगर परिषद्, सिविल सर्जन, उपायुक्त कार्यालय, जनगणना विभाग इत्यादि।

(ग) चयनित जि.रै.क्रा.सो. के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि समितियों ने ₹ 27.39 लाख का व्यय, दीपावली एवं राष्ट्रीय दिवस मनाने पर, निर्धन व्यक्तियों, प्राईवेट एवं सरकारी संस्थाओं आदि के लिए वित्तीय सहायता पर किया था, जो कि भा.रै.क्रा.सो. अधिनियम 1920 के उद्देश्यों के अंतर्गत आवृत नहीं था। आगे, उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को ऐसे भुगतानों को रोकने के लिए निर्देश दिए (अप्रैल 2010)। रै.क्रा.ह. ने ऐसे भुगतानों को रोकने के लिए जि.रै.क्रा.सो. के सभी अध्यक्षों को न्यायालय के अनुदेश अग्रेषित कर दिए (नवंबर 2010)।

आगे, यह भी देखा गया कि इन गतिविधियों पर ₹ 27.39 लाख में से ₹ 26.34 लाख का व्यय उच्च न्यायालय के निर्देशों (अप्रैल 2010) के पश्चात् भी किया गया था।

सचिव, जि.रै.क्रा.सो. भिवानी ने बताया (मार्च 2015) की सोसाइटी ने अब निर्धनों को सहायता देने की प्रथा को बंद कर दिया है। तथापि, तथ्य यह रहता है कि व्यय भा.रै.क्रा.सो. अधिनियम, 1920 के प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया था और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(iii) विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (एस.जे.ई.) ने 128 अंधे व्यक्तियों, जो कुर्सियों की केन बुनाई के लिए नियुक्त थे, उन्हें जि.रै.क्रा.सो. में मास्टर प्रशिक्षक के रूप में तैनात करके क्योंकि केन कुर्सियों का उपयोग पर्याप्त रूप से घट चुका था, के पुनर्वास के लिए एक पालिसी बनाई (अगस्त 2009)। उन्हें चॉक, डिस्पोजेबल वस्तुएं, मोमबत्ती, डस्टर आदि बनाने में तीन माह के अनिवार्य प्रशिक्षण पर जाना अपेक्षित था जिसके पश्चात् उन्हें एस.जे.ई. विभाग द्वारा खोले जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में विकलांग व्यक्तियों को आगे प्रशिक्षण देना अपेक्षित था।

एस.जे.ई. विभाग प्रशिक्षकों के वेतन के भुगतान हेतु संबंधित जि.रै.क्रा.सो. को अनुदान निर्मुक्त कर चुका था। तदनुसार, दिसंबर 2009 से मार्च 2014 तक ₹ 6.69 करोड[48] की राशि का वेतन दिया गया था। तथापि, यह देखा गया कि 17 जिलों (सिवाय चार जि.रै.क्रा.सो.[49] के) में एम.टीज को उचित प्रशिक्षण केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण तीन माह का अनिवार्य प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। जनवरी 2010 में प्रशिक्षण उद्देश्य हेतु औजार और मशीनों के क्रय हेतु जि.रै.क्रा.सो. को ₹ 4.20 लाख भी निर्मुक्त किए गए थे। तथापि, अभी तक (दिसंबर 2015) कोई क्रय नहीं किया गया था। रै.क्रा.ह. ने बताया (जनवरी 2015) कि उन्होंने प्रशिक्षण के मामले पर गंभीरता से विचार किया था और फरवरी से नवंबर 2015 तक 105 अंधे एम.टीज के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शैडयूल निश्चित किया है। तथापि, अभी तक (दिसंबर 2015) कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं खोला था।

इस प्रकार, ₹ 6.69 करोड़ व्यय करने के पश्चात् भी एम.टीज के पुनर्वास और विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था और आवश्यक औजार एवं मशीनरी अभी भी क्रय की जानी थी।

[48] दिसंबर 2009 से मार्च 2012, ₹ 3.73 करोड़, 2012-13, ₹ 1.25 करोड़ तथा 2013-14, ₹ 1.71 करोड़ कुल ₹ 6.69 करोड़।

[49] कुरूक्षेत्र, पंचकुला, हिसार तथा पलवल।

(iv) संदिग्ध गबन

पंजाब वित्तीय नियम (खंड-1) (नियम 2.2 और 2.7), जो हरियाणा सरकार और रैड क्रास सोसाइटियों में भी लागू है, अपेक्षा करते हैं कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) स्वयं को संतुष्ट करे कि समस्त मौद्रिक व्यवहारों, ज्यों ही वे घटित होते हैं, को रोकड़ बही में दर्ज किया गया है और वे उस द्वारा सत्यापित किए गए हैं। ऐसे मामले में जहां कर्मचारी जो रोकड़ बही का प्रभारी नहीं है, सरकार की ओर से धन प्राप्त करता है, उसे जरूरी है कि उस धन की रोकड़ बही के प्रभारी के पास जमा करवाए या उसी दिन या अगले दिन सुबह राशि को कोषालय/बैंक में जमा करवाए। कार्यालय अध्यक्ष के लिए यह भी जरूरी है कि रोकड़ बही में जोड़ सहित सभी इन्द्राजों को सत्यापित करे या इसे, रोकड़ बही के लेखक से अन्य किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा करवाए और समस्त इन्द्राज सही हैं पर अद्याक्षर करें।

जि.रै.क्रा.सो., भिवानी के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि जि.रै.क्रा.सो. भिवानी द्वारा अप्रैल और अगस्त 2011 के बीच एम्बुलैंस वैन के प्रभारों से प्राप्ति के रूप में ₹ 66,850 एकत्रित किए गए थे। यह राशि रोकड़ बही में दर्ज[50] की गई और बैंक में जमा करवाई गई के रूप में दर्शाई गई। तथापि, रोकड़ बही और बैंक विवरणी की जांच ने दर्शाया कि राशि बैंक में जमा नहीं करवाई गई थी। डी.डी.ओ. द्वारा यह भी सुनिश्चित नहीं किया गया था कि एकत्रित की गई समस्त राशि बैंक में जमा करवाई गई थी। चार्टर्ड लेखाकार, जिसने सोसाइटी के लेखे को अंतिम रूप दिया था, द्वारा तैयार बैंक समाधान विवरणी में भी इस राशि को नहीं दर्शाया गया था। यह ₹ 66,850 के गबन के तुल्य था।

सचिव, जि.रै.क्रा.सो. भिवानी ने बताया (जून और सितंबर 2015) कि ₹ 93,410 (₹ 66,850 गबन के और ₹ 26,560 ब्याज के) जून 2015 में जमा करवा दिए गए थे। इस प्रकार, डी.डी.ओ. द्वारा रोकड़ बही में धन संबंधी लेन-देन को सत्यापित न करने और रोकड़ बही के लेखक से अन्य व्यक्ति द्वारा रोकड़ बही में इंद्राजों की जांच न करना गबन का कारण बना।

(v) संविधान एवं समरूप सेवा नियमों का अनुमोदन न होना

रै.क्रा.ह. ने जि.रै.क्रा.सो. की सभी शाखाओं के लिए प्रारूप संविधान और समरूप सेवा नियम, उनकी टिप्पणियों हेतु सर्कुलेट किए ताकि इसे प्रबंधन कमेटी की 17 जनवरी 2006 को होने वाली बैठक में अनुमोदित करवाया जा सके। यह देखा गया कि पांच जि.रै.क्रा.सो. में से तीन (फतेहाबाद, भिवानी और गुड़गांव) ने न तो संविधान अपनाया और न ही सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत् अनुमोदित किसी सेवा नियम को अपनाया था। तीन जि.रै.क्रा.सो. (सिरसा, फतेहाबाद और गुड़गांव) ने बताया था कि उन्होंने अपने स्वयं के अनुमोदित सेवा नियमन होने के कारण हरियाणा सरकार के नियमों को अपनाया था। सचिव, रै.क्रा.ह. ने बताया (सितंबर 2015) कि जि.रै.क्रा.सो. द्वारा सेवा नियम अनुमोदित नहीं किए गए हैं।

[50] 21 अप्रैल 2011 को ₹ 15,400, 14 जून 2011 को ₹ 15,190 तथा 04 अगस्त 2011 को ₹ 36,260

(vi) अनुचित लाभ एवं पेनल्टी न लगाना

दिसंबर 2011 और अक्तूबर 2013 के बीच प्रथम सहायता बाक्सों लिए चार आपूर्ति आदेश इस अनुरोध के साथ जारी किए गए थे कि आपूर्ति, आदेशों के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर पूर्ण हो, जिसकी विफलता पर सामग्री की कुल लागत के एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से पेनल्टी लगाई जाएगी। यद्यपि, फर्म ने प्रथम सहायता बाक्सों की आपूर्ति 48 से 174 दिनों के बीच श्रृंखलित विलंब से की थी, फिर भी इन आपूर्ति आदेशों के विरूद्ध, कोई पेनल्टी लगाए बिना, ₹ 9.25 लाख का भुगतान कर दिया था। यह भी देखा गया था कि आपूरित मदों के नमूने भी विफल हो गए थे।

सचिव, रै.क्रा.ह. ने बताया (सितंबर 2015) कि एक प्रतिशत पेनल्टी लगाने की शर्त का उल्लेख उन द्वारा कुछ आपूर्ति आदेशों में किया था जबकि निविदा फार्मों में ऐसी कोई शर्त नहीं दी गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि आपूर्ति आदेशों में पेनल्टी की शर्त का उल्लेख था और इसलिए ऐसे मामलों, जहां आपूर्ति में असामान्य विलंब था, में पेनल्टी लगाई जानी थी।

इस प्रकार, जिला रैड क्रास समितियों ने वेतन एवं भत्तों पर ₹ 18.38 करोड़ तथा इसके मुख्य लक्ष्यों और उद्देश्यों पर केवल ₹ 6.63 करोड़ व्यय किए थे। ₹ दो करोड़ का व्यय ऐसी गतिविधियों पर किया गया जो इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं थी। गबन, विक्लांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण न दिया जाना, आपूरकों पर शास्ति का न लगाया जाना, संविधान और जि.रै.क्रा.सो. के समरूप सेवा नियमों का अनुमोदन न करवाना जैसे मामले थे।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग को अगस्त 2015 में भेजा गया था और सितंबर 2015 को पुनः स्मरण-पत्र जारी किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विभाग

(गुरू जंभेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार और कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र)

3.10 सेवाकर का परिहार्य भुगतान

गुरू जंभेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार और कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरूक्षेत्र ने उन सेवाओं पर ₹ 1.98 करोड़ के सेवाकर का परिहार्य भुगतान किया जिन्हें भारत सरकार द्वारा छूट दी गई थी।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने पूरक शिक्षा सेवाओं (पू.शि.से.)[51] के रूप में शिक्षा के संबंध में एक शिक्षा संस्था को अथवा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान की छूट दी (जून 2012)। आबकारी एवं सीमाशुल्क केंद्रीय बोर्ड ने सितंबर 2013 में स्पष्ट किया कि शिक्षा से संबंधित सभी सेवाएं सेवाकर से छूट प्राप्त हैं। अधिसूचना को जुलाई 2014

[51] पूरक शिक्षा सेवाओं से अभिप्राय कोई भी कौशल, ज्ञान, पाठ्यक्रम वस्तु को शिक्षा या विकास या अन्य कोई ज्ञानवर्धक गतिविधि चाहे यह छात्रों या प्राध्यापक वर्ग के लिए हो या कोई अन्य सेवाएं जो शिक्षा संस्थाएं साधारणतः स्वयं करती है परंतु किसी अन्य व्यक्ति से आऊटसोर्स सेवाओं के रूप में प्राप्त कर सकती हैं।

में आगे संशोधित किया गया और पू.शि.से. की धारणा मिटा दी गई और एक शिक्षा संस्था को इन सेवाओं पर सेवाकर से छूट उपलब्ध थी (क) एक शिक्षा संस्था द्वारा इसके छात्रों, प्राध्यापक वर्ग और स्टाफ को (ख) एक शिक्षा संस्था को, छात्रों, प्राध्यापक वर्ग और स्टाफ के परिवहन, सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी मिड-डे मीलज सहित केटरिंग, सुरक्षा या सफाई अथवा ऐसी शिक्षा संस्थाओं में निष्पादित हाऊस कीपिंग सेवाएं तथा ऐसी संस्था द्वारा एडमिशन से संबंधित अथवा परीक्षा के आयोजन, सुरक्षा, हाऊस कीपिंग, केटरिंग और सफाई से संबंधित सेवाएं इत्यादि।

गुरू जंभेश्वर विश्वविद्यालय (गु.जं.वि.), हिसार के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि गु.जं.वि. ने एक सेवा प्रदानकर्ता (से.प्र.)[52] के माध्यम से सुरक्षा स्टाफ और सुरक्षा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी और तत्रैव अनुदेशों की उल्लंघना में जनवरी 2013 से जून 2014 की अवधि के दौरान एजेंसी को ₹ 31.39 लाख की राशि सर्विस टैक्स के रूप में भुगतान की। आगे, गु.जं.वि. में रख-रखाव कार्यों (सिविल, बिजली, पी.एच.ई. और बागवानी) के लिए अन्य सेवा प्रदानकर्ता[53] के माध्यम से मानवशक्ति की नियुक्ति की गई (सितंबर 2012) और रख-रखाव सेवाओं, जो हाऊसकीपिंग कार्यों के अंतर्गत आती हैं, के लिए ली गई मानवशक्ति की आपूर्ति के एवज में सेवाकर के तौर पर अक्तूबर 2012 से अप्रैल 2015 तक सेवाकर विभाग और सेवा प्रदानकर्ता को ₹ 56.53[54] लाख की राशि का भुगतान किया गया। इस प्रकार, गु.जं.वि. ने ₹ 87.92 लाख राशि के सेवाकर का परिहार्य भुगतान किया।

प्रधान सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग ने बताया (नवंबर 2015) कि सेवाकर के रिफंड के लिए मामला सेवाकर विभाग के साथ उठाया गया था और मामले के अंतिम परिणाम के बारे में लेखापरीक्षा को अवगत करवाया जाएगा।

(ख) कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र (के.यू.के.) के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2015) ने दर्शाया कि के.यू.के. ने तीन एस.पीज के माध्यम से स्टाफ जैसे हाऊसकीपिंग के लिए माली, सफाई कर्मचारी, वेटर, कुक और सुरक्षा स्टाफ की नियुक्ति की थी और तत्रैव अनुदेशों की उल्लंघना में जुलाई 2012 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान एस.पीज को सेवाकर के रूप में ₹ 1.10[55] करोड़ की राशि का भुगतान किया। अपर प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने बताया (नवंबर 2015) कि सेवाकर के रिफंड संबंधी मामले को विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाऊटैंट के साथ परामर्श से संबंधित प्राधिकारी के साथ उठाया जाएगा।

इस प्रकार, जी.जी.यू. और के.यू.के. ने एस.पीज को सेवा कर के रूप में ₹ 1.98 करोड़ राशि के सेवाकर का परिहार्य भुगतान किया जिसे रोका जा सकता था, यदि सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं को समुचित ढंग से जांचा/कार्यान्वित किया जाता।

52 हरियाणा भूतपूर्व सेवा लीग।

53 मैसर्ज नरवाल सुपर सिक्योरिटी, पानीपत।

54 सेवा प्रदाता को ₹ 14,13,440, सेवा कर विभाग को विश्वविद्यालय द्वारा सीधे जमा करवाया गया सेवा कर ₹ 42,39,625

55 मैसर्ज एच.ई.एस.एल. सिक्योरिटी परसोनल, कुरूक्षेत्र को ₹ 32,45,647, मैसर्ज केशव सिक्योरिटी सर्विस प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को ₹ 72,67,853 तथा मैसर्ज एक्स.ई.ए.एम. वैनचर्ज प्राईवेट लिमिटेड को ₹ 5,02,694

गृह विभाग

3.11 अपराध तथा अपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणालियां

अपराध तथा अपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणालियां परियोजना तीन वर्षों की समाप्ति के बाद भी पूर्ण नहीं की गई है। गृह विभाग जांच अधिकारियों को हार्डवेयर प्रदान करने में, पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने, लिगैसी डाटा को डिजिटाइज/माइग्रेट करने, रीयल टाइम सूचना शेयरिंग के लिए पुलिस स्टेशनों, उच्चतर कार्यालयों तथा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के बीच एप्लीकेशन साफ्टवेयर तथा नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने में विफल रहा। विभाग कानून और सुव्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के कार्यचालन में सुधार के लिए नागरिक केन्द्रिक सेवाएं प्रदान करने में भी विफल रहा।

भारत सरकार, (भा.स.) गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) ने अपराध जांच तथा अपराधिक खोज के क्षेत्रों में परिणामों को बढ़ाने के द्वारा, पूरे देश में विभिन्न पुलिस संस्थानों तथा यूनिटों के बीच सूचना एकत्रित तथा इसके प्रसार करने तथा आई.टी. एनैबलड ट्रैकिंग प्रणाली के विकास हेतु देशव्यापी नेटवर्क ढांचे के सृजन द्वारा नागरिक सेवाएं बढ़ाने में पुलिस फोर्स को आधुनिक करने के विचार से 2009 में राष्ट्रीय-ई-गर्वनेंस योजना के अंतर्गत अपराध तथा अपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणालियां (सी.सी.टी.एन.एस.) ''मिशन मोड परियोजना'' के रूप में संकल्पित किया। हरियाणा सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना 2009 से 2012 तक दो फेज में, फेज-I में 40 पुलिस स्टेशनों (पी.एसज) को कवर करते हुए तथा फेज-II में शेष 233 पी.एसज तथा 152 उच्चतर कार्यालयों को कवर करते हुए लागू की जानी थी। दिसंबर 2014 से फरवरी 2015 के दौरान पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) तथा तीन जिलों[56] में फेज-I के अंतर्गत 40 पी.एसज में से 20 के अभिलेखों की जांच की गई। 2009-15 के दौरान ₹ 58.94 करोड़ की परियोजना लागत के विरूद्ध, ₹ 22.40 करोड़ (भारत सरकार से ₹ 10.75 करोड़ तथा राज्य सरकार से ₹ 11.65 करोड़) अनुदान जारी किए गए तथा ₹ 11.41 करोड़ के शेष को छोड़ते हुए ₹ 10.99 करोड़ (कुल परियोजना लागत का 19 प्रतिशत) का व्यय किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान निम्न मुख्य अनियमितताएं देखी गई:

(क) पूर्व-कार्यान्वयन गतिविधियां

राज्य सरकार द्वारा परियोजना को लागू करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु राज्य परियोजना प्रबंधन सलाहकार (एस.पी.एम.सी.) के तौर पर एक फर्म नियुक्त की जानी थी। 14 मई 2010 को ₹ 43.85 लाख की कुल लागत पर खुली बोली प्रक्रिया के द्वारा मैसर्ज प्राईसवाटर हाऊस कूपर्स प्राईवेट लिमिटेड गुड़गांव को एस.पी.एम.सी. नियुक्त किया गया। सलाहकार फर्म को प्रस्ताव हेतु आवेदन (आर.एफ.पी.) के अनुसार समय सीमा माईलस्टोन का अनुपालन करना अपेक्षित था। समय-सीमा तथा वास्तविक तिथियां जिन पर एम.एच.ए./राज्य सरकार द्वारा ये डिलीवरेबल अनुमोदित किए गए, तालिका में नीचे दिए गए हैं।

[56] पंचकूला, अंबाला तथा गुड़गांव जहां पायलट फेज (फेज-I) 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया।

क्र. सं.	वितरण योग्य	आर.एफ.पी./ अनुबंध के अनुसार समय सीमा	प्रस्तुति की वास्तविक तिथि	एस.पी.एम.सी. द्वारा प्रस्तुति में देरी	तारीख जिस पर एम.एच.ए./ एन.सी.आर.बी. राज्य द्वारा अनुमोदन बताया गया था	विलंब सप्ताहों में
1.	विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट	टी[57]+4 सप्ताह	30 जुलाई 2010	7 सप्ताह	29 दिसंबर 2010	22 सप्ताह
	क्रियात्मक आवश्यकता विनिर्देशन तथा डाटा माइग्रेशन रिपोर्ट	टी +6 सप्ताह	30 जुलाई 2010	5 सप्ताह	29 दिसंबर 2010	22 सप्ताह
	मूलभूत संरचना आवश्यकताएं	टी +6 सप्ताह	30 जुलाई 2010	5 सप्ताह	29 दिसंबर 2010	22 सप्ताह
	प्रक्रिया रि-इंजीनियरिंग रिपोर्ट, एम. एंड ई. फ्रेमवर्क, सी.बी. एंड सी.एम. रिपोर्ट तथा ड्राफटिंग सरकारी आदेश	टी +6 सप्ताह	30 जुलाई 2010	5 सप्ताह	29 दिसंबर 2010	22 सप्ताह
	परियोजना कार्यान्वयन आवश्यकताएं	टी +8 सप्ताह	30 जुलाई 2010	3 सप्ताह	29 दिसंबर 2010	22 सप्ताह
2.	परियोजना कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग (पी.आई.एम.) प्लान	टी +10 सप्ताह	20 सितंबर 2010	8 सप्ताह	29 दिसंबर 2010	22 सप्ताह
3.	सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध	टी +12 सप्ताह	08 जनवरी 2011	शून्य[58]	14 जनवरी 2011	1 सप्ताह
4.	बोली मूल्यांकन रिपोर्ट	टी +20 सप्ताह	26 अगस्त 2011	47 सप्ताह	30 सितंबर 2011	5 सप्ताह

(स्रोतः एस.पी.एम.सी. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट)

यह अवलोकित किया गया कि उपरोक्त रिपोर्टें एस.पी.एम.सी. द्वारा तीन और 47 सप्ताह (उपरोक्त क्रम संख्या 3 को छोड़कर) के मध्य की विलंब अवधि के बाद प्रस्तुत की गई तथा एम.एच.ए./राज्य सरकार द्वारा एक सप्ताह तथा 22 सप्ताह के मध्य विलंब अवधि के बाद अनुमोदित की गई, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना को लागू करने में पूर्ण देरी हुई। डिलीवरेबलों के प्रस्तुतिकरण में देरी के कारण, एजेंसी आर.एफ.पी. के क्लॉज 5.9 के अनुसार ₹ 3.51 लाख की पेनल्टी का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी थी, जो उद्गृहीत नहीं की गई। डी.जी.पी. ने बताया (मार्च 2015) कि डिलीवरेबलस, एन.सी.आर.बी., एम.एच.ए., भारत सरकार द्वारा शेयर किए जाने वाले माडल आर.एफ.पी. पर निर्भर थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि देरी की गणना माडल आर.एफ.पी. की प्राप्ति तथा एस.पी.एम.सी. के द्वारा रिपोर्टों के प्रस्तुतिकरण की वास्तविक तिथि के बाद से की गई थी।

(ख) परियोजना का कार्यान्वयन

राज्य स्तर पर सी.सी.टी.एन.एस. कार्यान्वयन का केन्द्रीय विशेष गुण ''सेवाओं को बांधना'' अवधारणा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, हरियाणा राज्य को मुख्यत: जगह की तैयारी तथा हार्डवेयर (आपूर्ति तथा लगाना), कपैस्टी बिल्डिंग, ऐतिहासिक डाटा का डिजिटाइजेशन/ माइग्रेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (कस्टमाईजेशन तथा एनहासमेंट) को प्रदान करने हेतु एक सिस्टम इंटिग्रेटर (एस.आई.) चयन करना था। ₹ 53 करोड़ की परियोजना लागत पर जून 2011 में तकनीकी तथा वाणिज्यिक स्कोर पर आधारित राज्य के उच्च क्षमता क्रय कमेटी द्वारा मैसर्ज हैवलेट पैकर्ड इंडिया सेल्स लिमिटेड (मैसर्ज एच.पी.) को एस.आई. चुना गया। परियोजना का प्रथम फेज सभी 40 पी.एसज में लागू किया गया तथा शेष 233 पी.एसज तथा 152 उच्चतर कार्यालय फेज-II में पूरे किए जाने अपेक्षित थे जो अभी आरंभ किए जाने थे।

[57] टी-अनुबंध की तिथि (14 मई 2000)।

[58] एन.सी.आर.बी. से 27 अक्तूबर 2010 को प्राप्त प्रस्ताव हेतु मोडल अनुरोध।

परियोजना के मुख्य लक्ष्य तथा पूर्णता की वास्तविक तिथि निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	गतिविधि स्थल		अनुबंध/एस.एल.ए. तारीख	पूर्णता की देय तिथि	पूर्णता की संशोधित तिथि	पूर्णता की वास्तविक तिथि
1.		फेज -I	टी[59]+ 10 सप्ताह	10 दिसंबर 2011	10 दिसंबर 2011	10 सितंबर 2012
		फेज -II	टी +10 सप्ताह	10 दिसंबर 2011	10 दिसंबर 2011	फरवरी 2014
2.		फेज -I	स्थल अधिग्रहण के तीन महीने बाद	जनवरी 2013	जनवरी 2013	जनवरी 2013
		फेज -II		01 जुलाई 2014 से 07 फरवरी 2015	01 जुलाई 2014 से 07 फरवरी 2015	प्रगति में
3	क्षमता निमार्ण		टी 1[60]+ 44 सप्ताह	02 नवंबर 2012	26 अक्तूबर 2014	प्रगति में
4.	डाटा डिजिटाइजेशन/माइग्रेशन		टी 1+14 सप्ताह	06 अप्रैल 2012	30 मार्च 2014	प्रगति में
5.	एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर	सी.ए.एस. (राज्य)	टी 1+ पांच माह	28 मई 2012	21 मई 2014	01 जनवरी 2015
		विशिष्ट राज्य	टी + पांच माह	27 फरवरी 2012	20 फरवरी 2012	प्रगति में

(स्रोतः विभागीय डाटा)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि जगह की तैयारी में, हार्डवेयर लगाने में, डाटा डिजीलाईजेशन/माइग्रेशन, कपैस्टी बिल्डिंग तथा सी.ए.एस. में देरी थी।

सी.सी.टी.एन.एस. को लागू करने में निम्न कमिंया पाई गई:

(i) जगह की तैयारी तथा हार्डवेयर का अधिकार देना

आर.एफ.पी. के 5.4.4 क्लॉज में जैसा कि प्रावधान किया गया है, हरियाणा पुलिस को एस.आई. के लिए आवश्यक स्थान का प्रावधान करना था। एस.आई. को सी.सी.टी.एन.एस. आधारभूत संरचना के संस्थानीकरण हेतु स्थल इच्छा को सुनिश्चित करने के लिए जगह का सर्वेक्षण करना अपेक्षित था। करार (टी) के अनुसार कार्यालयों में हार्डवेयर की आपूर्ति, लगाना और अधिकार में लेना कार्यालय स्थल को लेने के पश्चात् तीन महीनों के अंदर पूरा किया जाना था।

फेज - I में, 40 पी.एसज, स्थल की तैयारी तथा हार्डवेयर का संस्थापन जनवरी 2013 तक पूर्ण हो गए थे। 20 पी.एसज में सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना के नमूना - जांच ने दर्शाया कि ₹ 29.97 लाख की लागत के डी.जी. सैट (जैनरेटर) आरंभ से बेकार पड़े थे क्योंकि इसके लिए ईंधन विभाग द्वारा प्रदान नहीं किया गया था तथा इन डी.जी. सैटों की वारंटी अवधि यहां तक कि प्रयोग किए बिना पहले से ही समाप्त हो चुकी थी।

गुड़गांव तथा अंबाला में ₹ 0.69 लाख की राशि के हार्डवेयर ट्रेसेबल नहीं थे जो मॉनीटरिंग की कमी तथा सरकार को हानि दर्शाता है। पी.एस. ट्रैफिक, गुड़गांव में ₹ 3.39 लाख की लागत के हार्डवेयर बेकार पड़े थे।

फेज - II में, एस.आई. द्वारा दिसंबर 2011 तक स्थल सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरी की जानी अपेक्षित थी, परंतु यह फरवरी 2014 में पूरी की गई क्योंकि एस.आई. ने जगह का सर्वेक्षण करवाने हेतु अपनी टीमों के गठन में समय लिया। एस.आई. द्वारा जुलाई 2014 से फरवरी 2015 तक स्थल की तैयारी पूर्ण करना तथा हार्डवेयर इंस्टाल किया जाना अपेक्षित था क्योंकि विभाग ने अप्रैल 2014 तथा नवंबर 2014 के मध्य 197 पी.एसज दे दिए थे, परंतु जगह की तैयारी हेतु 34 पी.एसज एस.आई. को नहीं दिए गए थे तथा दो पी.एसज कार्यशील नहीं थे। 152 उच्चतर कार्यालयों में से 11 कार्यालय में अभी तक नहीं दिए थे।

[59] टी= अनुबंध की तिथि (30 सितंबर 2011)।

[60] टी= एन.सी.आर.बी. से प्राप्त सी.ए.एस. (राज्य) की तिथि (29 दिसंबर 2011 तथा 22 दिसंबर 2013 को संशोधित)।

विभाग ने बताया (फरवरी 2015) कि एस.आई. ने फरवरी 2014 में जगह के सर्वेक्षण की रिपोर्टें प्रस्तुत की थी। कम्प्यूटर तथा प्रिंटर के माडल समयबद्ध तरीके से अंतिमकरण न होने के कारण हार्डवेयर नहीं लगाए गए थे। एस.आई. ने पुष्टि की कि कम्प्यूटर के पूर्ववर्ती अनुमोदित माडल समाप्त हो चुके थे तथा नए माडलों हेतु प्रस्ताव किया था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग की उत्साहरहित एप्रोच के कारण, फर्म ने केवल स्थल सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए दो वर्ष तथा तीन मास लिए थे तथा फेज-II के पी.एसज तथा उच्चतर कार्यालयों में हार्डवेयर अभी लगाए जाने शेष थे जिसने अंतत: परियोजना के समग्र कार्यान्वयन में देरी की।

(ii) क्षमता निर्माण

जैसा कि करार में प्रावधान किया गया है, एस.आई. द्वारा अक्तूबर 2012 तक ₹ 5.98 करोड़ की लागत पर 45,000 पुलिस कार्मिकों[61] को परिवर्तन प्रबंधन, एप्लीकेशन माडयूलज में प्रशिक्षण तथा बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना अपेक्षित था जिसके विरूद्ध अभी तक ₹ 59.76 लाख का भुगतान एस.आई. को किया गया था। अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि:

- प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी थी जो बेसिक कम्प्यूटर एप्लीकेशन माडयूल में 75 तथा 86 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी तथा परिवर्तन प्रबंधन में अभी तक कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।
- एस.आई. ने 20,000 कर्मचारियों के लक्ष्य के विरूद्ध अक्तूबर 2012 तक केवल 9,974 कर्मचारियों को बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया था तथा ₹ 35.28 लाख[62] की देय राशि के विरूद्ध ₹ 59.76 लाख का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.48 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।
- 20 पुलिस स्टेशनों में सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना की नमूना-जांच ने दर्शाया कि 407[63] पुलिस कार्मिक जो कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (सी.ए.एस.) के उपयोगकर्त्ता के तौर पर प्रशिक्षित किए जाने अपेक्षित थे परंतु उनमें से कोई भी प्रशिक्षित नहीं किया गया तथा सी.ए.एस. का कार्य कम्प्यूटर आपरेटरों द्वारा किया जा रहा था।

डी.जी.पी. ने कहा (मार्च 2015) कि प्रशिक्षण के लिए एस.आई. को जारी अतिरिक्त भुगतान एस.आई. के अगले लक्ष्य[64] के भुगतान से वसूल किया जाएगा तथा प्रशिक्षण पूर्ण सिस्टम एप्लीकेशन माडयूल लगाने के बाद आरंभ की जाएगी। तथापि, तथ्य यह रहा कि पुलिस कार्मिकों को दी गई ट्रेनिंग लाभदायक नहीं थी क्योंकि प्रशिक्षित कर्मचारी पुलिस स्टेशनों पर तैनात नहीं किए गए थे।

(iii) डाटा डिजीटाइजेशन तथा माइग्रेशन

करार के 4.5.4.8 क्लॉज के अनुसार, एस.आई. द्वारा को पहले से डिजिटाइज्ड डाटा नए सिस्टम (सी.सी.टी.एन.एस.) (लगभग 7,10,637 एफ.आई.आर. मामले) में माइग्रेट करना

[61] 5,000 कार्मिकों को परिवर्तन प्रबंधन ट्रेनिंग: @ ₹ 3,162.61 प्रति ट्रेनी, 20,000 को एप्लीकेशन माडयूलज ट्रेनिंग: @ ₹ 792.79 प्रति ट्रेनी तथा 20,000 को बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण @ ₹ 353.70 प्रति ट्रेनी।

[62] 9,974 ट्रेनी @ ₹ 353.70 = ₹ 35,27,804

[63] अंबाला-85 पंचकूला-96 तथा गुड़गांव-226

[64] एम-3 पायलेट जिले के गो-लिव अर्थात् फेस-I का पूरा करना।

अपेक्षित था तथा पुस्तिका प्रारूप में उपलब्ध ऐतिहासिक अपराधिक डाटा को एस.आई. (लगभग 13,74,245 एफ.आई.आर. मामले) द्वारा मार्च 2014 तक डिजिटाइज्ड किए जाने अपेक्षित थे। तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि एस.आई. ने 7,10,637 के विरूद्ध 2,74,701 एफ.आई.आर. अभिलेख के डाटा माइग्रेशन का कार्य किया था तथा 13,74,245 के विरूद्ध 6,61,764 एफ.आई.आर. अभिलेखों का डाटा डिजिटाइज्ड कार्य किया था (09 दिसंबर 2015)। इस प्रकार, क्रमश: डिजिटाइज्ड तथा माइग्रेशन के 7,12,481 तथा 4,35,936 तक एफ.आई.आर. अभिलेखों के डाटा में कमी थी। डी.जी.पी. ने कहा (फरवरी 2015) कि अभिलेखों/डाटा के डिजिटाइजेशन तथा माइग्रेशन एन.सी.आर.बी. द्वारा जारी किए जाने वाले डाटा माइग्रेशन यूटिलिटी पर आधारित था, जो दिसंबर 2012 मे जारी किया गया। डिजिटाइजेशन/माइग्रेशन में देरी एस.आई. द्वारा लगाए गए डाटा एंट्री आपरेटरों की अपर्याप्त संख्या के कारण भी थी।

इस प्रकार, अप्रभावी अयोजना तथा मानीटरिंग न करने के कारण, डिजिटाइजेशन/माइग्रेशन कार्य, जो मार्च 2014 में पूर्ण किया जाना अपेक्षित था, डाटा का केवल 45 प्रतिशत डिजिटाइज्ड/माइग्रेशन किया गया है (दिसंबर 2015) तथा डाटा का सार्थक रूप से प्रयोग नहीं किया गया था क्योंकि यह सी.सी.टी.एन.एस.-सी.ए.एस. को माइग्रेट नहीं किया गया था।

(iv) कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (राज्य) तथा अतिरिक्त एप्लीकेशन साफ्टवेयर

सी.सी.टी.एन.एस. एप्लीकेशन साफ्टवेयर (सी.ए.एस. राज्य) सभी राज्यों तथा यू.टीज के लिए समान है तथा यह एन.सी.आर.बी. द्वारा विकसित किया जाना अपेक्षित है तथा प्रत्येक राज्य/यू.टी. को उनकी अपनी-अपनी आवश्यकता अनुसार सी.ए.एस. (राज्य) को कस्टामईज करना था। नागरिकों को सेवा वितरण सुधार करने हेतु, 40 ई-सेवाएं जैसे कि पंजीकृत मामले की मूल स्थिति, पंजीकृत एफ.आई.आर./शिकायत की प्रति, पासपोर्ट की जांच, किराएदार की जांच, नौकर की जांच, एन.ओ.सीज, चालक लाईसैंस, गुम हुए सैलफोन प्रमाण-पत्र, होटलों में ठहरने वाले ग्राहकों की सूचना, ट्रैफिक चालानों का आनलाईन भुगतान इत्यादि नागरिक पोर्टेल मोडयूल द्वारा सी.ए.एस. (राज्य) में नागरिकों को प्रदान किए जाने थे।

20 पी.एसज में सी.सी.टी.एन.एस. परियोजनाओं की नमूना-जांच ने दर्शाया कि केवल दो-ई-सेवाएं नागरिकों को प्रदान की जा रही थी तथा मार्च 2015 तक सी.ए.एस. के साथ कोई अतिरिक्त मोडयूल नहीं जोड़े गए थे। इसके अतिरिक्त, एस.आई. को फरवरी 2012 तक 13 अतिरिक्त मोडयूल लगाए जाने अपेक्षित थे, परंतु केवल आठ मोडयूल अभी तक विकसित किए गए हैं।

डी.जी.पी. ने बताया (फरवरी-मार्च 2015) कि नागरिकों को शेष सेवाएं प्रदान की जाएगी तथा शेष मोडयूलों का विकास शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। सी.ए.एस. (राज्य) तथा सी.ए.एस. (केन्द्र) का एकीकरण केवल डाटाबेस स्तर पर किया जाना है। विभाग ने एस.आई. को डाटाबेस प्राप्त करने हेतु बाहरी एजेंसियों के साथ मीटिंग करने हेतु कहा था। तथापि, तथ्य यह रहा कि शेष ई-सेवाएं नागरिकों को नहीं दी जा सकी जैसा कि नागरिकों को अभीष्ट लाभ जैसे आनलाईन पुलिस जांच, एन.ओ.सीज, आर.टी.आई., ट्रैफिक चालानों का भुगतान इत्यादि अभी भी मना थे। विभाग सी.ए.एस. (राज्य) के साथ सभी 13 अतिरिक्त माडयूल एकीकृत करने में भी विफल हुआ।

(v) नेटवर्किंग

देश में अपराध जांच तथा अपराधिक खोज के क्षेत्रों में परिणाम बढ़ाने, सूचना एकत्र करने तथा इसके फैलाव को बढ़ाने के विचार से, एक देशव्यापी नेटवर्कड ढांचा सृजित किए जाने अपेक्षित थे। उच्चतर कार्यालयों में सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना का संयोजन हरियाणा राज्य वाईड एरिया नेटवर्क (एस.डब्ल्यू.ए.एन.) पर होनी थी तथा सभी पुलिस स्टेशनों पर संयोजना या स्वैन अथवा ब्रोडबेंड पर विरचूयल प्राइवेट नेटवर्क (वी.पी.एन.ओ.वी.बी.) पर होनी थी। एस.आई., सी.सी.टी.एन.एस. के लिए अंतिम मील संयोजक हेतु तथा 338 पी.एसज और 118 विशेष सैलों का संयोजन बी.एस.एन.एल. द्वारा वी.पी.एन.ओ.बी.वी. प्रयोग करते हुए जिम्मेदार था। परंतु यह देखा गया कि:

- जहां फेज-I लागू किया गया था 20 पी.एसज में से कोई भी एन.सी.आर.बी. द्वारा जोड़ा नहीं गया था।
- 273 पी.एसज तथा 152 उच्चतर कार्यालयों में से, 421 स्थल स्वैन द्वारा जोड़े गए थे, परंतु 49 स्थलों पर स्वैन कार्यशील नहीं बनाया गया।
- बी.एस.एन.एल. ने पुलिस पोस्टों तथा विशेष सैलों को जोड़ने हेतु वी.पी.एन.ओ.बी.बी. प्रयोग करते हुए लाईन नहीं बिछाई थी क्योंकि बी.एस.एन.एल. के साथ अनुबंध कार्यान्वित नहीं किया गया।
- पी.एसज पर लोकल एरिया नेटवर्क प्रदान नहीं किया गया था क्योंकि विभाग द्वारा केबलिंग ढांचे हेतु आपूर्ति आदेश समय पर जारी नहीं किया गया।

इस प्रकार, परियोजना का मुख्य उद्देश्य यथा एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क संरचना का निर्माण करके देश भर में अपराध जांच एवं अपराध खोज करने को प्राप्त नहीं किया जा सका।

(vi) अन्य विविध अनियमितताएं

(क) पेनल्टी का न लगाना

अनुबंध के अध्याय 3 में प्रावधान किया गया है एस.आई. को प्रत्येक डिलीवरेबल के लिए वर्णित समय-सीमा का पालन करना अपेक्षित था अन्यथा पेनल्टी लगाई जा सकती थी। फर्म ने समझौते की शर्तों के अनुसार समयसीमा का पालन नहीं किया और ₹ 3.47 करोड़ की पेनल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी जिसमें से अप्रैल 2014 में ₹ 2.23 करोड़ काट लिए गए थे परंतु ₹ 1.24 करोड़ की शेष राशि अभी तक काटी नहीं गई (दिसंबर 2015) मामला डी.जी.पी. को संदर्भित किया गया (दिसंबर 2015) परंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) अनुचित लाभ

अनुबंध क्लॉज 2.6 शैडयूल-VI के अनुसार, एस.आई. को ₹ 4.45 करोड़ का संघटन अग्रिम (कार्यान्वयन फेज की लागत ₹ 44.46 करोड़ का 10 प्रतिशत) पूरी निविदा अवधि के दौरान वैधता वाली बैंक गारंटी के प्रस्तुतिकरण के विरूद्ध देय था। यह देखा गया कि ₹ 4.45 करोड़ के संघटन अग्रिम का भुगतान बिना बैंक गारंटी प्राप्त किए किया गया। डी.जी.पी. ने कहा (मार्च 2015) कि संघटन अग्रिम के विरूद्ध बैंक गारंटी प्रस्तुत करने हेतु संबंधित फर्म को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। एस.आई. ने दिसंबर 2015 में आयोजित एक मीटिंग में बैंक गारंटी के प्रस्तुतिकरण से छूट प्राप्ति हेतु आवेदन किया। तथापि, इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई (दिसंबर 2015)।

इस प्रकार, ₹ 32.48 लाख (क्रियान्वयन फेज की लागत ₹ 3.24 करोड़ का 10 प्रतिशत) का संघटन अग्रिम बिना उचित बैंक गारंटी प्राप्त किए एस.पी.एम.यू. को दिया गया। इंगित किए जाने पर ₹ 33.09 लाख की राशि की बैंक गारंटी फर्म द्वारा मई 2015 में प्रस्तुत की गई थी, जो 7 जून 2015 को समाप्त हो गई थी, क्योंकि संबंधित फर्म का अनुबंध भी जून 2015 में समाप्त हो गया। अनुबंध को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक अनुमोदन जून 2015 से एन.सी.आर.बी./एम.एच.ए. के स्तर पर लंबित था तथा अभी तक फर्म के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई (दिसंबर 2015)।

(ग) परियोजना के कार्यान्वयन हेतु बैठकें आयोजित करने में कमी

सी.सी.टी.एन.एस. क्रियान्वयन दिशानिर्देशों के अनुसार, विभिन्न संचालन कमेटियां अर्थात् राज्य एपैक्स कमेटी, राज्य अधिकार प्राप्त कमेटी, राज्य मिशन टीम तथा जिला मिशन टीम बनाई जानी थी। राज्य एपैक्स कमेटी की मीटिंग त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जानी अपेक्षित थी तथा बाकी कमेटियों की मीटिंग मासिक आधार पर आयोजित की जानी थी। परियोजना की प्रगति तथा कार्यान्वयन की संवीक्षा करने हेतु नियमित मीटिंगें आयोजित की जानी थी। कमेटियां अक्तूबर 2009 के दौरान गठित की गई, परंतु, उपरोक्त वर्णित कमेटियों की मीटिंगें आयोजित नहीं की गई तथा कमी 60 और 73 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित रही। डी.जी.पी. ने कहा (फरवरी 2015) कि निर्धारित आवृति के अनुसार मीटिंगों का आयोजन करने हेतु टिप्पणियां प्रत्येक कमेटी के चेयरपर्सन के ध्यान में लाई जाएगी।

इस प्रकार, सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना तीन वर्ष की समाप्ति के बाद भी पूरी नहीं हुई थी। विभाग परियोजना के पूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने में तथा अभी तक देय पेनल्टी की वसूली करने में विफल रहा।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग को संदर्भित किया गया (मई 2015) तथा जून 2015 में आगे अनुस्मारक जारी किया गया, उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

3.12 बाहरी निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन न करना

कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध नियंत्रण हेतु एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं बृहद परियोजना, बाहरी सर्विलेंस सिस्टम को कार्यान्वित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 8.24 करोड़ की राशि की निधियां चार वर्षों से अधिक समय से अवरूद्ध रही, ₹ 14.48 लाख का व्यय निष्फल हुआ तथा ₹ 2.04 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

कानून और व्यवस्था के लिए विज्युल सर्विलेंस, अपराध एवं ट्रैफिक नियंत्रण, घटना प्रबंधंन तथा आपदा प्रतिक्रिया में सहायता हेतु एक आई.पी. आधारित वीडियो सर्विलेंस सिस्टम के कार्यान्वयन तथा संचार ढांचा सहित एक बाहरी सर्विलेंस सिस्टम को बनाने हेतु, भारत सरकार ने हरियाणा के पंचकूला जिले के लिए 2008-09 में राज्य पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण हेतु स्कीम के अंतर्गत एक बाहरी निगरानी प्रणाली को अनुमोदित किया तथा बाद में वित्तीय वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान तीन अन्य जिलों (रोहतक, करनाल तथा पानीपत) में परियोजना का विस्तार किया गया।

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग ने हरियाणा राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) के माध्यम से चार जिलों में प्रणाली के इंस्टालेशन हेतु 2009-11 के दौरान ₹ 8.26 करोड़ की राशि की संस्वीकृति जारी की, जो हारट्रोन द्वारा अंतिमकृत प्रस्ताव

आवेदन (आर.एफ.पी.) के आधार पर हारट्रोन के पास जमा करवा दी गई (दिसंबर 2010 में ₹ 5.65 करोड़ तथा जून 2011 में ₹ 2.61 करोड़)। फरवरी 2011 में हारट्रोन द्वारा ₹ 7.75 करोड़ के लिए मैसर्ज वी.एम.सी. सिस्टम लिमिटेड, सिकंदराबाद को एक क्रय आदेश किया गया। अनुबंध की क्लॉज 3 तथा आर.एफ.पी. की क्लॉज 6.4 के अनुसार कंपनी द्वारा अनुबंध प्रदान करने की तिथि से तीन मास के भीतर सभी स्थानों पर प्रणाली लगाई जानी, चालू की जानी तथा जोड़ी जानी अपेक्षित थी (फरवरी 2011)। अंतिम स्वीकृति जांच अनुबंध प्रदान करने की तिथि से चार मास के भीतर किया जाना था। इस प्रकार, परियोजना जून 2011 तक परिचालित की जानी थी।

पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) हरियाणा के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि फर्म ने चार जगह पर उपकरण छः महीने की देरी से जारी किए (नवंबर 2011)। मई 2012 के दौरान एक कमेटी द्वारा भौतिक निरीक्षण किया गया जिसने इंगित किया कि कंपनी ने प्रत्येक जगह पर 20 के विरूद्ध केवल आठ उपकरण की आपूर्ति की जिसमें से केवल छः उपकरण क्रय आदेश के विनिर्देशन के अनुसार पाए गए तथा साफ्टवेयर की यथार्थता केवल 32 प्रतिशत पाई गई। कंपनी ने अपडेटिड/पुनःसमनुरूप होने के बाद यही साफ्टवेयर आपूरित करने हेतु दूसरे अवसर हेतु आवेदन किया परंतु आवश्यकता के अनुसार उपकरण की आपूर्ति करने में विफल रहा तथा सितंबर 2013 से अनुत्तरकारी बन गया।

कंपनी के साथ जारी क्रय आदेश हारट्रोन द्वारा जून 2014 में समाप्त कर दिया गया। आर.एफ.पी. के क्लॉज संख्या 6.4 (v) के अनुसार, ₹ 77.50 लाख की परफोरमेंस बैंक गारंटी के साथ ₹ 2.00 लाख की राशि की अर्नेस्ट राशि हारट्रोन द्वारा जब्त की गई तथा ₹ 9.05 करोड़[65] की कुल राशि में से ₹ 14.48 लाख[66] की राशि काटने के बाद जनवरी 2015 में डी.जी.पी. को ₹ 8.91 करोड़ की राशि हारट्रोन द्वारा वापस की गई। धनराशि डी.जी.पी., हरियाणा के पास प्रेरित सोसाइटी खाते में पड़ी थी तथा भारत सरकार को वापस नहीं की गई।

लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया कि मामला पुलिस विभाग और हारट्रोन के मध्य पत्र व्यवहार में रहा तथा पुलिस विभाग और हारट्रोन दोनों के स्तर पर असामान्य देरी थी। एजेंसी के विरूद्ध जून 2014 में कार्यवाही की गई तथा सिस्टम, जो जून 2011 तक परिचालित किया जाना अपेक्षित था अभी भी प्राप्त किया जाना शेष था (दिसंबर 2015)। तथापि, निधियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र परियोजना पर व्यय किए बिना हारट्रोन के पास निधियां जमा कराने के बाद भारत सरकार को पहले ही सितंबर 2010 तथा दिसंबर 2012 में प्रस्तुत कर दिया गया था।

आगे, वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार (मार्च 2011) हारट्रोन द्वारा प्रयोग न की गई निधियों पर विभाग को अर्ध-वार्षिक आधार पर छः प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज का भुगतान किया जाना अपेक्षित था और प्रशासकीय विभाग ब्याज की वसूली हेतु जिम्मेदार थे। परंतु, न तो हारट्रोन ने भुगतान किया न ही विभाग ने मार्च 2011 से दिसंबर 2014 तक की अवधि हेतु प्रयोग न की गई निधियों पर ₹ 2.04 करोड़ की राशि के ब्याज की मांग की। इस प्रकार, विभाग की उत्साहरहित एप्रोच के कारण, बाहरी सर्विलेंस सिस्टम जो जून 2011 तक परिचालित किया जाना था, पूर्ण होने की लक्ष्य तिथि के चार वर्षों से अधिक समयावधि के बाद भी प्राप्त नहीं किया गया है।

[65] राशि जमा करवाई ₹ 8.26 करोड़ + बैंक गारंटी ₹ 0.77 करोड़ + जब्त ई.एम.डी. राशि ₹ 0.02 करोड़ = ₹ 9.05 करोड़।

[66] घटाना: मैनपावर पर किया व्ययः ₹ 12.60 लाख + फलोटिंग एन.आई.टी.: ₹ 1.88 लाख = ₹ 14.48 लाख ।

इंगित किए जाने पर डी.जी.पी. ने बताया (जून 2015) कि सिटी निगरानी प्रणाली की पुनःनिविदा के लिए आगे बढ़ने हेतु हारट्रोन द्वारा मना करने के कारण सिस्टम हेतु अपेक्षित विनिर्देशन स्थापित करने हेतु तथा रफ लागत अनुमान हेतु भारत विद्युत निगम लिमिटेड को कंसैप्ट नोट प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव किया गया है तथा मामला अभी भी प्रक्रिया अधीन है।

तथ्य यह रहता है कि विभाग ने पूर्ण करने की नियत तिथि से चार वर्षों के बाद भी सिस्टम को नहीं लगाया जिसके कारण प्रस्तावित परियोजना के अभीष्ट लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सका तथा अब तक किया गया ₹ 14.48 लाख का व्यय निष्फल बन गया। भारत सरकार को 2010-13 में निधियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रस्तुतिकरण अनियमित था। ₹ 8.24 करोड़ चार वर्षों से अधिक अवधि हेतु अवरूद्ध तथा अप्रयुक्त रहे, जिससे आगे परिणामस्वरूप ₹ 2.04 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग को अगस्त 2015 में संदर्भित किया गया तथा आगे अनुस्मारक सितंबर 2015 में जारी किया गया, उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

3.13 जेलों के लिए जैमरज का अ-प्रापण

जेल विभाग की अनिर्णयता के कारण जैमर प्राप्त नहीं किए जा सके तथा छः वर्षों से अधिक समय हेतु ₹ पांच करोड़ की निधियां अप्रयुक्त रही। चार जेलों में सुरक्षा आधारभूत संरचना के सुधार का उद्देश्य अप्राप्त रहा इसके अतिरिक्त विभाग ने ₹ 1.20 करोड़ के ब्याज की हानि उठाई।

विभिन्न जेलों में सुरक्षा आधारभूत संरचना में सुधार करने हेतु, हरियाणा सरकार ने चार जेलों में 14 मोबाईल जैमर तथा सी.सी.टी.वी. सर्विलेंस इत्यादि लगाने हेतु ₹ 5 करोड़ की संस्वीकृति प्रदान की (सितंबर 2008)। इन मदों के प्रापण हेतु महानिदेशक (डी.जी.), जेल द्वारा हरियाणा राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) के पास ₹ 5.00 करोड़ (अप्रैल 2009 में 3.00 करोड़ तथा जनवरी 2013 में ₹ 2.00 करोड़) की राशि जमा करवाई गई। प्रथम फेज में, जैमर दूसरे राज्यों के साथ बार्डर वाले सोनीपत, झज्जर, पलवल तथा रेवाड़ी के चार उच्च संवेदनशील जेलों में लगाए जाने थे।

डी.जी. जेल ने राज्य में एक नोडल एजेंसी हारट्रोन को अप्रैल 2009 में तथा पुनः नवंबर 2009 में बोली प्रक्रिया आरंभ करने हेतु कहा (अप्रैल 2009) परंतु निविदाएं अंतिमकृत नहीं की गई। इस दौरान, सचिव (सुरक्षा) कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली से एक पत्र प्राप्त हुआ (जुलाई 2011) जिसमें कहा गया कि भारत सरकार (भा.स.) की नीति के अनुसार, जैमरज प्रतिबंधित मदें हैं तथा केवल दो प्राधिकृत सार्वजनिक उपक्रमों (पी.एस.यूज) (मैसर्ज भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (बी.ई.एल.) तथा मैसर्ज भारतीय विद्युत निगम लिमिटेड (ई.सी.आई.एल.) से ही प्राप्त किए जाने हैं। तद्नुसार, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव (एफ.सी.पी.एस.) जेल विभाग ने डी.जी, जेल को हारट्रोन को भेजे गए मांग पत्र वापस प्राप्त करने तथा ई.सी.आई.एल. तथा बी.ई.एल. से जैमर प्राप्त करने तथा परियोजना को तीन महीने के भीतर पूरा करने हेतु कहा (नवंबर 2011)। मामला डी.जी. जेल द्वारा संबंधित पी.एस.यूज से जनवरी 2012 में उठाया गया। भारत सरकार ने, अक्तूबर 2012 में ई.सी.आई.एल. से स्टेटिक सैल फोन जैमरज के प्रापण अनुमोदित किया। तथापि, ₹ 2.00 करोड़ का प्रशासकीय अनुमोदन जारी करते समय

(जनवरी 2013), अपर मुख्य सचिव, जेल विभाग ने हारट्रोन के माध्यम से जैमर लगाने हेतु पुन: कहा। इसके बाद मामला जेल विभाग तथा हारट्रोन के बीच पत्र व्यवहार अधीन रहा।

प्रबंधक निदेशक हारट्रोन ने डी.जी. जेल को सूचित किया (नवंबर 2013) कि क्योंकि जेल विभाग एक विशेष विक्रेता (मैसर्ज ई.सी.आई.एल.) से एक विशेष मॉडल प्राप्त करने का विचार करता है, तो विभाग द्वारा अपने स्तर पर प्रापण किया जाना चाहिए। अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, जेल विभाग ने डी.जी., जेल को निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान, हरियाणा से मामला उठाने हेतु सलाह दी (मार्च 2014)। मार्च 2015 को आयोजित तकनीकी कमेटी की मीटिंग में, जेल विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया, कमेटी ने निर्णय लिया कि मोबाईल जैमर इलैक्ट्रोनिक्स/आई.टी. इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च तकनीकी मद होने के कारण, इसका प्रापण हारट्रोन द्वारा किया जाना चाहिए। इसके बाद मामला अनिर्णीत रहा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (अक्तूबर 2014) कि यद्यपि विशेष मॉडल को लगाने हेतु अक्तूबर 2012 में भारत सरकार से संस्वीकृति प्राप्त हो गई थी, फिर भी विभाग निधियों की उपलब्धता के बावजूद प्रापण करने में विफल रहा। माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने सितंबर 2012 में एक निर्णय में आदेश दिए कि हरियाणा राज्य में सभी जेलों में जैमर लगाए जाएं। जेल विभाग के अनिर्णय के कारण चार जेलों में जैमर प्राप्त/लगाए नहीं जा सके (दिसंबर 2015)। ₹ पांच करोड़ की राशि की निधियां अप्रैल 2009 से अप्रयुक्त[67] रही तथा चार उच्च संवेदनशील जेलों की सुरक्षा आधारभूत संरचना के सुधार का उद्देश्य अप्राप्त रहा। जिला जेल कुरूक्षेत्र के निरीक्षण के दौरान (अक्तूबर 2014) जेल अधिकारियों द्वारा कैदियों से 15 मोबाईल फोन जब्त किए गए।

आगे, हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार (मार्च 2011) हारट्रोन के पास जमा पड़ी निधियों पर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज हारट्रोन द्वारा भुगतान नहीं किया गया जिसके कारण विभाग ने ₹ 1.20[68] करोड़ के ब्याज की हानि भी उठाई।

इंगित किए जाने पर डी.जी. जेल ने कहा (मई 2015) कि मोबाईल फोन जैमर तथा सी.सी.टी.वी. लगाने संबंधी मामला हारट्रोन के पास प्रक्रिया अधीन था। चूंकि यह विद्युतीय मदों की खरीद हेतु एकमात्र अनुमोदित स्रोत था तथा राशि पहले से ही हारट्रोन के पास जमा थी, उनके द्वारा मदों की प्रापण उचित माना गया। डी.जी. जेल ने आगे कहा (दिसंबर 2015) कि मोबाईल फोन जैमर को प्रापण की प्रक्रिया हारट्रोन द्वारा अंतिमकृत की गई थी तथा ₹ 6.77 करोड़ की राशि का आपूर्ति आदेश दिसंबर 2015 में ई.सी.आई.एल. को जारी किया गया तथा हारट्रोन ₹ 1.12 करोड़ (सितंबर 2015 तक गणना की गई) ब्याज की राशि के रूप में भुगतान करने को सहमत हो गया तथा ब्याज की राशि को मोबाईल फोन जैमरज के बकाया भुगतान के विरूद्ध प्रयोग करने की छूट प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजा जा रहा था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने पहले ही अक्तूबर 2012 में ई.सी.आई.एल. से प्रापण हेतु अनुमोदन दिया था तथा तीन वर्षों से अधिक अवधि के बाद दिसंबर 2015 में आपूर्ति आदेश जारी किया गया तथा दिसंबर 2015 तक आपूर्ति नहीं की गई थी।

इस प्रकार, जैमरज प्राप्त नहीं किए जा सके और ₹ 5.00 करोड़ की निधियां जेल विभाग की अनिर्णयता के कारण छ: वर्षों से अधिक समय से अप्रयुक्त रही। चार जेलों में सुरक्षा मूलभूत

[67] ₹ 3.00 करोड़ छ: वर्षों के लिए तथा 2.00 करोड़ दो से अधिक वर्षों के लिए।

[68] अप्रैल 2011 से सितंबर 2015 तक ₹ 3.00 करोड़ पर ₹ 85.50 लाख तथा 15 फरवरी 2013 से दिसंबर 2015 तक ₹ 2.00 करोड़ पर ₹ 34.50 लाख।

संरचना के सुधार करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने ₹ 1.20 करोड़ के ब्याज की हानि उठाई।

मामला जुलाई 2015 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, को संदर्भित किया गया तथा आगे अनुस्मारक अगस्त तथा नवंबर 2015 में जारी किए गए। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

बागवानी विभाग

3.14 अपूर्ण हाईटैक सब्जी पौध उत्पादन यूनिट पर निष्फल व्यय

बागवानी विभाग द्वारा, सब्जी पौध उत्पादन यूनिट हेतु हाईटैक ग्रीन हाऊस तथा अन्य आधारभूत संरचना को स्थापित करने पर किया गया ₹ 96.49 लाख का व्यय वित्तीय विवेक की कमी, रॉ-वाटर की उपलब्धता को सुनिश्चित न करने तथा कार्य के घटिया निष्पादन से निष्फल बन गया।

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, ने चयनित शहरों में सब्जी सैक्टर के दोनों मांग एवं आपूर्ति पक्ष से संबंधित सभी सरोकारों का समाधान करने, सब्जी उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने, पौषणिक सुरक्षा में सुधार करने, सब्जी के किसानों को आय संरक्षण तथा कुशल व अकुशल व्यक्तियों, विशेषत: बेरोजगार नौजवानों हेतु रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अंतर्गत एक स्कीम ''शहरी समूहों के लिए सब्जी पहल'' आरंभ की (मार्च 2011)।

जिला बागवानी अधिकारी (डी.एच.ओ.), रोहतक के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया (मार्च 2014) कि ''गांव-सामर गोपालपुर, रोहतक में सब्जी पौध उत्पादन यूनिट के लिए हाईटैक ग्रीन हाऊस तथा दूसरे आधारभूत संरचना को स्थापित करने'' हेतु मुख्य कार्य पांच महीने की समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए ₹ 78 लाख के लिए एक फर्म को दिया गया जिसे मार्च 2012 तक बढ़ा दिया गया। कुछ अन्य सहायक कार्य जैसे स्टोरेज टैंक, टयूबवैल का लगाना, पौध उत्पादन यूनिट का चेन फैसिंग तथा अन्य संबंधित कार्य विभाग तथा जिला भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा ₹ 18.49 लाख की राशि से अलग से करवाए गए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि परियोजना मार्च 2012 तक परिचालित की जानी प्लान की गई थी, मार्च 2013 तक ₹ 96.49[69] लाख खर्च करने के बाद भी परियोजना की प्लानिंग तथा निष्पादन में निम्न मुख्य कमियों के कारण अप्रयुक्त पड़ी थी।

- जुलाई 2011 में जारी एक्सप्रेशन आफ इन्ट्रस्ट में, विभाग ने केवल जल संग्रहण ढांचा का प्रावधान किया परंतु स्टोरेज टैंक के लिए पानी का स्रोत सुनिश्चित करने में विफल रहा। कार्य के निष्पादन के दौरान जल सिंचाई विभाग की एक निकटवर्ती माईनर से प्राप्त करना नियोजित था। तथापि, बागवानी विभाग जल की आपूर्ति हेतु सिंचाई विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने में विफल रहा, जो आदर्शत: परियोजना के कार्यान्वयन से पूर्व लिया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, चैनल बिछाने हेतु जल स्रोत से परियोजना स्थल तक भूमि अभी अधिग्रहण की जानी शेष थी। यद्यपि, आपातकाल उद्देश्यों हेतु जल उपलब्ध करवाने हेतु ₹ 0.64 लाख की लागत से एक टयूबवैल भी

[69] ₹ 96.49 लाख = ₹ 78.00 लाख (ठेकेदार) + ₹ 7.32 लाख (लिंक चेन फैंसिंग + ₹ .064 लाख (टयूब वैल) + ₹ 0.92 लाख स्टोरेज टैंक) + ₹ 9.61 लाख (विविध)।

लगाया गया था, यह विभाग द्वारा दोषपूर्ण निष्पादन के कारण परिचालित नहीं किया जा सका क्योंकि यह आवश्यक/निर्धारित गहराई[70] से परे खोदा गया। टयूबवैल की मोटर भी चोरी हुई सूचित की गई थी। इस प्रकार, जल जो परियोजना के सफल परिचालन हेतु एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक था, स्थल पर उपलब्ध नहीं था (दिसंबर 2015)।

- ₹ 78 लाख के कार्य आदेश के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, भुगतान तीन फेजों[71] में जारी किया जाना था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि इस तथ्य के बावजूद कि एजेंसी ने डी.जी. सैट, बीज बुवाई मशीन तथा फर्श धोने वाली मशीन की आपूर्ति नहीं की थी, ₹ 78 लाख का कुल भुगतान एजेंसी को जनवरी 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य किया गया। इसके अतिरिक्त, 20 प्रतिशत का अंतिम भुगतान कार्य कंपलीशन प्रमाण-पत्र जारी होने तथा परियोजना मूल्यांकन कमेटी (पी.ई.सी.) द्वारा परियोजना के निरीक्षण के बाद जारी किया जाना था। पी.ई.सी. ने उपरोक्त संदर्भित सामग्रियों के आपूर्ति न होने बारे सूचित किया था (जनवरी 2013) तथा रिपोर्ट में बताया था कि अधिकतर सिस्टम[72] विद्युत की आपूर्ति की कमी के कारण टैस्ट नहीं किए जा सके। इस प्रकार, ₹ 48.12 लाख[73] की दूसरी तथा तीसरी किस्त एजेंसी को जारी करना संविदा के निबंधन और शर्तों की स्पष्ट उल्लंघना थी।
- विभाग द्वारा स्टोरेज टैंक का निर्माण कार्य भी सही ढंग से निष्पादित नहीं किया गया क्योंकि दरारों के कारण स्टोरेज टैंक में रिसाव शुरू हो गया था। महा-निदेशक बागवानी ने बताया (सितंबर 2015) कि मामला विचाराधीन था तथा संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था।
- आगे, डी.एच.ओ. रोहतक ने सूचित किया (अप्रैल 2015) कि हाईटैक ग्रीन हाऊस मई 2014 में तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था तथा नहर के पानी की कमी तथा परियोजना में कमियों के कारण क्रियाशील नहीं किया जा सका।

अपर मुख्य सचिव, ने बताया (सितंबर 2015) कि विभाग को कार्य आरंभ के बाद जल की अनुपलब्धता के बारे में पता चला तथा जल सिंचाई विभाग से प्रबंध किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संबंधित एजेंसी को भी पोली हाऊस सीट की मरम्मत करने हेतु कहा गया था (अप्रैल 2015) तथा परियोजना को पूरा करने तथा लाभदायक बनाने की प्रक्रिया चल रही है तथा अभिष्ट उद्देश्य को पूरा करने हेतु, शीघ्र ही क्रियाशील बना दी जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग किसी दूसरे स्रोत से पानी को प्राप्त करने तथा संबंधित एजेंसियों से पानी के स्टोरेज स्ट्रक्चर तथा क्षतिग्रस्त ग्रीन हाऊस की मरम्मत करवाने में विफल रहा।

70 ताजा भूतल जल: 50 फीट तक; मार्जिनल भूतल जल: 90 फीट तक; इस से नीचे विकृत अत्यंत लवणीय जल; 500 तक।

71 साईट पर सामग्री की आपूर्ति के बाद 40 प्रतिशत, परियोजना की समाप्ति के बाद 40 प्रतिशत तथा पी.ई.सी. द्वारा साईट का निरीक्षण तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद 20 प्रतिशत।

72 फैन पैड सिस्टमस हेतु कन्ट्रोल पैनल, फोगिंग/ मिस्टिंग सिस्टम हेतु कन्ट्रोल पेनल। बूम सिंचाई सिस्टम, स्वचालित जलवायु नियंत्रण सिस्टम, फोगिंग तथा फर्टीजेशन सिस्टम तथा हीटिंग सिस्टम में स्वाचालन।

73 ₹ 48.12 लाख = ₹ 25.00 लाख (नवंबर 2012), ₹ 18.12 लाख (जनवरी 2013) तथा ₹ पांच लाख (मार्च 2013)।

इस प्रकार, रॉ-वाटर की उपलब्धता सुनिश्चित न करके वित्तीय बुद्धिमता की कमी तथा अवमानक/दोषपूर्ण कार्य के निष्पादन ने ₹ 96.49 लाख का व्यय निष्फल बना दिया तथा यूनिट, जिसे क्षेत्र हेतु मॉडल यूनिट के रूप में कार्य करना था, परिचालित नहीं किया जा सका (दिसंबर 2015), फलस्वरूप इसका मूल उद्देश्य विफल हुआ।

औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग

3.15 अविवेकपूर्ण स्थल चयन के कारण निधियों का अवरोधन

आई.टी.आई. के निर्माण हेतु उपयुक्तता सुनिश्चित किए बिना भूमि के लिए भुगतान करने के औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग के निर्णय के परिणामस्वरूप सात वर्ष से अधिक समय तक ₹ 98.82 लाख की निधियों का अवरोधन तथा ₹ 66.05 लाख के ब्याज की हानि परिणामित हुई।

बी. एंड आर. आदेशों की नियम पुस्तिका के नियम 6.15 के अनुसार, प्रत्येक भवन हेतु स्थल, विस्तृत डिजाइन तथा अनुमानों को तैयार करने से पूर्व निश्चित रूप से निश्चित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, नियम 6.15 (iii) (बी) कथित है कि एक बोर्ड डी.सी., ई.ई. (बी. एंड आर), ई.ई. (जन-स्वास्थ्य) तथा विभाग के एक अधिकारी को सम्मिलित करते हुए स्थल के चयन हेतु गठित किया जाए, तथा बोर्ड स्थल की उपयुक्तता के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

कलायत में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) को स्थापित करने के विचार से, महा-निदेशक (डी.जी.), औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा (आई.टी.वी.ई.) हरियाणा ने उपायुक्त (डी.सी.) कैथल को 10 एकड़ भूमि मुफ्त प्रदान करने हेतु अनुरोध (जनवरी 2007) किया। उपयुक्तता के संबंध में दूसरी आवश्यकताओं के साथ-साथ, यह अनुरोध किया गया था कि भूमि निचले क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। प्रधानाचार्य आई.टी.आई. ने कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) भवन एवं सड़कें (बी. एंड आर.) नरवाना को आई.टी.आई. के साईट प्लान तैयार करने हेतु अनुरोध किया (मई 2007) क्योंकि नगर पालिका (एम.सी.) कलैक्टर रेट पर भूमि (7 एकड़ 1 कनाल) स्थानांतरण करने के लिए तैयार थी। ई.ई., ने सूचित किया (मई 2007) कि भूमि आई.टी.आई. के नाम पर खरीदी जाए ताकि साईट प्लान तैयार किए जा सके।

प्रधानाचार्य आई.टी.आई. कैथल ने कानूनगो (राजस्व विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी) के साथ स्थल का दौरा किया (मई 2007) तथा पाया कि भूमि जलमग्न थी। आगे, वित्तायुक्त एवं निदेशक के निर्देशों के अनुसार, संयुक्त निदेशक (तकनीकी), प्रधानाचार्य आई.टी.आई. कैथल, तहसीलदार तथा एम.सी., कलायत के सदस्यों की संयुक्त कमेटी ने जगह का निरीक्षण (जून 2007) किया तथा रिपोर्ट किया कि भूमि 6-7 फीट की औसत गहराई के साथ तालाब का एक हिस्सा थी तथा इस प्रकार जमीन को भरने की अतिरिक्त लागत सरकार द्वारा वहन की जानी थी। डी.सी., कैथल ने विभाग को सूचित (अक्तूबर 2007) किया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग ₹ 98.82 लाख की लागत पर आई.टी.आई. के लिए भवन निर्माण हेतु 7 एकड़ 1 कनाल माप की भूमि बेचने के लिए सहमत हो गया। सरकार ने एम.सी. कलायत को ₹ 98.82 लाख के भुगतान के लिए संस्वीकृति प्रदान की (नवंबर 2007), जिसे आई.टी.आई. भवन के निमार्ण हेतु भूमि की उपयुक्तता को सुनिश्चित किए बिना जुलाई 2008 में जमा

करवा दिया गया। ई.ई., पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) नरवाना ने अक्तूबर 2008 में विभाग को सूचित किया कि वह जगह मौजूद तालाब का एक भाग थी तथा भूमि को भरने के बाद भी पानी खड़ा था, यह भवन की नमी का कारण होगा।

पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए विभाग ने डी.सी. कैथल को दूसरी जगह का प्रबंध करने हेतु अनुरोध किया (नवंबर 2008) क्योंकि उस पर भवन निर्माण संभव नहीं था। डी.सी. कैथल ने सूचित किया (फरवरी 2009) कि ग्राम पंचायत पिंजुपुरा 33 वर्षों के लिए ₹ एक प्रति वर्ष की दर से निरंतर लीज आधार पर आई.टी.आई. की स्थापना हेतु 8 एकड़ 19 मरला भूमि प्रदान करने हेतु सहमत हो गई। विकास एवं पंचायत विभाग ने ग्राम पंचायत पिंजुपुरा को आई.टी.वी.ई. के पक्ष में अपनी भूमि को लीज पर देने हेतु अनुमोदन प्रदान किया (दिसंबर 2009) तथा आई.टी.आई. भवन पिंजुपुरा में निर्मित किया गया तथा कक्षाएं पहले से ही आरंभ की गई थी। विभाग ने एस.सी. कलायत को ₹ 92.82 लाख की राशि वापस करने हेतु अनुरोध किया (मई 2010), परंतु एम.सी. कलायत ने कहा (सितंबर 2010) कि वे अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण राशि वापस करने में असमर्थ है तथा वाणिज्यिक भूमि की बिक्री के बाद यह राशि वापस कर देंगे।

डी.जी., आई.टी.वी.ई. के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया (अक्तूबर 2014) कि विभाग ने तथ्य को ध्यान नहीं दिया कि भूमि तालाब का हिस्सा थी, औसत गहराई जो लगभग 6-7 फीट थी तथा वहां पर पानी भरा था। परंतु, विभाग ने लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) अधिकारियों से विचार-विमर्श नहीं किया तथा एम.सी. को भुगतान करने से पहले भूमि की उपयुक्तता बारे उनके तकनीकी विचार प्राप्त नहीं किए। इस प्रकार, विभाग ने संयुक्त कमेटी द्वारा निरीक्षण (मई-जून 2007) में पानी भरे होने की समस्या के बारे में जागरूक होने के बावजूद उस भूमि हेतु जो आई.टी.आई. के निर्माण हेतु अनुकूल नहीं थी, भुगतान कर दिया (जुलाई 2008) जिसके परिणामस्वरूप सात वर्षों से अधिक समय के लिए ₹ 98.82 लाख का अवरोधन हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 66.05 लाख के ब्याज की हानि हुई।

प्रधान सचिव, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने बताया (नवंबर 2015) कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग को या तो भूमि को विभाग के नाम पर स्थानांतरित करने या राशि ब्याज सहित वापस करने बारे अनुरोध किया गया है, परंतु तथ्य यह रहता है कि विभाग द्वारा जगह के अविवेकपूर्ण चयन के कारण, सरकारी निधियां अनावश्यक रूप से अवरूद्ध हो गई थी तथा भुगतान करने की तिथि से सात वर्षों से अधिक समय के बाद भी कोई राशि वापस प्राप्त नहीं की गई थी।

सिंचाई विभाग

3.16 अपूर्ण नहर पर निष्फल व्यय

मुख्य रैगुलेटर के निर्माण न होने तथा सैल बाक्स पुलिया के दोनों तरफ माईनर के न जोड़ने के कारण अपूर्ण नहर पर किया गया ₹ 1.09 करोड़ का व्यय निष्फल बन गया।

हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. कोड का अनुच्छेद 15.1.1 प्रावधान करता है कि कोई निर्माण कार्य तब तक प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह सुनिश्चित न किया जाए कि निर्माण कार्य तकनीकी रूप से संभव है तथा व्यवहार्य है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तद्नुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है, उस कार्य के लिए पूर्ण डिजाईन तथा अनुमान तैयार किए गए हैं। आगे उपरोक्त का अनुच्छेद 15.1.4 तथा 15.2.1 (अ) VI अनुबंध करता है कि संबंधित अधिकारियों अर्थात् बी. एंड आर. विभाग द्वारा मार्ग अधिकार का सही प्रयोग अथवा इसे पार करने बारे अनुमोदन/अनुमति निर्माण कार्य के कार्यान्वयन से पहले प्राप्त की जाए।

कमांड एरिया के अंतर्गत अधिकतम कृषि योग्य भूमि को लाने तथा रोहतक जिले के मदीना कोरसन तथा मदीना खेरी रोजह गांव की कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के विचार से, नाबार्ड के आर.आई.डी.एफ.-XIII के अंतर्गत सितंबर 2007 में ₹ 1.38 करोड़ के लिए एक परियोजना ''आर.डी. 93150-एल., भिवानी सब ब्रांच (बी.एस.बी.) से लेते हुए आर.डी. 0-7350 से मदीना कोरसन माईनर का निर्माण'' अनुमोदित की गई। प्रस्तावित चैनल का संरेखण राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच. 10) के दिल्ली-हिसार सैक्शन से पास करना था तथा इस सड़क द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित किसी कार्य को भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य था। आगे, माईनर में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु बी.एस.बी. का आर.डी. 93150 पर छोड़ते हुए मदीना कोरसन के हैड रैगुलेटर के निर्माण हेतु ₹ 2.51 लाख का भी अलग अनुमान फरवरी 2011 अनुमोदित किया गया।

कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), रोहतक के जल सेवा मण्डल, रोहतक के दिसंबर 2013 अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि मिट्टी के बांध का निर्माण कार्य तथा मदीना कोरसन माईनर का आर.डी. 0-7350 से एक लेयर ब्रिक लाइनिंग का कार्य एक वर्ष की पूर्णता अवधि के साथ (दिसंबर 2011) ₹ 22.87 लाख की लागत पर आबंटित किया गया (दिसंबर 2010)। कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग, जहां एक पुलिया/पुल[74] निर्मित किया जाना अपेक्षित था, के भाग को छोड़कर ₹ 21.87 लाख में कार्यान्वित किया गया (जून 2011)। पुल का कार्य एन.एच.ए.आई. द्वारा सितंबर 2015 में पूरा किया गया परंतु सिंचाई विभाग ने पुल के साथ माईनर को नहीं जोड़ा। इसके अतिरिक्त, भिवानी उप शाखा आर.डी.-93150 एल. पर हैड-रैगुलेटर का निर्माण कार्य अर्थात् दो मास की समय-सीमा के साथ ₹ 4.29 लाख की अनुमानित लागत से चार वर्षों की समाप्ति के बाद अर्थात् जनवरी 2015 में आबंटित किया गया। परंतु यह नहर में पानी के बहने के कारण एजेंसी द्वारा शुरू नहीं किया गया (दिसंबर 2015) क्योंकि विभाग द्वारा ब्लाईंड क्लोजर प्रदान नहीं किए गए थे। इसके अभाव में कार्य पूर्ण किया हुआ नहीं कहा जा सकता। अधूरे कार्य पर ₹ 1.09 करोड़[75] खर्च किए गए थे (दिसंबर 2015)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जनवरी 2014), ई.ई. ने कहा (दिसंबर 2015) कि हैड रैगुलेटर का कार्य दो मास की समय-सीमा के साथ आबंटित किया गया था (जनवरी 2015) तथा जैसे ही चैनल का क्लोजर उपलब्ध होता है तथा चैनल की लिकिंग पूरी होती है, कार्यान्वित कर लिया जाएगा। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग न केवल चार वर्षों के बीतने के बाद भी, निर्मित मदीना कोरसन माईनर का हैड रैगुलेटर प्राप्त करने में विफल रहा परंतु पुल के दौनों तरफ माईनर को जोड़ने में भी विफल रहा जैसा कि भौतिक जांच में पाया गया (दिसंबर 2015) परिणामस्वरूप, माईनर अब तक क्रियाशील नहीं बनाई जा सकी।

इस प्रकार, अधूरी नहर पर किया गया ₹ 1.09 करोड़ का व्यय सैल बाक्स पुल के दोनों तरफ माईनर को न जोड़ने तथा हैड रैगुलेटर के निर्माण न होने के कारण न केवल निष्फल हुआ परंतु स्कीम के अभीष्ट लाभ भी अभी तक प्राप्त नहीं हुए।

मामला प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग को मई 2015 में संदर्भित किया गया तथा आगे अनुस्मारक जून 2015 में जारी किए, उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

[74] मदीना कोरसन माईनर हेतु एन.एच.-10 के एन.एच. कि.मी. 94.81 पर सैल बाक्स पुलिया का निर्माण (मदीना कोरसन आर.डी. 4812 पार करते हुए)।

[75] ₹ 1.09 करोड़: ₹ 87.38 लाख भूमि की लागत + ₹ 21.87 लाख निर्माण कार्य पर।

3.17 सिंचाई विभाग के कार्यचालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्तन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा में छः अनुशंसाओं में से, एक अनुशंसा पूरी तरह से लागू की गई थी, एक अनुशंसा आंशिक रूप से लागू की गई तथा चार अनुशंसाएं लागू नहीं की गई थी। आगे, अन्य 23 अभ्युक्तियों में से, विभाग ने 8 अभ्युक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए थे; नौ अभ्युक्तियों के संबंध में पर्याप्त प्रगति की गई थी तथा छः अभ्युक्तियों के संबंध में अभीष्ट क्षेत्रों में पूर्ण प्रगति की गई थी।

3.17.1 प्रस्तावना

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल 'सिंचाई विभाग के कार्यचालन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने योजना का अभाव, उद्देश्यों की अ-प्राप्ति, स्कीमों को धीमा तथा सुस्त लागू करना इत्यादि से संबंधित विषय पर प्रकाश डाला गया था। इसके अतिरिक्त, वहां समान विभागों के साथ समन्वय की कमी, कार्यों को टुकड़ों में बांटना, नहरों में मलजल के निपटान तथा नहरों में एफ्लुएंट छोड़ने पर अपर्याप्त नियंत्रण, कार्यों का निम्न स्तरीय निष्पादन इत्यादि के उदाहरण थे।

वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्तूबर 1995) तथा समय-समय पर दोहराए गए निर्देशों के अनुसार, प्रशासकीय विभागों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में दर्शाए सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षा पर स्वयं संज्ञान सकारात्मक तथा ठोस कार्यवाही करनी चाहिए चाहे वे मामले लोक लेखा समिति द्वारा जांच हेतु उठाए गए हों अथवा नहीं।

3.17.2 अनुवर्तन परिणाम

विभाग द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों की जांच हेतु, सरकार के विभिन्न निर्देशों के अनुसार, मुख्य अभियंता तथा संबंधित मंडलों के कार्यालयों में रखे गए संबंधित अभिलेखों की छानबीन के द्वारा 'सिंचाई विभाग' पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उठाए गए मामलों पर मई-जून 2015 के दौरान अनुवर्तन लेखापरीक्षा की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) में 30 टिप्पणियां तथा छः अनुशंसाएं थी। अनुशंसाओं तथा अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की स्थिति निम्न प्रकार है:

- अपर्याप्त/कोई प्रगति नहीं
- पर्याप्त कार्यान्वयन/प्रगति
- सभी अभीष्ट क्षेत्रों तथा सिस्टम सुधार में पूर्ण प्रगति।

3.17.3 अनुशंसाओं तथा अन्य टिप्पणियों की स्थिति

निष्पादन लेखापरीक्षा में छः अनुशंसाओं में से, अधिक व्यय से बचने के लिए व्यय नियंत्रण प्रक्रिया से संबंधित एक अनुशंसा पूरी तरह से लागू की गई पाई गई; कार्य के निम्नस्तरीय निष्पादन मामले से बचाव हेतु सतर्कता प्रक्रिया की सक्रियता से संबंधित एक अनुशंसा आंशिक रूप से लागू की गई तथा चार अनुशंसाएं लागू नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, दूसरी टिप्पणियों की स्थिति जिन पर विशेष अनुशंसाएं नहीं की गई थी, परंतु जिन पर विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी, भी अनुसरण के दौरान जांच किए गए थे जैसा निम्न अनुच्छेदों में विवरण दिया गया है:

3.17.3.1 अपर्याप्त/कोई प्रगति नहीं

सिफारिशें

(i) जारी कार्यों को पूरा करने के लिए उचित योजनाएं तैयार की जा रही हैं ताकि सिंचाई के अंतर्गत आवृत क्षेत्र बढ़ाया जा सके।

(क) बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास कार्य (अनुच्छेद 2.2.7.1)

193 अधूरे बाढ़ नियंत्रण/बचाव कार्यों में से, 39 कार्य (2006-07 से 2009-10 में अनुमोदित) दो से 5 वर्षों से अधिक देर तक लंबित थे।

एक भी स्कीम/कार्य जून 2015 तक पूर्ण नहीं हुई थी। कार्य को समाप्त करने हेतु प्रभावी कदम उठाए गए थे। परिणामस्वरूप, इस संबंध में कोई प्रगति नहीं की जा सकी।

(ii) योजना के अभीष्ट लाभ लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए समान विभागों/संगठनों से समन्वय स्थापित करना;

(क) पम्प हाऊस के लिए बिजली का कनैक्शन जारी करने हेतु अनुसरण न करना (अनुच्छेद 2.2.9.2)

1982 के दौरान निर्मित 7 पम्प हाऊस[76] बिजली के कनैक्शन के अभाव में कार्य नहीं कर रहे थे, जबकि ₹ 33.57 लाख दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.) के पास प्रतिभूति के रूप में जमा थे। विभाग जून 2015 तक पम्प हाऊस के बारे में बिजली कनैक्शन प्राप्त करने में विफल रहा था। आगे, पम्प हाऊस को कार्यशील बनाने हेतु कोई दूसरे प्रबंध नहीं किए थे। इसके परिणामस्वरूप, ये पम्प हाऊस निष्क्रिय रहे तथा माइनरज परित्यक्त पड़ी थी।

(ख) खनन विभाग के साथ समन्वय की कमी के कारण अतिरिक्त व्यय (अनुच्छेद 2.2.211.1)

खनन विभाग के साथ उचित समन्वय की कमी के कारण, विभाग को ₹ 1.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2012) ई.आई.सी. ने कहा कि खनन विभाग द्वारा रोकने के कारण पहले ठेकेदार काम को बीच में छोड़ गए थे। फिर भी, जब खनन विभाग से अनुमति प्राप्त हुई, ठेकेदारों ने पुराने रेटों पर कार्य करने से मना कर दिया था तथा कार्य पुनः आबंटित किए गए।

अनुसरण लेखापरीक्षा के दौरान (मई 2015), विभाग ने वही उत्तर दोहराया जो एग्जिट काफ्रेंस में दिया गया था (नवंबर 2012)। इस प्रकार, स्थिति वही रही तथा विभाग ने भविष्य में इस प्रकार की हानियों के दुबारा होने के बचाव हेतु कोई उचित प्रणाली विकसित नहीं की है।

(iii) नहरों में मलजल के निपटान तथा एफ्लुएंट रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाना

(iv) सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करना

[76] एम.जी.डी.-1 माधोगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी 2.173 कि.मी., एम.जी.डी-2 माधोगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी 3.265 कि.मी., एम.जी.डी-3 माधोगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी 4.447 कि.मी., एम.-2 अटेली माईनर 4.000 कि.मी, आर.पी.एम.-I रामपुर सब माईनर 5.800 कि.मी., डी.एन.एम.-2 धन चोली माईनर 4.000 कि.मी., डी.एस.पी. एम.-5 दोस्तपुरा माईनर 2.400 कि.मी.।

(क) पश्चिमी जमुना नहर में मलजल तथा एफ्लुएंट जल के निपटान के कारण पर्यावरण को खतरे (अनुच्छेद 2.2.10.4)।

11 स्थानों पर 26 क्यूसैस मलजल तथा एफ्लुएंट पश्चिमी जमुना नहर (डब्ल्यू.जे.सी.) में छोड़े जा रहे थे तथा विभाग द्वारा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उपायुक्तों के साथ मामला उठाने के अलावा, डब्ल्यू.जे.सी. में मलजल तथा बहिस्राव के छोड़ने को रोकने हेतु नहर तथा जल निकास अधिनियम तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत कोई कदम नहीं उठाए गए थे।

विभाग ने उत्तर दिया (जून 2015) कि विभाग द्वारा मलजल के छोड़ने को रोकने हेतु प्रयास किए जा रहे थे तथा नोटिस जारी किए जा चुके थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि नहर तथा जल निकास अधिनियम के अंतर्गत तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ठोस कदम नहीं उठाए थे। आगे, मामले को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्तर पर उठाने के बावजूद मामले पर कोई प्रगति नहीं पाई गई।

अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियों की स्थिति

विभाग ने अन्य टिप्पणियों जैसे दादूपुर-नलवी सिंचाई परियोजना पर निष्फल व्यय, नहरों की क्षमता/रिमोडलिंग बढ़ाने हेतु व्यय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निधियों का प्रयोग न करना, नकली/अनुचित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करना, भारी प्रशासकीय प्रभारों से मंडलों का निर्माण, स्टाफ तथा अन्यों के विरूद्ध विविध लोक निर्माण अग्रिमों की वसूली न करना/समायोजन, श्रम कल्याण बोर्ड के पास श्रम उपकर जमा न करवाना, भूमि मुआवजे का भुगतान करने में गंभीरता की कमी, इत्यादि को संबोधन हेतु कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए थे। इन टिप्पणियों तथा वर्तमान प्रगति के विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में दिए गए हैं:

3.17.3.2 पर्याप्त कार्यान्वयन/प्रगति

सिफारिश

(v) अवमानक कार्यों, कार्यों के निष्पादन में निष्फल/अतिरिक्त व्यय के मामलों से बचाव हेतु अपनी सतर्कता यंत्रावली क्रियाशील करना।

(क) ₹ 1.35 करोड़ की लागत का हैड रेगुलेटर यंत्रावली क्षतिग्रस्त होना (अनुच्छेद 2.2.10.3)

निर्माण कार्य 'डब्ल्यू.जे.सी. का आर.डी. 68036 पर एग्युमेनटेशन नहर का हैड रेगुलेटर के रिमाडलिंग का निर्माण' का ढांचा खंभों और जोड़ों के धसाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गया।

विभाग ने सूचित किया (जून 2015) कि केन्द्रीय जल एवं ऊर्जा अनुसंधान स्टेशन (सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस.), पुणे ने मामले की छानबीन के बाद अपनी रिपोर्ट नवंबर 2012 में राज्य सर्तकता विभाग को प्रस्तुत की थी तथा यह उस विभाग के पास थी। उत्तरदायित्व नियत करने हेतु सर्तकता विभाग के साथ मामला आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

(ख) कार्यों का निम्न स्तरीय निष्पादन (अनुच्छेद 2.2.11.2)

एच.के.बी. परिमंडल जगाधरी में ₹ 18.01 करोड़ की लागत से किए गए आठ निर्माण कार्यों के नमूने निम्न स्तरीय पाए गए थे।

विभाग ने उत्तर दिया (जून 2015) कि 11 अधिकारियों/कर्मचारियों को चार्ज शीट कर दिया गया है तथा सरकार ने पूरी इनक्वारी करने हेतु एक जांच अधिकारी की नियुक्ति (मई 2015) की थी। लेखापरीक्षा का यह विचार है कि ऐसे मामलों में दोषियों को दंडित करने हेतु ऐसे मामलों में जांच को तीव्रता देनी चाहिए।

अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की स्थिति

यद्यपि विभाग द्वारा कुछ अभ्युक्तियों के संबध में पर्याप्त कार्यान्वयन/प्रगति की थी, सिस्टम में सुधार, योजना, बाढ़ हेतु केन्द्रीय सहायता, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, दूसरे राज्यों से हिस्से की प्राप्ति न होना, जवाहर लाल नेहरू लिफ्ट सिंचाई स्कीम, एल.ए.ओ. से शेष राशि की वसूली न करना, भूमि का परिवर्तन न किया जाना, स्टाफ की कमी, जमा में पड़ी राशियों का अंतरण राजस्व को न करना, वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट का तैयार न करना इत्यादि पर प्रगति अभी भी धीमी थी। इन अभ्युक्तियों पर विवरण तथा प्राप्त की गई अंततम प्रगति ***परिशिष्ट 3.3*** में दी गई है।

3.17.3.3 सभी अभीष्ट क्षेत्रों तथा प्रणाली के सुधार में पूर्ण प्रगति

सिफारिश

(vi) बजट प्रावधानों से अधिक व्यय से बचने के लिए व्यय नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना

(क) बजट प्रावधान तथा व्यय (अनुच्छेद 2.2.8.1)

2007 – 08 से 2010 – 11 के दौरान पूंजीगत दत्तमत्त के अंतर्गत तथा राजस्व व्यय के अंतर्गत बचतें तथा 2007 – 12 के दौरान अनुसूचित जाति उप योजना (एस.सी.एस.पी.) के अंतर्गत पर्याप्त बचतें अथवा शून्य व्यय था।

विभाग ने अधिक पूंजीगत व्यय की बुकिंग के संबंध में उचित मापदण्ड लिए थे तथा 2012 – 13 से 2014 – 15 के दौरान वहां कोई अधिक व्यय नहीं था। आगे, अधिक व्यय 2010 – 11 तक पी.ए.सी. द्वारा नियमित किया गया। एस.सी.एस.पी. के अंतर्गत बचतें भी 2014 – 15 में बजट के 5 प्रतिशत से कम पर आ गई। यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा आवश्यक उचित कार्यवाही की गई है।

अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की स्थिति

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर आवश्यक कार्यवाही की थी जैसे कि ₹ 1.94 करोड़ के अनुदान का प्रयोग प कापस, हरियाणा सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान (एच.आई.आर.एम.आई.) को अधिक अनुदान का जारी करना, निविदा दस्तावेज फीस का संशोधन न करना, कार्य को टुकड़ों में बांटना, ओटु झील की उपजाऊ मिटटी को न बेचना तथा प्रशासकीय अनुमोदन एवं अनुमानों की संस्वीकृति के बिना कार्य का निष्पादन करना। इन बिंदुओं पर की गई अनुपालना के विवरण ***परिशिष्ट 3.4*** में दिए गए हैं।

यह स्पष्ट है कि जबकि विभाग ने कुछ क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्यवाही की थी, अन्य क्षेत्रों में ठोस कार्यवाही अभी भी की जानी है। विभाग को, इसलिए, अपनी निष्पादन में आगे सुधार हेतु लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु अच्छी प्रकार से बनाई गई योजना विकसित करनी चाहिए।

ये बिंदु अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार सिंचाई विभाग को जुलाई 2015 में संदर्भित किए गए थे परंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2016)। फिर भी, अनुवर्तन पर लेखापरीक्षा परिणामों पर मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग के साथ दिसंबर 2015 में विचार-विमर्श किया गया जिसमें उन्होंने सभी लंबित मामलों के बारे में सुधारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

सिंचाई तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग

3.18 भूमि के अधिग्रहण पर परिहार्य व्यय

भूमि पर कार्य आरंभ करना, जो सरकार द्वारा पूरी तरह से अधिगृहीत नहीं की गई थी तथा बची हुई भूमि का अधिग्रहण करने हेतु कार्यवाही करने में ढिलाई के परिणामस्वरूप ऐसी भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे के प्रति ₹ 1.22 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

लोक निर्माण विभाग संहिता (तब विद्यमान संहिता) के अनुच्छेद 2.92 के अनुसार, उस भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जाना चाहिए जो जिम्मेदार सिविल अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से नाम न की गई हो। आगे, पी.डब्ल्यू.डी. संहिता (तब विद्यमान संहिता) के परिशिष्ट V के अनुच्छेद 9 में निर्धारित किया गया था कि परियोजनाओं के प्रस्तुतिकरण से पहले एकरेखन तथा मिट्टी दोनों के निरीक्षण सहित, प्रारंभिक परिचालन तथा भूमि के अधिग्रहण की लागत के अनुमानों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में प्रावधान किया गया है कि जब कभी लोक उद्देश्य हेतु भूमि की आवश्यकता हो, अधिनियम के सैक्शन 4(1) और 6(1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना तथा तत्रैव अधिनियम के सैक्शन 11 के अंतर्गत अवार्ड की घोषणा के बाद यह अधिग्रहण की जा सकती है।

(क) जुई जल सेवा मंडल, भिवानी के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया (अप्रैल 2015) कि वर्ष 1978 के दौरान 19.01 एकड़ भूमि आर.डी. 0-10500 से बारदू सब माईनर के निर्माण में प्रयोग की गई थी। इसमें से, 14.46 एकड़ भूमि जनवरी 1978 में अधिग्रहण की गई थी तथा 4.55 एकड़ भूमि भू-मालिकों को मुआवजे का भुगतान किए बिना प्रयोग की गई। पीड़ित भू-मालिक कानून के अनुसार मुआवजे के भुगतान हेतु न्यायालय में गए (सितंबर 2007)। विभाग ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया (मार्च 2008) कि कानून के अनुसार मुआवजे का भुगतान बिना किसी देरी से जारी किया जाएगा। इस प्रस्तुतिकरण तथा पेटीशनर की सहमति मुआवजे के प्रकाश में, माननीय न्यायालय ने मामले को वापस लिया के रूप में खारिज कर दिया (मार्च 2008)। परंतु मुआवजे का भुगतान न होने के कारण, भू मालिकों ने 2012 में एक अवमानना याचिका के द्वारा न्यायालय में पुनः आवेदन किया। इस पर, विभाग ने सैक्शन 4 (अगस्त 2012) तथा सैक्शन 6 (अप्रैल 2013) के अंतर्गत अधिसूचना जारी की तथा भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एल.ए.ओ.), भिवानी द्वारा मार्च 2015 में ₹ 1.26 करोड़[77] के

[77] ₹ 1.26 करोड़= ₹ 0.545 करोड़ (भूमि की लागत) + ₹ 0.545 करोड़ (अनिवार्य अधिग्रहण प्रभार) + ₹ 0.17 करोड़ (ब्याज की अतिरिक्त राशि)। अतिरिक्त व्यय की गणना करते समय, अतिरिक्त राशि के मूल्य में अंतर परिकलित नहीं किया गया क्योंकि 12 प्रतिशत की दर से ब्याज की अतिरिक्त राशि का भुगतान सैक्टशन 4 के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से कलक्टर के अवार्ड की तिथि तक अथवा भूमि का कब्जा लेने की तिथि तक, जो भी पहले हो, किया जाना था।

लिए एक अवार्ड प्रदान किया गया। यदि विभाग द्वारा मार्च 2008 में समय पर कार्यवाही की होती तथा नवंबर 2010 से पहले भुगतान किया होता तो मुआवजे की राशि ₹ 47.26 लाख होती (भूमि की कीमत तथा आवश्यक अधिग्रहण प्रभार) परंतु अधिग्रहण कार्यवाही करने तथा मुआवजे का भुगतान करने में देरी के कारण, ₹ 61.79 लाख का अतिरिक्त व्यय ***(परिशिष्ट 3.5)*** भूमि के फ्लोर रेट न्यूनतम के रूप में खर्च किए गए तथा अनिवार्य अधिग्रहण प्रभार की दरें नवंबर 2010 तथा सितंबर 2013 में क्रमश: संशोधित की गई। इंगित किए जाने पर मुख्य अभियंता, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग हरियाणा ने सूचित किया (अक्तूबर 2015) कि विभाग ने इस तर्क पर कि नीति निर्णय के अनुसार, 10 वर्षों से अधिक पुराने मामलों में भूमि मुआवजे का भुगतान से सामान्यत: बचना चाहिए क्योंकि या तो भूमि का प्रयोग मुआवजे के भुगतान द्वारा या भूमि मालिकों जो स्कीम या परियोजना पर लाभ अर्जन कर रहे थे, की सहमति से किया गया था, भूमि के अधिग्रहण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने स्वयं माननीय न्यायालय में आश्वासन दिया था (मार्च 2008) तथा मामले पर विभाग की उपरोक्त आधार/नीति पर मामले में विवाद नहीं किया गया था तथा इस प्रकार भूमि के अधिग्रहण पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

(ख) प्रांतीय डिवीजन नं. 2 गुड़गांव में, वर्ष 1999-2000 के दौरान मालपुरा वाया लोकड़ा मऊ से सड़क बनाने हेतु 7.35 एकड़ भूमि का प्रयोग किया गया। 7.35 एकड़ की कुल अपेक्षित भूमि में से, 6.44 एकड़ अप्रैल 1988 में तथा 0.53 एकड़ जुलाई 1999 में क्रमश: ₹ 1.37 लाख तथा ₹ 2.04 लाख की लागत से अधिगृहीत की गई, परंतु 0.38 एकड़ भूमि बिना अधिग्रहण के प्रयोग की गई। पीड़ित भू मालिक मुआवजे के भुगतान हेतु माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पहुंचे (2012)। विभाग के आश्वासन के बाद कि मुआवजे का भुगतान शीघ्र ही किया जाएगा, माननीय न्यायालय ने याचिका समाप्त कर दी (मार्च 2013)। एल.ए.ओ., गुड़गांव द्वारा ₹ 67.68 लाख का अवार्ड घोषित किया गया जो 1999 में भुगतान किए जाने वाले मुआवजे की अपेक्षा ₹ 59.81 लाख ***(परिशिष्ट 3.5)*** अधिक था।

इंगित किए जाने पर (जुलाई 2015), मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (भवन एवं सड़कें) ने सूचित किया (जनवरी 2016) कि विभाग के कब्जे में मालपुरा गांव की कुल भूमि अभी तक अधिगृहीत नहीं की है, जब कभी भूमि मालिक अपनी भूमि के भुगतान हेतु आगे आए, तब भूमि का भुगतान भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार किया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले भूमि का अधिग्रहण करना अपेक्षित है। इस प्रकार, विभाग द्वारा पूर्ण अधिग्रहण से पहले भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ करना तथा मुआवजे के भुगतान में देरी के परिणामस्वरूप ऐसी भूमि के अधिग्रहण हेतु मुआवजे के प्रति ₹ 1.22 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ। विभाग द्वारा 2008 में न्यायालय को दिए गए आश्वासन कि मुआवजा बिना देरी से जारी किया जाएगा के बैंक ड्राप में लैप्स और अधिक गंभीर हो गया।

मामला अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें शाखा) तथा प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग को जुलाई 2015 में संदर्भित किया गया तथा आगे स्मरण-पत्र अगस्त 2015 में जारी किया गया। उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग

3.19 सरकारी लेखे में दुकानों का किराया जमा न करवाना

अनुबंध की निबंधन एवं शर्तों की उल्लंघना में, दुकानों/बूथों की ₹ 1.16 करोड़ की राशि का किराया महाराजा अग्रसेन चिकित्सा शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान सोसाइटी, अग्रोहा (एक रजिस्ट्रर्ड सोसाइटी) द्वारा अनियमित रूप से रखा गया तथा सरकारी लेखे में जमा नहीं करवाया।

महाराजा अग्रसेन चिकित्सा अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान, अग्रोहा को स्थापित करने हेतु हरियाणा सरकार ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक रजिस्ट्रर्ड सोसाइटी महाराजा अग्रसेन चिकित्सा शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान सोसाइटी, अग्रोहा (सोसाइटी), के साथ एक अनुबंध किया (जून 1990)। अनुबंध का क्लॉज 1 (ई) तथा (एफ) प्रावधान करता है कि संस्थान की संपत्ति सोसाइटी में रहेगी। परंतु सोसाइटी को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना यह संपत्ति बेचने, गिरवी रखने, सब लीज अथवा दूसरे तरीके से स्थानांतरण का कोई अधिकार नहीं है। अनुबंध का क्लॉज 11 आगे प्रावधान करता है कि संस्थान में सोसाइटी के सभी अधिकार, टाईटल तथा इन्ट्रस्ट तथा भूमि, भवन, फिटिंग, फिक्सचर, राज्य सरकार के या सोसाइटी या किसी अन्य स्रोत से आवर्तक अथवा पुन: आवर्तक जो भी हो, इन पर कोई मुआवजे का भुगतान किए बिना राज्य सरकार में पूर्णतया तथा हमेशा के लिए रहेंगे।

महाराजा अग्रसेन चिकित्सा कालेज (एम.ए.एच.सी.) अग्रोहा के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया (मई 2015) कि सोसाइटी ने सरकार की अनुमति के बिना चिकित्सा कालेज के कैम्पस में 2001-02 के दौरान आठ दुकानें तथा बूथ निर्मित किए। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 2002-03 के दौरान यह दुकानें किराए पर दी गई थी तथा 2002-03 से 2014-15 अवधि हेतु ₹ 1.16 करोड़ की किराए की प्राप्त राशि को अनुबंध की शर्तों की उल्लंघना में सरकारी लेखे में जमा करवाने की बजाए सोसाइटी द्वारा रखा गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने कहा (दिसंबर 2015) कि ब्लॉक-ए की दुकानों का किराया सोसाइटी द्वारा रखा जा रहा था क्योंकि यह दुकानें सोसाइटी द्वारा पूर्ण रूप से उनकी अपनी आय अर्थात् दान इत्यादि से बनाई गई थी तथा इस प्रकार जो आय प्राप्त हुई, कालेज तथा अस्पताल गतिविधियां पर पूर्ण रूप से खर्च की गई थी। किराए को रखने बारे कार्योत्तर अनुमोदन एम.ए.एम.सी. के कार्यकारी कमेटी से प्राप्त किया गया था (जुलाई 2015)। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि सोसाइटी ने दुकानें/बूथ निर्मित किए थे तथा किराए पर दिए गए एवं सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना किराए को अपने खाते में जमा करवाया जो अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन में था।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

3.20 अप्रयुक्त पाइपों पर निधियों का अवरोधन

विनिर्देशनों के बदलाव के कारण ₹ 1.55 करोड़ मूल्य की स्टोन वेयर पाइपें *अप्रयुक्त* रही जिसके परिणामस्वरूप निधियां पांच वर्षों से अधिक समय के लिए अवरूद्ध रही।

पंजाब वित्तीय नियम-वाल्यूम-I का नियम 15.2 (ख) और हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. कोड का पैरा 25.3.3 प्रावधान करते हैं कि क्रय, जनसेवा की निश्चित आवश्यकताओं के अनुसार की

जानी चाहिए और वास्तविक आवश्यकताओं के बहुत अग्रिम में नहीं की जानी चाहिए। आगे, उपयोग की भारी मदों जैसे सीमेंट, स्टील, पाइपें, इत्यादि जो कि विभाग में विभिन्न स्थानों/स्टोर में उपलब्ध हैं, की मात्रा परिचालित की जानी चाहिए और अंतर मंडलीय हस्तांतरण के लिए ध्यान में रखी जानी चाहिए। आगे, मैन्युअल ऑन सीवरेज एवं सीवेज ट्रीटमैंट (एम.एस.एस.टी.) का पैरा 1.8 निर्धारित करता है कि आरंभिक रिपोर्ट बनाने और विस्तृत सीवरेज परियोजना को तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण पूर्व अपेक्षाएं हैं। एम.एस.एस.टी. का पैरा 1.8.1.1 यह भी प्रावधान करता है कि टोपोग्राफी, सब-स्वाईल स्थितियां, भूमिगत संरचनाओं से संबंधित सूचना के साथ-साथ गलियों और सटे हुए क्षेत्रों के स्थान भी, सीवरेज स्कीमों की योजना/अनुमान करते समय ध्यान में रखने चाहिए।

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या 3 कैथल (अगस्त 2014) और बहादुरगढ़ (अप्रैल 2015) के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि प्रमुख अभियंता (प्र.अ.), जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (ज.स्वा.अ.वि.) ने अधीक्षक अभियंताओं (अ.अ.)/कार्यकारी अभियंताओं (क.अ.) को 2007-08 के दौरान आवृत किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यक्षेत्र के लिए, इस प्रमाण-पत्र के साथ कि सामग्री 2007-08 के दौरान उपभोग कर ली जाएगी, सामग्री की आवश्यकताएं प्रस्तुत करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया (फरवरी 2007)। प्रत्युत्तर में अ.अ. जींद सर्कल और रोहतक सर्कल ने विभिन्न आकारों[78] के स्टोन वेयर पाईपों (एस.डब्ल्यू.पाईप) के क्रय के लिए आवश्यकताएं (30796 सं.) प्र.अ. को क्रमशः फरवरी 2007 और अगस्त 2007 में भेज दी। विभाग ने, कैथल और बहादुरगढ़ नगरों में सीवर लाईन बिछाने के लिए निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान हरियाणा, चण्डीगढ़ के माध्यम से जुलाई 2007 और अप्रैल 2009 के बीच ₹ 2.24 करोड़ के विभिन्न आकारों की 23,428 एस.डब्ल्यू. पाईप क्रय की। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभाग ने कार्य ठेकेदारों से करवाया जिसमें पाईपें अनुबंधित एजेंसियों द्वारा प्रदान और नियत की गई थी। परिणामस्वरूप, 28,441[79] पाईपों में से 13,137[80] पाईपें (46 प्रतिशत) प्रयुक्त की गई थी और ₹ 1.55 करोड़ मूल्य की 15,304 पाईपें (54 प्रतिशत) स्टोर में पड़ी थी (अगस्त 2015)। आगे, स्टोर के भौतिक सत्यापन के दौरान देखा गया कि एस.डब्ल्यू. पाईपों का स्टाक 2009 से खुले में पड़ा था और समय व्यतीत होने के साथ पाईप खराब/क्षतिग्रस्त हो रही थी।

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया (जुलाई 2015) कि स्थल परिस्थितियों जैसे कि रेतीली भूमि और भारी ट्रैफिक के मद्देनजर एस.डब्ल्यू. पाईपों के स्थान पर आर.सी.सी.एन.पी. 3 पाईपें प्रयुक्त की गई थी। एस.डब्ल्यू. पाईप की तुलना में आर.सी.सी.एन.पी.-3 पाईपों को वरीयता दी गई थी क्योंकि इनमें कम जोड़ों की आवश्यकता होती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्य की योजना/अनुमान बनाते समय स्थल स्थितियों

[78] 300 मिलीमीटर से 600 मि.मी. के बीच आंतरिक व्यास की एस.डब्ल्यू. पाईपें।

[79] 28,441 = 5013 (आरंभिक शेष) + 23,428 (जुलाई 2007 और अप्रैल 2009 के बीच प्राप्त की गई)।

[80] 13,137 = 400 मि.मी. आंतरिक व्यास की 300 (ज.स्वा.अ. मंडल-2, सिरसा को हस्तांतरित); 400 मि.मी. आंतरिक व्यास की 928 (ज.स्वा.अ. मंडल, रोहतक को हस्तांतरित); 600 मि.मी. आंतरिक व्यास की 120 (ज.स्वा.अ. मंडल, अंबाला शहर को हस्तांतरित); 600 मि.मी. आंतरिक व्यास की 350 (ज.स्वा.अ. मंडल-2, भिवानी को हस्तांतरित) और शेष 11439 पाईपें अनुमोदित अनुमानों में उपयोग में लाई गई जैसे कि योजना की गई (कैथल नगर में सीवरेज स्कीम और बहादुरगढ़ नगर में एक्सटेंशन सीवरेज स्कीम प्रदान करना)।

के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना अपेक्षित था और एस.डब्ल्यू. पाईपों में आवेष्टित जोड़ों की संख्या के बारे तथ्य विभाग की जानकारी में थे।

इस प्रकार, पाईपों के पांच वर्षों से अधिक समय तक प्रयुक्त न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.55 करोड़ की निधियां अवरूद्ध रही। इसके अतिरिक्त ये पाईपें खराब होनी ही थी, क्योंकि ये खुले में पड़ी थी।

3.21 टैरटियरी ट्रीटमैंट वाटर स्कीम पर अविवेकपूर्ण व्यय

तोशाम (भिवानी) में टैरटियरी ट्रीटमैंट वाटर स्कीम पर ₹ 4.34 करोड़ का व्यय, ट्रीटमैंट के लिए बहिःस्राव की अनुपलब्धता और टैरटियरी ट्रीटमैंट प्लान्ट के निर्माण न करने के कारण अविवेकपूर्ण था।

सीवरेज ट्रीटमैंट प्रक्रियाओं की तीन किस्में अर्थात् प्राइमरी, सैकण्डरी और टैरटियरी है। सामान्यतया, सीवरेज की प्राइमरी एवं सैकण्डरी ट्रीटमैंट, उन सीवरेज स्कीम में अपनाई जाती है जिसके अंतर्गत बहुत से अवयव गाढ़ेपन में कम होते जाते हैं। टैरटियरी ट्रीटमैंट[81], कृषि, बागवानी, भू-जल रिचार्जस, इत्यादि में कृषि योग्य जल के पुन: प्रयोग के लिए अतिरिक्त ट्रीटमैंट प्रदान करते हैं।

जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड ने अप्रैल 2014 को पूर्ण होने की समय-सूची के साथ ₹ 3.22 करोड़ के लिए गांव-तोशाम, जिला भिवानी में ''सीवरेज की टैरटियरी ट्रीटमैंट और जन उपयोगिताओं के लिए इसके रिसाइकिलिंग प्रदान करने के लिए'' एक स्कीम अनुमोदित की (अप्रैल 2012)। स्कीम, ट्रीटिड वाटर के लिए स्टोरेज के रूप में गांव के तालाब के विकास, लॉन के विकास, पौधारोपण, भू-दृश्य निर्माण, इत्यादि (₹ 1.97 करोड़) और सैकेण्डरी ट्रीटमैंट प्लान्ट (₹ 1.25 करोड़) के नजदीक टैरटियरी प्लांट के निर्माण का प्रावधान करती थी। टैरटियरी प्लांट के लिए आवश्यक भूमि ग्राम पंचायत द्वारा मुफ्त में प्रदान की जानी थी। तीन एम.एल.डी. क्षमता का सैकेडरी सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट जुलाई 2014 में तोशाम में कार्यात्मक हो गया था जहां से टी.टी.पी. में ट्रीटमैंट के लिए पानी आपूरित किया जाना था।

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (ज.स्वा.अ.) मंडल, तोशाम (जून 2014) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि तालाब, पार्क इत्यादि के विकास का कार्य ₹ 1.22 करोड़ के लिए नवंबर 2012 में एक एजेंसी को आबंटित किया गया था जो कि ₹ 3.42 करोड़ तक इस तर्क पर बढ़ाया गया था कि बढ़ोतरी कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार थी। यह तर्कसंगत नहीं था क्योंकि तालाब का मूल क्षेत्र/गहराई वही थी और व्यय, मुख्यत: आर्किटेक्चरल अपियरेंस के लिए तालाब की रि-माडलिंग, फ्लोटिंग फाऊटेंस, बेंन्चस, मशीनरी, लाइटनिंग प्रबंध, प्रावधान/वृद्धि, गरीब बच्चों के खेलने के स्टेशन, टवाइलेट्स ब्लॉक्स, फूड प्लाजा, इत्यादि की संख्या और लागत में वृद्धि के कारण बढ़ गया था। एजेंसी को तदनुसार ₹ 3.08 करोड़ (मार्च 2015) अदा किए गए थे। चारदीवारी का कार्य सितंबर 2012 में ₹ 0.50 करोड़ के लिए दूसरी एजेंसी को आबंटित किया गया था और बढ़ोतरी के बाद ₹ 0.62 करोड़ खर्च किए गए और इसके अतिरिक्त अन्य विविध मदों पर ₹ 0.64 करोड़ खर्च किए गए। अप्रैल 2015 तक स्कीम पर ₹ 4.34 करोड़ का कुल व्यय किया गया था और पार्क के कार्य के क्षेत्र में वृद्धि के

[81] टैरटियरी ट्रीटमैंट, रैजिडूल आरगनिक और इनआरगनिक सबस्टान्स के हटाने के लिए प्राईमरी और सैकेण्डरी ट्रीटमैंट का पूरक है और कुछ मामलों में आवश्यक डिग्री तक रिफरैक्टरी और डिजोल्वड सबस्टान्स भी।

कारण स्कीम के अनुमान संशोधित किए गए थे और ₹ 3.22 करोड़ से ₹ 5.28 करोड़ (जून 2013) तक बढ़ाए गए थे।

यह देखा गया कि ₹ 4.34 करोड़ का व्यय तालाब, पार्क, फैंसी लाइटनिंग, फूड प्लाजा, बच्चों के लिए प्ले सैट्स, इत्यादि के विकास पर किया गया था, टैरटियरी ट्रीटमैंट प्लांट का निर्माण का मुख्य कार्य अभी तक आरंभ नहीं किया गया था। यहां तक कि टैरटियरी ट्रीटमैंट प्लांट के निर्माण के लिए डी.एन.आई.टी. अभी तक (दिसंबर 2015) अनुमोदित नहीं हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, प्र.अ., ज.स्वा.अ. मंडल ने बताया (मई 2015 और जनवरी 2015) कि तालाब के साथ-साथ पार्क यह मानकर विकसित किया गया था कि टैरटियरी वाटर, पौधों को पानी देने के लिए उपयोग किया जाएगा और पार्क का सुंदरीकरण, जनता को सुखद वातावरण प्रदान करने के लिए किया गया था। टी.टी.पी. तोशाम के लिए योजनाबद्ध किया गया क्योंकि अभी कार्यात्मक एस.टी.पी. सीवरेज को निर्धारित स्तर/मानक[82] तक ट्रीट नहीं कर सका और ट्रीटिड सीवरेज के विन्यास के लिए एस.टी.सी. के नजदीक कोई ड्रेन नहीं थी। प्रधान सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंडल ने बताया (दिसंबर 2015) कि टी.टी.पी. की डी.एन.आई.टी. जांच अधीन थी, तोशाम में स्थापित तीन एम.एल.डी. की एस.टी.पी. जुलाई 2014 में कार्यात्मक की गई थी और ट्रीटिड वाटर तोशाम ड्रेन में प्रवाहित की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, पार्क अब ग्राम पंचायत के प्रभार के अधीन था जो कि संशोधित तालाब में संग्रहीत वर्षा के पानी को उपयोग करके पार्क की देखभाल करता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि अनुमोदित स्कीम, पानी के टैरटियरी ट्रीटमैंट और जन उपयोगिताओं के लिए इसके रिसाइलिंग के लिए थी, परंतु टी.टी.पी. का निर्माण ₹ 4.34 करोड़ का व्यय करने के बाद भी आरंभ नहीं हुआ था (दिसंबर 2015)।

इस प्रकार, ट्रीटमैंट के लिए बहि:स्राव की अनुपलब्धता और टैरटियरी ट्रीटमैंट प्लांट के निर्माण न करने के कारण तोशाम (भिवानी) में टैरटियरी ट्रीटमैंट वाटर स्कीम पर ₹ 4.34 करोड़ का व्यय अविवेकपूर्ण था।

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)

3.22 सड़क के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय

अनुमान के सही न बनाने और सांहितिक प्रावधानों के अनुसार अनुमान का संशोधन न करने के कारण 13.88 से 27.60 किलोमीटर में निजामपुर-नारनौल-दादरी रोड़ (एस.एच.-17) पर ₹ 5.57 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, 15.010 कि.मी. से 18.200 तक के बीच सड़क विनिर्देशनों के अनुसार नहीं थी और रख-रखाव पर ₹ 39.67 लाख का परिहार्य व्यय किया गया।

हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 10.8.1 के अनुसार, सड़कों का संरचनात्मक ढांचा स्टैण्डर्डस आफ इंडियन रोड़ कांग्रेस (आई.आर.सी.) द्वारा निर्धारित प्रासंगिक मानकों/मानदंडों पर आधारित होगा। निजामपुर-नारनौल-दादरी रोड़ पर ट्रैफिक घनत्व (नवंबर 2007) के लिए आई.आर.सी. 37/2001 ने 125 मि.मी. बिटुमिनीयस मैकाडाम (बी.एम) एवं 25 मि.मी. सैमी डैंस बिटुमिनीयस कंकरीट (एस.डी.बी.सी.) की सिफारिश करती है। इसके आगे, कोड का अनुच्छेद 10.1.7 और 10.10.4 प्रावधान करता है कि रोड प्रोजेक्ट के अनुमान को ट्रैफिक कोड

[82] 10 मिलीग्राम/1 से कम बी.ओ.डी. स्तर नवंबर 2013 में सी.पी.एच.ई.ई.ओ. द्वारा निर्धारित किया गया।

के प्रचलित या प्रत्याशित घनत्व को प्रकट करना चाहिए और ये विस्तृत अनुमान निविदाएं आमंत्रित करने के लिए उपयुक्त होने चाहिए।

मिनिस्ट्री आफ शिपिंग, रोडस, ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज (एम.ओ.आर.टी.एच.), भारत सरकार ने 13.88 से 27.60 कि.मी. में निजामपुर-नारनौल-दादरी रोड़ (एस.एच-17) को चौड़ा और सुदृढ़ करके सुधार लाने के लिए ₹ 5.10 करोड़ के भा.स. के हिस्से के साथ ₹ 10.20 करोड़ के लिए कार्य अनुमोदित किया (नवंबर 2008)। ₹ 14.80 करोड़ के लिए तकनीकी संस्वीकृति दी गई थी (मार्च 2009) जो आई.आर.सी; 37/2001 की सिफारिशों के अनुसार 125 मि.मी. बी.एम.[83] टाप बिटुमिनीयस लेयरस और 25 मि.मी. एस.डी.बी.सी. के साथ सात मीटर से दस मीटर तक सड़क के चौड़ा करने पर विचार करती थी। निविदाएं फरवरी 2009 में मांगी गई थी। इसी बीच, विश्व बैंक स्कीम के अंतर्गत कोटपुतली-नारनौल-दादरी-भिवानी-खरक से सड़क की फोर-लेनिंग[84] के लिए डिजाइन, बिल्ट, फाइनांस, आपरेट एवं ट्रांसफर (डी.बी.एफ.ओ.टी.) स्कीम के अंतर्गत एक नया प्रस्ताव किया गया। क्योंकि यह भाग उपरोक्त सड़क का हिस्सा था, सरकार ने अनुमोदित किया (जुलाई 2009) कि इस भाग को भी फोरलेन किया जाना है। अधीक्षक अभियंता, भिवानी (अ.अ.) ने डिजाइन आवश्यकता के अनुसार फोर-लेनिंग के अनुमान में 125 मि.मी. (75 मि.मी. बी.एम. + 50 मि.मी. बी.एम.) के बिटुमिनियस क्रस्ट की सिफारिश की थी (अप्रैल 2009)। मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) ने बिना दोबारा निविदा आमंत्रित किए फोर-लेनिंग सड़क के लिए बिटुमिनियस क्रस्ट 125 मि.मी. बी.एम. से 75 मि.मी. बी.एम. घटाकर फोर-लेनिंग के लिए ₹ 14.47 करोड़ के लिए संशोधित अनुमान अनुमोदित कर दिए। अ.अ. ने फरवरी 2009 की निविदाओं (अर्थात् 125 मि.मी. बी.एम. + 25 मि.मी. एस.डी.बी.सी. के साथ दस मीटर तक सड़क को चौड़ा करने के लिए विनिर्दिष्टताएं) पर ₹ 13.09 करोड़ की अनुबंध कीमत पर मैसर्ज कुंडू कंसट्रक्शन कंपनी को आबंटित कर दिया (जून 2009)। स्थल के साफ न होने के कारण जनवरी 2012 को पूर्ण करने की तिथि के साथ कार्य आरंभ करने की तिथि अक्तूबर 2010 संशोधित कर दी। नवंबर 2007 की ट्रैफिक गणना के आधार पर 125 मि.मी. बी.एम. और 25 मि.मी. एस.डी.बी.सी. के प्रावधान के साथ फोर-लेनिंग के लिए संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन की मांग के लिए अ.अ. ने ₹ 25.26 करोड़ के लिए संशोधित बढ़ाया हुआ अनुमान प्रस्तुत किया (मई 2011)। लेकिन इस अनुमान के लिए अनुमोदन सूचित नहीं किया गया था।

एजेंसी ने, 13.88 से 18.20 कि.मी. की पहुंच में 25 मि.मी. एस.डी.बी.सी. के साथ आर.डी. 13.88 से 15.01 में 125 मि.मी. घना बी.एम. और आर.डी. 15.01 से 26.40 में 75 मि.मी. घना बी.एम. बिछाकर कार्य निष्पादित कर दिया जबकि 26.45 से 27.60 कि.मी. तक कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया क्योंकि वन विभाग से क्लीयरेंस प्रतीक्षित थी जो कि जनवरी 2015 में प्राप्त हुई। ₹ 11.64 करोड़ की एक अदायगी एजेंसी को की गई (मार्च 2012)। एजेंसी ने कार्यकारी अभियंता (का.अ.) को आवेदन किया (जुलाई 2011) कि 75 मि.मी. की घनी बी.एम. डिजाइन आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा और एजेंसी को त्रुटिपूर्ण दायित्व अवधि धारा से बाध्य नहीं करेगा। अ.अ. ने अक्तूबर 2013 में अनुबंध को समाप्त कर दिया क्योंकि एजेंसी निर्धारित अवधि के अंदर कार्य पूर्ण करने में विफल रही।

[83] दो लेयरस में 125 मि.मी. बी.एम.-75 मि.मी. बी.एम. की प्रथम लेयर और 50 मि.मी. बी.एम. की दूसरी लेयर।

[84] 75 मीटर से 15.70 मीटर (दोनों किनारों पर 7.25 मीटर और 1.20 मीटर का केंद्रीय किनारा।

सड़क के विनिर्देशन दो वर्षों तक अनिर्णीत रहे और पहले से निर्मित सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। का.अ. ने सब-बेस और बेस 15 वर्षों के लिए और बिटुमिनीयस क्रस्ट दस वर्षों के लिए डिजाइन करने का निर्देश दिया (फरवरी 2013)। राज्य सरकार ने, पहले से निष्पादित कार्य 18.200 से 26.450 कि.मी. रीच में 60 मि.मी. डेन्स बिटुमिनीयस मैकाडम (डी.बी.एम. + 40 मि.मी. बिटुमिनियस कंक्रीट (बी.सी.) बिछाने और 26.450 से 27.600 कि.मी. रीच में सड़क के निर्माण सहित विस्तृत अनुमान के लिए ₹ 27.79 करोड़ की संशोधत प्रशासनिक स्वीकृति दे दी (जनवरी 2014)। शेष कार्य ₹ 13.52 करोड़ के लिए मैसर्ज आल ग्रेस डिवलपर्स को आबंटित कर दिया था (मार्च 2014), जिसने नवंबर 2015 को ₹ 12.44 करोड़ का कार्य निष्पादित कर दिया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सड़क की फोरलेनिंग के कारण बढ़ी हुई मात्राओं के लिए संशोधित स्वीकृति मांगने के बजाए, मु.अ. ने ₹ 14.80 करोड़ की तकनीकी संस्वीकृति के अंदर कार्य रखने के लिए विटुमिनियस क्रस्ट 125 मि.मी. से 75 मि.मी. घटा दिया जो कि पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 10.8.1 के प्रावधानों के विरूद्ध था। उच्चतर विशिष्टताओं के लिए निविदाएं पहले ही मांग ली गई थी और उन्हीं मात्राओं के लिए कार्य आबंटित किया गया था जिसने पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 10.1.7 की उल्लंघना की। विटुमिनियस क्रस्ट में कमी के कारण एजेंसी ने कार्य पूर्ण करने से इनकार कर दिया और त्रुटिपूर्ण दायित्व अवधि धारा को लागू नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप सड़क के रख-रखाव पर ₹ 39.57 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। 18.200 से 26.450 कि.मी. में अतिरिक्त लेयर ₹ 5.57 करोड़[85] का अतिरिक्त व्यय करने से निष्पादित किए जा रहे थे। आगे, 15.01 से 18.200 कि.मी. के बीच सड़क विशिष्टताओं से नीचे रही जो कि समय से पहले ही क्षतिग्रस्त /खराब होने के जोखिम से भरी थी क्योंकि संशोधित विस्तृत अनुमान में अतिरिक्त विटुमिनियस लेयर का प्रावधान नहीं था।

इस प्रकार, अनुमान को सही न बनाने और संहीतीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुमान के संशोधन न करने के कारण सड़क, जो जनवरी 2012 तक पूर्ण की जानी थी, आरंभिक अनुमान के अनुमोदन से छः वर्षों के बाद और ₹ 5.57 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करने के बाद भी अभी तक निर्माणाधीन थी।

अपर मुख्य सचिव ने बताया (जनवरी 2016) कि फोर-लेनिंग के मामले में अलग किए कैरिजवे पर लोड के वितरण के सिद्धांत के कारण कम किए गए विनिर्देशनों (75 मि.मी. बी.एम + 25 मि.मी. एस.डी.बी.सी.) के साथ आई.आर.सी. विनिर्देशनों के अनुसार फोर-लेनिंग के लिए अनुमान क्षेत्रीय कार्यालय से प्रस्तावित किया गया था और 125 मि.मी. से 75 मि.मी. तक बी.एम. की लेयर की संघनता में बदलाव प्रथम एजेंसी द्वारा कार्य छोड़ने का कारण नहीं था। इसके आगे यह जोड़ा गया कि यदि एजेंसी द्वारा 2012 में कार्य पूर्ण किया जाता तो सड़क पर पुनः परत डालने का कार्य 2015 में देय हो जाता। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि अ.अ. ने फोर लेनिंग के अनुमान में आई.आर.सी. विनिर्देशनों और ट्रैफिक गणना के मद्देनजर डिजाइन आवश्यकता के अनुसार 75 मि.मी. बी.एम + 50 मि.मी. बी.एम. की सिफारिश की थी (अप्रैल 2001) और एजेंसी ने सड़क के विनिर्देशनों में बदलाव के कारण कार्य छोड़ा था। आगे, विभाग का यह तर्क कि यदि कार्य वर्ष 2012 में पूर्ण कर लिया जाता तो विभाग को वर्ष 2015 में सड़क पर पुनः परत डालने पर व्यय करना पड़ता, न्यायसंगत नहीं था क्योंकि

[85] ₹ 9.50 करोड़ (नई संविदा के अनुसार डी.बी.एम. और बी.सी. को बिछाने की लागत) ₹ 3.93 करोड़ (पूर्व संविदा के अनुसार बी.एम. और एस.डी. बी.सी. के बिछाने की लागत), ₹ 5.57 करोड़।

अनुचित निर्णय के कारण उस अवधि के दौरान जनता को घटिया सड़क स्थितियों को सहन करना पड़ा जिससे कार्य पूर्ण करने में न केवल विलंब हुआ बल्कि ₹ 5.57 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

ग्रामीण विकास विभाग

3.23 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत निधियों की उपयोगिता

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि स्कीम के कार्यान्वयन में अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण के कारण भारत सरकार द्वारा कम निधियां जारी की गई, कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करने में विलंब हुआ तथा क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने में कमी रही। अ.जा./अ.ज.जा. विकास योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के लिए निधियां आबंटित नहीं की गई थी।

चिन्हित जिलों में मौजूदा विकासीय अंतर्वाहों को पूरा और अभिमुख करने के लिए वित्तीय स्रोत प्रदान करके विकास में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय (पं.रा.मं.), भारत सरकार (भा.स.) द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.) 100 प्रतिशत केंद्रीयकृत प्रायोजित स्कीम आरंभ की गई थी (2006-07)। स्थानीय मूलभूत संरचना और अन्य विकासीय आवश्यकताएं जो कि मौजूदा अंतर्वाहों के माध्यम से पर्याप्त रूप से पूर्ण नहीं की जा रही थी, पंचायत और नगरपालिका स्तर पर शासन को अधिक उचित क्षमतापूर्ण बनाने के लिए हार्डनिंग करने, स्थानीय निकायों को व्यावसायिक समर्थन प्रदान करने में विवेचनात्मक अंतर कम करने के विचार से वित्तीय स्रोत प्रदान करने के लिए दो जिलों (सिरसा और महेन्द्रगढ़) में 2007-08 से हरियाणा में कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया। निदेशक, ग्रामीण विकास हरियाणा, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान (ह.ग्रा.वि.सं.), नीलोखेड़ी, अपर उपायुक्त (अ.उ.)-सह-सी.ई.ओ, जिला ग्रामीण एजेंसी (जि.ग्रा.वि.ए.)। सिरसा और कार्यान्वयन एजेंसियों (का.ए.) के कार्यालय में 2010-15 की अवधि के लिए अभिलेखों की जांच यह सुनिश्चित करने के विचार से की गई कि क्या निधियां कुशलता व प्रभावी ढंग से उपयोग की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गई:

1. योजना

पिछड़े जिले के अंदर प्रत्येक पंचायत या नगरपालिका, पि.क्षे.अ.नि. के अंतर्गत योजना के लिए एक इकाई के रूप में मानी जानी थी। प्रत्येक पंचायत और नगरपालिका द्वारा तैयार की गई योजनाएं जिला योजना समिति द्वारा जिला योजना में संग्रहीत की जानी थी। योजना कार्य, समय-समय पर प्लानिंग कमीशन द्वारा जारी पि.क्षे.अ.नि. के निर्देशों के अनुसार किया जाना था। अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित मामलों को भी जिला योजना के संग्रहण के दौरान शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जाना था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिला योजना अ.जा./अ.ज.जा. भाग से संबंधित मामलों को दूर करती है, पर भी विशेष ध्यान दिया जाना था। निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गई थी:

(i) अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति योजना के अंतर्गत प्राथमिक कार्यक्रम

पि.क्षे.अ.नि. के निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण खेल मैदान अ.जा./अ.ज.जा. बच्चों के लिए रिहायशी इंटरमीडिएट कालेज/हास्टल्स, 20 लघु/सीमांत अ.जा./अ.ज.जा. कृषकों के स्वयं सहायता समूहों को ट्रैक्टरस और कृषीय औजार, अर्ध सैनिक और सुरक्षा बलों के लिए पूर्व भर्ती प्रशिक्षण,

दुकानों इत्यादि के निर्माण, प्रतिष्ठित एन.जी.ओज जिनके पास छात्राओं के लिए माध्यमिक स्कूल/कालेज स्थापित करने के लिए अपनी भूमि थी, को ₹ 20 लाख की एकमुश्त सहायता देना जैसी स्कीमों को प्राथमिकता दी जानी थी। निधियों के प्रावधान केवल उन कार्यक्रमों के लिए थे जो जिला योजना में सम्मिलित किए गए थे।

अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि प्राथमिक कार्यक्रम प्रस्ताव, जिला योजना में सम्मिलित नहीं किए गए थे जिसके कारण प्राथमिक स्कीमों के लिए निधियां प्रदान नहीं की जा सकी, जिसके कारण, अभिलेख में दर्ज नहीं थे। ए.डी.सी., सिरसा ने बताया (फरवरी 2015) कि अगली योजना में प्राथमिक खंडों को सम्मिलित करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। तथापि, तथ्य यह रहता है कि उपरोक्त प्राथमिक स्कीमों को निधियां प्रदान नहीं की गई थी।

2. वित्तीय प्रबंधन

सिरसा में 2010-15 के दौरान ₹ 69.17[86] करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों के विरूद्ध, ₹ 59.50 करोड़ का व्यय किया गया था जिससे लंबित स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध ₹ 9.67 करोड़ शेष रहे। निम्नलिखित अनियमिताएं देखी गई:

(i) निधियों का कम/विलंब से जारी करना

भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों (नवंबर 2009) के अनुसार, एक वर्ष की सारी हकदारी उसी वित्तीय वर्ष के अंदर मांगी जाएगी और अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेषित नहीं की जाएगी। भारत सरकार द्वारा निधियां दो किश्तों में जारी की जानी थी और दूसरी किश्त, प्रथम किस्त के 60 प्रतिशत उपयोग के बाद ही जारी की जानी थी।

अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि ₹ 87.03 करोड़ के कुल निर्धारण के विरूद्ध, 2010-15 के दौरान भारत सरकार द्वारा ₹ 67.66 करोड़ जारी किए गए। ₹ 19.37 करोड़ कम जारी किए जाने का कारण ए.डी.सी. द्वारा समय पर अनुदान की प्रथम राशि का उपयोग न किया जाना था। महानिदेशक एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) ने बताया (दिसंबर 2014) कि विलंब, ए.डी.सी., जि.ग्रा.वि.ए. द्वारा जिला स्तर पर समय पर अनुदान की प्रथम किश्त का 60 प्रतिशत का उपयोग न करने के कारण था। इस प्रकार, मंत्रालय ने दूसरी किश्त के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया क्योंकि यह अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई थी।

(ii) सरकारी धन को जारी करने में विलंब

भारत सरकार, प.रा.मं. द्वारा जारी निर्देशों (जून 2009) के अनुसार, राज्य सरकार को, भारत सरकार द्वारा जारी करने की तिथि से 15 दिनों के अंदर संबंधित जिले को निधियों को हस्तान्तरित करना आवश्यक था। विलंब के मामले में, राशि के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर के बराबर दर पर दंडित ब्याज जिला को अदा किया जाना था। यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 2010-11 के दौरान 7 से 106 दिनों के विलंब के साथ का.ए. (ए.डी.सी., सिरसा और निदेशक, ह.ग्रा.वि.स., नीलोखेड़ी) को ₹ 21.11 करोड़ की निधियां जारी की जिसके लिए राज्य सरकार ने का.ए. (जनवरी 2012) को ₹ 15.95 लाख का ब्याज दिया। यह पाया गया कि निधियों के जारी करने में विलंब ग्रा.वि.वि. द्वारा स्वीकृति के जारी करने में विलंब को आरोपित किया गया था जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

[86] आरंभिक शेष: ₹ 1.03 करोड़ + प्राप्त किए गए अनुदान: ₹ 67.66 करोड़ + विविध प्राप्तियां: ₹ 0.48 करोड़।

क्र. सं.	जि.ग्रा.वि.ए.	संस्वीकृत राशि (₹ लाख में)	भारत सरकार द्वारा स्वीकृति की तिथि	ग्रा.वि.वि. में प्राप्ति की तिथि	स्वीकृति/ का.ए. को जारी करने की तिथि	अवधि दिनों में	दिनों की संख्या जिसके लिए ब्याज जारी किया जाना है	प्र.व. 6 प्रतिशत की दर पर दंडित ब्याज (₹ लाख में)
1.	सिरसा	460.00*	16 जुलाई 2010	21 जुलाई 2010	13 अगस्त 2010	22	07	0.53
2.	सिरसा	850.00	23 जुलाई 2010	29 जुलाई 2010	26 अगस्त 2010	28	13	1.82
3.	सिरसा	692.00	14 दिसंबर 2010	24 दिसंबर 2010	25 अप्रैल 2011	121	106	12.06
4.	निदेशक, ह.ग्रा.वि.स.	109.00	12 जनवरी 2011	13 जनवरी 2011	25 अप्रैल 2011	101	86	1.54
	कुल	**2,111.00**						**15.95**

स्रोतः विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

*** 2010-11 में प्राप्त की गई यह निधि, पूर्व वर्ष से संबंधित है।**

विभाग द्वारा निर्णय लिया गया (जुलाई 2011) कि किसी भी विलंब से बचने के लिए, पि.क्षे.अ.नि. स्कीमों के जारी करने से संबंधित मामले वित्त विभाग (वि.वि.) को दस्ती तौर पर भेजे जाएंगे और संबंधित विभाग भी फैक्स के माध्यम से वि.वि. को शीघ्र सूचित करेगा ज्योंही ऐसी निधि के जारी करने की सूचना भारत सरकार से प्राप्त हो।

(iii) विकास के लिए अतिरिक्त स्रोतों का उपयोग न करना

पि..क्षे.अ.नि. के निर्देशों के अनुच्छेद 4.8 और 4.9 के अनुसार निधियां, राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकखाने में रखी जाएंगी और जमाओं पर उपार्जित ब्याज पि.छे.अ.नि. के अंतर्गत अतिरिक्त स्रोत माने जाएंगे और निर्देशों के अनुसार उपयोग किए जाने चाहिए।

अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि 2010-15 के दौरान भारत सरकार से पि.क्षे.अ.नि. अनुदान के रूप में ₹ 67.66 करोड़ की निधियां प्राप्त हुई थी जो विभिन्न का.ए. को जारी की गई। ₹ 1.28 करोड़ की राशि का ब्याज नमूना-जांच किए जि.ग्रा.वि.ए. सहित कार्यान्वयन एजेंसी की राशि पर अर्जित किया गया था जो कि कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा न तो उपयोग किया गया और न ही वापस किया गया था।

ए.डी.सी., सिरसा ने बताया (फरवरी 2015) कि 2010-15 के दौरान अर्जित समस्त ब्याज अतिरिक्त स्रोत के रूप में जिला योजना समिति के सामने अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। तथापि, यह अभी तक नहीं रखा गया है। इसके अतिरिक्त, 2010-15 में निधियों की कमी के कारण ₹ 17.53 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 299 नए कार्य आरंभ नहीं किए जा सके। यदि ब्याज की यह राशि अतिरिक्त स्रोत के रूप में उपयोग की जाती तो कुछ परियोजनाएं जो निधियों की कमी के कारण निष्पादित नहीं की गई थी, आरंभ की जा सकती थी।

(iv) अविवेकपूर्ण व्यय

पि.क्षे.अ.नि. निर्देशों का अनुच्छेद 2.2 प्रावधान करता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा कि जिला योजना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास से संबंधित मामलों को शामिल करती है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को लाभ देने वाली स्कीमों के लिए कम से कम इन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में निधियां निर्धारित की जानी चाहिए और सुविधाएं जैसे कि स्कूल, आंगनवाड़ियां, स्वास्थ्य केंद्र, इत्यादि उन गांवों में प्राथमिकता पर प्रदान की जानी चाहिए जहां कि पर्याप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। इसके आगे, योजना आयोग द्वारा जारी (जनवरी 2005) निर्देश प्रावधान करते है

कि 50 प्रतिशत और इसके ऊपर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले गांव सर्वप्रथम चुने जाएं और संबंधित गतिविधि आरंभ की जाए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सिरसा जिले के 30 गांवों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत (50 और 76 प्रतिशत के बीच) से अधिक है और 2010-15 के दौरान 127 गांवों में आंगनवाड़ियों के निर्माण पर ₹ 8.42 करोड़ का व्यय किया गया था। तथापि, आठ गांवों में आंगनवाड़ियों के निर्माण पर केवल ₹ 0.64 करोड़ (7.6 प्रतिशत) का व्यय किया गया था जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक थी और इस प्रकार के 22 गांव छूट गए। यह देखा गया था कि ₹ 7.78 करोड़ (92.40 प्रतिशत) का व्यय उन गांवों पर किया गया था जहां अनुसूचित जाति जनसंख्या 50 प्रतिशत से कम थी। उन गांवों में जहां अ.जा. की जनसंख्या 50 प्रतिशत से कम थी, निधियों के अधिक मात्रा में व्यय करने से न केवल निदेशों की उल्लंघना हुई बल्कि कार्यक्रम के भावी फायदे से अलाभकारी समूह को भी वंचित कर दिया। ए.डी.सी., सिरसा ने बताया (फरवरी 2015) कि उन गांवों, जहां अ.जा. जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक थी, में आंगनवाड़ियों पर अगली योजना में विचार किया जाएगा। विभाग को इसकी नवीनतम स्थिति सूचित करने के लिए आवेदन किया गया था परंतु उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2015)।

3. स्कीम का कार्यान्वयन

(i) बिजली के खंभों का न लगाना

ए.डी.सी., सिरसा ने अनुसूचित जाति बस्तियों के लिए स्ट्रीट लाइट लगाने के आठ कार्यों के लिए नगर परिषद को ₹ 78.10 लाख संस्वीकृत किए (सितंबर 2012)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सितंबर 2013 में ₹ 28.38 लाख लागत के 170 बिजली के खंभे (सोडियम लैंप के साथ) क्रय किए गए थे। ठेकेदार को खंभे लगाने का कार्य नौ महीनों के बाद जून 2014 में दिया गया था और पूर्ण करने की नियत तिथि अगस्त 2014 थी। 170 खंभों के लगाने पर ₹ 10.84 लाख का व्यय किया गया लेकिन खंभों पर केवल 95 लैंप लगाए गए और 75 लैंप स्टोर में पड़े थे। बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बिजली के कनैक्शन लेने की प्रक्रिया भी आरंभ नहीं हुई। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, सिरसा ने बताया (जुलाई 2015) कि विद्युतीकरण की प्रक्रिया, बिजली की अरथिंग का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और ठेकेदार द्वारा सभी खंभों के लगाने के बाद ही आरंभ होगी।

इस प्रकार, कार्य आबंटित और पूर्ण करने में विलंब के कारण, ₹ 39.22 लाख का व्यय करने के बावजूद बस्तियों में लाईट प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ और ₹ 36.08[87] लाख राशि की निधियां अभी भी अप्रयुक्त पड़ी थी (दिसंबर 2015)।

(ii) अकार्यात्मक स्परिंक्लर सैट्स के कारण निष्फल व्यय

कृषीय उत्पाद की उत्पादकता में सुधार करने के लिए तीन गांवों (जोधपुरिया, नानूआना, खरी सुरेंरा) में तीन पक्के तालाबों के निर्माण और स्परिंकलर सैट्स लगाने के लिए ए.डी.सी., सिरसा ने जिला बागवानी कार्यालय (जि.वा.का.) को सितंबर 2012 से मार्च 2013 के दौरान ₹ 25.73 लाख की निधियां जारी की। 2012-13 के दौरान तीन गांवों (नानूआना, खरी सुरेरां और जोधपुरिया) में कार्य पूर्ण हो गया था परंतु ₹ 22.49 लाख की कुल लागत पर

[87] दूसरे कार्यों के संबंध में ₹ 2.80 लाख का अधिक व्यय समायोजित करने के बाद।

स्परिंकलर सैट्स केवल दो गांवों जोधपुरिया और नानूआना के लिए क्रय किए गए थे। विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (फरवरी 2015) के दौरान, यह देखा गया कि ये तालाब बिना पानी के थे और दो गांवों में स्परिंकलर सैट्स क्रियात्मक नहीं हुए थे जबकि तीसरे गांव (खरी सुरेरां) में कोई भी स्परिंकलर सैट्स क्रय नहीं किए गए थे। यह देखा गया कि समन्वय की कमी थी और विभाग ने ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए थे। इस प्रकार, इन तालाबों और स्परिंकलर सैट्स पर किया गया ₹ 22.49 लाख का व्यय निष्फल रहा क्योंकि कोई भी लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका जैसे कि प्रस्ताव में विचार किया गया था।

जि.वा.अ., सिरसा ने बताया (फरवरी 2015) कि स्कीम का कार्यान्वयन ग्राम सरपंचों के असहयोग के कारण जारी नहीं रह सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्य संबंधित ग्राम पंचायतों के साथ विचार-विमर्श और समन्वय के बाद निष्पादित किया जाना चाहिए था।

(iii) दक्षता विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों (गै.स.स.) द्वारा शर्तों का पूर्ण न करना

पि.क्षे.अ.नि. के दिशानिर्देशों ने अ.ज./अ.ज.जा. के विकास के लिए स्कीमों जैसे ब्यूटी पारलर और सिलाई, इत्यादि जैसे क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं के प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी। इन गै.स.सं. का नियंत्रण करने वाली शर्तों/दिशा-निर्देशों के अनुसार, जि.ग्रा.वि.ए. सिरसा द्वारा गठित एक समिति द्वारा केंद्र की जांच की जानी अपेक्षित थी। उपयोगिता प्रमाण-पत्र एक वर्ष के अंदर प्रस्तुत करने अपेक्षित थे और इस प्रकार का प्रशिक्षण जनसंख्या के दूसरे खंडों को भी दिया गया था जो कि युवाओं को स्वयं रोजगार आधार पर कार्य करने के योग्य बनाएगा। जि.ग्रा.वि.ए., सिरसा कार्यालय ने प्रशिक्षण कोर्स आरंभ करने के लिए प्रतिष्ठित गै.स.सं./फर्मों से निविदाए आमंत्रित की (सितंबर 2013)। आठ गै.स.सं. (जिन्होंने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया) में से पांच गै.स.सं., ए.डी.सी., सिरसा द्वारा नियत निविदा के निम्नतम दर पर प्रशिक्षण देने के लिए तैयार थे। इसलिए सभी पांच गै.स.सं. प्रशिक्षण देने के लिए चुने गए थे।

पांच गै.स.सं. में से तीन के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि:

(i) इन केंद्रों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी (अक्तूबर 2013) परंतु समिति द्वारा कोई भी जांच नहीं की गई थी;

(ii) गै.स.सं. द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भेजे गए थे;

(iii) उम्मीदवारों के प्लेसमेंट से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे; तथा

(iv) प्रशिक्षण केवल अ.जा. उम्मीदवारों तक सीमित किया गया।

ए.डी.सी., सिरसा ने बताया (मार्च 2015) कि इन गै.स.सं. को उ.प्र.प. भेजने के लिए आवश्यक निदेश जारी किए जा चुके हैं। तथापि, तथ्य यही है कि गै.स.सं. द्वारा निविदा की शर्तों को पूरा न करने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या गै.स.सं. को आबंटित निधियां भावी लाभों के लिए उपयोग में लाई गई थी और दक्षता विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया।

इस प्रकार, अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण था जिससे भा.स. द्वारा राज्य सरकार को कम निधियां जारी हुई, राज्य सरकार द्वारा का.ए. को निधियां जारी करने में विलंब हुआ, उत्पन्न किए गए अतिरिक्त स्रोतों के उपयोग के लिए जिला योजना प्रस्ताव तैयार नहीं हुए, जिससे क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए स्कीम का त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन हुआ। अ.जा./अ.ज.जा. विकास योजना के अंतर्गत प्राथमिकता कार्यक्रमों के लिए अधिक अ.जा./अ.ज.जा. जनसंख्या

वाले गांवों को निधियां निर्धारित नहीं की गई क्योंकि केवल 7.6 प्रतिशत निधियां उन गांवों में व्यय की गई जहां अ.जा. की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक थी। गांव वालों को स्ट्रीट लाइट प्रदान करने और कृषि उत्पाद सुधारने के लिए स्परिंकलर सैट्स का उपयोग करने वाली स्कीमें आंशिक रूप से कार्यान्वित की गई थी।

मामला मई 2015 में प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, ग्रामीण विकास विभाग को संदर्भित किया गया था और अगला स्मरण-पत्र अगस्त 2015 में जारी किया था; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

3.24 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी'-ऑडिट ऑफ स्कीम रूल्ज-2011 के अंतर्गत प्रावधानित सोशल ऑडिट

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सोशल आडिट यूनिट पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं बनाई गई थी क्योंकि 44 संस्वीकृत पदों के विरूद्ध 32 खाली पड़े थे। सोशल आडिट करने के लिए ग्राम पंचायतों में रिसोर्स व्यक्तियों की पहचान, प्रशिक्षण और नियुक्ति नहीं की गई थी। 12,280 अपेक्षित सोशल आडिट करने की अपेक्षा के विरूद्ध केवल 6,771 सोशल आडिट किए गए थे। सोशल आडिट यूनिट द्वारा सोशल आडिट कैलेण्डर तैयार नहीं किया गया था सोशल आडिट प्रतिवेदन कार्यालय की वैबसाइट पर अपलोड नहीं की जा रही थी। सोशल आडिट सत्यापन न करने, सोशल आडिट ग्राम सभा कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी की रिकार्डिंग न करने, सोशल आडिट प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, इत्यादि तैयार न करने के उदाहरण भी देखे गए थे।

सोशल आडिट कार्यक्रम/स्कीम के कार्यान्वयन और प्राथमिक स्टेकहोल्डजस के सक्रिय रूप से शामिल होने के साथ समुदाय द्वारा इसके परिणामों का सत्यापन है। सोशल आडिट, मनरेगा आडिट आफ स्कीम रूल्ज 2011 के माध्यम से अप्रैल 2011 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) स्कीम में औपचारिक रूप से लाया गया था। सोशल आडिट, सोशल आडिट यूनिट (सो.आ.यू.) द्वारा पहचान किए गए रिसोर्स परसन्ज की सहायता और समर्थन के साथ पंचायत की ग्राम सभा द्वारा करवाया जाता है। सोशल आडिट छः मास में एक बार करवाई जानी थी।

मनरेगा आडिट आफ स्कीम रूल्ज 2011 की अनुपालना का मूल्यांकन करने के विचार से, ग्रामीण विकास विभाग, राज्य सोशल आडिट यूनिट और 4761 ग्राम पंचायतों, जहां कि सोशल आडिट किया गया था, में से 50 चुने हुए ग्राम पंचायतों (ग्रा.प.) की मई-जून 2015 ***(अनुलग्नक 3.6)*** के दौरान नमूना-जांच की गई थी। आंकड़ा, सोशल आडिट के आरंभ होने अर्थात् 2012-13 से संग्रहीत किया गया था। तथापि, वर्ष 2014-15 के लिए विस्तृत लेखापरीक्षा की गई थी।

लेखापरीक्षा परिणामों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

लेखापरीक्षा परिणाम

(i) सोशल आडिट यूनिट की स्थापना

सोशल आडिट यूनिट (सो.आ.यू.) हरियाणा में जुलाई 2012 में स्थापित की गई थी। निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग को निदेशक, सो.आ.यू. का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। 44 स्वीकृत पदों में से, अभी तक (सितंबर 2015) केवल 12 पद भरे गए थे। इनमें से छः पूर्णकालिक थी

और छः अतिरिक्त प्रभार देने द्वारा भरी गई थी। आगे, वित्तीय नियंत्रक, अनुभाग अधिकारी, लेखापरीक्षक, संयुक्त निदेशक (मानीटरिंग), सहायक निदेशक (मानीटरिंग), अन्वेषक, कनिष्ठ प्रोग्रामर, इत्यादि के मुख्य पद खाली रहे (जुलाई 2015)। इस प्रकार, सो.आ.यू. पूर्ण तरह से कार्यात्मक नहीं हुई थी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (अ.मु.स.) ने बताया (सितंबर 2015) कि शेष पदों के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती के लिए मामला प्रक्रियाधीन था और शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

(ii) सो.आ.यू. द्वारा किया गया नगण्य व्यय

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (मा.वि.म.) ने मनरेगा स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सभी जिम्मेवार राज्य सरकार के सचिवों को सो.आ.यू. की स्थापना, प्रशासनिक व्ययों के लिए प्रदान किए गए मनरेगा स्कीम के कुल व्यय के छः प्रतिशत में से एक प्रतिशत खर्च करने के लिए पत्र जारी किए (अगस्त 2012)। इसके आगे, जून 2014 में, ग्रा.वि.म. ने, सो.आ.यू. के लिए स्टाफ देने के लिए विशेष वित्तीय सहायता के अंतर्गत 2017 तक सोशल आडिट रिसोर्स परसन्ज लगाने की लागत की प्रतिपूर्ति करने की अनुमति दे दी।

सोशल आडिट के वेतन और आकस्मिक व्यय पर व्यय मनरेगा स्कीम की निधियों में से पूरा किया जा रहा था। 2012-15 के दौरान मनरेगा स्कीम पर ₹ 979.31[88] करोड़ के कुल व्यय के विरूद्ध 2012-15 के दौरान सो.आ.यू. पर ₹ 69.87[89] लाख व्यय किया गया था। इसके अतिक्ति, भारत सरकार से विशेष वित्तीय सहायता का लाभ विभाग द्वारा नहीं किया गया था।

अ.मु.स. ने बताया (सितंबर 2015) कि करनाल जिला को छोड़कर विलेज रिसोर्स पर्सनस (वि.रि.प.) के चयन होने और प्रशिक्षण न देने के कारण व्यय कम था। आगे, बताया गया कि 19 जिलों में वि.रि.प. का चयन कर लिया गया था और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और अब पहचाने गए वि.रि.प. को प्रशिक्षण देने और सो.आ.यू. में पदों के भरने से व्यय बढ़ेगा।

(iii) रिसोर्स पर्सनस की पहचान, प्रशिक्षण और नियुक्ति

मनरेगा आडिट आफ स्कीम रूल्ज, 2011 के रूल-4 के अनुसार, सो.आ.यू. ग्राम सभाओं की सोशल आडिट करने के लिए क्षमता बनाने के लिए जिम्मेवार था और इस उद्देश्य के लिए, इसे गांव, ब्लाक, जिला और राज्य स्तरों पर उपयुक्त रिसोर्स पर्सनज (रि.प.) की पहचान, प्रशिक्षण और नियुक्ति करनी थी।

तथापि, राज्य में किसी भी ग्रा.प., ब्लाक और जिले में सोशल आडिट करने के लिए प्रशिक्षित रिसोर्स परर्सनज पहचाने, प्रशिक्षित और नियुक्त नहीं किए गए थे। आवश्यक प्रशिक्षण/इनपुट भी सोशल आडिट टीम को प्रदान नहीं किए गए थे। करनाल जिले में, 71 विलेज रिसोर्स परसनज (बी.आर.पीएस.) की पहचान की गई थी और 2014-15 के दौरान हरियाणा इनस्टीच्यूट आफ रूरल डिवलपमैंट (एच.आई.आर.डी.), नीलोखेड़ी में अक्तूबर 2014 में प्रशिक्षित किए गए थे और ₹ 8,750 का व्यय किया गया था, परंतु उनकी सेवाएं सोशल आडिट करने के लिए प्रयोग में नहीं लाई गई थी।

[88] 2012-13: ₹ 380.63 करोड़, 2013-14: ₹ 381.62 करोड़ और 2014-15: ₹ 217.06 करोड़।

[89] 2012-13: ₹ 8.44 लाख, 2013-14: ₹ 30.47 लाख और 2014-15: ₹ 30.96 लाख।

ए.सी.एस. ने कहा (सितंबर 2015) कि पी.आर.पीज 19 जिलों में पहचान किए जा चुके थे तथा ट्रेनिंग प्रदान करने का कार्यक्रम विचाराधीन था। करनाल जिले के प्रशिक्षित वी.आर.पीस की सेवाओं के प्रयोग के संबंध में, यह कहा गया कि विस्तृत ट्रेनिंग देने के बाद उनकी सेवाएं प्रयोग में लाई जाएगी।

(iv) सो.आ.यू. द्वारा वार्षिक कलैण्डर का तैयार किया जाना

(क) मनरेगा आडिट आफ स्कीम रूल्ज 2011, के नियम 6(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, सो.आ.यू. प्रत्येक छ: महीने में प्रत्येक ग्रा.प. में कम से कम एक सोशल आडिट करने के लिए, वर्ष के आरंभ में एक वार्षिक कलैण्डर बनाएगा। सो.आ.यू. ने वर्ष 2014-15 के लिए कोई भी सोशल आडिट कलैण्डर तैयार नहीं किया था जैसे कि नियमों में निर्धारित है। तथापि, संबंधित ब्लाक डिवलपमैंट एवं पंचायत अधिकारियों (बी.डी.पी.ओज) द्वारा सोशल आडिट कलैण्डरस तैयार किए गए थे लेकिन वे सो.आ.यू. से अनुमोदित नहीं किए जा रहे थे।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय की वैबसाइट पर अपलोड किए गए सोशल आडिट कलैण्डर के अनुसार, ग्रा.प. बिशनगढ़ (अंबाला-I ब्लाक), गुजरनांगला (फिरोजपुर झिरका ब्लाक), घागस (नगीना ब्लाक) और मरोड़, (नूंह ब्लाक) में क्रमश: 11 नवंबर 2014, 24 नवंबर 2014, 24 फरवरी 2015 और 6 मार्च 2015 को सोशल आडिट की बैठकें हुई दर्शाई गई थी लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नहीं हुई थी।

(ग) सोशल आडिट, वैबसाइट (www.nrega.nic.in) पर अपलोड किए गए सोशल आडिट कलैण्डर के अनुसार की जानी चाहिए। सोशल आडिट करने की वास्तविक तिथि में कोई बदलाव निदेशक, सो.आ.यू. और ए.सी.एस. द्वारा अग्रिम में अनुमोदित होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नौ ग्रा.प. द्वारा सोशल आडिट की तिथियां बदल दी गई थी। इस प्रकार, स्टेकहोल्डरज के साथ-साथ पब्लिक, सोशल आडिट की बैठकों के आयोजन बारे अनभिज्ञ रही।

(घ) 2012-15 के दौरान सोशल आडिट करने में 43 और 58 प्रतिशत के बीच कमी थी जिसका ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

वर्ष	हरियाणा में ग्रा.पं. की संख्या	सोशल आडिट के लिए आवृत ग्रा.प.	किया जाने वाला सोशल आडिट	वास्तव में किया गया सोशल आडिट	कमी	कमी की प्रतिशतता
2012-13	6140	4200	12280	6988	5292	43
2013-14	6140	4122	12280	5156	7124	58
2014-15	6140	4761	12280	6771	5509	45

स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संग्रहीत आंकड़ा।

उपरोक्त आंकड़े के विश्लेषण ने दर्शाया:

- 12,280 सोशल आडिट (6,140 ग्रा.पं. के लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक ग्रा.पं. के दो सोशल आडिट) की आवश्यकता के विरूद्ध 2014-15 के दौरान केवल 6,771 सोशल आडिट किए गए थे।
- 6,140 ग्रा.पं. में से 2014-15 के दौरान केवल 4,761 ग्रा.पं. की लेखापरीक्षा की गई थी। 1,379 ग्रा.प. का सोशल आडिट नहीं किया गया था।

अ.मु.स. ने बताया (सितंबर 2015) कि सभी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कॉरडिनेटरस को सोशल आडिट कलैण्डर तैयार करने और उसे एम.आई.एस. में अपलोड करने के निदेश दिए गए थे। आगे बताया गया कि वि.रि.प. की पहचान न करने और सोशल आडिट कमेटियों के गठन न करने के कारण

सोशल आडिट के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके और भविष्य में सभी ग्रा.पं. का सोशल आडिट करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे।

(v) सोशल आडिट रिपोर्टस का अपलोड करना

मई 2013 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजरस के अनुसार सोशल आडिट रिपोर्टस (सारांश/संक्षिप्त), सोशल आडिट करने के पांच दिनों के अंदर निर्धारित फार्मेट में सो.आ.यू. द्वारा सरकारी वैबसाइड पर अपलोड किए जाने आवश्यक थे। तथापि, सोशल आडिट रिपोर्टस (सारांश/संक्षिप्त) सरकारी वैबसाइट पर अपलोड नहीं की जा रही थी।

अ.मु.स. ने बताया (सितंबर 2015) कि सोशल आडिट प्रक्रिया सही भाव में केवल जून 2015 में आरंभ हुई थी और सोशल आडिट रिपोर्टस भविष्य में अपलोड कर दी जाएगी।

(vi) सोशल आडिट कमेटियों का गठन

हरियाणा सोशल आडिट एवं ग्रीवेंन्सस रिड्रसैल रूल्ज, 2014 के नियम 3(2) निर्धारित करता है कि सोशल आडिट समिति में विजीलैंस एवं मानीटरिंग कमेटी के सदस्यों सहित कम से कम नौ सदस्य होंगे, छः सदस्य जिन्होंने मनरेगा स्कीम में कार्य किया, अलाभकारी समूह के सदस्य और कम से कम एक तिहाई महिला सदस्यों की समिति सोशल आडिट करने के लिए गठित की जाएगी।

50 नमूना-जांच किए ग्रा.पं. में से 35 में सोशल आडिट कमेटियों का गठन नियमों के अनुसार नहीं था क्योंकि मनरेगा स्कीम के कर्मियों, अलाभकारी समूहों के सदस्यों और इन कमेटियों में महिलाओं को आवश्यक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था जबकि सात[90] ग्रा.पं. में कमेटियां भी गठित नहीं की गई थी।

अ.मु.स. को बताया (सितंबर 2015) कि सभी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोअरडिनेटरस को नियमानुसार सोशल आडिट कमेटियां बनाने के लिए आवेदन किया गया था।

(vii) सोशल आडिट क्षेत्र का सत्यापन

मनरेगा आडिट आफ स्कीम रूल्ज, 2011 के नियम 6(2) के आपरेशनल गाइडलाइन्स और सोशल आडिट मैन्युअल में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार, सोशल आडिट टीमस/विलेज रिसोर्स परसन्ज को छोटी-छोटी बैठकों में लोगों के साथ पारस्परिक बात करनी चाहिए, मनरेगा स्कीम के कर्मियों को व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए, स्कीम के अंतर्गत आरंभ किए सभी कार्यों को देखना चाहिए और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, ग्रा.पं. द्वारा किए गए व्यय और सभी अभिलेखों की जांच करनी चाहिए।

सोशल आडिट टीमस द्वारा, लेखापरीक्षा के अंतर्गत मनरेगा स्कीम के लाभार्थियों के घर-घर जाकर मुलाकात नहीं की गई थी। इन टीमों ने परियोजना/कार्यस्थलों को भी नहीं देखा था और भौतिक रूप से जांच नहीं किया था कि पूर्ण किए गए कार्य ग्रा.पं. के अभिलेखों में अंतर्विष्ट सूचना के साथ मेल खाते थे। इसके आगे, सोशल आडिट टीम की तिथि पर अभिलेख इकट्ठा कर रही थी जबकि नियमों की आवश्यकता के अनुसार सोशल आडिट अभिलेख ग्राम सभा की बैठक की निर्धारित तिथि से 15 दिन पहले प्राप्त किए जाने थे। सोशल आडिट ग्राम सभाओं की बैठकों के अध्ययन ने दर्शाया कि व्यय का कार्य-वार ब्यौरा और ग्राम सभा द्वारा

[90] (i) सरगथल, (ii) टिकोला, (iii) दूबेटा, (iv) गुमथला राव, (v) नंदूवाली, (vi) चहलका और (vii) लहरवारी।

उसकी स्वीकृति ही कार्यक्रम में दर्ज की जा रही थी। तथापि, जनता की शिकायतें और अन्य विचार-विमर्श दर्ज नहीं किए जा रहे थे ताकि भविष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की जाये। इस प्रकार, कार्यवृत के दर्ज करने की प्रणाली सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए प्रभावी नहीं थी।

अ.मु.स. ने बताया (सितंबर 2015) कि सोशल आडिट सही भाव में जून 2015 में आरंभ किया गया था और सोशल आडिट टीम ने (मनरेगा) स्कीम के लाभार्थियों को घर-घर जाकर मिलने और स्थल पर कार्य और शिकायतों का जांच करना आरंभ कर दिया था।

(viii) सोशल आडिट ग्राम सभा की कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंग

स्कीम के आप्रेशनल गाइडलाइन्स के अनुच्छेद 13.3.11, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्टेण्डर्ड आप्रेटिंग प्रोसिजर और सोशल आडिट मैनुअल में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार सोशल आडिट ग्राम सभा की सारी कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंग होनी चाहिए और मनरेगा वेबसाइड पर अपलोड होनी चाहिए। तथापि, सोशल आडिट वेबसाइड ग्रामसभा की वीडियो रिकार्डिंग किसी भी नमूना-जांच ग्रा.प. में नहीं की गई थी।

अ.मु.स. ने बताया (सितंबर 2015) कि सोशल आडिट ग्राम सभा की कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंग को सुनिश्चित करने के लिए सभी डी.पी.सीएस. को निदेश जारी किए गए थे।

(ix) सोशल आडिट ग्राम सभा की अध्यक्षता

सोशल आडिट मैनुअल (vi) (6) एवं स्कीम की आप्रेशनल गाइडलाइन्स (अनुच्छेद 13.3.5) के अनुसार, सोशल आडिट ग्राम सभा की अध्यक्षता संबंधित ग्रा.स. के सरपंच द्वारा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वह कार्यान्वयन एजेसिंयों का भाग है। इसके विपरीत, सोशल आडिट ग्राम सभा की अध्यक्षता नमूना-जांच किए गए 50 ग्रा.पं. में से 17 ग्रा.प. में संबंधित सरपंचों द्वारा की गई थी। इन मामलों में, सोशल आडिट की स्वतंत्रता कम हुई थी।

अ.मु.स. ने बताया (सितंबर 2015) कि सभी ग्रा.प. को निर्देश जारी किए गए थे कि भविष्य में सरपंचों को ग्राम सभी की बैठकों में अध्यक्षता करने की अनुमति न दी जाए।

(x) डिस्ट्रिक प्रोग्राम कार्डिनेटरस द्वारा पर्यवेक्षण

मनरेगा आडिट आफ स्कीम रूल्ज, 2011 के नियम 6(7) और सोशल आडिट मैनुअल में अंतर्विट प्रावधानों के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम काडिटनेटर (डी.पी.सी.), सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित होंगे या ग्राम सभा के निर्विघ्न संचालन के लिए उचित स्तर का एक कर्मचारी नामांकित करेंगे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि न तो डी.पी.सी. सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित हुए और न ही पंचकुला जिले को छोड़कर नमूना-जांच किए गए किसी भी जिले में बैठकों में उपस्थित होने के लिए दूसरे कर्मचारियों को नामांकित किया। तथापि, सभी ग्रा. पं. के संबंध में संबंधित बी.डी.पी.ओज द्वारा, कर्मचारी नामांकित किए गए थे परंतु नमूना-जांच किए गए 25 ग्रा.पं. में नामांकितों ने ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थिति दर्ज नहीं की।

अ.मु.स. ने बताया (सितंबर 2015) कि ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थिति के लिए प्रतिनिधियों को नामांकन करने के निदेश पहले ही जारी किए गए थे।

(xi) सोशल आडिट रिपोर्टों को तैयार करना

मनरेगा आडिट आफ स्कीम, रूल्ज, 2011 के नियम 6(8), आप्रेशनल गाइडलाइन्स के अनुच्छेद 13.3.12 और सोशल आडिट मैनुअल के अनुसार, एस.ए.ओ. द्वारा सोशल आडिट रिपोर्टें

स्थानीय भाषा में तैयार की जाएंगी और ग्रा.प. के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएंगी। नमूना-जांच किए गए 50 ग्रा.प. में से, 45 ग्रा.प. द्वारा सोशल आडिट रिपोर्टस तैयार नहीं किए गए थे। पांच ग्रा.प. ने सोशल आडिट रिपोर्टें तैयार की थी लेकिन ग्रा.प. के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं की थी।

अ.मु.स. ने बताया (सितंबर 2015) कि सोशल आडिट रिपोर्ट भविष्य में स्थानीय भाषा में रिकार्ड की जाएगी।

सोशल आडिट का अनुवर्तन

(xii) खंड/जिला स्तर पर सार्वजनिक सुनवाई

स्कीम की आप्रेशनल गाइडलाइन्स के अनुच्छेद 13.3.15 और सोशल आडिट मैन्यूल के अनुसार, सभी ग्रा.प. में सोशल आडिट ग्राम सभा आयोजन करने के बाद खंडों और जिला मुख्यालयों पर एक सोशल आडिट सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जानी चाहिए। तथापि, नमूना-जांच किए गए किसी भी खंड/जिले में खंड और जिला स्तर सार्वजनिक सुनवाई आयोजित नहीं की गई थी।

अ.मु.स. ने बताया (सितंबर 2015) कि भविष्य में गाइडलाइन्स के प्रावधान की अनुपालना की जाएगी।

(xiii) वार्षिक रिपोर्ट

स्कीम के आप्रेशनल गाइडलाइन्स के अनुच्छेद 13.11.4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार, स्कीम को कार्यान्वित करने वाले डी.पी.सी., पी.ओ. और ग्रा.प., अपने अधिकार-क्षेत्र के अंदर स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित तथ्य, आंकड़े और उपलब्धियों से अन्तर्विष्ट एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसकी एक प्रति मांग और उल्लिखित फीस की अदायगी पर जनता को उपलब्ध कराई जाएगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना-जांच किए गए डी.पी.सीज पी.ओस. और ग्रा.प. द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार नहीं की जा रही थी।

अ.मु.स. ने बताया (सितबंबर 2015) कि भविष्य में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए निदेश पहले ही जारी किए जा चुके थे।

(xiv) प्रतिवेदन का सी.ए.जी. को प्रस्तुतिकरण

मनरेगा आडिट आफ स्कीम रूल्ज (2011) के रूल 3(2) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सोशल आडिट के परिणामों का एक सार राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) को प्रस्तुत किया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि परिणामों का सार राज्य सरकार द्वारा भारत के नि.म.ले.प. को प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे।

अ.मु.स. ने बताया (सितंबर 2015) कि सोशल आडिट के परिणामों का सार भविष्य में नि.म.ले.प. को प्रस्तुत किया जाएगा।

इस प्रकार, सोशल आडिट दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था। परियोजनाओं/कार्यस्थलों का भौतिक सत्यापन, जो कि एक महत्वपूर्ण भाग था, नहीं किया जा रहा था। सोशल आडिट प्रतिवेदन निकाले नहीं जा रहे थे। ग्राम सभाओं के कार्यवृत में जनता की शिकायतें दर्ज नहीं पाई गई थी।

खेल एवं युवा मामले विभाग

3.25 खेल आधारभूत संरचना का उपयोग

स्टेडियमों के निर्माण और सौंपने में विलंब के मामले थे। आगे, स्टेडियम परित्यक्त पड़े थे और सही ढंग से रख-रखाव नहीं किया जा रहा था। प्रशिक्षकों और अन्य स्टाफ की कमी के अतिरिक्त स्टेडियमों में मूल सुविधाएं और खेल की मदें प्रदान नहीं की जा रही थी। निधियों के रखने और एक मुख्य प्रशिक्षक को अनियमित भुगतान के मामले देखे गए।

हरियाणा सरकार द्वारा विद्यमान खेल नीति 2001 में बनाई गई थी और 2009 में संशोधित की गई थी। खेल नीति के मुख्य उद्देश्य खेलों में जनसमूह की भागीदारी को प्रोत्साहन, खेलों में उत्कृष्ट प्रोत्साहन, उच्च गुणवत्ता के खेल आधारभूत संरचना के रख-रखाव और उत्कृष्ट उपयोग, शिक्षण संस्थाओं को सुविधाएं, भागीदारी को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चैंपिम्यनशिपों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, राज्य में दो खेल काम्पलैक्स, 21 जिला खेल काम्पलैक्स, 13 उप-मंडलीय स्टेडियम, 8 बहुउद्देशीय हाल, 4 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक्स, छः हाकी एस्ट्रोट्रफ्स, 167 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर (आर.जी.जी.के.पीज), 248 मिनी/ग्रामीण स्टेडियम और आठ तरनताल हैं। जिला खेल एवं युवा मामले अधिकारी (डी.एस.वाई.ए.ओज) जिलों में खेल सुविधाओं का संचालन एवं रख-रखाव कर रहे हैं। 2010-15 के दौरान खेल आधारभूत संरचना के लिए कुल बजट ₹ 119.48 करोड़ था जिसके विरूद्ध ₹ 104.19 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई थी और खेल आधारभूत संरचना के रख-रखाव हेतु चिह्नित ₹ 4.64 करोड़ के बजट में से, इस अवधि के दौरान ₹ 4.47 करोड़ का व्यय किया गया था।

महानिदेशक, खेल एवं युवा मामले (एस.वाई.ए.) विभाग के कार्यालय और 21 में से छः[91] जिला खेल एवं युवा मामले अधिकारियों के कार्यालयों में 2010-15 की अवधि के लिए अभिलेख की नमूना-जांच आधारभूत संरचना के भवन, रख-रखाव, संचालन और परोन्नत से संबंधित प्रावधानों के क्रियान्वयन में विभाग की प्रभाविकता को सुनिश्चित करने के लिए, की गई। इन छः जिलों में, एक खेल काम्पलैक्स, छः जिला खेल काम्पलैक्स, तीन उपमंडलीय स्टेडियम, दो बहुउद्देशीय हाल, दो सिन्थेटिक एथलेटिक ट्रैक्स, दो एस्ट्रोट्रफ्स, 67 आर.जी.जी.के.पीज, 92 मिनी/ग्रामीण स्टेडियम तथा दो तरनताल थे। नमूना-जांच किए गए छः जिलों में 2010-15 के दौरान ₹ 51.51 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 37.61 करोड़ का व्यय किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित मुख्य कमियां देखी गई थी:

1. खेल आधारभूत संरचना का सृजन

(i) बहुउद्देशीय हाल के पूर्ण होने में विलंब

अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि भारत सरकार ने 'खेल आधारभूत संरचना का सृजन' स्कीम को राज्य द्वारा प्रत्यक्ष क्रियान्वयन के लिए राज्य को स्थानांतरित कर दी (अप्रैल 2015)। 'यमुनानगर में बहुउद्देशीय हाल के निर्माण' के कार्य हेतु ₹ 1.72 करोड़ के मूल अनुमान नवंबर 2002 में तैयार किए गए को जिला खेल परिषद के पास पर्याप्त निधियों की

[91] अंबाला, रोहतक, झज्जर, भिवानी, फतेहाबाद और यमुनानगर।

अनुपलब्धता के कारण समान क्षेत्र एवं कार्य की विशिष्टीकरणी हेतु मार्च 2012 में ₹ 5.04 करोड़ तक संशोधित किया गया था। फरवरी 2015 तक निर्माण कार्य पर ₹ 4.33 करोड़ का व्यय हो चुका था लेकिन कार्य जैसे फर्श में टाईल लगाना, फर्श पर लकड़ी का कार्य, बिजली फिटिंग, पेंटिंग और बाहरी क्षेत्र का विकास अभी पूरे नहीं हुए हैं। डी.एस.वाई.ए.ओ. यमुनानगर ने बताया (फरवरी 2015) कि कार्य दिसंबर 2015 तक पूरा होगा और आगे बताया कि कार्य के निर्माण में विलंबन का मुख्य कारण निधियों की कमी था क्योंकि महानिदेशक एस.वाई.ए. विभाग द्वारा कभी भी वास्तविक आवश्यकता के विरूद्ध निधियां निर्मुक्त नहीं की थी। समान मामले पर एक पैरा 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) हरियाणा सरकार (पैरा सं. 4.5.2 (ख) में प्रदर्शित किया गया था। लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) ने अपनी 68वीं रिपोर्ट (2012-13) में कर्मचारियों/अधिकारियों, जो इस चूक के लिए उत्तरदायी थे, का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए एक महीने की अवधि के भीतर इस संबंध में रिपोर्ट भेजने की अनुशंसा की थी। तथापि, विभाग द्वारा पी.ए.सी. की अनुशंसाओं पर अभी तक (दिसंबर 2015) कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इस प्रकार, कार्य की आवश्यकता के सामंजस्य में निधियां निर्मुक्त न करने के परिणामस्वरूप स्टेडियम अपूर्ण रहा। इसके अतिरिक्त, कार्य के पूर्ण होने में विलंब के फलस्वरूप ₹ 3.32 करोड़ की लागत वृद्धि भी हुई।

(ii) निधियों का अवरोधन और स्टेडियम एवं बैडमिंटन हाल का निर्माण न करना

डी.एस.वाई.ए.ओज, अंबाला और झज्जर के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि एस.वाई.ए. विभाग ने अक्तूबर 2010 से जुलाई 2012 के दौरान चार स्टेडियमों और एक बेडमिंटन हाल के निर्माण हेतु, भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना, ₹ 1.52 करोड़ चार कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों[92] को हस्तांतरित किए। यह देखा गया था कि इन स्टेडियमों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ (जून 2015) क्योंकि संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। डी.एस.वाई.ए.ओ, अंबाला ने बताया (जून 2015) कि कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। डी.एस.वाई.ए.ओ, झज्जर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार, भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित और स्थल के पूर्व निरीक्षण किए बिना निधियों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 1.52 करोड़ की निधियां अवरूद्ध हुई बल्कि अंबाला और झज्जर जिले के खिलाड़ी खेल सुविधाओं से वंचित भी रहे।

(iii) खेलों की आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने में विलंब

अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.) द्वारा ₹ 45.42 करोड़[93] की लागत पर 67 आर.जी.जी.के.पीज पूर्ण करने की समय सूची के 7 से 50 माह की विलंब के पश्चात् निर्मित किए गए थे। इनमें से 25 स्टेडियम 24 से 48 माह से अधिक के पर्याप्त विलंब के पश्चात् निर्मित हुए थे।

यह भी देखा गया था कि ये आर.जी.जी.के.पीज निर्माण के पश्चात् दो से 42 महीनों के

[92] (i) कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज संस्था अंबाला (ii) एम.सी. अंबाला (iii) बी.डी. एंड पी.ओ. अंबाला (iv) बी.डी.पी.ओ. झज्जर।

[93] अंबाला: ₹ 4.08 करोड़, रोहतक: ₹ 9.54 करोड़, झज्जर: ₹ 14.17 करोड़, भिवानी: ₹ 10.32 करोड़, यमुनानगर: ₹ 4.14 करोड़ और फतेहाबाद: ₹ 3.17 करोड़।

विलंब के पश्चात् एस.वाई.ए. विभाग को सोंपे गए थे। इस प्रकार, निर्माण और उसके पश्चात् इन स्टेडियमों को सोंपने में विलंब के कारण, खेल नीति का उच्च गुणवत्ता खेलों की आधारभूत संरचना प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। रख-रखाव में कमियों को पैरा 3 और 4 में दिया गया है।

मुख्य प्रशासक, एच.एस.ए.एम.बी., पंचकूला ने बताया (अगस्त 2015) कि विलंब के कारण भूमि विवाद, संरचना डिजाईन में परिवर्तन, एजेंसियों का अधूरा काम छोड़ना, स्थल का साफ न मिलना, मजदूर और सामग्री की कमी आदि थे। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन मामलों को कार्यों को शुरू करने से पहले सुलझा लेना चाहिए था।

(iv) निधियों का रखना

पंजाब वित्तीय नियमावली (पी.एफ.आर.) खंड - I का नियम 2.10 (ख) 5 प्रावधान करता है कि कोई भी धन कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जानी है जब तक इसके वितरण की तुरंत आवश्यकता न हो।

खिलाड़ियों को खेलों की नई तकनीक, चिकित्सा सुविधाएं और नए नियमों के बारे में जागरूकता प्रदान करने की दृष्टि से एस.वाई.ए. विभाग, हरियाणा ने जिला खेल परिषद (जि.खे.प.) भिवानी को भिवानी में क्षेत्रीय खेल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए ₹ 50 लाख की स्वीकृति दी (मार्च 2012) और राशि मार्च 2012 में हस्तांतरित की।

अभिलेखों की जांच (जनवरी 2015) ने प्रकट किया कि यह राशि जि.खे.प., भिवानी के बैंक खाते में अव्ययित पड़ी थी क्योंकि निदेशालय ने निधियों को उपयोग करने के निर्देश नहीं दिए। इस प्रकार, खिलाडियों को आधारभूत सुविधाओं से वंचित रखते हुए ₹ 50 लाख तीन वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त रहे (दिसंबर 2015)। डी.एस.वाई.ए.ओ., भिवानी ने बताया (जनवरी 2016) कि उन्होंने निदेशक, एस.वाई.ए. विभाग को राशि व्यय करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया है परंतु इस संबंध में अभी तक कोई दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

2. खेलकूद मूलभूत संरचना का रख-रखाव

जिम्नेसियम हाल/तरनताल/मिनी स्टेडियमों का नवीकरण

दो डी.एस.वाई.ए.ओज (अंबाला और यमुनानगर) के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि एस.वाई.ए. ने जुलाई 2008 से मार्च 2014 के दौरान अंबाला जिम्नेजियम हाल के नवीकरण तरनताल की मरम्मत तथा रूपाली (यमुनानगर) गांव में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु विभिन्न कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों को ₹ 32.25[94] लाख हस्तांतरित किए। यह देखा गया कि:

- विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन करते समय (जुलाई 2013) उपनिदेशक ने पाया कि जिमनेजियम हाल की कृत्रिम छतगीरी में एक या दो स्थानों पर छिद्र थे। अंबाला में जिमनेजिम हाल के नवीकरण पर ₹ 16.63 लाख (जुलाई 2012) और ₹ 1.23 लाख (नवंबर 2013) व्यय करने के पश्चात् भी कमियों को दूर नहीं किया जा सका था जो मरम्मत कार्य की निम्न गुणवता को इंगित करता है। डी.एस.वाई.ए.ओ., अंबाला ने बताया (जून 2015) कि हाल की छत और कृत्रिम छतगीरी की हालत दयनीय थी और

[94] डी.एस.वाई.ए.ओ. अंबाला: ₹ 16.63 लाख (जुलाई 2012); ₹ 1.23 लाख (नवंबर 2013) और डी.एस.वाई.ए.ओ. यमुनानगर: ₹ 14.39 लाख जुलाई (2008) = ₹ 32.25 लाख।

खिलाड़ियों को चोट लगने का जोखिम था। तथापि, सच्चाई यह रही कि जिमनेजियम हाल की मरम्मत पर ₹ 17.86 लाख का व्यय करने के पश्चात् भी दिसंबर 2015 तक उपयोग में नहीं लाया जा सका।

- भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना, रूपाली गांव में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु कार्यकारी अभियंता पी.आर.आई. यमुनानगर को जुलाई 2008 में ₹ 14.39 लाख निर्मुक्त किए गए थे। निष्पादन एजेंसी ने कार्य के 10 प्रतिशत पूर्ण करने पर व्यय किए गए ₹ 2.01 लाख, जो निरर्थक सिद्ध हुए क्योंकि जिस भूमि पर स्टेडियम बनाया जाना था, उस पर उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश दिए जा चुके थे, घटाने के पश्चात् ₹ 12.38 लाख विभाग को वापस कर दिए (दिसंबर 2008) इस तरह, मिनी स्टेडियम अनिर्मित रहा (दिसंबर 2015)।

इस तरह खेल आधारभूत संरचना पर किया गया ₹ 19.87[95] लाख के व्यय ने अभीष्ट उद्देश्य को प्रस्तुत नहीं किया था और परिणामस्वरूप निरर्थक व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, खिलाड़ी खेल आधारभूत संरचना की सुविधाओं से वंचित थे।

3. खिलाड़ियों को प्रशिक्षण

(i) अनियमित भुगतान

हरियाणा सरकार ने ₹ 1,00,000 के मासिक भुगतान पर रोहतक में एक निदेशक सह मुख्य प्रशिक्षक, लॉन टेनिस अकादमी, की नियुक्ति की (30 अप्रैल 2012)। डी.एस.सी., रोहतक द्वारा निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार, निदेशक सह-मुख्य प्रशिक्षक, चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह न्यूनतम 10 दिन के लिए प्रशिक्षण अवश्य देगा।

यह देखा गया कि मुख्य प्रशिक्षक ने मई 2012 से अक्तूबर 2014 तक की अवधि के लिए न्यूनतम 300 दिनों की आवश्यकता के विरूद्ध मात्र 50 दिनों के लिए प्रशिक्षण दिया। इस अवधि के लिए मुख्य प्रशिक्षक, यह सुनिश्चित किए बिना कि क्या उसने अपेक्षित अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया था, को ₹ 28 लाख का भुगतान कर दिया था। इसके अतिरिक्त खिलाड़ी प्रशिक्षण से वंचित भी रहे क्योंकि यह 300 दिनों की आवश्कता के विरूद्ध मात्र 50 दिनों के लिए प्रदान किया गया था।

डी.एस.वाई.ए.ओ., रोहतक ने बताया (मई 2015) कि मुख्य प्रशिक्षक इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया था कि मुख्य प्रशिक्षक एक माह में कम से कम 10 दिन के लिए प्रशिक्षण देगा लेकिन उन द्वारा प्रशिक्षण का कोई अभिलेख नहीं रखा गया था।

(ii) विद्यार्थियों से वसूली न करना

उपायुक्त, रोहतक, द्वारा निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार निदेशक सह मुख्य प्रशिक्षक, 25 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण देगा। शेष 15 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्राप्त करने हेत ₹ 3,000 प्रतिमाह भुगतान करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम माह जुलाई 2012 से प्रारंभ हुआ और जनवरी 2015 तक चला। विद्यार्थियों को प्रशिक्षण (16 से 24 के बीच श्रृंखलित संख्या) दिया गया था परंतु विद्यार्थियों से ₹ 8.55 लाख की फीस प्राप्त नहीं की गई थी। डी.एस.वाई.ए.ओ. रोहतक ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (मई 2015) कि वसूली नहीं की गई

[95] ₹ 17.86 लाख + ₹ 2.01 लाख।

थी क्योंकि डी.सी., उपनिदेशक और डी.एस.वाई.ए.ओ. रोहतक ने मुख्य प्रशिक्षक से परिचर्चा करने के पश्चात् कोई फीस न लेने का निर्णय लिया था। इस प्रकार, विशिष्ट कार्यकारी आदेशों की अनुपस्थिति और प्रक्रिया न अपनाने के परिणामस्वरूप विद्यार्थियों से वसूली नहीं हुई।

(iii) स्टेडियमों में प्रशिक्षकों/मैदान पालों/मैदान प्रबंधकों और चौकीदारों की कमी

- अभिलेखों की नमूना-जांच ने दर्शाया कि जिला स्तर पर खेले जा रहे खेलों की तुलना में 2010-15 के दौरान प्रशिक्षकों की कमी 33 से 63 प्रतिशत के बीच थी।
- 92 मिनी स्टेडियमों में से 44 स्टेडियमों में मैदान प्रबंधक उपलब्ध नहीं थे। आगे, 30 मिनी स्टेडियमों में मैदान प्रबंधक 27 से 58 माह की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं थे।
- 42 मिनी स्टेडियमों में मैदानपाल उपलब्ध नहीं थे। अन्य 34 मिनी स्टेडियमों में मैदानपाल 26 से 56 माह के लिए उपलब्ध नहीं थे।
- 92 मिनी स्टेडियमों में 2010-15 की अवधि के दौरान कोई चौकीदार उपलब्ध नहीं थे।
- इसी तरह, आर.जी.जी.के.पीज में, 67 में से 65 में चौकीदार उपलब्ध नहीं थे।
- 67 आर.जी.जी.के.पीज में मैदान प्रबंधक 2 से 40 माह के बीच उपलब्ध नहीं थे।
- 65 आर.जी.जी.के.पीज में मैदानपाल 2 से 39 माह के बीच उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार, नमूना-जांच किए गए जिलों में प्रशिक्षकों, मैदान प्रबंधकों, मैदानपालों और चौकीदारों की कमी ने मिनी स्टेडियमों और आर.जी.जी.के.पीज के रख-रखाव को बुरी तरह प्रभावित किया जैसा कि पैरा 4 में विवरणित है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षकों की कमी के कारण खिलाड़ी प्रशिक्षण से भी वंचित रहे।

4. संयुक्त निरीक्षण के दौरान देखी गई अनियमितताएं

खेलों की आधारभूत संरचना की सही स्थिति को जांचने की दृष्टि से छः जिलों[96] में 27 आर.जी.जी.के.पीज और 34 मिनी स्टेडियमों का एक संयुक्त निरीक्षण (विभागीय अधिकारियों के साथ) किया गया था। निरीक्षण के परिणामों को नीचे दिया गया है:

- 24 मिनी स्टेडियम (71 प्रतिशत) और 19 आर.जी.जी.के.पीज (70 प्रतिशत) उबड़-खाबड़ थे और खेल गतिविधियों के लिए योग्य नहीं थे।
- छः स्टेडियमों (10 प्रतिशत) में खेल के मैदानों के ऊपर से एक बड़ा जोखिम प्रस्तुत करते हुए बिजली की हाई टैंशन लाईन गुजर रही थी।
- रोहतक, झज्जर, फतेहाबाद और भिवानी जिलों में 12 स्टेडियमों (35 प्रतिशत) के खेल मैदान निम्न क्षेत्रों में थे। पांच स्टेडियमों (15 प्रतिशत) में चारदीवारी टूटने के कारण घुमंतु पशु चर रहे थे जबकि आठ स्टेडियमों (24 प्रतिशत) में, उन्हें खेल गतिविधियों के लिए अयोग्य बनाते हुए, खेल मैदानों में झाड़ियां और कृषीय अपशिष्ट बिखरे हुए थे।

[96] मिनी स्टेडियम -34 (झज्जर-6, रोहतक-6, भिवानी-6, यमुनानगर-2, अंबाला-8 तथा फतेहाबाद-6)
आर.जी.जी.के.पी.-27 (झज्जर-6, रोहतक-6, भिवानी-5, यमुनानगर-2, अंबाला-6 तथा फतेहाबाद-2)।



भिवानी में बल्याली मिनी स्टेडियम में खेल के मैदान में पानी का गड्ढा

कुंगर, भिवानी में मिनी स्टेडियम में गंदे पानी का ड्रेनेज

कुंगर, भिवानी में मिनी स्टेडियम

- उपस्कर जैसे बॉस्केटबाल नैट, वालीबाल नैट, फुटबाल पोल, बैडमिंटन कोर्ट, भारोत्तोलन उपस्कर आदि मात्र 16 मिनी स्टेडियमों (47 प्रतिशत) और 23 आर.जी.जी.के.पीज (85 प्रतिशत) में उपलब्ध थे, जो स्टेडियमों में खेल उपस्करों की अपर्याप्त उपलब्धता को दर्शाता है, प्रोत्साहित युवाओं को खेल सुविधाओं से वंचित करता है।
- निरीक्षण किए गए 34 मिनी स्टेडियमों और 27 आर.जी.जी.के.पीज में से 32, 27 और 28 मिनी स्टेडियमों (क्रमश: 94, 79 और 82 प्रतिशत) तथा 19, 17 और 02 आर.जी.जी.के.पीज (क्रमश: 70, 63 और 7 प्रतिशत) में मूल सुविधाएं यथा बिजली, पानी और स्नानागृह उपलब्ध नहीं थे।
- आर.जी.जी.के.पीज में लगे 22 ट्यूबवैलों में से 21 (95 प्रतिशत) बिजली कनैक्शनों और उचित रख-रखाव की कमी के कारण कार्य नहीं कर रहे थे, जिनकी अनुपस्थिति में मूल सुविधाएं यथा शौचालय एवं स्नानागार उपयोग्य नहीं थे।

खेल आधारभूत संरचना के अननुरक्षण के मुख्य कारण मानवशक्ति की कमी और सही मानीटरिंग की कमी थे।

इस प्रकार, स्टेडियमों के निर्माण और सुपुर्द करने में विलंब थी। रख-रखाव में कमियों से अधोगति हुई, स्टेडियमों में खेल उपस्करों और मूल सुविधाओं की कमी, स्टाफ की कमी आदि भवन की प्रणाली और राज्य के उत्साहित खिलाड़ियों को उत्तम खेल आधारभूत संरचना प्रदान करने में निहित कमियों के सूचक थे। यह खेल संबंधी गतिविधियों और प्रशिक्षण प्रतिभा की परोन्नति पर बुरे प्रभाव के लिए बाध्य था।

मामला मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार खेल एवं युवा मामले विभाग को संदर्भित किया गया था (जुलाई 2015) और आगे, सितंबर 2015 में स्मरण-पत्र जारी किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

तकनीकी शिक्षा विभाग

3.26 कार्य के अविवेकपूर्ण आबंटन के कारण हानि

लोक निर्माण विभाग (बी. एंड आर.) के साथ प्रारंभिक लागत अनुमानों का विश्लेषण और तुलना किए बिना आर.आई.टी.ई.एस. को राजकीय बहुतनीकी के निर्माण कार्य के आबंटन के परिणामस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ की हानि हुई।

भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय ने ''कौशल विकास हेतु समन्वित कार्य योजना के अंतर्गत बहुतकनीकियों पर उपलक्ष्य'' नाम की एक स्कीम शुरू की (जनवरी 2009) जिसके

अंतर्गत सात जिलों[97] में राजकीय बहुतकनीकी (जी.पीज) स्थापित करने हेतु ₹ 12.30 करोड़ (प्रत्येक बहुतकनीकी के लिए ₹ 8.00 करोड़ निर्माण कार्य और ₹ 4.30 मशीनरी उपस्करों हेतु) की वित्तीय सहायता की जानी थी। राज्य सरकार द्वारा बहुतकनीकी की स्थापना के लिए भूमि मुफ्त दी जानी थी और ₹ 12.30 करोड़ से ऊपर का समस्त आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय वहन करना था।

महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा (टी.ई.) हरियाणा पंचकुला के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया (जुलाई 2014) कि कथित स्कीम के अंतर्गत जी.पीज स्थापित करने के लिए सात स्थानों[98] की पहचान की गई थी (जनवरी 2009)। परन्तु केवल चार जी.पीज[99] के संबंध में प्रशासनिक अनुमोदन, ₹ 8.00 करोड़ प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए, (प्रत्येक जी.पी. के लिए ₹ 2.00 करोड़ निर्मुक्त किए गए थे) दिया गया था (मार्च 2010)। इन जी.पीज की स्थापना का कार्य प्रारंभ में सितंबर 2009 में पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) को आबंटित किया गया था क्योंकि पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) की दरें निम्न थी लेकिन बाद में निर्माण की गुणवता के उत्तम कीर्तिमान और पूर्व परियोजनाओं की समय पर संपूर्णता के दृष्टिगत कार्य आर.आई.टी.ई.एस. लिमिटेड को, परियोजना लागत जमा 6.45 प्रतिशत परियोजना प्रबंधन परामर्श (पी.एम.सी.) प्रभारों के रूप में, दिया गया (मार्च 2010)। उपरोक्त कार्य के लिए आर.आई.टी.ई.एस. को मार्च 2010 में ₹ 8.00 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया था जबकि जी.पीज के निर्माण के लिए प्रारंभिक लागत अनुमान नवंबर 2010 में प्राप्त हुए थे। यद्यपि, आर.आई.टी.ई.एस. से प्राप्त दरें पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) की दरों से 30 प्रतिशत उच्चतर थी फिर भी विभाग आगे बढ़ा और जुलाई 2011 में आर.आई.टी.ई.एस. के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किया।

आगे, तत्कालीन प्रधान सचिव, टी.ई.डी. के दृष्टांत पर पी.एम.सी. के रूप में आर.आई.टी.ई.एस. की संलिप्तता की मई 2012 में समीक्षा की गई और इस तर्क पर कि पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) हरियाणा द्वारा तैयार अनुमानों की तुलना में लागत अनुमान उच्चतर थे, सरकार ने अगस्त 2012 में निर्णय लिया कि कार्य पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) के माध्यम से निष्पादित करवाया जाए और कार्य की गुणवता को सुनिश्चित किया जाए। तदनुसार, सरकार के निर्णय के बारे में आर.आई.टी.ई.एस. को अगस्त 2012 में सूचित कर दिया था और ब्याज सहित ₹ 8.00 करोड़ की राशि वापस करने के लिए कहा। आर.आई.टी.ई.एस. ने पी.एम.सी. फीस, पत्थर बिछाने और निविदा आमंत्रण नोटिस के प्रकाशन प्रभारों के रूप में ₹ 1.03 करोड़ की कटौती करने के पश्चात् ₹ 6.99 करोड़ की राशि इस तर्क पर वापस कर दी (अक्तूबर 2012) द्वारा अप्रैल 2012 में विभिन्न अभिकरणों को कार्य आबंटित किया गया था जबकि कार्य अगस्त 2012 में वापस लिया।

97 (i) रेवाड़ी, (ii) कैथल, (iii) यमुनानगर, (iv) कुरूक्षेत्र, (v) फतेहाबाद, (vi) पानीपत तथा (vii) पंचकुला।

98 (i) राजकीय बहुतकनीकी, लिसाना (रेवाड़ी), (ii) गुरू गोविन्द सिंह राजकीय बहुतकनीकी, चीका (कैथल), (iii) चौधरी रनबीर सिंह सिंचाई एवं पावर इंजीनियरिंग संस्थान, हथनी कुंड (यमुनानगर), (iv) राजकीय बहुतकनीकी, ऊमरी, (कुरूक्षेत्र), (v) राजकीय बहुतकनीकी, धांगड़, (फतेहाबाद), (vi) राजकीय बहुतकनीकी, जाटल (पानीपत) तथा (vii) राजकीय बहुतकनीकी, नानकपुरा (पंचकुला)।

99 (i) राजकीय बहुतकनीकी, ऊमरी, (कुरूक्षेत्र), (ii) राजकीय बहुतकनीकी, धांगड़, (फतेहाबाद), (iii) राजकीय बहुतकनीकी, जाटल (पानीपत) तथा (iv) राजकीय बहुतकनीकी, नानकपुरा (पंचकूला)।

इस प्रकार, आर.आई.टी.ई.एस. और पी.डब्ल्यू.डी. (बी एंड आर.), हरियाणा के प्रारंभिक लागत अनुमान का विश्लेषण और तुलना किए बिना आर.आई.टी.ई.एस. को कार्य आबंटन हेतु विभाग के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ की हानि हुई।

प्रधान सचिव, टी.ई.डी. ने बताया (सितंबर 2015) कि भारत सरकार से प्राप्त ₹ 8.00 करोड़ की निधियां मार्च 2010 में, निधियों/अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए, विभाग और आर.आई.टी.ई.एस. के सयुंक्त खाते में जमा करवाई गई थी। बहुतकनीकियों के निर्माण के लिए वित्त विभाग का अनुमोदन अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया था और उसके बाद जुलाई 2011 में अनुबंध हस्ताक्षरित हुए थे। आगे, यह बताया गया कि पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) द्वारा परियोजना के प्रारंभिक लागत अनुमान पलिन्थ क्षेत्र दरों के आधार पर तैयार किए गए थे जो परिवर्तनीय थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य शुरू में पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर) को 2009 में आबंटित किया गया था और आर.आई.टी.ई.एस. को ₹ 8.00 करोड़ का अग्रिम भुगतान, निधियों की केवल व्यपगत होने से बचाने के लिए प्रारंभिक लागत अनुमान का विश्लेषण और कोई अनुबंध किए बिना, कर दिया (मार्च 2010)। आगे, विभाग को नवंबर 2010 में पहले ही पता था कि आर.आई.टी.ई.एस. के प्रारंभिक लागत अनुमान लगभग 30 प्रतिशत उच्चतर थे। फिर भी, आर.आई.टी.ई.एस. से कार्य वापस लेने का निर्णय केवल अगस्त 2012 में लिया गया था।

यह तथ्य जानने के बावजूद कि पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) राज्य सरकार का एक विशेषज्ञ विभाग था और प्रारंभिक लागत अनुमान भी निम्न थे, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) को नवंबर 2010 में कार्य को आबंटित न करना वित्तीय विवेक की कमी थी। इसके परिणामस्वरूप जी.पीज के निर्माण में विलंब के अतिरिक्त ₹ 1.03 करोड़ की हानि हुई।

महिला एवं बाल विकास विभाग

3.27 महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रापण

प्री स्कूल शिक्षा किटों के प्रापण में देरी, फर्नीचर की अधिक खरीद, बर्तनों की खरीद पर अतिरिक्त व्यय, निधियों का विपथन और अनियमित खरीद के मामले देखे गए थे।

महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यू.सी.डी.) विभाग, हरियाणा राज्य में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.), के अंतर्गत अनेक खाद्य पदार्थ, प्री शिक्षा किट्स और फर्नीचर इत्यादि डब्ल्यू.सी.डी. विभाग द्वारा खरीदे जा रहे थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि, सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण, क्रय और उपयोग सही ढंग से वित्तीय नियमों, विनियमों, अनुदेशों इत्यादि के संदर्भ में किया गया था, निदेशक, डब्ल्यू.सी.डी. पंचकुला और पांच जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डी.पी.ओज)[100] के कार्यालय में एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम के संबंध में 2010-15 की अवधि के लिए अभिलेखों की नमूना-जांच नवंबर 2014 से फरवरी 2015 के दौरान की गई। निम्न अनियमितताएं देखी गई:

(i) प्री स्कूल शिक्षा किटों के प्रापण में देरी

अनौपचारिक और खेल विधि के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों (ए.डब्ल्यू.सीज) में प्री स्कूल शिक्षा (पी.एस.ई.) सुदृढ़ करने के लिए बड़े भाई-बहनों को स्कूल में उपस्थित होने के योग्य बनाने के

[100] मेवात, फरीदाबाद, सिरसा, यमुनानगर तथा पानीपत।

लिए, केंद्रीय सरकार ने पी.एस.ई. किटों के लिए मानकों को ₹ 500 से ₹ 1,000 प्रति ए.डब्लयू.सी. प्रतिवर्ष तक संशोधित कर दिया (मई 2009)। इस प्रयोजन के लिए किटें, प्रत्येक अपर उपायुक्त (ए.डी.सी.) की अध्यक्षता के अंतर्गत गठित समितियों द्वारा खरीदी जानी थी।

विभाग ने 20,398 पी.एस.ई. किटों की खरीद के लिए मार्च 2010 में ₹ 1.73 करोड़ आहरित किए।परंतु खरीद प्रक्रिया के अंतिमकरण में देरी के कारण, क्रय आदेश 90 दिनों की समयसीमा के साथ सितंबर 2010 में दिया जा सका। पी.एस.ई. किटें, तथापि, एक वर्ष की देरी के बाद अप्रैल-मई 2011 में सुपुर्द की गई, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे एक वर्ष तक पी.एस.ई. किटों की सुविधाओं से वंचित रहे इसके अतिरिक्त आवश्यकता से पहले निधियों के आहरण के कारण ₹ 16.12[101] लाख के ब्याज की हानि हुई। पी.एस.ई. किटों के प्रापण में देरी की ऐसी ही अनियमितता वर्ष 2009-10 के लिए आडिट रिपोर्ट (पैरा 1.2.12.27) में भी इंगित की गई थी। लोक लेखा समिति ने, रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए (2014-15) मामले की जांच करने और उन अधिकारियों जिनके कारण कार्रवाई में विलंब हुआ, का उत्तरदायित्व नियत करने की सिफारिश की। तथापि, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है (दिसंबर 2015)।

डब्ल्यू.सी.डी. विभाग ने बताया (दिसंबर 2014) चूंकि मुख्यमंत्री का अनुमोदन 30 मार्च 2010 को प्राप्त हुआ था, निधियां इन्हें भारत सरकार से दुबारा वैध करवाने की लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए आहरित कर ली गई थी और यक निधियां ए.डी.सीज के डिस्पोजल में रखी गई थी। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि मामला अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को 30 मार्च 2010 को प्रस्तुत किया गया था और यह उसी दिन इन अनुदेशों के साथ अनुमोदित कर दिया गया था कि प्रापण मामले भविष्य में समय पर अंतिम कर लिए जाने चाहिए। तथापि, तथ्य यह रहता है कि किटों के प्रापण में एक वर्ष से अधिक देरी थी।

(ii) फर्नीचर की अधिक खरीद

पंजाब वित्तीय नियमों के नियम 15.2 में प्रावधान है कि खरीद लोक सेवा की निश्चित आवश्यकताओं के अनुरूप अत्यंत मितव्ययी ढंग से की जानी चाहिए। डी.पी.ओ, सिरसा के स्टॉक अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 4.73 करोड़ के झूले, प्लास्टिक की कुर्सियां और मेजें ए.डी.सी. सिरसा द्वारा बी.आर.जी.एफ. के अंतर्गत जिले के सभी 914 ए.डब्ल्यू.सीज में मार्च 2010 से जून 2010 के दौरान प्रदान की गई। तथापि, निदेशक, डब्ल्यू.सी.डी. द्वारा वास्तविक आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना ₹ 85.14 लाख की वही फर्नीचर मदें अर्थात् झूले, प्लास्टिक कुर्सियां और मेजें जून 2011 और मई 2013 के बीच पुन: खरीदी गई और सिरसा जिले के ए.डब्ल्यू.सीज में आपूरित की गई।

डी.पी.ओ., सिरसा ने कहा (जनवरी 2015) कि अधिक फर्नीचर अन्य केंद्रों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि फर्नीचर जिले के सभी केंद्रों में अधिकता में था और खरीदें आवश्यकता का मूल्यांकन करने के बाद की जानी चाहिए थी।

(iii) सरकारी अनुदान का विपथन

डी.पी.ओ., झज्जर के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 11.95 लाख की राशि फरवरी 2011 में सिविल सर्जन, झज्जर द्वारा एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत भेजी गई थी। मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अनुदेशों के अनुसार, यह राशि जागरूकता हेतु स्कूलों में समूह बैठकें, रैली, क्विज/सेमिनार/डिबेटस और प्रतियोगिताएं आयोजित करने

[101] ₹ 1.73 करोड़ X 13 मास X 8.60 प्रतिशत = ₹ 16.12 लाख।

के लिए प्रयोग की जानी थी। तथापि, यह राशि मार्गनिर्देशों की उल्लंघना में, भारोत्तोलन मशीनों की खरीदों पर व्यय की गई। डब्ल्यू.सी.डी.पी.ओज सालहावास और बहादुरगढ़, ग्रामीण-I और II ने सूचित किया (सितंबर 2014) कि खरीद सिविल सर्जन, झज्जर के परामर्श पर की गई थी और समय की कमी के कारण निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकी। तथ्य यह रहता है कि अनुदान विपथित किया गया जो एन.आर.एच.एम. के मार्गनिर्देशों का उल्लंघन था।

(iv) अनियमित खरीद

निदेशक, डब्ल्यू.सी.डी. विभाग ने लाभग्राहियों के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाने के लिए जुलाई 2010 में अनुदेश जारी किए थे जिसमें पूरक पोषक कार्यक्रम के अंतर्गत रिसीपीज में बिस्कुट, टाफी और उल्लंघन में मेथी शामिल नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया कि इन अनुदेशों के विपरीत; डी.पी.ओ., फरीदाबाद ने 2010-11 के दौरान ₹ 16.29 लाख के बिस्कुट और टाफी खरीदे और डी.पी.ओ., पलवल ने 2010-13 के दौरान ₹ 8.14 लाख की कस्तूरी मे थी खरीदी। निदेशक, डब्ल्यू.सी.डी. विभाग ने बताया (मई 2015) कि डी.पी.ओज पलवल और फरीदाबाद से स्पष्टीकरण मांगा गया है ताकि इस प्रकार की अनियमितता भविष्य में दोहराई न जाए।

(v) बर्तनों की खरीद पर अतिरिक्त व्यय

उपायुक्त-सह-चेयरमैन, बी.आर.जी.एफ., सिरसा ने ए.डब्ल्यू.सीज में प्रयोग के लिए बर्तनों की खरीद के लिए ₹ 27.50 लाख की राशि संस्वीकृत की (सितंबर 2012)। कुछ विशिष्ट ब्रांड[102] के स्टेनलेस स्टील के उत्पादों की आपूर्ति के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए। पांच फर्मों की वित्तीय बोलियां खोली गई, यद्यपि उनकी तकनीकी बोलियां नियमानुसार नहीं थी क्योंकि वे वांछित ब्रांड के बर्तनों के लिए बोलियां नहीं लगा रहे थे। 17,000 मोजैक ब्रांड के बर्तनों के सेटों, जो टेंडर आमंत्रित करने वाले नोटिस में उल्लिखित अपेक्षित ब्रांड के अनुसार नहीं थे, की आपूर्ति करने के लिए मैसर्ज आशुतोष ट्रेडिंग, अंबाला (बोलीकर्ताओं में निम्नतम) को आपूर्ति आदेश दिया गया (अक्तूबर 2012)। फर्म ने जनवरी 2013 में सामग्री की आपूर्ति की और ₹ 28.22 लाख का भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार, ऐसे बर्तनों, जो टेंडर में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अपेक्षित ब्रांड के नहीं थे, की खरीद अनियमित थी। डी.पी.ओ., सिरसा ने बताया (जनवरी 2015) कि बर्तन, टेंडर आमंत्रित करके खरीदे गए थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि टेंडर की पूर्व-अपेक्षित शर्तों की उपेक्षा करके बोली की स्वीकृति अनियमित थी।

(vi) खुले बाजार से उच्चतर दरों पर खाद्य पदार्थों की खरीद के कारण हानि

भारत सरकार के गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्नों की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाना तथा खुले बाजार से इन मदों की खरीद की बजाय सबसिडाइज्ड दरों पर भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) से निर्धारित कोटा उठाना अपेक्षित था।

2010-11 की अवधि के लिए अनुपूरक पोषण कार्यक्रम की मदों की खरीद से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 21 में से 12 डी.पी.ओज[103] ने एफ.सी.आई. को देय दरों की तुलना में तीन से चार गुणा उच्चतर दरों पर खुले बाजार से ₹ 1.11 करोड़ मूल्य के गेहूं, गेहूं का आटा, दलिया और चावल खरीदे। भारत सरकार के अनुदेशों की अनुपालना न करने और

102 विनोद, क्राफ्ट, बैजाल, प्रोस्टिज, जिंदल, श्री एंड सैम और पुष्पांजलि।

103 अंबाला, हिसार, जींद, गुडगांव, कुरूक्षेत्र, रोहतक, मेवात, नारनौल, सिरसा, पानीपत, रेवाड़ी तथा फरीदाबाद।

आवश्यकता के निर्धारण के लिए अनुचित आयोजना के कारण, विभाग ने ₹ 75.02 लाख का अतिरिक्त व्यय किया। निदेशक, डब्लयू.सी.डी. विभाग ने बताया (मई 2015) कि डी.पी.ओज ने खुले बाजार से खाद्यान्न अपने स्तर पर खरीदे। तथापि, भविष्य में ऐसी अनियमितता न दोहराने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

इस प्रकार, पी.एस.ई. किटों के प्रापण में देरी, फर्नीचर की अधिक खरीद, बर्तनों की खरीद पर अतिरिक्त व्यय, सरकारी अनुदान का विपथन और एस.एन.पी. मदों की अनियमित खरीद के मामले थे।

मामला मई 2015 में हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को संदर्भित किया था और जुलाई 2015 में स्मरण-पत्र जारी किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2016)।

(महुआ पाल)

चण्डीगढ़ **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

दिनांक:

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

दिनांक:

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भः अनुच्छेद 1.8; पृष्ठ 5)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं की प्रकृति के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनियमितताओं की प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	राशि
1	अवसूली/कम वसूली तथा अन्य वसूलियां	37	200.90
2	संभावित गबन तथा दुर्विनियोजन	46	631.28
3	मिलर्ज को अदेय लाभ	5	73.52
4	निधियों का अवरोधन	33	186.15
5	बेकार माल एवं मदों का निपटान न करना	5	7.45
6	विभिन्न कारणों से हानि	55	178.80
7	अनियमित व्यय	15	7.31
8	अन्य अनुच्छेद	48	12.04
	कुल	**244**	**1,297.45**

(स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा में रखे गए डाटा से ली गई सूचना)

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भः अनुच्छेद 1.9; पृष्ठ 5)

31 दिसंबर 2015 को वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14 के लिए लोक लेखा समिति में चर्चा किए जाने वाले बकाया अनुच्छेदों की सूची

क्र. सं.	विभाग का नाम	अवधि	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
1.	कृषि	2011-12	1	4.3.7
		2013-14	1	3.1
2.	शिक्षा	2011-12	3	4.1.3, 4.3.1, 5.1
		2012-13	1	2.3
		2013-14	3	2.1, 3.3, 3.4 तथा (3.8)
3.	खाद्य एवं आपूर्ति	2011-12	1	4.2.5
		2012-13	1	3.5
4.	गृह (पुलिस)	2011-12	1	3.4
		2013-14	2	3.10, 3.11
5.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2011-12	1	4.1.1 (ए)
		2013-14	2	2.2, 3.10
6.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	2012-13	1	3.6
7.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2011-12	1	3.3
8.	सिंचाई	2011-12	3	2.2, 2.3, 4.1.2
		2012-13	2	3.10, 3.11
		2013-14	2	3.13, 3.14
9.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	2011-12	2	4.2.3, 4.3.5
		2012-13	2	3.13, 3.14
10.	लोक निर्माण विभाग (जन-स्वास्थ्य)	2011-12	5	4.1.1 (बी), 4.2.4, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4
		2012-13	2	2.1, 3.12
		2013-14	2	3.15, 3.16
11.	राजस्व	2012-13	1	3.15
		2013-14	1	3.18
12.	ग्रामीण विकास	2011-12	1	2.4
		2012-13	1	2.4
13.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	2012-13	2	3.16, 3.17
		2013-14	2	2.3, 3.20
14.	आवास विभाग (आवास बोर्ड हरियाणा)	2012-13	1	3.8
15.	परिवहन	2011-12	2	4.2.6, 4.3.6
		2012-13	1	3.18
		2013-14	2	3.21, 3.22
16.	न्याय प्रशासन	2011-12	1	4.2.2
		2012-13	1	3.7
17.	सामान्य प्रशासन (एच.पी.एस.सी.)	2013-14	1	3.8
18.	श्रम एवं रोजगार	2011-12	1	2.1

क्र. सं.	विभाग का नाम	अवधि	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
19.	पंचायत विभाग	2011-12	1	3.1
		2012-13	1	3.4
		2013-14	1	3.2
20.	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	2012-13	3	2.2, 3.19, 3.20
21.	सहकारिता विभाग	2012-13	1	2.5
22.	नागर विमानन विभाग	2012-13	1	3.1
23.	सिविल सचिवालय	2012-13	2	3.2, 3.3
24.	लोक संपर्क विभाग	2012-13	1	3.9
25.	अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग	2012-13	1	3.21
26.	पर्यावरण (एच.एस.पी.सी.बी.)	2013-14	2	3.5, 3.6
27.	वित्त	2013-14	1	3.7
28.	बागवानी	2013-14	1	3.12
29.	नवीकरण ऊर्जा (हरेडा)	2013-14	1	3.17
30.	खेल एवं युवा मामले	2013-14	1	3.19
31.	महिला एवं बाल विकास	2013-14	1	3.23
	कुल अनुच्छेद		**76**	

(स्रोतः लोक लेखा समिति द्वारा रखे गए डाटा से ली गई सूचना)

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भः अनुच्छेद 1.9; पृष्ठ 5)

वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों, जिनकी कृत कार्रवाई टिप्पणियां (कृ.का.टि.) 31 मई 2015 को प्रतीक्षित थी, के विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	सी.ए.जी. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
1	कृषि	2011-12	1	4.3.7
		2013-14	1	3.1
2	गृह (पुलिस तथा जेल)	2012-13	1	3.7
		2013-14	2	3.10, 3.11
3	सिंचाई	2011-12	2	2.2, 2.3 (सिंचाई से संबंधित) 4.1.2
		2012-13	2	3.10, 3.11
		2013-14	2	3.13, 3.14
4	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	2011-12	1	4.2.3
		2012-13	1	3.13
	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क), लो.नि. (भ.व स.), लो.नि. (पी.एच.), सिंचाई के संयुक्त अनुच्छेद	2012-13	1	3.14
5	राजस्व	2012-13	1	3.15
		2013-14	1	3.18
6	परिवहन	2011-12	2	4.2.6, 4.3.6
		2012-13	1	3.18
		2013-14	2	3.21, 3.22
7	नगर एवं ग्राम आयोजना (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	2012-13	2	3.16, 3.17
		2013-14	2	2.3, 3.20
8	ग्रामीण विकास	2011-12	1	2.4
		2012-13	1	2.4
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2011-12	1	4.1.1(ए)
		2012-13	2	2.1, 3.12
		2013-14	2	2.2, 3.9
10	न्याय प्रशासन विभाग	2011-12	1	4.2.2
11	सामान्य प्रशासन	2013-14	1	3.8
12	पर्यावरण (एच.एस.पी.सी.बी.)	2013-14	2	3.5, 3.6
13	अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग	2012-13	1	3.21
14	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	2012-13	3	2.2, 3.19, 3.20
15	शिक्षा	2012-13	1	2.3
		2013-14	3	2.1, 3.3, 3.4 (3.8 का भाग)
16	सहकारिता	2012-13	1	2.5
17	नागर विमानन	2012-13	1	3.1

क्र. सं.	विभाग का नाम	सी.ए.जी. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
18	विकास एवं पंचायत	2012-13	1	3.4
		2013-14	1	3.2
19	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	2012-13	1	3.6
20	आवास बोर्ड हरियाणा	2012-13	1	3.8
21	सूचना, लोक संपर्क तथा सांस्कृतिक मामले	2012-13	1	3.9
22	वित्त	2013-14	1	3.7
23	बागवानी	2013-14	1	3.12
24	खेल एवं युवा मामले	2013-14	1	3.19
25	महिला एवं बाल विकास	2013-14	1	3.23
	कुल		**55**	

(स्रोतः लोक लेखा समिति की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों से ली गई सूचना)

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भः अनुच्छेद 1.9; पृष्ठ 5)

अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूली इंगित की गई किन्तु प्रशासनिक विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई

क्र. सं.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	कृषि	2000-01	6.3	40.45
		2013-14	3.1	4,131.00
2.	पशु पालन	2000-01	3.4	21.96
		2001-02	6.3	747.00
3.	वित्त	2001-02	3.3	5.62
		2013-14	3.7	2,021.00
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	2002-03	4.6.8	23.89
5.	ग्रामीण विकास (डी.आर.डी.ए.)	2001-02	6.1.11	0.54
		2011-12	2.4.10.2	2.60
6.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हुडा)	2000-01	3.16	15,529.00
		2001-02	6.10	4,055.00
		2011-12	2.3.10.8	16,700.00
		2013-14	2.3.10.6	1,266.00
			2.3.10.7	44.41
			2.3.10.11	37,386.00
			3.20	84.64
7	महिला एवं बाल विकास	2009-10	1.12.13.1	8.25
			1.12.13.3	4.09
8	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (जिला रेडक्रॉस सोसायटी)	2011-12	3.3.5.1	1,572.00
			3.3.5.2	71.00
9	पी.ई.डी. (सिंचाई)	2010-11	3.1.2	62.25
10	श्रम एवं रोजगार	2011-12	2.1. 9.4	79.95
11	शहरी स्थानीय निकाय	2012-13	2.2.8.1	17,040.00
			2.2.8.6	10,182.00
			3.20	554.00
12	सहकारिता	2012-13	2.5.7.4	494.00
			2.5.9.3	767.00
13	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	2012-13	3.6	125.00
	कुल		**28**	**1,13,018.65**

अर्थात् ₹ 1,13 0.19 करोड़

(स्रोतः लोक लेखा समिति की कार्यवाहियों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियां)

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भः अनुच्छेद 1.9; पृष्ठ 5)

31 मई 2015 को लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण, जिन पर सरकार को अभी अंतिम निर्णय लेना है

क्र. सं.	लो.ले.स. रिपोर्ट	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	1971–72 से 2009–10 तक लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों की 31 मई 2015 को कुल संख्या
1	9वीं	1971-72	1
2	14वीं	1973-74	1
3	16वीं	1975-76	1
4	18वीं	1976-77	1
5	21वीं	1978-79	1
6	22वीं	1979-80	2
7	23वीं	1979-80	1
8	25वीं	1980-81	3
9	26वीं	1981-82	2
10	28वीं	1982-83	1
11	29वीं	1983-84	2
12	32वीं	1984-85	5
13	34वीं	1985-86	5
14	36वीं	1986-87	7
15	38वीं	1987-88	6
16	40वीं	1988-89	8
17	42वीं	1989-90, 90-91,91-92	4
18	44वीं	1990-91, 91-92,92-93	8
19	46वीं	1993-94	7
20	48वीं	1993-94, 1994-95	3
21	50वीं	1993-94,1994-95, 1995-96	33
22	52वीं	1996-97	15
23	54वीं	1997-98	10
24	56वीं	1998-99	14
25	58वीं	1999-2000	39
26	60वीं	2000-01	35
27	61वीं	2001-02	12
28	62वीं	2002-03	20
29	63वीं	2005-06	25
30	64वीं	2003-04	09
31	65वीं	2004-05	21
32	67वीं	2007-08	37
33	68वीं	2006-07	57
34	70वीं	2008-09	28
35	71वीं	2009-10	31
		कुल	**455**

(स्रोतः लोक लेखा समिति की कार्यवाहियों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियां)

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भः अनुच्छेद 1.10; पृष्ठ 5)

31 अगस्त 2015 को स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष, जब तक लेखे बनाए गए	वर्ष, जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष, जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष, जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2015 तक)
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, मनीमाजरा, चण्डीगढ़	2012-13 से 2016-17	2011-12	2011-12	2009-10	2012-13 व 2013-14	दो वर्ष
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2013-14 से 2017-18	2013-14	2013-14	2006-07	--	
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला	2012-13 से 2016-17	2013-14	2011-12	2011-12	--	
4.	हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकूला	2009-10 से 2013-14	2013-14	2012-13	2012-13	--	--
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला	2010-11 से 2014-15	2013-14	2013-14	2011-12	--	--
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अम्बाला छावनी	2013-14 से 2017-18	2013-14	2013-14	प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं	-	
7.	हरियाणा राज्य कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2013-14	2013-14	-	-	-
8.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, भिवानी	-सम-	2013-14	2013-14	-	-	-
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फरीदाबाद	-सम-	2012-13	2012-13	-	2013-14	एक वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष, जब तक लेखे बनाए गए	वर्ष, जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष, जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष, जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2015 तक)
10.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2013-14	2013-14	-	-	-
11.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, गुड़गांव	-सम-	2013-14	-	-	-	-
12.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2013-14	18 वर्ष
13.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कैथल	-सम-	2013-14	2012-13	-	-	-
14.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला	-सम-	2013-14	-	-	-	-
15.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत	-सम-	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2013-14	तीन वर्ष
16.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रेवाड़ी	-सम-	2013-14	-	-	-	-
17.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक	-सम-	2013-14	-	-	-	-
18.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सोनीपत	-सम-	2013-14	-	-	-	-
19.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, यमुनानगर	-सम-	2011-12	2011-12	-	2012-13 से 2013-14	दो वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष, जब तक लेखे बनाए गए	वर्ष, जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष, जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष, जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2015 तक)
20.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, हिसार	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2013-14	2012-13	-	-	-
21.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, नारनौल	-सम-	2013-14	2010-11	-	-	-
22.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सिरसा	-सम-	2013-14	2013-14	-	-	-
23.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, अम्बाला	-सम-	2012-13	2012-13	-	2013-14	एक वर्ष
24.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, जींद	-सम-	2013-14	2012-13	-	-	-
25.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, करनाल	-सम-	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2013-14	छः वर्ष
26.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कुरूक्षेत्र	-सम-	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2013-14	छः वर्ष
27.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, मेवात	-सम-	-	-	-	2009-10 से 2013-14	पांच वर्ष
28.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पलवल	-सम-	2012-13	2011-12	-	2013-14	एक वर्ष
29.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2009-10 से 2013-14	2013-14	2011-12	2011-12	-	-

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भः अनुच्छेद 2.1.6.3 ; पृष्ठ 11)

कम जलापूर्ति वाले गांवों के विवरण

क्र. सं.	मंडल का नाम	मंडल के अधिकार – क्षेत्र के अंतर्गत गांव	जलापूर्ति की न्यूनतम आवश्यकता	निर्धारित जलापूर्ति वाले गांव	कम जलापूर्ति वाले गांव
1	पी.एच.ई.डी. – 1 भिवानी	110	70 एल.पी.सी.डी.	26	84
2	पी.एच.ई.डी. – 2 भिवानी	30	70 एल.पी.सी.डी.	8	22
3	पी.एच.ई.डी. चरखी दादरी	144	70 एल.पी.सी.डी.	30	114
4	पी.एच.ई.डी. तोशाम	140	70 एल.पी.सी.डी.	37	103
5	पी.एच.ई.डी. सिवानी	50	70 एल.पी.सी.डी.	11	39
6	पी.एच.ई.डी. – 1 रेवाड़ी	279	70 एल.पी.सी.डी.	79	200
7	पी.एच.ई.डी. – 1 हिसार	89	70 एल.पी.सी.डी.	64	25
8	पी.एच.ई.डी. – 1 झज्जर	80	70 एल.पी.सी.डी.	1	79
9	पी.एच.ई.डी. पंचकूला	160	55 एल.पी.सी.डी.	142	18
10	पी.एच.ई.डी. अंबाला कैंट	201	55 एल.पी.सी.डी.	159	42
11	पी.एच.ई.डी. महेन्द्रगढ़	101	70 एल.पी.सी.डी.	0	101
12	पी.एच.ई.डी. – 2 झज्जर	67	70 एल.पी.सी.डी.	10	57
13	पी.एच.ई.डी. – 2 हिसार	79	70 एल.पी.सी.डी.	27	52
14	पी.एच.ई.डी. – 2 नारनौल	118	70 एल.पी.सी.डी.	0	118
15	पी.एच.ई.डी. – 1 सिरसा	179	70 एल.पी.सी.डी.	149	30
	कुल	**1,827**		**743**	**1,084**

स्रोतः विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भः अनुच्छेद 2.1.7.1; पृष्ठ 13)

संस्वीकृत अनुमानों के आधिक्य में किए गए व्यय के विवरण

क्र.सं.	मंडल का नाम	मामलों की संख्या	अनुमानित लागत	मार्च 2015 तक व्यय	आधिक्य
			(₹ लाख में)		
1	पी.एच.ई.डी. - 1 झज्जर	35	2,933.10	3,887.68	954.58
2	पी.एच.ई.डी. - 2 हिसार	7	442.90	512.10	69.20
3	पी.एच.ई.डी. महेन्द्रगढ़	11	794.45	884.50	90.05
4	पी.एच.ई.डी. - 1 भिवानी	18	273.13	340.58	67.45
5	पी.एच.ई.डी. - 2 झज्जर	9	848.38	971.89	123.51
6	पी.एच.ई.डी. - 2 भिवानी	6	291.30	379.01	87.71
7	पी.एच.ई.डी. तोशाम	23	1,065.67	1,329.59	263.92
8	पी.एच.ई.डी. - 1 नारनौल	33	614.14	797.13	182.99
9	पी.एच.ई.डी. - 3 नारनौल	4	235.90	266.13	30.23
10	पी.एच.ई.डी. - 1 सिरसा	16	573.30	695.38	122.08
	कुल	**162**	**8,072.27**	**10,063.99**	**1,991.72**

स्रोतः विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भः अनुच्छेद 2.1.8.3 ; पृष्ठ 18)

उन मामलों के विवरण जिनमें स्कीमें संबंधित प्राधिकारियों से पूर्व क्लीयरेंस तथा भूमि का स्पष्ट स्वामित्व लिए बिना शुरू की गई थी

कार्य का नाम	अनुमोदन तारीख तथा संस्वीकृत राशि	आबंटन की तारीख/पूर्णता की निर्धारित तारीख	मार्च 2015 को व्यय (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
पी.एच.ई. मंडल सिवानी के अंतर्गत आने वाले गांव गोपालवास में नहर आधारित स्वतंत्र वाटर वर्क्स	टी.एफ.सी. के अंतर्गत ₹ 2.06 करोड़ की लागत पर 30 नवंबर 2012	1 मार्च 2013 / 1 मार्च 2014	1.53	रॉ वाटर के लिए इनलेट चैनल के अलावा स्कीम के सभी घटक पूर्ण किए गए थे, जिसका निर्माण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्कीम की रूपरेखा समुचित सर्वेक्षण और वन क्षेत्र में इनलेट चैनल के निर्माण का कार्य निष्पादित करने के लिए वन विभाग से पूर्व अनुमति लिए बिना तैयार की गई थी। इसके अतिरिक्त, चैनल के निर्माण के संबंध में भू-स्वामी के साथ भूमि का विवाद था।
पी.एच.ई. मंडल सं.I, भिवानी के अंतर्गत आने वाले तीन गांवों के लिए जल आपूर्ति स्कीम कुसुंभी	₹ 1.72 करोड़ की लागत पर 7 मई 2010	19 अक्तूबर 2011 / 19 अक्तूबर 2012	1.18	रॉ वाटर के लिए इनलेट चैनल के अलावा स्कीम के सभी घटक पूर्ण किए गए थे, जिसका निर्माण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्कीम की रूपरेखा समुचित सर्वेक्षण और भू-स्वामियों के साथ इनलेट चैनल के निर्माण के कार्य को निष्पादित करने के लिए वन विभाग से पूर्व अनुमति लिए बिना तैयार की गई थी। ई.ई. ने सूचित किया (अप्रैल 2015) कि जुई फीडर से आऊटलेट चैनल को रॉ वाटर की पंपिंग के लिए एलाईनमेंट बदलकर स्कीम को क्रियाशील बनाने के लिए ₹ 50 लाख का पृथक अनुमान संस्वीकृत किया गया था।
पी.एच.ई. मंडल पंचकूला के अंतर्गत सरकारी महिला पोलीटैक्निक के लिए जल आपूर्ति सुविधाएं	₹ 2.26 करोड़ तक संशोधित की गई ₹ 1.47 करोड़ की लागत पर 20 दिसंबर 2012	मार्च 2013 / ₹ 1.53 करोड़ की लागत पर 12 माह	0.36	वन विभाग से क्लीयरेंस लेने में विलंब के कारण कार्य की पूर्णता में देरी हो गई जिसके लिए 9 नवंबर 2013 को ₹ 22.50 लाख की राशि जमा करवाई गई थी और अनुमति 2 अगस्त 2014 को प्रदान की गई और फिर भी दिसंबर 2015 तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। इस प्रकार कार्य वन विभाग से अनुमति प्राप्त किए बिना लिया गया।
पी.एच.ई. मंडल सं. II, कैथल के अंतर्गत तीन गांवों के कैलराम ग्रुप के लिए नहर आधारित जल आपूर्ति स्कीम का आरंभ	₹ 1.20 करोड़, ₹ 0.94 करोड़ तथा ₹ 0.75 करोड़ के तीन अनुमान	कार्य फरवरी 2006 में आरंभ किया गया था तथा दिसंबर 2015 को अपूर्ण रहा	3.11	कार्य की पूर्णता में विलंब वन क्षेत्र में आर.सी.सी. पाईपें बिछाने के लिए वन विभाग से अनुमति प्राप्त न करने के कारण हुआ था। आगे, आर.सी.सी. पाईप चैनल के एलाइनमेंट के साथ सड़क चौड़ी करने के कारण बी. एंड आर. प्राधिकरण ने इनलेट चैनल के निर्माण की अनुमति नहीं दी। क्षेत्र के ग्रामीणों ने भी भूमि स्तर के ऊपर आर.सी.सी. पाईप चैनल के निर्माण के लिए विरोध प्रकट किया था। सिंचाई विभाग से माइनर से रॉ वाटर के लिए आऊटलेट के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, विभाग ने संबंधित विभागों से क्लीयरेंस लिए बिना कार्य का निष्पादन ले लिया था।
पी.एच.ई. मंडल सं. I, नारनौल के अंतर्गत दो गांवों के कोजिंदा ग्रुप के लिए नहर आधारित जल आपूर्ति स्कीम का आरंभ	₹ 1.61 करोड़ अक्तूबर 2012	22 अगस्त 2013 / 21 अगस्त 2014	1.32	एजेंसी को कार्य भूमि के अधिग्रहण के बिना आबंटित किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि ई.ई. ने कार्य पर ₹ 1.32 करोड़ (2013-14 में डी.आई. पाईपों पर ₹ 1.07 करोड़ और 2013-15 में विभिन्न कार्यों जैसे पुराने विद्यमान बूस्टिंग स्टेशन पर गैस क्लोरिनेटर का प्रस्थापन, पुरानी पाईप लाइन के परिवर्तन/रख-रखाव और पुराने वाटर वर्क्स पर ट्यूबवैल की मशीनरी का परिवर्तन/स्थानीय खरीद) का व्यय दिखाया था।
		कुल	7.50	

स्रोतः विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भः अनुच्छेद 2.1.8.5; पृष्ठ 20)

विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करने के कारण कार्यों के निष्पादन में विलंब के मामलों के विवरण

पी.एच.ई. मंडल का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदन की तारीख तथा संस्वीकृत राशि	व्यय (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
1. कैथल-1	गांव धुंधेड़ी की नहर आधारित स्वतंत्र जल आपूर्ति स्कीम	मई 2010/ ₹ 0.83 करोड	0.74	एक एजेंसी को ₹ 79.61 लाख के लिए 12 महीनों की पूर्णता समयावधि के साथ कार्य आबंटित किया गया (6 सितंबर 2010)/एजेंसी को निष्पादित कार्य के लिए ₹ 40.97 लाख की राशि का भुगतान किया गया (11 दिसंबर 2012)/31 जनवरी 2012 तक समय की वृद्धि के बावजूद, एजेंसी वर्धित अवधि के भीतर कार्य पूर्ण करने में विफल रही। इसलिए, ठेका अनुबंध की धारा-II के अंतर्गत एजेंसी के विरूद्ध मई 2013 में कार्रवाई की गई और शेष कार्य (फरवरी 2014) में ₹ 40.83 लाख के लिए एक अन्य ठेकेदार को जोखिम और लागत आधार पर छः मास की पूर्णता अवधि के साथ आबंटित कर दिया गया। दूसरी एजेंसी ने भी सितंबर 2014 में ठेका अनुबंध की धारा-II के अंतर्गत कार्रवाई करने के बाद भी कार्य आरंभ नहीं किया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एजेंसी से कार्य वापस लेने और उसे किसी अन्य एजेंसी से करवाने के लिए एजेंसी के विरूद्ध कोई आगामी कार्रवाई नहीं की गई।
2. झज्जर-3	गांव झारली के लिए स्वतंत्र वाटर वर्क्स प्रदान करना	अगस्त 2010/ ₹ 1.91 करोड	1.86	एक एजेंसी (15 फरवरी 2008) को (₹ 59 लाख के लिए नौ मास की पूर्णता अवधि के साथ आबंटित किया गया। एजेंसी ने निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य पूर्ण नहीं किया। तदनंतर, ठेका अनुबंध की धारा-II के अनुसार जुर्माना लगाया गया (8 अप्रैल 2009)। इसी बीच कुछ कमियां जिनके कारण कार्य का घटिया निष्पादन हुआ देखा गया। लेकिन एजेंसी ने न तो इस कमियों का परिशोधन किया और न ही कार्य पुनः प्रारंभ किया। एजेंसी से कार्य एजेंसी के जोखिम और लागत पर निष्पादित करवाने के लिए वापस ले लिया गया (मार्च 2015)। तथापि, किसी अन्य एजेंसी से कार्य निष्पादित करवाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई (मई 2015)।
3. नारनौल-3	नहर आधारित जल आपूर्ति स्कीम पोटा	फरवरी 2009/ ₹ 1.13 करोड	0.63	पी.एच.ई. डिवीजन महेन्द्रगढ़ द्वारा 10 मास की पूर्णता अवधि के साथ एक एजेंसी को ₹ 76.32 लाख के लिए कार्य आबंटित किया गया (29 जुलाई 2009), सितंबर 2013 तक ₹ 63.40 लाख का व्यय कर दिया गया। तत्पश्चात, आगामी निष्पादन के लिए कार्य पी.एच.ई. डिवीजन नं. 3, नारनौल को स्थानान्तरित कर दिया गया। परन्तु कार्य ठेकेदार द्वारा सितंबर 2013 के बाद निष्पादित नहीं किया गया। विभाग ने ठेका अनुबंध की धारा-II के अनुसार एजेंसी के विरूद्ध जुर्माना लगा दिया, परंतु कार्य एजेंसी से वापस लेकर इसे अन्य एजेंसी से जोखिम और लागत आधार पर करवाने के लिए एजेंसी के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की। कार्य लगभग दो वर्षों के लिए परित्यक्त पड़ा रहा। उत्तर में, ई.ई. ने सूचित किया (मई 2015) कि विभाग इस कार्य के जोखिम और लागत आधार पर करवाने पर विचार कर रहा था।

पी.एच.ई. मंडल का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदन की तारीख तथा संस्वीकृत राशि	व्यय (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
4. नारनौल-1	नहर आधारित जल आपूर्ति स्कीम गुलावाला	सितंबर 2012/ ₹ 4.05 करोड	1.81	कार्य (अगस्त 2013) में एक ठेकेदार को ₹ 01.47 करोड़ के लिए 12 मास की पूर्णता अवधि के साथ आबंटित किया गया। एजेंसी ने पंप हाऊस और इनलेट चैनल के निर्माण के अलावा कार्य जून 2014 में पूर्ण कर दिया। विभाग ने नई तकनीक के साथ इनलेट चैनल के लिए 300 एम.एम. डी.आई. पाईप बिछाने के कार्य के निष्पादन के साथ डी.एन.आई.टी. का मूल कार्य परिवर्तित कर दिया जिसमें 400 एम.एम., आर.सी.सी. पाईप बिछाई जानी थी। परंतु ठेकेदार ने नई तकनीक का कार्य निष्पादित करने से मना कर दिया। इनलेट चैनल बिछाने के शेष कार्य के लिए निविदा अप्रैल 2015 तक आमंत्रित नहीं किए गए थे।
5. नारनौल-1	मेहरामपुर समूह के तीन गांवों के लिए जल आपूर्ति	फरवरी 2009/ ₹ 1.34 करोड	1.24	कार्य एक ठेकेदार को (2 दिसंबर 2010) ₹ 68.31 लाख के लिए छः मास की पूर्णता अवधि के साथ आबंटित किया गया। इस एजेंसी ने कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। तत्पश्चात् ठेका अनुबंध की धाराओं के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के बाद कार्य वापस ले लया गया। कार्य के दुबारा निविदा भेजे गए और ₹ 81.29 लाख के लिए एक एजेंसी को (अगस्त 2012) छः मास की समय सीमा के भीतर आबंटित किया गया। एजेंसी ने कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण नहीं किया। निष्पादित कार्य के लिए एजेंसी को (4 दिसंबर 2013) ₹ 89.10 लाख की राशि का भुगतान किया गया। तत्पश्चात् एजेंसी ने कार्य छोड़ दिया। एजेंसी से कार्य खंड-II और III के अंतर्गत कार्रवाई करने के पश्चात् वापस ले लिया गया। ठेकेदार के जोखिम और लागत पर कार्य किसी अन्य एजेंसी से पूर्ण करवाने के लिए कोई आगामी कार्रवाई नहीं की गई।
6. रेवाड़ी-1	नहर आधारित जल आपूर्ति स्कीम नयागांव तथा हजारीवास	मई 2011/ ₹ 2.40 करोड	1.94	कार्य एक एजेंसी (दिसंबर 2011) को ₹ 53.44 लाख के लिए छः मास की पूर्णता अवधि के साथ आबंटित किया गया। एजेंसी ने कार्य 2012-13 में छोड़ दिया। खंड-II लगाया गया (अप्रैल 2013) लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ई.ई. ने शेष कार्य को जोखिम और लागत आधार पर अन्य एजेंसी से निष्पादित करवाने के लिए ठेका अनुबंध की धारा-III के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।
7. महेंद्रगढ़	जल आपूर्ति स्कीम अकोदा का आरंभ	अगस्त 2009/ ₹ 1.92 करोड	1.11	कार्य (जनवरी 2010) एक एजेंसी को ₹ 1.03 करोड़ की अनुमानित लागत पर जुलाई 2011 तक पूर्ण करने के लिए आबंटित किया गया। एजेंसी को किए गए कार्य के लिए ₹ 46.98 लाख का अनुमान किया गया (नवंबर 2013) एजेंसी द्वारा आगे कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया। ठेका अनुबंध की धारा-II के अन्तर्गत 18 जुलाई 2014 को जुर्माना लगाया गया परंतु एजेंसी ने कार्य प्रारंभ नहीं किया। तत्पश्चात् इसे जोखिम और लागत आधार पर किसी अन्य एजेंसी से निष्पादित करवाने के लिए अनुबंध के अंतर्गत खंड-III लगाया गया (अगस्त 2014) शेष कार्य पूर्ण करवाने के लिए कोई आगामी कार्रवाई नहीं की गई (अप्रैल 2015)।
8. नं.3 नारनौल	पथेड़ा समूह के गांवों के लिए जल आपूर्ति स्कीम	अगस्त 2009/ ₹ 1.88 करोड़	1.66	कार्य (18 जनवरी 2010) एक एजेंसी को पी.एच.ई. डिवीजन महेन्द्रगढ़ द्वारा 18 मास की पूर्णता अवधि के साथ ₹ 92.19 लाख के लिए आबंटित किया गया। कार्य पी.एच.ई. डिवीजन ने 3 नारनौल को स्थानान्तरित कर दिया गया (सितंबर 2013) परन्तु एजेंसी सिंचाई माईनर से वाटर वर्क्स इनलेट चैनल के निर्माण से संबंधित कार्य निष्पादित नहीं किया। विभाग ने अनुबंध की धाराओं के अनुसार एजेंसी के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
		कुल	**10.99**	

स्रोतः विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भः अनुच्छेद 2.1.8.8(क); पृष्ठ 22)

जल संसाधनों की कायमता के लिए प्रदान की गई निधियों के विपथन के विवरण

कार्य का नाम	अनुमोदन की तारीख तथा संस्वीकृत राशि	मार्च 2015 को व्यय (₹ करोड़ में)	स्थिति
वाटर वर्क्स के निर्माण, पाईपों की खरीद, इनलेट चैनल इत्यादि के लिए मेन तैयार करना, सेहलंगा, ढालनवास और झामरी गांवों में ग्रामीण जलापूति के लिए और पी.एच.ई. डिवीजन-I झज्जर के अंतर्गत अन्य आकस्मिक कार्यों के लिए एक अनुमान।	02 मार्च 2013 / ₹ 9.58 करोड़	3.56	प्रगति में
रॉ वाटर व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाने के लिए सात ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों और पी.एच.ई. डिवीजन चरखी दादरी के अंतर्गत पंपिंग स्टेशनों इत्यादि के निर्माण के लिए सात अनुमान।	मई 2012 से मार्च 2013 / ₹ 23.57 करोड़	11.31	प्रगति में
पी.एच.ई. डिवीजन-I सिरसा के अंतर्गत अतिरिक्त एस.एस. टंकियों के निर्माण के लिए पांच अनुमान।	26 जुलाई 2010 / ₹ 0.74 करोड़	0.76	कार्य पूर्ण किया गया
पी.एच.ई. डिवीजन-II सिरसा के अंतर्गत अतिरिक्त एस.एस. टैकों के निर्माण के लिए तीन आर.डब्ल्यू.एस. स्कीमों के लिए तीन अनुमान।	26 जुलाई 2010 से 28 फरवरी 2012 / ₹ 0.52 करोड़	0.52	कार्य पूर्ण किया गया
पी.एस.ई. डिवीजन फतेहाबाद के अंतर्गत अतिरिक्त एस.एस. टैकों के निर्माण के लिए पांच आर.डब्ल्यू.एस. स्कीमों के लिए पांच अनुमान संस्वीकृत किए गए।	मई 2011 से सितंबर 2012 / ₹ 1.44 करोड़	1.32	कार्य पूर्ण किया गया
कुल	**₹ 35.85 करोड़**	**17.47**	

स्रोतः विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भः अनुच्छेद 2.2.6; पृष्ठ 34)

सरकारी स्कूलों तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या

वर्ष	सरकारी स्कूलों की संख्या			सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या		
	एस.एस.ए. के अनुसार	एम.डी.एम.[1] के अनुसार	अंतर	एस.एस.ए. के अनुसार	एम.डी.एम. के अनुसार	अंतर
2010-11	14,779	14,927	148	316	378	62
2011-12	15,014	14,735	279	325	378	53
2012-13	14,925	14,892	33	450	315	135
2013-14	14,902	15,013	111	229	173	56
2014-15	14,582	14,380	202	229	272	43

स्रोतः निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग तथा एस.एस.ए. के लिए कार्यान्वयन एजेंसी हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् (एच.एस.एस.पी.पी.) द्वारा प्रस्तुत डाटा।

सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकन

वर्ष	सरकारी स्कूलों की संख्या			सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या		
	एस.एस.ए. के अनुसार	एम.डी.एम. के अनुसार	अंतर	एस.एस.ए. के अनुसार	एम.डी.एम. के अनुसार	अंतर
2010-11	20,28,055	उपलब्ध नहीं*	-	86,401	उपलब्ध नहीं*	-
2011-12	21,15,588	21,17,808	2,220	79,599	55,868	23,731
2012-13	20,71,283	20,81,760	10,477	68,678	46,911	21,767
2013-14	20,36,864	19,78,128	58,736	65,625	47,133	18,492
2014-15	19,58,029	20,08,285	50,256	61,742	48,976	12,766

स्रोतः निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग तथा एस.एस.ए. के लिए कार्यान्वयन एजेंसी हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् (एच.एस.एस.पी.पी.) द्वारा प्रस्तुत डाटा।

नोटः * उपलब्ध नहीं।

[1] स्थानीय निकाय स्कूलों, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूलों तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को छोड़कर।

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भः अनुच्छेद 2.2.8.2; पृष्ठ 39)

राज्य में आबंटित तथा उठाए गए खाद्यान्नों के विवरण

(आंकड़े एम.टी. में)

वर्ष	आबंटित खाद्यान्न	उठाए गए खाद्यान्न	उठान की प्रतिशतता	कमी
2010-11	53,806.61	29,893.90	56	44
2011-12	54,333.09	42,776.07	79	21
2012-13	60,413.37	45,986.38	76	24
2013-14	59,057.35	43,848.86	74	26
2014-15	55,786.34	37,954.50	68	32
	2,83,396.76	**2,00,459.71**		

स्रोतः परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पी.ए.बी.) तथा भारत सरकार को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा (डी.ई.ई.) द्वारा भेजी गई त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें (क्यू.पी.आर.)/उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सीज)।

चयनित जिलों में खाद्यान्नों के आबंटन तथा उठान के विवरण

(आंकड़े एम.टी. में)

जिला का नाम	अवधि	आबंटित खाद्यान्न	उठाए गए खाद्यान्न	उठान की प्रतिशतता	कमी
भिवानी	2010-15	19,083.84	12,855.40	67	33
हिसार	2012-15*	10,193.09	8,011.07	79	21
करनाल	2010-15	14,608.89	11,680.97	80	20
कुरूक्षेत्र	2011-15**	10,122.80	7,610.96	75	25
रेवाड़ी	2010-15	8,842.82	6,131.18	69	31
सिरसा	2010-15	17,971.09	13,216.99	74	26

नोटः * 2010-11 से 2011-12 की अवधि के अभिलेख उपलब्ध नहीं।

** 2010-11 की अवधि के अभिलेख उपलब्ध नहीं।

स्रोतः चयनित जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों (डी.ई.ई.ओज) द्वारा प्रस्तुत डाटा।

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भः अनुच्छेद 2.2.8.2; पृष्ठ 39)

चयनित स्कूलों में खाद्यान्नों की आवश्यकता तथा वास्तविक प्राप्ति

जिला	स्कूलों की संख्या	आवश्यकता	वास्तविक प्राप्ति	कम प्राप्ति	कम प्राप्ति की प्रतिशतता
		(क्विंटल में)			
भिवानी	30	5,895	4,107	1,788	30
हिसार	30	6,014	3,732	2,282	38
करनाल	30	6,163	4,251	1,912	31
कुरूक्षेत्र	06	968	765	203	21
रेवाड़ी	30	3,371	2,518	853	25
सिरसा	30	6,122	4,417	1,705	28

स्रोतः चयनित स्कूलों के अभिलेखों से संकलित डाटा।

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भः अनुच्छेद 2.2.10.1; पृष्ठ 48)

विभाग द्वारा किए गए निरीक्षणों के विवरण

वर्ष	स्कूलों/केंद्रों की कुल संख्या	निरीक्षण किए जाने वाले स्कूलों/केंद्रों की संख्या	वास्तव में निरीक्षण किए गए स्कूलों/केंद्रों की संख्या	निरीक्षण किए गए स्कूलों/ केंद्रों की प्रतिशतता
2010-11	15,434	35,250[2]	1,050	3
2011-12	15,596	35,250	4,386	12
2012-13	15,466	35,250	5,693	16
2013-14	15,305	35,250	4,568	13
2014-15	14,714	35,250	3,126	9

स्रोतः एम.एच.आर.डी. को भेजी गई त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों के अनुसार डाटा।

चयनित जिलों के जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों के विवरण

जिला का नाम	अवधि	निरीक्षण किए जाने वाले स्कूलों/केंद्रों की संख्या	निरीक्षण किए गए स्कूल/केंद्र	निरीक्षण की प्रतिशतता
भिवानी	2013-15*	500	120	24
हिसार	2010-15	1,250	475	38
करनाल	2010-15	1,250	304	24
कुरूक्षेत्र	2012-15**	750	142	19
रेवाड़ी	2010-15	1,250	312	25
सिरसा	2014-15***	250	129	52

नोटः * 2010 – 13 की अवधि का अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

** 2010 – 12 की अवधि का अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

*** 2010 – 14 की अवधि का अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

चयनित ब्लॉकों के खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों के विवरण

जिला का नाम	अवधि	निरीक्षण किए जाने वाले स्कूलों/केंद्रों की संख्या	निरीक्षण किए गए स्कूल/केंद्र	निरीक्षण की प्रतिशतता
भिवानी	2010-15	5,000	928	19
हिसार	2010-15	5,000	395	08
करनाल	2010-15	5,000	322	06
कुरूक्षेत्र	2010-15	5,000	646	13
रेवाड़ी	2010-15	5,000	568	11
सिरसा	2010-15	5,000	488	10

स्रोतः चयनित डी.ई.ई.ओ. तथा बी.ई.ओ. द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

[2] क. राज्य स्तरः एक माह में निरीक्षण किए जाने वाले स्कूलों की संख्या X 10 माह = 25 X 10=250

ख. डी.ई.ई.ओ. स्तरः डी.ई.ई.ओ. की संख्या X एक माह में निरीक्षण किए जाने वाले स्कूलों की संख्या X 10 माह = 21 X 25 X 10 =5,250

ग. बी.ई.ओ. स्तरः बी.ई.ओ. की संख्या X स्कूलों की संख्या X 10 माह = 25 X 119 X 10=29,750

क + ख + ग = 250 + 5,250 + 29,750 = 35,250

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भः अनुच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 52)

राज्य में प्राईवेट कालेजों के विवरण

क्र.सं.	संस्थानों/कालेजों की किस्म	नोडल एजेंसी/विभाग	संस्थानों की संख्या
प्राईवेट कालेज			
1	लॉ	एच.ई.	14
2	डिग्री		76
3	बी.एड.	एच.ई./एन.सी.टी.ई.	619
4	मैडीकल	एम.सी.आई.[3]/एम.ई.आर.	10
5	डैंटल	डी.सी.आई [4]/एम.ई.आर	13
6	फिजियोथरैपी एवं होम्योपैथी	आई.ए.पी./सी.सी.एच. [5] तथा एम.ई.आर	9
7	आयुर्वेदिक	सी.सी.आई.एम.[6]/एम.ई.आर.	8
8	नर्सिंग	आई.एन.सी./एच.एन.सी. [7] तथा एम.ई.आर	59
9	फार्मेसी	ए.आई.सी.टी.ई./टी.ई.	27
10	बी.टेक		152
11	बी.आर्किटेक्ट		13
12	बी.एच.एम.		5
13	एम.बी.ए.		161
14	एम.सी.ए.		47
		कुल	**1,213**
प्राईवेट यूनिवर्सिटी			
1	पी.यू.ज	एच.ई.	18

स्रोतः विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

3 मैडीकल काऊंसिल ऑफ इंडिया।

4 डेंटल काऊंसिल ऑफ इंडिया।

5 इंडियन एशोसियेशन ऑफ फीजियोथैरेपी, तथा सैंट्रल काऊंसिल ऑफ होम्योपैथी।

6 सैंट्रल काऊंसिल ऑफ इंडिया मैडीसिन।

7 इंडियन नर्सिंग काऊंसिल तथा हरियाणा नर्सिंग काऊंसिल।

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भः अनुच्छेद 2.3.4; पृष्ठ 53)

नमूना – जांच किए गए प्राईवेट कालेज दर्शाने वाली विवरणी

यूनिवर्सिटी का नाम	सी.डी.एल.यू., सिरसा		जी.जे.यू., हिसार		के.यू., कुरूक्षेत्र		एम.डी.यू., रोहतक		पं. बी.डी. शर्मा यू.एच.एस., रोहतक		कुल	चयनित
कालेजों के प्रकार	**कुल**	**चयनित**	**कुल**	**चयनित**	**कुल**	**चयनित**	**कुल**	**चयनित**	**कुल**	**चयनित**		
डिग्री	7	2	-	-	22	2	25	3	-	-	54	7
बी.एड	28	9	-	-	164	5	286	17	-	-	478	31
लॉ	1	1	-	-	4	1	7	2	-	-	12	4
टेक्नीकल (इंजीनियरिंग, एम.बी.ए., एम.सी.ए., होटल मैनेजमैंट तथा आर्किटैक्ट)	-	-	14	7	87	5	110*	8	-	-	211	20
मैडीकल/पैरा-मैडीकल	-	-	-	-	-	-	-	-	77	15	77	15
सकल योग	**36**	**12**	**14**	**7**	**277**	**13**	**428**	**30**	**77**	**15**	**832**	**77**
प्राईवेट यूनिवर्सिटी	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18**	**5[8]**
* सरकारी तथा सहायताप्राप्त प्राईवेट कालेज सहित।												

स्रोतः विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

[8] (i) अंसल यूनिवर्सिटी, गुड़गांव, (ii) एन.आई.आई.एल.एम. यूनिवर्सिटी, कैथल, (iii) बी.एम.एल. मुंजाल यूनिवर्सिटी, गुड़गांव, (iv) एम.वी.एन. यूनिवर्सिटी, पलवल तथा (v) आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी, गुड़गांव।

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भः अनुच्छेद 2.3.6.2; पृष्ठ 56)
कमियों की अनुपालना के बिना एफिलिएटिड कालेजों की सूची

क्र. सं.	कालेज का नाम	सत्र	कमियां
		एम.डी.यू.	
1.	मिनाक्षी कालेज ऑफ एजुकेशन, मोहना रोड़, बल्लभगढ़, फरीदाबाद	2008-09 से 2014-15	1. अपेक्षित भूमि, वाशरूम तथा अन्य मूलभूत संरचना जैसे विकलांगों के लिए रिसोर्स रूम, प्ले-ग्राऊंड सुविधाओं इत्यादि की अनुपलब्धता। 2. कार्यालय, तीन क्लासरूम तथा अन्य कमरों जैसे लाईब्रेरी (कम पुस्तकों वाली) तथा मल्टीपर्पज हाल इत्यादि का अपर्याप्त आकार। 3. प्रयोजन को पूरा न करने वाली बहुत छोटे आकार की प्रयोगशालाएं। 4. पुराने कंप्यूटर। 5. सुरक्षित पेयजल इत्यादि का प्रावधान न होना।
2.	आई.पी.आई. कालेज ऑफ एजुकेशन, वी.पी.ओ.-इसमाईला, जिला रोहतक	2008-09 से 2014-15	1. अपेक्षित मूलभूत संरचना की अनुपलब्धता। 2. यूनिवर्सिटी अनुमोदित अर्हताप्राप्त फेकल्टी की अनुपलब्धता। 3. सहायक स्टॉफ की अनुपलब्धता। 4. पूर्णतः सुसज्जित तथा उचित रूप से तैयार की गई प्रयोगशालाओं और लाईब्रेरी इत्यादि की अनुपलब्धता।
3.	आई.बी. कालेज ऑफ एजुकेशन, राम गोपाल कलोनी, नजदीक सैक्टर-1 टेलीफोन एक्सचेंज, रोहतक	2008-09 से 2014-15	
4.	आई.पी.एस. कालेज ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड टैक्नोलोजी, नेहरू कलोनी, रोहतक	2007-08 से 2014-15	
5.	आई.पी.एस. स्कूल ऑफ मनेजमैंट, जींद बाई पास, नेहरू कलोनी, रोहतक	2008-09 से 2014-15	
6.	आई.पी. कालेज ऑफ एजुकेशन, वी.पी.ओ.-जसीया, जिला रोहतक	2009-10 से 2014-15	
7.	इंद्रप्रस्थ कालेज ऑफ एजुकेशन, निकट पावर हाऊस, जींद बाई पास, रोहतक	2009-10 से 2014-15	
8.	मानव रचना कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, सैक्टर-43, फरीदाबाद	2008-09 से 2014-15	1. सीनियर फेकल्टी (विशेष रूप से प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर) की कमी। 2. प्रयोगशालाओं की कमी।
		कुरूक्षेत्र	
9.	आर्य कन्या महाविद्यालय, मोर माजरा, करनाल	2010-11 से 2014-15	1. अधिक नियमित टीचिंग स्टाफ, नियमित प्रिंसीपल तथा सहायक स्टॉफ की भर्ती की आवश्यकता। 2. अधिक कंप्यूटर खरीदने की आवश्यकता
10.	एस.बी. इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलजी, फतेहपुर पूंडरी, कैथल	2008-09 से 2014-15	1. यूनिवर्सिटी अनुमोदित प्रिंसीपल तथा फेकल्टी की अनुपलब्धता। 2. पूर्णतः सुसज्जित प्रयोगशालाओं की अनुपलब्धता। 3. अपेक्षित नॉन-टीचिंग स्टॉफ की अनुपलब्धता।
11.	मानव कालेज ऑफ एजुकेशन, जेवरा, बरवाला रोड़, हिसार	2010-11 से 2014-15	1. पूर्णतः सुसज्जित प्रयोगशालाएं नहीं। 2. लाईब्रेरी में अधिक पुस्तकों की आवश्यकता।
		जी.जे.यू.	
12.	मानव कालेज ऑफ टेक्नोलोजी, जेवरा, बरवाला रोड़, हिसार	2010-11 से 2014-15	1. यूनिवर्सिटी अनुमोदित प्रिंसीपल तथा फेकल्टी की अनुपलब्धता। 2. पूर्णतः सुसज्जित तथा उचित रूप से तैयार की गई प्रयोगशालाओं और लाईब्रेरी इत्यादि की अनुपलब्धता। 3. अपेक्षित मूलभूत संरचना की अनुपलब्धता।

स्रोतः विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भः अनुच्छेद 3.6.1; पृष्ठ 84, 85)

दिए गए धान, देय सी.एम.आर., सुपुर्द सी.एम.आर. तथा एफ.एस.डी. में मिलर्ज से प्राप्त न किए गए शेष चावल के विवरण

क्र. सं.	वर्ष	मिलर का नाम	आबंटित किया जाने वाला धान	वास्तविक आबंटित धान	आबंटित अधिक/कम धान	देय सी.एम. आर.	सुपुर्द सी. एम. आर.	लंबित सी.एम. आर.	भौतिक सत्यापन में पाया गया सी.एम. आर.	सी.एम. आर. में कमी	लंबित सी.एम. आर. का मूल्य	लंबित सी.एम. आर. के मूल्य की पेनल्टी	अंतिम विस्तारण से महीनों की संख्या	सितंबर 2015 तक वसूलनीय ब्याज	कुल वसूलनीय राशि
			(एम.टी. में)								(₹ लाख में)			(₹ लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
कुरूक्षेत्र															
1	2011-12	अंकित ट्रेडिंग कंपनी पेहोवा	3000	5727	2727	3837	2889	948	0	948	185.3	92.65	30	81.65	359.6
2	2012-13	चहल राईस मिल पेहोवा	4000	6425	2425	4305	2695	1610	0	1610	358.02	179.01	20	105.17	642.19
3	2013-14	श्री शक्ति राईस एंड जनरल मिल खिजरपुर	5000	8344	3344	5590	2511	3079	1386	1693	729.01	72.9	12	94.22	896.14
4	2013-14	श्री बालाजी राईस मिल शाहबाद	3000	4218	1218	2826	1971	855	359	496	202.44	20.24	12	26.17	248.85
5	2013-14	श्री कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी लाडवा	3000	5109	2109	3423	2214	1209	1118	91	286.25	28.63	12	37	351.88
फतेहाबाद															
6	2013-14	ताराचंद राईस मिल आयलकी	3000	4993	1993	3345	2265	1080	0	1080	255.71	25.57	12	33.05	314.33
7	2013-14	गर्ग राईस मिल कलोथा	4000	3603	-397	2414	1955	459	0	459	108.68	10.87	12	14.05	133.59
करनाल															
8	2013-14	आशीर्वाद फूडस करनाल	6000	5277	-723	3536	1347	2189	6	2183	518.05	51.81	12	66.96	636.81
9	2013-14	मारूती राईस मिल	4000	2519	-1481	1688	485	1203	600	603	284.83	28.48	12	36.81	350.13
10	2013-14	राजश्री राईस मिल	5000	9185	4185	6154	804	5350	0	5350	1266.71	126.67	12	163.72	1557.11
11	2013-14	एस.के. राईस ट्रेडर्स	3000	4551	1551	3049	1106	1943	0	1943	460.28	46.03	12	59.49	565.8

क्र. सं.	वर्ष	मिलर का नाम	आबंटित किया जाने वाला धान	वास्तविक आबंटित धान	आबंटित अधिक / कम धान	देय सी.एम.आर.	सुपुर्द सी.एम.आर.	लंबित सी.एम.आर.	भौतिक सत्यापन में पाया गया सी.एम.आर.	सी.एम.आर. में कमी	लंबित सी.एम.आर. का मूल्य	लंबित सी.एम.आर. के मूल्य की पेनल्टी	अंतिम विस्तारण से महीनों की संख्या	सितंबर 2015 तक वसूलनीय ब्याज	कुल वसूलनीय राशि
			(एम.टी. में)								(₹ लाख में)			(₹ लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	2013-14	सुनील कुमार अमित कुमार करनाल	3000	5292	2292	3546	2208	1338	1200	138	316.8	31.68	12	40.95	389.42
13	2013-14	महा लक्ष्मी राईस मिल, तरावड़ी	6000	2972	-3028	1991	700	1291	878	413	305.67	30.57	12	39.51	375.74
14	2013-14	ए.आर. एग्रो	5000	4032	-968	2701	0	2701	147	2554	639.51	63.95	12	82.66	786.12
15	2013-14	गणपति एग्रो फूडस	6000	5564	-436	3728	2695	1033	0	1033	244.58	24.46	12	31.61	300.65
16	2013-14	एल. आर. इंटरनैशनल	6000	4540	-1460	3042	2244	798	0	798	188.94	18.89	12	24.42	232.26
17	2013-14	महादेव खल एंड ऑयल मिल	5000	1812	-3188	1214	377	837	167	670	198.18	19.82	12	25.61	243.61
18	2013-14	हरि ओम राईस मिल, असंध	6000	8186	2186	5485	4929	556	306	250	131.64	13.16	12	17.01	161.82
19	2013-14	श्री साई राईस मिल, असंध	6000	4103	-1897	2749	2533	216	0	216	51.14	5.11	12	6.61	62.87
20	2013-14	तनिष्क फूड राईस मिल	3000	9909	6909	6639	2911	3728	0	3728	882.67	88.27	12	114.09	1085.03
21	2013-14	शिव शंकर राईस मिल	5000	7751	2751	5193	1078	4115	0	4115	974.3	97.43	12	125.93	1197.66
22	2013-14	श्री कृष्ण कृपा फूड, घरौंडा	6000	5360	-640	3591	2076	1515	1385	130	358.71	35.87	12	46.36	440.94
								यमुना नगर							
23	2013-14	जय बाला सुंदरी राईस मिल	5000	4081	-919	2734	1995	739	270	469	174.97	17.5	12	22.62	215.08
	कुल		**105000**	**123553**	**18553**	**82780**	**43988**	**38792**	**7822**	**30970**	**9122.39**			**1295.67**	**11547.63**

स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

अधिक आबंटित धान: 12 मामले: 33,690 एम.टी. (क्रम संख्या 1,2,3,4,5,6,10,11,12,18,20,21)

कम आबंटित धान: 11 मामले: 15,137 एम.टी. (क्रम संख्या 7,8,9,13,14,15,16,17,19,22,23)

निवल अधिक आबंटित: 18,553 एम.टी.

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भः अनुच्छेद 3.17.3.1; पृष्ठ 114)

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विवरण जहां महत्वहीन/कोई प्रगति नहीं थी

क्र. सं.	अनुच्छेद संख्या तथा अनुच्छेद का शीर्षक	की गई कार्रवाई/आगे लेखापरीक्षा टिप्पणियां
1.	2.2.9.1 दादूपुर–नलवी सिंचाई परियोजना पर निष्फल व्यय	➢ माईनरों का निर्माण नहीं किया गया। ➢ रेलवे प्राधिकारियों ने रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य नहीं लिया। ➢ निष्फल व्यय के लिए उत्तर दायित्व नियत करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।
2.	2.2.10.1 नहरों की क्षमता बढ़ाने/रिमॉडलिंग पर व्यय	➢ पांच नहरों का सिंचित क्षेत्र 2007-08 से 2014-15 तक घट गया तथा सभी नौ नहरों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र 13 प्रतिशत तक कम हो गया। ➢ सिंचित क्षेत्र में वृद्धि मात्र चार प्रतिशत तक हुई (2012-13 में 44,005 एकड़ से 2014-15 में 45,916 एकड़)। ➢ मामले की जांच तथा कारणों का विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है।
3.	2.2.10.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत निधियों का उपयोग न करना	➢ मनरेगा निधियों का उपयोग करने के लिए विभाग द्वारा फील्ड कार्यालयों को कोई निर्देश जारी नहीं किए गए थे।
4.	2.2.11.2 जाली/अनुचित निष्पादन गारंटी का प्रस्तुतिकरण	➢ विभाग ने पुलिस विभाग के साथ मामला नहीं उठाया। ➢ विभाग ने बैंक गारंटियों की सत्यता का सत्यापन करने की प्रणाली स्थापित नहीं की है।
5.	2.2.13.2 भारी स्थापना प्रभारों वाले निर्माण मंडल	➢ तार्किक ढंग से मानव शक्ति का उपयोग करने की प्रणाली स्थापित नहीं की गई।
6.	2.2.14.1 स्टॉफ तथा अन्य के विरूद्ध एम.पी.डब्ल्यू.ए. में पड़ी राशि की अवसूली/असमायोजन	➢ एम.पी.डब्ल्यू.ए. की वसूली/समायोजन के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
7.	2.2.14.3 श्रम कल्याण बोर्ड के पास लेबर सैस जमा न करना	➢ समयबद्ध ढंग से राशि जमा करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
8.	2.2.14.4 भू–माुआवजे के भुगतान करते समय गंभीरता की कमी	➢ प्रणाली सुधार के माध्यम से ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भः अनुच्छेद 3.17.3.2; पृष्ठ 115)

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विवरण जहां महत्वपूर्ण कार्यान्वयन/प्रगति थी

क्र. सं.	अनुच्छेद का सार	की गई कार्रवाई/आगे लेखापरीक्षा टिप्पणियां
1.	2.2.7 (ii) आयोजना	➢ 2012-15 की अवधि के दौरान 19 कार्यों में से सात कार्य पूर्ण किए गए तथा चार कार्य प्रगति में थे जबकि चार कार्य छोड़ दिए गए थे। ➢ राज्य सरकार तथा घग्गर कमेटी से क्लीयरेंस प्राप्त न करने के कारण चार कार्य[1] नहीं लिए गए। ➢ मध्यम सिंचाई स्कीम 'कौशल्या डैम' क्रियाशील की गई। ➢ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित न्यायिक मामले के कारण भाखड़ा मेन लाईन-हांसी बुटाना ब्रांच (मुख्य सिंचाई) की मूलभूत संरचना अप्रयुक्त पड़ी रही।
2.	2.2.8.2 बाढ़ के लिए केंद्रीय सहायता	➢ राज्य सरकार ने फरवरी 2014 में संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया। ➢ मामला अभी तक केंद्रीय जल आयोग के पास लंबित पड़ा है (जुलाई 2015)।
3.	2.2.8.3 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान	➢ मामला भारत सरकार के साथ अनुसरित किया गया तथा जनवरी 2015 में जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को पुनः प्रस्तुत किया गया। ➢ ₹ 16.82 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा मई 2015 को लंबित पड़ा था।
4.	2.2.8.4 अन्य राज्यों से हिस्से की प्राप्ति न होना	➢ दिल्ली सरकार से ₹ 10.72 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्राप्त की गई। ➢ अन्य सदस्य राज्यों से हिस्से के रूप में ₹ 111.80 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्राप्त नहीं की गई। ➢ राजस्थान राज्य ने जल आबंटन के हिस्से के लंबित मामले के कारण राशि जमा नहीं की तथा उत्तर प्रदेश ने ओखला बैराज के रख-रखाव तथा आधुनिकीकरण सहित हरियाणा के साथ लंबित सिंचाई राजस्व भुगतान के साथ राशि समायोजन करने के लिए कहा।
5.	2.2.9.2 जवाहर लाल नेहरू लिफ्ट सिंचाई स्कीम मरम्मत तथा रख-रखाव पर निष्फल व्यय	➢ अधिकतर चालू अवधि के दौरान टेल भर जाती तथा 11 गांवों में 13 तलाब नहरी पानी से भर जाते। ➢ नहरी पानी से कोई क्षेत्र सिंचित नहीं किया गया क्योंकि कैनाल के टेल एंड पर पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं था।
6.	2.2.12.1 एल.ए.ओ. से शेष राशि की अवसूली	➢ तीन मंडलों[2] के संबंध में केवल ₹ 1.12 करोड़ की राशि वापस प्राप्त की गई। ➢ एम.पी.डब्ल्यू.ए. में एल.ए.ओ. को अग्रिम भुगतानों की राशि प्रस्तुत करने की स्थापित प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया।
7.	2.2.12.2 भूमि का इंतकाल नहीं किया गया	➢ शामिल किए गए 18 मंडलों में से केवल चार मंडलों[3] के संबंध में विभाग के पक्ष में भूमि का इंतकाल (197.36 एकड़) किया गया।
8.	2.2.13.1 स्टॉफ की कमी	➢ विभिन्न श्रेणियों की रिक्तियों के विवरण स्टाफ की भर्ती हेतु हरियाणा लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई। ➢ स्टाफ की कमी 2012 में 28 प्रतिशत से बढ़कर 2015 में 41 प्रतिशत हो गई।
9.	2.2.14.5 वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार न करना	➢ वर्ष 2013-14 तक के प्रशासनिक प्रतिवेदन सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए। ➢ वर्ष 2014-15 का प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया।

1 (i) घग्गर नदी पर देवां वाला डैम का निर्माण, (ii) घग्गर नदी पर डंगराणा डैम का निर्माण, (iii) मेवात सिंचाई स्कीम तथा (iv) अंबाला सिंचाई स्कीम।

2 सिवानी जल सेवाएं मंडल, भिवानी (₹ 48.92 लाख), निर्माण मंडल-28, जींद (₹ 46.46 लाख) तथा सफीदों जल सेवाएं मंडल, सफीदों (₹ 17.10 लाख)।

3 भिवानी जल सेवाएं मंडल, भिवानी (93.58 एकड़), निर्माण मंडल-28, जींद (59.5088 एकड़), सफीदों जल सेवाएं मंडल, सफीदों (6.046 एकड़) तथा पानीपत जल सेवाएं मंडल, पानीपत (38.23 एकड़) कुलः 197.36 एकड़।

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भः अनुच्छेद 3.17.3.3 ; पृष्ठ 115)

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विवरण जहां सभी अभिप्रेत क्षेत्रों में पूर्ण प्रगति थी

क्र. सं.	अनुच्छेद का सार	की गई कार्रवाई/आगे लेखापरीक्षा टिप्पणियां
1.	2.2.8.5 ₹ 1.94 करोड़ के अनुदान का उपयोग न करना	➢ ₹ 8.50 करोड़ के अव्ययित शेष में से कार्यों पर ₹ 7.02 करोड़ खर्च किए गए। ➢ ₹ 1.48 करोड़ की शेष राशि दिसंबर 2012 में खजाने में जमा की गई।
2.	2.2.8.6 एच.आई.आर.एम. आई. को अधिक अनुदान जारी करना	➢ अव्ययित शेष का मुख्य भाग समायोजित किया गया। ➢ विभाग ने एच.आई.आर.एम.आई. द्वारा निधियों की आवश्यकता का उद्देश्य निर्धारण तथा तद्नुसार अनुदान जारी करके मामले का समाधान किया।
3.	2.2.8.7 निविदा दस्तावेज फीस का संशोधन न करना	➢ सितंबर 2014 में दरें संशोधित की गई।
4.	2.2.9.3 ओट्टू लेक कार्य का विभाजन	➢ मामले की जांच की गई तथा 34 अधिकारियों/कर्मचारियों को चार्ज-शीट किया गया। ➢ जांच के बाद सभी अधिकारियों के विरूद्ध लगाए गए चार्ज सरकार द्वारा हटा लिए गए थे।
5.	2.2.9.3 ओट्टू लेक ओट्टू लेक की उपजाऊ भूमि की बिक्री न करना	➢ मामले की जांच की गई तथा 34 अधिकारियों/कर्मचारियों को चार्ज-शीट किया गया। ➢ जांच के बाद सभी अधिकारियों के विरूद्ध लगाए गए चार्ज सरकार द्वारा हटा लिए गए थे।
6.	2.2.11.2 प्रशासनिक अनुमोदन तथा अनुमानों की संस्वीकृति के बिना कार्य का निष्पादन	➢ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमानों को संस्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किए गए।

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भः अनुच्छेद 3.18; पृष्ठ 117)

अधिगृहीत भूमि हेतु मुआवजे के रूप में किए गए परिहार्य भुगतान के विवरण

(क) कार्यकारी अभियंता, जुई वाटर सेवा मंडल, भिवानी द्वारा किए गए परिहार्य भुगतान

विवरण	अवार्ड नंबर	किए गए भुगतान	नवंबर 2010 से पहले देय राशि	परिहार्य भुगतान
4.54375 एकड़ भूमि की लागत	1 और 2 दिनांक 31 मार्च 2015	54,52,500	36,35,000	18,17,500
अनिवार्य अधिग्रहण प्रभार 100/30 प्रतिशत	-सम-	54,52,500	10,90,590	43,61,910
कुल		**1,09,05,000**	**47,25,590**	**61,79,410**
उपर्युक्त अवार्ड के अनुसार ब्याज		17,04,815	--	--
अवार्ड की कुल राशि		**1,26,09,815**	**--**	**--**

स्रोतः विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

(ख) कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल संख्या 2, गुड़गांव द्वारा किए गए परिहार्य भुगतान

भूमि का विशिष्ट क्षेत्र	अवार्ड नंबर	किए गए भुगतान	देय राशि यदि भुगतान समय पर 1999-2000 की दरों पर किए गए थे (अर्थात् ₹ 2.40 लाख/एकड़)	परिहार्य भुगतान
0.38125 एकड़ भूमि की लागत	1 दिनांक 26-11-2014	30,50,000	91,500	29,58,500
अनिवार्य अधिग्रहण प्रभार 100/30 प्रतिशत	-सम-	30,50,000	27,450	30,22,550
कुल		**61,00,000**	**1,18,950**	**59,81,050**
उपर्युक्त अवार्ड के अनुसार ब्याज		6,67,825	--	--
अवार्ड की कुल राशि		**67,67,825**	**--**	**--**

स्रोतः विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

कुल परिहार्य भुगतान = ₹ 61.79 लाख + ₹ 59.81 लाख = ₹ 121.60 लाख।

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भः अनुच्छेद 3.24; पृष्ठ 129)

नमूना-जांच हेतु चयनित ग्राम पंचायतों की सूची

क्र. सं.	जिले के नाम	क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम
1	अंबाला	1	अंबाला -I	1	जगोली
				2.	बिसनगढ़
		2.	नारायणगढ़	3.	नादूवाली
2	भिवानी	1	सिवानी	4	माटानी
		2	कैरू	5	खेरपुरा
				6	पोखारवास
		3	दादरी -II	7	बादल
3	गुड़गांव	1	फारूखनगर	8	खनदेवला
4	हिसार	1	हांसी-I	9	धानी पुरिया
		2	हांसी -II	10	बास अजमशाहपुर
		3	नारनौंद	11	घरी अजीमा
5	झज्जर	1	बहादुरगढ़	12	इसमाईलपुर
		2	झज्जर	13	दादरी टोइ
				14	बिरदाना
		3	साहलावास	15	समासपुर माजरा
				16	धनीरवास
		4	मातनहेल	17	ससरौली
6	जींद	1	जुलाना	18	डिवोराल
		2	पिल्लूखेड़ा	19	राजाना खौरद
7	करनाल	1	नीलोखेड़ी	20	बोरशाम
				21	बुधेरा
8	कुरूक्षेत्र	1	थानेसर	22	आलमपुर
		2	इस्माइलाबाद	23	मलिकपुर
				24	गोरखा
9	महेन्द्रगढ़	1	नारनौल	25	दोहर कलां
10	मेवात	1	फिरोजपुर झिरका	26	गुजारनागला
		2	नगीना	27	गहगस
		3	पुन्हाना	28	लहरवाड़ी
		4	नूहं	29	मरोड़ा
		5	तावडू	30	चहलका
11	पंचकूला	1	मोरनी	31	बलादवाला
		2	बरवाला	32	तपरेन
		3	पिंजौर	33	खोखरा
12	पानीपत	1	इसराना	34	जोधन खुर्द
13	रोहतक	1	रोहतक	35	कटवारा
14	सिरसा	1	डबवाली	36	पन्ना
		2	ऐलनाबाद	37	धानी काहन सिंह
		3	नाथूसारी चोपटा	38	लुदेसन
		4	रानिया	39	खरियां
		5	ओढान	40	देसू मलकाना
15	सोनीपत	1	मुरथल	41	तिकोला
		2	गोहाना	42	सरगैथल
		3	गन्नौर	43	दुबेता
		4	सोनीपत	44	थारियां
16	यमुनानगर	1	रादौर	45	गुमथाला राव
				46	उनेरी
				47	दौलतपुर
		2	बिलासपुर	48	बिहता
		3	जगाधरी	49	दौलतपुर
		4	मुस्तफाबाद	50	गैंदापुरा

स्रोतः विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

© भारत के
नियंत्रक – महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in